राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के विभिन्न पदों (नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, डेन्टल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन एवं नेत्र सहायक) की सीधी भर्ती (वर्ष 2023) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर (शिफू) के माध्यम से करवाई जा रही है। इन भर्तियों के संबंध में चिन्हित बिन्दुओं पर निर्णय लिए जाने बाबत एवं विभागीय पत्रावली पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्र में महाविवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान राय के अनुसार नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 26.11.2024 को प्रमुख शासन सचिव महोदया, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। मिटिंग सूचना दिनांक 22.11.2024 के क्रम में निम्नांकित अधिकारियो ने बैठक में भाग लिया।

1	विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.एल	सदस्य
2	संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग	सदस्य
3	कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर)	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
4	विधि विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर)	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
5	निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	सदस्य सचिव
6	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं पारिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
7	संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित) मुख्यालय	सदस्य
8	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) मुख्यालय	सदस्य
9	उप विधि परामर्शी (शासन सचिवालय)	सदस्य
10	उप विधि परामर्शी, मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
11	रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर	सदस्य

उपरोक्त उपस्थित अधिकारियो द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनो का निम्नानुसार निस्तारण किया:—

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
1	206	AKASH JOSHI	NO178163	याचिकाकर्ता आकाश जोशी पुत्र श्री सुरेश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.09.2021 से 23.11.2022 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) सीएचओ पद पर किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर द्वारा जारी कुल 437 दिवस का ज़ारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर द्वारा जारी कुल 437 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता आकाश जोशी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
2	207	Uttam Kanwar	NO167366	याचिकाकर्ता उत्तम कंवर पुत्री श्री रतन सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है। मेरे द्वारा दिनांक 31.03.2022 से 04.05.2023 तक 400 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही द्वारा 400 दिवस का कोविड अवधि के बाद का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही द्वारा 400 दिवस का कोविड अवधि के बाद का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 की पालना में याचिकाकर्ता सुश्री उत्तम कॅवर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
3	208	Vishvendra Singh	NO104137	याचिकाकर्ता विश्वेन्द्र सिंह पुत्री श्री कपूर चन्द्र बोकोलिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्तो का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/रिकूटमेन्ट/2020-21/1019/09.06.2021 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 09.09.2021 से 28.03.2022 तक 201 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर एवं भरतपुर द्वारा जारी सीएचओ के पद पर कार्य सम्पादन के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर एवं भरतपुर द्वारा जारी सीएचओ के पद पर कार्य सम्पादन के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री विश्वेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
4	209	Kartik Tailor	NO208683	याचिकाकर्ता कार्तिक टेलर पुत्र श्री गोपाल लाल टेलर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्तों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)/एनआरएचएम/एचएण्डडब्लूईसी/पार्ट–2/सीएचओ–2020/1277 दिनांक 31.12.2021 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 04.01.2022 से 28.03.2022 तक 84 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 84 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 84 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य. सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री कार्तिक टेलर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
5	210	Kunvar Singh	NO187015	याचिकाकर्ता कुंवर सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्तों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/रिक्रूटमेन्ट/2020--21/1019/09.06.2021 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.09.2021 से 28.03.2022 तक 197 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा 197 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा 197 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकारं नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री कुँवर सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
6	211	Supriya Kumari	NO177417	याचिकाकर्ता सुप्रिया कुमारी पुत्र श्री शिवराज सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07,10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्तों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/रिकूटमेन्ट/2020-21/1019/09.06.2021 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.09.2021 से 28.03.2022 तक 197 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा जारी 197 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जारी 398 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। दोनो ही अनुभव प्रमाणपत्र सीएचओ पद के सीएचओ के कार्य/हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सरकार के निर्दशानुसार कार्य सम्पादन के है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं ज़िसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा जारी 197 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जारी 398 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। दोनो ही अनुभव प्रमाणपत्र सीएचओ पद के सीएचओ के कार्य/हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सरकार के निर्देशानुसार कार्य सम्पादन के है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता सुश्री सुप्रिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
7	212	Rajesh Bhaskar	NO192503	याचिकाकर्ता राजेश भास्कर पुत्र श्री नोपाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्तों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505) एनएचएम/एचआर/रिकूटमेन्ट/सीएचओ/ 2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 08.09.2021 से 28.03.2022 तक 201 दिवस एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिनका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा 201 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा 201 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये. हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री राजेश भास्कर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
8	213	Suryakant	NO166058	याचिकाकर्ता सूर्यकान्त पुत्र श्री राजूराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्तो का नाम है। आदेश दिनांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 09.09.2021 से 28.03.2022 तक 201 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा जारी कुल 201 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा जारी कुल 201 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री सूर्यकान्त द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
9	214	Phoolchand Verma	NO201301	याचिकाकर्ता फूलचन्द वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है ज़बकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्तों का नाम है। आदेश दिनांक एफ. 42(504)एनएचएम/एचडब्लूईसी/सीएचओ/2020–21/1019 दिनांक 06.09.2021 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 09.09.2021 से 04.05.2023 तक 603 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी उपस्वास्थ्य केन्द्र गोकुल का बास पर सीएचओ के पद पर नर्सिंग कार्य का 603 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा जारी कुल 201 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी उपस्वास्थ्य केन्द्र गोकुल का बास पर सीएचओ के पद पर नर्सिंग कार्य का 603 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री फूलचन्द वर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
10	215	Govind Ram Regar	NO194415	याचिकाकर्ता गोविन्द राम रैगर पुत्र श्री सुल्तान राम रैगर द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्तों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 10.09.2021 से 28.03.2022 तक 200 दिवस का जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा 200 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा 200 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री गोविन्द राम रैगर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
11	216	Sharmila	NO160902	याचिकाकर्ता शर्मिला पुत्री श्री भगतसिंह द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्तों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.09.2021 से 30.04.2023 तक 595 दिवस का जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा जारी कुल 595 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड़ परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा जारी कुल 595 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता सुश्री शर्मिला द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
12	217	Jyotiba Chandoliya	NO187708	याचिकाकर्ता ज्योतिबा चांदोलिया पुत्री श्री जगदीश प्रसाद चांदोलिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.09.2021 से 28.03.2022 तक 197 दिवस एवं दिनांक 29.03.2022 से 23.09.2022 तक 240 दिवस जिनका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू द्वारा 197 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा 392 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू द्वारा 197 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा 392 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता सुश्री ज्योतिबा चन्दोलिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
13	218	Khem Chand Meghvanshi	NO186492	याचिकाकर्ता खेमचन्द मेघवंशी पत्र श्री छोटूलाल मेघवंशी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 06.10.2021 से 28.03.2022 तक 174 दिवस एवं दिनाकं 31.03.2022 से 30.04.2023 तक 396 दिवस का 25000 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा जारी कुल 570 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा जारी कुल 570 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी. जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री खेमचन्द मेघवंशी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
14	219	Sunita Devathiya	NO189901	याचिकाकर्ता सुनिता देवठिया पुत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.09.2021 से 28.03.2021 तक 97 दिवस एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें सीएचओ के पद पर सीएचओ का हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्य सम्पादन किया जाना दर्शाया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें सीएचओ के पद पर सीएचओ का हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर, पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्य सम्पादन किया जाना दर्शाया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता सुश्री सुनिता देवठिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
15	220	Uttam	NO184304	याचिकाकर्ता उत्तम, पुत्र श्री खेमचन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 08.09.2021 से 28.03.2022 तक 202 दिवस एवं 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस 25000 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुंनू द्वारा 202 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुंनू द्वारा 202 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री उत्तम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
16	221	Vijendra Kumar Jatav	NO197504	याचिकाकर्ता विजेन्द्र कुमार जाटव पुत्र श्री गोपी जाटव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 15.09.2021 से 28.03.2022 तक 195 दिवस एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा 195 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा 195 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री विजेन्द्र कुमार जाटव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
17	222	Birju Kumar Sankhla	NO175585	याचिकाकर्ता बिरजू कुमार सांखला पुत्र श्री बन्नाराम सांखला ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 20.09.2021 से 28.03.2022 तक 172 दिवस एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिनका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंगानगर द्वारा 172 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा 397 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंगानगर द्वारा 175 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा 397 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री बिर्जू कुमार सांखला द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
18	223	Rakesh Verma	NO174475	याचिकाकर्ता राकेश कुमार पुत्र श्री छीगनलाल वर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 09.09.2021 से 04.05.2023 तक 603 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी कुल 603 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी कुल 603 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री राकेश वर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
19	224	Ramswaroop Gocher	NO199206	याचिकाकर्ता रामस्वरूप गोचर पुत्र श्री भवानीशंकर द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम हैं। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 08.09.2021 से 28.03.2022 तक 201 दिवस, दिनांक 29.03.2022 से 26.05.2022 तक 59 दिवस एवं दिनांक 27.05.2022 से 31.03.2023 तक 309 दिवस जिनकी समस्त अवधि का मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा 309 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा 260 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा 309 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा 260 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री रामस्वरूप गोचर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
20	225	Urmila Devi Gurjar	NO159755	याचिकाकर्ता उर्मिला देवी गुर्जर पुत्री श्री अमरसिंह गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 03.01.2022 से 28.03.2022 तक 85 दिवस का 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 85 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 85 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 की पालना में याचिकाकर्ता सुश्री उर्मिला देवी गुर्जर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
21	226	Laxman Das	NO102109	याचिकाकर्ता लक्ष्मण दास पुत्र श्री ओमप्रकाश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 06.09.2021 से 30.04.2023 तक 599 दिवस का 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंगानगर द्वारा 599 दिवस जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंगानगर द्वारा 599 दिवस जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री लक्ष्मण दास द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
22	227	Ramna Devi	NO194690	याचिकाकर्ता रमना देवी पुत्री श्री साहबराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.09.2021 से 28.03.2022 तक 196 दिवस एवं दिनांक 29.03.2022 से 31.03.2023 तक 368 दिवस जिनका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जारी 368 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर द्वारा जारी 196 दिवस के 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये है। जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जारी 368 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर द्वारा जारी 196 दिवस के 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये है। जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता सुश्री रमना देवी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
23	228	Shubham Shekhar Vaid	NO199247	याचिकाकर्ता रेनु कमारी शर्मा पुत्री श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 10.09.2021 से 28.03.2022 तक 200 दिवस एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा 200 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा 200 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री शुभम शेखर वेद द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
24	229	Deepak Kumar Dhakad	NO195163	याचिकाकर्ता दीपक कुमार धाकड़ पुत्र श्री भंवरलाल धाकड़ द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.09.2021 से 28.03.2022 तक 197 दिवस का जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह एवं है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टौंक द्वारा 395 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर द्वारा 197 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टौंक द्वारा 395 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर द्वारा 197 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में आचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री दीपक कुमार धाकड़ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
25	230	KIRANDEEP KAUR	NO162152	याचिकाकर्ता किरणदीप कौर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17321/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन सूची में ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग की कटऑफ 66.41 से याचिकाकर्ता के अंक 68.80 प्रतिशत अधिक होते हुये भी लिस्ट में नाम नहीं आने बाबत। याचिकाकर्ता ने अवगत कराया है कि उनके पास ओबीसी एनसीएल का वर्ष 2018, 2021 व 2023 का जारी प्रमाण पत्र है जबकि वर्ष 2022 में याचिकाकर्ता द्वारा ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित आवेदन में सही रूप में प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता ने जाति प्रमाण पत्र का फार्म भरते समय अपने पिता का आय प्रमाण पत्र जिसकी वार्षिक आय 90000 रूपये है, परन्तु संबंधित ईमित्र व तहसीलदार कार्यालय द्वारा त्रुटिवश याचिकाकर्ता का वर्ष 2022 का क्रीमीलेयर सम्पन्न वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन किया है। किन्तु ऑनलाइन आवेदन के साथ एवं दस्तावेज सत्यापन में ओबीसी क्रिमीलेयर का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है। जिसके कारण दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अभ्यर्थिया को ओबीसी क्रीमी लेयर (अनारक्षित) माना गया। अभ्यावेदन के साथ याचिकाकर्ता ने 2018 का ओबीसी एनसीएल का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो शपथपत्र के साथ तीन वर्ष के लिये ही वैध था। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन के साथ 2021 का ओबीसी एनसीएल का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है जो आवेदन की दिनांक को शपथपत्र के साथ वैध है। याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ 2022 का क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र संलग्न किया जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता आवेदन के समय नॉनक्रीमीलेयर श्रेणी में पात्र नहीं थी। अभ्यावेदन के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सितम्बर 2023 का नॉन क्रिमीलेयर का प्रमाणपत्र संलग्न किया जो आवेदन की तिथि के बाद का है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2022, कार्मिक विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश एवं वर्ष 2022 में जारी जाति प्रमाण पत्र जिसके आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन किया गया है जो ओबीसी क्रिमीलेयर का है एवं तत्पश्चात् सितम्बर 2023 में जारी ओबीसी नॉन क्रिमीलेयर वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् जारी किया गया है, के आधार पर श्रेणी परिवर्तन की मांग मान्य नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ता के पास त्रुटि सुधार हेतु दो बार आवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार में परिणाम जारी हो जाने के उपरान्त श्रेणी परिवर्तन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसे ही एक प्रकरण डीबी याचिका संख्या 7840/2016 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में भी याचिकाकर्ता द्वारा यह देखकर कि उसकी आवेदित श्रेणी का उसके द्वारा वांछित श्रेणी में परिवर्तन हो जाने पर चयन संभव है, माननीय न्यायालय में याचिका दायर की जिसे माननीय न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि ऐंसा किया जाना अपने आप में पक्षपाती होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन किया है। किन्तु ऑनलाइन आवेदन के साथ एवं दस्तावेज सत्यापन में ओबीसी क्रिमीलेयर का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है। जिसके कारण दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अभ्यर्थिया को ओबीसी क्रीमी लेयर (अनारक्षित) माना गया। अभ्यावेदन के साथ याचिकाकर्ता ने 2018 का ओबीसी एनसीएल का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो शपथपत्र के साथ तीन वर्ष के लिये ही वैध था। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन के साथ 2021 का ओबीसी एनसीएल का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है जो आवेदन की दिनांक को शपथपत्र के साथ वैध है। याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ 2022 का कीमी लेयर का प्रमाणपत्र संलग्न किया जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता आवेदन के समय नॉनक्रीमीलेयर श्रेणी में पात्र नहीं थी। अभ्यावेदन के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सितम्बर 2023 का नॉन क्रिमीलेयर का प्रमाणपत्र संलग्न किया जो आवेदन की तिथि के बाद का है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2022, कार्मिक विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश एवं वर्ष 2022 में जारी जाति प्रमाण पत्र जिसके आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन किया गया है जो ओबीसी क्रिमीलेयर का है एवं तत्पश्चात् सितम्बर 2023 में जारी ओबीसी नॉन क्रिमीलेयर वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् जारी किया गया है, के आधार पर श्रेणी परिवर्तन की मांग स्वीकार किया जाना मान्य नही है। याचिकाकर्ता के पास त्रुटि सुधार हेतु दो बार आवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा श्रेणी परिवर्तन के उद्धृत प्रकरणों में पारित निर्णयों के आलोक में एवं याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्रों में अंकित साक्ष्यों के आधार पर याचिकाकर्ता सुश्री किरणदीप कौर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
26	231	Krishan Kumar	NO190674	याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामसिंह यादव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17599/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा ओबीसी–एनसीएल पुरूष वर्ग में आवेदन किया गया किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान ओबीसी–सीएल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण उनका नाम अंतरिम चयन सूची में नहीं आया है। प्राथी द्वारा जाति प्रमाण पत्र की कोई प्रति संलग्न नहीं की है।	याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार द्वारा ओबीसी–एनसीएल पुरूष वर्ग में आवेदन किया गया किन्तु ऑनलाइन आवेदन में एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 29.04.2023 का जारी ओबीसी–सीएल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदन के समय प्राथी ओबीसी एनसीएल श्रेणी में नहीं था। याचिकाकर्ता के पास दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची के उपरान्त दिये गये अवसर सहित 2 बार त्रुटि संशोधन हेतु अवसर प्रापत था जिसका उसके द्वारा लाभ नही उठाया गया। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार में परिणाम जारी हो जाने के उपरान्त श्रेणी परिवर्तन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसे ही एक प्रकरण डीबी याचिका संख्या 7840/2016 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में भी याचिकाकर्ता द्वारा यह देखकर कि उसकी आवेदित श्रेणी का उसके द्वारा वांछित श्रेणी में परिवर्तन हो जाने पर चयन संभव है, माननीय न्यायालय में याचिका दायर की जिसे माननीय न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि ऐसा किया जाना अपने आप में पक्षपाती होगा।	याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार द्वारा ओबीसी–एनसीएल पुरूष वर्ग में आवेदन किया गया किन्तु ऑनलाइन आवेदन में एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 29.04.2023 का जारी ओबीसी–सीएल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदन के समय प्राथी ओबीसी एनसीएल श्रेणी में नहीं था। याचिकाकर्ता के पास दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची के उपरान्त दिये गये अवसर सहित 2 बार त्रुटि संशोधन हेतु अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नही उठाया गया। अतः अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त इनका वर्ग परिवर्तन किया जाना पक्षपाती होगा। अतः याचिकाकर्ता श्री कृष्ण कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
27	232	Aakib Javed	NO208580	याचिकाकर्ता आकिब जावेद पुत्र श्री फजलुदीन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18697/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनका दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम था किन्तु प्रोविजनल चयन सूची में नाम अंकित नहीं है ना ही कोई जानकारी दी गयी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हे चयन सूची में सम्मिलित करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया।	याचिकाकर्ता ने परिवेदना के साथ अधीक्षक महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा द्वारा जारी पत्र संलग्न किया है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का अनुभव 992 दिवस के स्थान पर 1154 माना जाना है। अतः याचिकाकर्ता को 30 बोनस अंक देय हैं किन्तु याचिकाकर्ता ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था एवं परिवेदना के साथ वर्ष 2011 का जारी एवं सितम्बर 2023 का जारी ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिससे स्पष्ट है कि कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार याचिकाकर्ता आवेदन के समय ओबीसी एनसीएल श्रेणी में पात्र नहीं था एवं अनारक्षित श्रेणी में ही था। याचिकाकर्ता के पास दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची के उपरान्त दिये गये अवसर सहित 2 बार त्रुटि संशोधन हेतु अवसर प्रापत था जिसका उसके द्वारा लाभ नही उठाया गया। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार में परिणाम जारी हो जाने के उपरान्त श्रेणी परिवर्तन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसे ही एक प्रकरण डीबी याचिका संख्या 7840/2016 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में भी याचिकाकर्ता द्वारा यह देखकर कि उसकी आवेदित श्रेणी का उसके द्वारा वांछित श्रेणी में परिवर्तन हो जाने पर चयन संभव है, माननीय न्यायालय में याचिका दायर की जिसे माननीय न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि ऐसा किया जाना अपने आप में पक्षपाती होगा। अतः याचिकाकर्ता के प्राप्तांक 30 प्रतिशत बोनस अंकों साथ भी अनारक्षित श्रेणी में अंतिम चयनित याचिकाकर्ता के प्राप्तांकों से कम होने के कारण अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अधीक्षक महारावा भीमसिंह अस्पताल कोटा द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को देय 30 बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा सकता है। किन्तु याचिकाकर्ता ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था एवं परिवेदना के साथ वर्ष 2011 का जारी एवं सितम्बर 2023 का जारी ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिससे स्पष्ट है कि कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार याचिकाकर्ता आवेदन के समय ओबीसी एनसीएल श्रेणी में पात्र नहीं था एवं अनारक्षित श्रेणी में ही था। याचिकाकर्ता के पास दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची के उपरान्त दिये गये अवसर सहित 2 बार त्रुटि संशोधन हेतु अवसर प्रापत था जिसका उसके द्वारा लाभ नही उठाया गया। अतः याचिकाकर्ता को अनारक्षित श्रेणी में पात्र मानते हुए भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किया जा सकता है। तद्नुरूप याचिकाकर्ता श्री आकिब जावेद द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
28	233	DEVRAJ ACHARYA	NO141421	याचिकाकर्ता देवराज आचार्य पुत्र श्री लाजपत राय ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15258/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनांक 26.05.2023 को क्रमशः 405 दिवस, 615 दिवस, 2916 दिवस एवं 358 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जान के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.658 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मख्नलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जान के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.658 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा श्री देवराज आचार्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
29	234	Jitendra Verma	NO171852	याचिकाकर्ता जितेन्द्र वर्मा पुत्र श्री इंद्रलाल वर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18397/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके अनुभव की गणना करते हुए वरियता सूची में सम्मिलित करें। उसके द्वारा दिनांक 01.01.2014 से 14.08.2016 तक 906 दिवस का 104 हैल्थ एडवाईजरी सर्विस पद का एवं दिनांक 14.08.2016 से 20.07.2017 तक 317 दिवस का 108 हैल्थ एडवाईजरी सर्विस पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	अभ्यर्थी द्वारा हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ देय नही है। बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।	अभ्यर्थी द्वारा हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा श्री जितेन्द्र वर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
30	235	LALA RAM	NO145638	याचिकाकर्ता लाला राम पुत्र श्री हीरा राम चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जान के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.500 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मख्नलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.500 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा श्री लालाराम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
31	236	PAVAN PURI SADHU	NO127344	याचिकाकर्ता पवन पुरी साधू पुत्र श्री जगदीश पुरी साधू ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18386/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में शामिल किये जाने हेतु निवेदन किया है। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अंतरिम वरीयता सूची में ओबीसी एनसीएल क्रिमीलेयर (पुरुष) वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से अधिक प्राप्तांक 72.080 प्रतिशत होने के बावजूद भी उनका नाम सूची में नहीं था। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.10.2023 को परिवदना भी दर्ज कराई है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत आरएनसी पजीयन 10 मार्च 2022 का जारी किया हुआ है जबकि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 30.12.2019 से 04.05.2023 तक 1222 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर इन्हे पंजीयन से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ प्रस्तुत प्रमाणपत्र अनुसार प्रथम बार पंजीयन वर्ष 2011 मे कराया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीच में अवधि में किसी समय अभ्यर्थी द्वारा अन्य राज्य में पंजीयन के उद्देश्य से एन.ओ.सी प्राप्त की गई जिसके कारण वह आरएनसी में वैध पंजीकृत नर्स एवं मिडवाईफ नहीं रहा। रजिस्ट्रार आर.एन.सी से इस बावत पदत्त सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत आरएनसी पजीयन 10 मार्च 2022 का जारी किया हुआ है जबकि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 30.12.2019 से 04.05.2023 तक 1222 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर इन्हे पंजीयन से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ प्रस्तुत प्रमाणपत्र अनुसार प्रथम बार पंजीयन वर्ष 2011 में कराया गया। ततपश्चात मार्च 2022 में पुनः पंजीयन की आवश्यकता याचिकाकर्ता को किस कारण हुई स्पष्ट नहीं है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 की पालना में याचिकाकर्ता श्री पवन पुरी साधु द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है कि आर.एन.सी. द्वारा प्रदत्त सूचना अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
32	237	Balbeer Choudhary	NO130569	याचिकाकर्ता बलबीर चौधरी पुत्र श्री ग्यारसी लाल ने याचिका संख्या 17426/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण की पुनः जांच कर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करवाने बाबत्।	याचिकाकर्ता का पंजीयन राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में दिनांक 30.11.2022 को हुआ है। अतः रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप पंजीयन से पूर्व की संविदा अवधि के बोनस अंक देय नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा पंजीयन की पुनः जॉच हेतु निवेदन किया गया है। रजिस्ट्रार आर.एन.सी से इस बाबत पदत्त सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	याचिकाकर्ता का पंजीयन राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में दिनांक 30.11.2022 को हुआ है। अतः रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप पंजीयन से पूर्व की संविदा अवधि के बोनस अंक देय नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा पंजीयन की पुनः जॉच हेतु निवेदन किया गया है जिस बाबत रजिस्ट्रार अआएनसी द्वार प्रदत्त सूचना अनुसार नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री बलबीर चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
33	238	Sudhir Sharma	NO142538	याचिकाकर्ता सुधीर शर्मा पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18656/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 की प्रति संलग्न कर अनुरोध किया है कि उनके मेरिट में होने के उपरान्त भी उन्हें अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः उचित कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया है। अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत आरएनसी पजीयन 14.09.2020 का जारी किया हुआ है जबकि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर द्वारा दिनांक 07.03.2020 से 04.05.2023 तक कुल 1154 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर इन्हे पंजीयन से पूर्व के अनुभव का लाभ नही दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा परिवेदना के साथ प्रस्तुत प्रमाणपत्र अनुसार प्रथम बार पंजीयन वर्ष 2011 में कराया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीच में अवधि में किसी समय अभ्यर्थी द्वारा अन्य राज्य में पंजीयन के उद्देश्य से एन.ओ.सी प्राप्त की गई जिसके कारण वह आरएनसी में वैध पंजीकृत नर्स एवं मिडवाईफ नहीं रहा। रजिस्ट्रार आर.एन.सी से इस बाबत पदत्त सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत आरएनसी पजीयन 14.09.2020 का जारी किया हुआ है जबकि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर द्वारा दिनांक 07.03.2020 से 04.05.2023 तक कुल 1154 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर इन्हे पंजीयन से पूर्व के अनुभव का लाभ नही दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा परिवेदना के साथ प्रस्तुत प्रमाणपत्र अनुसार प्रथम बार पंजीयन वर्ष 2011 में कराया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीच में अवधि में किसी समय अभ्यर्थी द्वारा अन्य राज्य में पंजीयन के उद्देश्य से एन.ओ.सी प्राप्त की गई जिसके कारण वह आरएनसी में वैध पंजीकृत नर्स एवं मिडवाईफ नहीं रहा। आर.एन.सी. द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री सुधीर शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण. बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
34	239	Rehana Banu Ansari	NO204816	याचिकाकर्ता रेहाना बानू अंसारी पुत्री श्री निजामुददीन अंसारी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17039/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के रजिस्ट्रेशन को वैध मानते हुए उसे 30 प्रतिशत बोनस अंक देते हुए उसे अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया जाये। उसके द्वारा वर्ष 2002 में जीएनएम किया गया जिसका रजिस्ट्रेशन वर्ष 2003 में आरएनसी में करवाया गया जिसकी वैधता 2022 तक थी। वर्ष 2009 में मिडवाईफरी कोर्स किया गया जिसके रजिस्ट्रेशन की वैधता 2026 तक थी। उक्त दोनो रजिस्टेशन का रिन्यूअल कराने पर आरएनसी ने दोनो पुराने सर्टिफिकेट जमा करके दिनांक 24.11.2022 को नया रजिस्ट्रेशन जिसका कमांक आरएन185591,एमआर176499 है एवं वैधता दिनांक 31.12.2026 तक है। दस्तावेजों में आरएनसी प्रमाण पत्र जिसमें 31.12.2012 तक रजिस्टर्ड नर्स के रूप में वैधता है एवं दिनांक 31.12.2014 तक रजिस्टर्ड मिडवाईफ के रूप में वैधता है। साथ ही दिनांक 25.11.2016 से 13.03.2021 तक 1753 दिवस का एनएचएम जीएनएम संविदा एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का सीएचओ पद पर 25000 रूपये प्रतिमाह की दर का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ दिनांक 25.11.2016 से 13.09.2021 तक कुल 1753 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है किन्तु राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण में पंजीयन दिनांक 24.11.2022 दर्शाया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को अंतरिम वरीयता सूची तैयार करते समय अनुभव अवधि पंजीयन से पूर्व होने के कारण बोनस अंको का लाभ नही दिया गया। वर्ष 2018 की भर्तियो में रिट याचिका सं. 1552/2020 संगीता मैथ्यू बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पास तत्समय इस प्रकार से उपलब्ध प्रंजीयन प्रमाण पत्र को पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए बोनस अंकों का लाभ देने के निर्देश प्रदान किये थे जबकि याचिकाकर्ता द्वारा अन्य राज्य में पंजीयन करवाने के उद्देश्य से एन.ओ.सी. प्राप्त कर ली गई थी और आर.उन.सी. से प्राप्त डेटा अनुसार वह आवेदन के समय राजस्थान राज्य में पजीकृत नहीं थी। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध नो अपील का निर्णय लिया जा चुका है। किन्तु वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 25.11.2016 से 13.09.2021 तक का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2003 का जारी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि वर्ष 2022 तक वैध होना प्रतीत होता है। रजिस्ट्रार आर.एन.सी से इस बाबत पदत्त सूचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ दिनांक 25.11.2016 से 13.09.2021 तक कुल 1753 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है किन्तु राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण में पंजीयन दिनांक 24.11.2022 दर्शाया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को अंतरिम वरीयता सूची तैयार करते समय अनुभव अवधि पंजीयन से पूर्व होने के कारण बोनस अंको का लाभ नही दिया गया। वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 25.11.2016 से 13.09.2021 तक का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2003 का जारी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि वर्ष 2022 तक वैध होना प्रतीत होता है। अतः आर.एन.सी द्वारा स्थिति स्पष्ट करासे जाने के आधार पर माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णय एवं नीति निर्धारण समिति द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयों के कम में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश पारित करते हुये याचिकाकर्ता रेहाना बानू अंसारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
35	240	Mahesh Patidar	NO186873	याचिकाकर्ता महेश पाटीदार पुत्र श्री गिरीराज पाटीदार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18012/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में अंतिम वरियता सूची में नाम जुड़वाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यावेदन के साथ उसके द्वारा दिनांक 26.05.2018 से 04.05.2023 तक कुल 1805 दिवस के साईकेटिक नर्स (एनएमएचपी) पद पर किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। साथ ही उनके द्वारा उसके समान योग्यता धारक व समान पद के अंतर्गत कार्यरत याचिकाकर्ता जिनका चयन अंतरिम वरियता सूची में हुआ है कि सूची संलग्न की गयी है। जिसके अनुसार अंतरिम वरियता सूची में कम संख्या 2164,2015,3041 एवं कम संख्या 580,670,2175,661 एवं 913 का परिणाम रोके गये सूची में चयन किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा 1805 दिवस का साइकिएट्रिक नर्स पद का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। साइकिएट्रिक नर्स के जॉब चार्ट व निर्धारित योग्यता के अनुसार इनकी नियुक्ति एक विशिष्ट व्यावसायिक योग्यता के आधार पर विशिष्ट कार्य के लिये हुई थी जिसके आधार इनका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं माना जा सकता।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा 1805 दिवस का साइकिएट्रिक नर्स पद का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। साइकिएट्रिक नर्स के जॉब चार्ट व निर्धारित योग्यता के अनुसार इनकी नियुक्ति एक विशिष्ट व्यावसायिक योग्यता के आधार पर विशिष्ट कार्य के लिये हुई थी जिसके आधार इनका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं माना जा सकता। तद्नुसार याचिकाकर्ता श्री महेश पाटीदार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
36	241	Dhruv Singh	NO172277	याचिकाकर्ता ध्रुव सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16931/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके ओबीसी एनसीएल वर्ग में 30 प्रतिशत अनुभव जोड़ने के उपरान्त कुल 70.50 प्रतिशत अंक बनते है जोकि ओबीसी एनएनसीएल पुरूष वर्ग की कटऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक है। मैने आवेदन के समय पुराना जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया था किन्तु दस्तावेज सत्यापन के समय नया ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया था जिसे मान्य नहीं किया गया है। अतः मुझे अंतरिम चयन सूची मे सम्मिलित किया जावें।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी–एनसीएल वर्ग से किया गया किन्तु ऑनलाईन आवेदन में ओबीसी एनसीएल का दिनांक 17.12.2011 को जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो 2011 का होने के कारण कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार मान्य नही होने से याचिकाकर्ता तत्समय ओबीसी एनसीएल वर्ग में नहीं था। याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया तत्समय भी याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में 17.12.2011 का जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को ओबीसी सीएल मान लिया गया। अब याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 04.09.2023 का जारी एमबीसी–एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिससे स्पष्ट है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 एवं जारी दिशा निर्देशो के अनुसार याचिकाकर्ता आवेदन के समय एमबीसी एनसीएल वर्ग में भी नहीं था। याचिकाकर्ता के पास त्रुटि सुधार हेतु 2 बार अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका सं. 7840/2019 में माननीय न्यायालय ने इस प्रकार श्रेणी परिर्वतन की मांग को अस्वीकार कर दिया है। अतः याचिकाकर्ता को अनारक्षित श्रेणी में ही माना जायेगा। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 1998 दिवस का जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने प्रस्तावित हं।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी–एनसीएल वर्ग से किया गया किन्तु ऑनलाईन आवेदन में ओबीसी एनसीएल का दिनांक 17.12.2011 को जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो 2011 का होने के कारण कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार मान्य नही होने से याचिकाकर्ता तत्समय ओबीसी एनसीएल वर्ग में नहीं था। याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया तत्समय भी याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में 17.12.2011 का जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को ओबीसी सीएल मान लिया गया। अब याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 04.09.2023 का जारी एमबीसी–एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिससे स्पष्ट है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 एवं जारी दिशा निर्देशो के अनुसार याचिकाकर्ता आवेदन के समय एमबीसी एनसीएल वर्ग में भी नहीं था। याचिकाकर्ता के पास त्रुटि सुधार हेतु 2 बार अवसर प्राप्त था जिसका उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका सं. 7840/2019 में माननीय न्यायालय ने इस प्रकार श्रेणी परिर्वतन की मांग को अस्वीकार कर दिया है। अतः याचिकाकर्ता को अनारक्षित श्रेणी में ही माना जायेगा। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 1998 दिवस का जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने के निर्देशों के साथ तद्नुसार याचिकाकर्ता श्री ध्रुव सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
37	242	Renu Kumari Meena	NO162226	याचिकाकर्ता रेणु कुमारी मीना पुत्री श्री रामफूल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17432/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पर दिनांक 08.07.2021 से 30.09.2021 तक कार्य किया गया जिसका उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी किया गया किन्तु तत्समय वेतन भुगतान नहीं किये जाने के कारण उन्हे अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप उनका चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। जिला कलेक्टर दौसा के हस्तक्षेप के पश्चात् मेरा वेतन भुगतान माह अक्टूबर–नवम्बर 2023 में किया गया है किन्तु इसके पश्चात् भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। अतः अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने एवं बोनस अंको का लाभ देने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अनिता हैल्थ रिसर्च सेन्टर, करौली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। रिट याचिका संख्या 100/2016 हितेन्द्र भाकर बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा नियमों में उल्लेखितानुसार राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में कार्यरत नही होने के कारण बोनस अंको की मांग को खारिज किया जा चुका है। अतः याचिकाकर्ता को नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनके प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलइन आवेदन के साथ अनिता हैल्थ रिसर्च सेन्टर, करौली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। याचिकाकर्ता द्वारा नियमों में उल्लेखितानुसार राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में कार्यरत नही होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनके प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता सुश्री रेणुकुमारी मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
38	243	Sandya Parmar	NO200996	याचिकाकर्ता संध्या परमार पुत्री श्री देवेन्द्र सिंह परमार द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 9127/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 9128/2023 के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी हुआ था किन्तु तत्समय उन्हे वेतन नहीं दिया गया था अब उन्हें कोरोना काल का वेतन प्राप्त हो चुका है जिसकी प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा कोविड अवधि का दिनांक 21.05.2021 से 27.05.2021 तक कुल 07 दिवस का एवं दिनांक 23.09.2022 से 30.04.2023 तक 222 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के भुगतान आधारित पुर्नसत्यापन उपरान्त बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा कोविड अवधि का दिनांक 21.05.2021 से 27.05.2021 तक कुल 07 दिवस का एवं दिनांक 23.09.2022 से 30.04.2023 तक 222 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। अनुभव प्रमाण पत्र के भुगतान आधारित पुर्नसत्यापन के उपरान्त नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता सुश्री संध्या परमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
39	244	Lala Ram	NO169029	याचिकाकर्ता लाला राम पुत्र श्री नारसिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 13879/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें 10 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये है जबकि 26 कार्यदिवस के स्थान पर 30 या 31 दिन की गणना करके पुनः 20 प्रतिशत बोनस अंक का लाभ दिया जाना था जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या 2577/2020 महिलापाल लखेरा बनाम सरकार में दिनांक 11.01.2021 को पारित निर्णय में निर्देशित किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ महिला चिकित्सालय झालावाड़ द्वारा 04.04.2021 से 04.05.2023 (02 वर्ष 01 माह 01 दिवस) तक की अवधि हेतु 651 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं को 26 दिवस के स्थान पर प्रतिमाह 30 दिवस मानकर अनुभव अवधि की पुनः गणना कर बोनस अंक प्रदान करने की मांग की गई है। विभाग द्वारा पूर्व से ही इस बाबत दिशानिर्देश जारी किये जा चुके है। अतः यदि विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरीत अनुभव प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर किये गये भुगतान के अनुसार अनुभव अवधि की गणना किया जाना उचित होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ महिला चिकित्सालय झालावाड़ द्वारा 04.04.2021 से 04.05.2023 (02 वर्ष 01 माह 01 दिवस) तक की अवधि हेतु 651 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं को 26 दिवस के स्थान पर प्रतिमाह 30 दिवस मानकर अनुभव अवधि की पुनः गणना कर बोनस अंक प्रदान करने की मांग की गई है। विभाग द्वारा पूर्व से ही इस बाबत दिशानिर्देश जारी किये जा चुके है। अतः याचिकाकर्ता श्री लालाराम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के अनुसार देय बोनस के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।
40	245	Sona Kumari	NO153118	याचिकाकर्ता सोना कुमारी पुत्र श्री भगवान सिंह लोधा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 13879/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये है जबकि 26 कार्यदिवस के स्थान पर 30 या 31 दिन की गणना करके पुनः 30 प्रतिशत बोनस अंक का लाभ दिया जाना था जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या 2577/2020 महिलापाल लखेरा बनाम सरकार में दिनांक 11.01.2021 को पारित निर्णय में निर्देशित किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अधीक्षक, झालावाड मेडिकल कालेज द्वारा जारी 01.02.2020 से 04.05.2023 तक 03 वर्ष 02 माह 25 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव अवधि की गणना 26 दिवस प्रतिमाह के अनुसार कर 1013 दिवस दर्शाये गये है। याचिकाकर्ता द्वारा परिवेदना के साथ प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज झालावाड़ द्वारा प्रेषित पत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता का अनुभव 312 दिवस के स्थान 365 दिवस प्रतिवर्ष माने जाने के संबंध में उल्लेख किया है एवं माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न की है। जिसमें अनुभव अवधि का निर्धारण महिपाल लखेरा के प्रकरण से किये जाने निर्देश पारित किये है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अधीक्षक, झालावाड मेडिकल कालेज द्वारा जारी 01.02.2020 से 04.05.2023 तक 03 वर्ष 02 माह 25 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव अवधि की गणना 26 दिवस प्रतिमाह के अनुसार कर 1013 दिवस दर्शाये गये है। याचिकाकर्ता द्वारा परिवेदना के साथ प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज झालावाड़ द्वारा प्रेषित पत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता का अनुभव 312 दिवस के स्थान 365 दिवस प्रतिवर्ष माने जाने के संबंध में उल्लेख किया है एवं माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न की है। जिसमें अनुभव अवधि का निर्धारण महिपाल लखेरा के प्रकरण से किये जाने निर्देश पारित किये है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता सुश्री सोना कुमारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
41	246	Tina Kumari Dangi	NO169968	याचिकाकर्ता टीना कुमारी दांगी पुत्री श्री रामगोपाल दांगी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 13879/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित, निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें 10 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये है जबकि 26 कार्यदिवस के स्थान पर 30 या 31 दिन की गणना करके पुनः 20 प्रतिशत बोनस अंक का लाभ दिया जाना था जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या 2577/2020 महिलापाल लखेरा बनाम सरकार में दिनांक 11.01.2021 को पारित निर्णय में निर्देशित किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ महिला चिकित्सालय झालावाड़ द्वारा 04.04.2021 से 04.05.2023 (02 वर्ष 01 माह 01 दिवस) तक की अवधि हेतु 651 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं को 26 दिवस के स्थान पर प्रतिमाह 30 दिवस मानकर अनुभव अवधि की पुनः गणना कर बोनस अंक प्रदान करने की मांग की गई है। विभाग द्वारा पूर्व से ही इस बाबत दिशानिर्देश जारी किये जा चुके है। अतः यदि विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरीत अनुभव प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर किये गये भुगतान के अनुसार अनुभव अवधि की गणना किया जाना उचित होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ महिला चिकित्सालय झालावाड़ द्वारा 04.04.2021 से 04.05.2023 (02 वर्ष 01 माह 01 दिवस) तक की अवधि हेतु 651 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं को 26 दिवस के स्थान पर प्रतिमाह 30 दिवस मानकर अनुभव अवधि की पुनः गणना कर बोनस अंक प्रदान करने की मांग की गई है। विभाग द्वारा पूर्व से ही इस बाबत दिशानिर्देश जारी किये जा चुके है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री टीना कुमार डांगी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के अनुसार देय बोनस के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।
42	247	Mukesh Lovevanshi	NO203004	याचिकाकर्ता मुकेश लववंशी पुत्री श्री जगदीश प्रसाद ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 13879/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये है जबकि 26 कार्यदिवस के स्थान पर 30 या 31 दिन की गणना करके पुनः 30 प्रतिशत बोनस अंक का लाभ दिया जाना था जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या 2577/2020 महिलापाल लखेरा बनाम सरकार में दिनांक 11.01.2021 को पारित निर्णय में निर्देशित किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनकी कुल अवधि 1080 दिवस दी गई है। इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य झालावाड मेडिकल कॉलेज द्वारा दिनांक 28.08.2023 को जारी एक पत्र संलग्न किया है जिसमें वर्ष की गणना हेतु 312 दिवस के अनुभव को 365 दिवस का माना जाने एवं 1 माह को 26 दिवस के स्थान पर 30/31 दिवस का माना जाने हेतु लिखा है। जिसमें अनुभव अवधि का निर्धारण महिपाल लखेरा के प्रकरण से किये जाने निर्देश पारित किये है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनकी कुल अवधि 1080 दिवस दी गई है। इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य झालावाड मेडिकल कॉलेज द्वारा दिनांक 28.08.2023 को जारी एक पत्र संलग्न किया है जिसमें वर्ष की गणना हेतु 312 दिवस के अनुभव को 365 दिवस का माना जाने एवं 1 माह को 26 दिवस के स्थान पर 30/31 दिवस का माना जाने हेतु लिखा है। जिसमें अनुभव अवधि का निर्धारण महिपाल लखेरा के प्रकरण से किये जाने निर्देश पारित किये है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त यदि नियमानुसार याचिकाकर्ता द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य सम्पादित किया है तो बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री मुकेश लववंशी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
43	248	Kavita Nagar	NO151325	याचिकाकर्ता कविता नागर पुत्री श्री जेतराम नागर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 13879/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये है जबकि 26 कार्यदिवस के स्थान पर 30 या 31 दिन की गणना करके पुनः 30 प्रतिशत बोनस अंक का लाभ दिया जाना था जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या 2577/2020 महिलापाल लखेरा बनाम सरकार में दिनांक 11.01.2021 को पारित निर्णय में निर्देशित किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा मेडिकल कॉलेज झालावाड़ द्वारा दिनांक 27.11.2019 से 04.05.2023 तक कुल 03 वर्ष 05 माह 03 दिवस दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता की कुल अनुभव अवधि 1069 दिवस दर्शाई गई है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंकों का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा मेडिकल कॉलेज झालावाड़ द्वारा दिनांक 27.11.2019 से 04.05.2023 तक कुल 03 वर्ष 05 माह 03 दिवस दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके याचिकाकर्ता की कुल अनुभव अवधि 1069 दिवस दर्शाई गई है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त यदि नियमानुसार याचिकाकर्ता द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य सम्पादित किया है तो बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता सुश्री कविता नागर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
44	249	Upendra Singh	NO172238	याचिकाकर्ता उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजकुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15067/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके अनुभव प्रमाण पत्र में 1154 दिवस का अनुभव दिया गया है जिस पर माननीय न्यायालय ने एसबी सिविल रिट 2577/2020 महिपाल लखेरा बनाम सरकार में दिये गये निर्णय अनुसार अनुभव दिवसो की गणना करने के अंतरिम निर्देश दिनांक 29.09.2023 को प्रदान किये है। ततपश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट संख्या 15067/2023 को दिनांक 08.01.2024 को राजेन्द्र बेनीवाल (1040/2023) बनाम सरकार की तर्ज पर अभ्यावेदन निर्णित करने के आदेश प्रदान करते हुए निर्णय कर दिया गया है। अतः उन्हे 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाये।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मैंट्रोमानस अस्पतालय जयपुर द्वारा 1154 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व से ही 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता को 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 75.037 बनते है। अन्य कोई कार्यवाही शेष अपेक्षित नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मैंट्रोमानस अस्पतालय जयपुर द्वारा 1154 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व से ही 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता को 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 75.037 बनते है। अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री उपेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
45	250	SIDDHARTH TRIPATI	NO158135	याचिकाकर्ता सिद्धार्थ त्रिपाठी पुत्र श्री अनिल त्रिपाठी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनांक 23.05.2023 व 25.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 14.05. 2021 से 19.09.2021 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.250 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.250 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री सिद्दार्थ त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण तद्नुसार अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
46	251	GOVIND TIWARI	NO157453	याचिकाकर्ता गोविन्द तिवाडी पुत्र श्री महावीर तिवाडी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 23.05.2023 व 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 14.05. 2021 से 19.09.2021 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.090 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.090 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः अभ्यर्थी श्री गोविन्द तिवाड़ी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
47	252	SUMANT KUMAR DADHICH	NO152201	याचिकाकर्ता सुमन्त कुमार दाधीच ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 22.05.2021 से 18.09.2021 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) तथा 29.03.2022 से 04 05.2023 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) उल्लेखित है।	अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.410 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.410 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः अभ्यर्थी श्री सुमन्त कुमार दाधीच द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
48	253	KAILASH CHANDRA SHARMA	NO158420	याचिकाकर्ता कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री किशन गोपाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.450 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.2022 से 4.05.2023 के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.450 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः अभ्यर्थी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
49	254	PARAS BHEEL	NO155197	याचिकाकर्ता पारस भील पुत्र श्री नारायण भील ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 25.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) तथा 30.03.2022 से 30.04.2023 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.300 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 30.03.2022 से 30.04..2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.300 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री पारस भील द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
50	255	MADAN LAL KHATIK	NO105024	याचिकाकर्ता मदन लाल खटीक पुत्र श्री भंवर लाल खटीक ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 15.05.2021 से 18.09.2021 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.970 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.970 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री मदन लाल खटीक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
51	256	MUKESH KUMAR GUNRAT	NO180973	याचिकाकर्ता मुकेश कुमार गुनरत पुत्र श्री धुना राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक सीएचओ तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.200 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.200 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री मुकेश कुमार गुनरात द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
52	257	RANJEET JAT	NO208768	याचिकाकर्ता रणजीत जाट पुत्र श्री ब्रहमा लाल जाट ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 25.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 19.09.2021 तक सीएचओ तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक (सीएचओ संविदा) उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता के द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर कुल प्राप्तांक 58.880 प्रतिशत बनते है जो दस्तावेज सत्यापन हेतु ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता के द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर कुल प्राप्तांक 58.880 प्रतिशत बनते है जो दस्तावेज सत्यापन हेतु ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता नही है। याचिककर्ता श्री रणजीत जाट द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
53	258	AMAN SHARMA	NO146075	याचिकाकर्ता अमन शर्मा पुत्र श्री लादू लाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 25.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक सीएचओ तथा 30.03.2022 से 30.04.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.210 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 30.03.2022 से 30.04.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.210 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री अमन शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
54	259	DOULAT KUMAR REGAR	NO152617	याचिकाकर्ता दौलत कुमार रैगर पुत्र श्री कालू राम रैगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 23.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक सीएचओ तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.000 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.000 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री दौलत कुमार रैगर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
55	260	MAHENDRA REGAR	NO150412	याचिकाकर्ता महेन्द्र रैगर पुत्र श्री गोपाल रैगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 23.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक सीएचओ तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.970 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.970 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री महेन्द रैगर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
56	261	NEERAJ SOLANKI	NO193045	याचिकाकर्ता नीरज सोलंकी पुत्र श्री रमेश कुमार सोलंकी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 19.09.2021 तक सीएचओ तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.990 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.990 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री नीरज सोलंकी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
57	262	PRADIP KUMAR MEENA	NO184084	याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार मीणा पुत्र श्री देवीलाल मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14279/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव क अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.760 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.760 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री प्रदीप कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
58	263	KAVITA	NO158450	याचिकाकर्ता कविता पुत्री श्री लालचन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15931/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के 12वीं के अंक 73.60 प्रतिशत, व्यावसायिक योग्यता के 74.26 प्रतिशत एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक पद के अनुभव के 15 प्रतिशत को जोडने पर कुल 66.78 प्रतिशत होती है, जबकि दस्तावेज सत्यापन में मेरिट 66.41 रह गई थी। अतः याचिकाकर्ता से कम प्रतिशत अभ्यर्थी का चयन होने के फलसवरूप उनका नाम दस्तावेज सत्यापन सूची में जोडने बाबत निवेदन किया ह।	याचिकाकर्ता द्वारा ओबीसी एनसीएल श्रेणी मे आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव के विवरण में 608 दिवस का अनुभव होना दर्शाया किन्तु कोविड अवधि में कार्य किया होने के सम्बन्ध में प्रविष्ठी 'नो' दर्शायी गई जिसके कारण कोविड अवधि का अनुभव नहीं होने एवं एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम अनुभव अनुभव होने के कारण इन्हे नियमानुसार 10 बोनस अंकों का लाभ दिये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.750 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल श्रेणी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक रह जाने के कारण याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था जिसका लाभ याचिकाकर्ता द्वारा नही उठाया गया। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा माना गया कि याचिकाकर्ता को यह एहसास होने पर कि उसका चयन श्रेणी परिवर्तन होने पर हो सकता है, उसने न्यायालय की शरण ली एवं याचिकाकर्ता की मांग को इस आधार पर खारिज किया कि ऐसा किये जाने से उन लोगो के साथ पक्षपाती होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भरे गये डाटा में की गई त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहे है। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा इसका लाभ नही उठाया गया। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रितो की सूची में चयन नही हो पाने के लिये याचिकाकर्ता स्वयं जिम्मेदार है। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि ऐसा किये जाने से उन लोगो के साथ पक्षपाती होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री कविता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
59	264	VIKAS SINGH CHOUHAN	NO207700	याचिकाकर्ता विकास सिंह चौहान पुत्र श्री प्रभु दयाल चौहान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 16.05.2021 से 19.09.2021 तक सीएचओ तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.960 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.960 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री विकास सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
60	265	SARSWATI PRAJAPATI	NO192486	याचिकाकर्ता सरस्वती प्रजापति पुत्री श्री चन्द्र प्रकाश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक सीएचओ तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.710 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.710 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता सरस्वती प्रजापति द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
61	266	RAJESH KUMAR NUWAL	NO210012	याचिकाकर्ता राजेश कुमार नुवल पुत्र श्री प्यार चन्द नुवल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 19.09.2021 तक सीएचओ तथा 28.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.530 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 28.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.530 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री राजेश कुमार नुवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
62	267	DINESH CHANDER REGAR	NO202537	याचिकाकर्ता दिनेश चन्द्र रैगर पुत्र श्री सोनथ रैगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक सीएचओ तथा 28.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.640 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णया दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.640 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री दिनेश चन्द्र रैगर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
63	268	LOOMBA RAM	NO145171	याचिकाकर्ता लुम्बा राम पुत्र श्री अर्जुन राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18172/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पाली द्वारा जीएनएम पद का दिनांक 07.05.2021 से 07.08.2022 तक 458 दिवस एवं अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर द्वारा 08.08.2022 से 04.05.2023 तक 270 कुल 728 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.920 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पाली द्वारा जीएनएम पद का दिनांक 07.05.2021 से 07.08.2022 तक 458 दिवस एवं अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर द्वारा 08.08.2022 से 04.05.2023 तक 270 कुल 728 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.920 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री लुम्बाराम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
64	269	ABHISHEK CHOUDHARY	NO149554	याचिकाकर्ता अभिषेक चौधरी पुत्र श्री नाथु राम चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18172/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पाली द्वारा जीएनएम पद का दिनांक 07.05.2021 से 09.08.2022 तक 460 दिवस एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, पावटा, जोधपुर द्वारा 10.08.2022 से 04.05.2023 तक 268 कुल 728 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.770 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पाली द्वारा जीएनएम पद का दिनांक 07.05.2021 से 09.08.2022 तक 460 दिवस एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, पावटा, जोधपुर द्वारा 10.08.2022 से 04.05.2023 तक 268 कुल 728 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.770 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री अभिषेक चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
65	270	AJAYPAL SINGH CHAMPAWAT	NO153460	याचिकाकर्ता अजयपाल सिंह चंपावत पुत्र श्री मान सिंह चंपावत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18172/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित्त निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पाली द्वारा जीएनएम पद का दिनांक 07.05.2021 से 07.03.2022 तक 458 दिवस एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल पावटा जोधपुर द्वारा 08.08.2022 से 04.05.2023 तक 270 कुल 728 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.740 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बावत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नही दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पाली द्वारा जीएनएम पद का दिनांक 07.05.2021 से 07.03.2022 तक 458 दिवस एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल पावटा जोधपुर-द्वारा 08.08.2022 से 04.05.2023 तक 270 कुल 728 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.740 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री अजयपाल सिंह चम्पावत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
66	271	BHAGIRATH RAM	NO155106	याचिकाकर्ता भागीरथ राम पुत्र श्री गोपा राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18172/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पाली द्वारा जीएनएम पद का दिनांक 07.05.2021 से 07.08.2022 तक 458 दिवस एवं अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर द्वारा 08.08.2022 से 04.05.2023 तक 270 कुल 728 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.010 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल वढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पाली द्वारा जीएनएम पद का दिनांक 07.05.2021 से 07.08.2022 तक 458 दिवस एवं अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर द्वारा 08.08.2022 से 04.05.2023 तक 270 कुल 728 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.010 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री भागीरथ राम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
67	272	RAMNIWAS SHARMA	NO172654	याचिकाकर्ता रामनिवास शर्मा पुत्र श्री आशाराम शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14084/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा के क्रमांक 751 दिनाक 27.05.2023 व सीएमएचओ, जोधपुर के क्रमांक 252 दिनांक 24.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.310 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.310 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिककाकर्ता श्री रामनिवास शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
68	273	SURENDER SINGH RAWAT	NO190070	याचिकाकर्ता सुरेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री मोहन सिंह रावत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14084/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता को कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पर किये गये कार्य हेतु विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार एवं 108 एम्बुलेंस में ईएमटी के पद पर कार्य का जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम/अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, नागौर द्वारा दिनांक 24.05.2023 एवं सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनांक 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.560 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.560 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री सुरेन्द्र सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
69	274	SHANKAR LAL MALI	NO189055	याचिकाकर्ता शंकर लाल माली पुत्र श्री लादू लाल माली ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14084/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता को कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पर किये गये कार्य हेतु विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार एवं 108 एम्बुलेंस में ईएमटी के पद पर कार्य का जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम/अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनांक 27.05.2023 एवं सीएमएचओ, चित्तौडगढ द्वारा दिनांक 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.280 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.280 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री शंकर लाल माली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
70	275	RAVI	NO164249	याचिकाकर्ता रवि पुत्र श्री भूप सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14084/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, अलवर द्वारा दिनांक 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा कोविड अवधि का 702 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.130 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा कोविड अवधि का 702 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.130 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री रवि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
71	276	PRAKASH CHANDRA DANGAR	NO158204	याचिकाकर्ता प्रकाश चन्द्र डांगर पुत्र श्री मणी लाल डांगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, बांसवाडा द्वारा दिनांक 24.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा ईएमटी पद का कोविड अवधि का 666 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.670 बनते है जो कि एमबीसी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.970 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा ईएमटी पद का कोविड अवधि का 666 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.670 बनते है जो कि एमबीसी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.970 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री प्रकाश चन्द्र डागर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
72	277	MANISH GAUTAM	NO191623	याचिकाकर्ता मनीष गौतम पुत्र श्री चन्द्रमान गौतम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14327/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा कोविड अवधि सहित 707 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.600 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा 707 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.600 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री मनीष गौतम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
73	278	JALAJ DANTLA	NO147354	याचिकाकर्ता जलज दांतला पुत्र श्री वलचन्द्र दांतला ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14327/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, बांसवाडा द्वारा दिनांक 24.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा ईएमटी पद का कोविड अवधि का 674 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.080 बनते है जो कि एमबीसी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.970 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा ईएमटी पद का कोविड अवधि का 674 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.080 बनते है जो कि एमबीसी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.970 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री जलज दातला द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
74	279	GOVIND RAM	NO182380	याचिकाकर्ता गोविन्द राम पुत्र श्री माना राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.770 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.770 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री गोविन्द राम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
75	280	KAILASH CHAND GURJAR	NO137210	याचिकाकर्ता कैलाश चन्द गुर्जर पुत्र श्री मेवा राम गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने सीएमएचओ, टोंक द्वारा जारी दो अनुभव प्रमाण पत्र क्रमशः1537 व 1538 दिनांक 29.05.2023 प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक द्वारा ईएमटी पद का कोविड अवधि का 514 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.040 बनते है जो कि एमबीसी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.970 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रुप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक द्वारा ईएमटी पद का कोविड अवधि का 514 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.040 बनते है जो कि एमबीसी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.970 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
76	281	SUMIT DAVE	NO122853	याचिकाकर्ता सुमित दवे पुत्र श्री जय किशन दवे ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.710 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि यह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.710 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि यह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री सुमित दवे द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
77	282	ANIL KUMAR	NO138870	याचिकाकर्ता अनिल कुमार पुत्र श्री जानकी लाल मेघवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा कोविड अवधि का 565 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.840 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः अभ्यावेदन स्वीकार किये जाने योग्य नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा कोविड अवधि का 565 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.840 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः अभ्यावेदन स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
78	283	GAPHOOR KHAN	NO182533	याचिकाकर्ता गफूर खान पुत्र श्री सच्छु खान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.620 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.620 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकत्र श्री गफूर खान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
79	284	KULDEEP JAIN	NO207000	याचिकाकर्ता कुलदीप जैन पुत्र श्री नरेश जैन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने सीएमएचओ, अलवर द्वारा क्रमांक 537 दिनांक 23.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा कोविड अवधि सहित 704 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.370 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा कोविड अवधि सहित 704 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.370 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।अतः याचिकाकर्ता श्री कुलदीप जैन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
80	285	VIPIN KUMAR JHA	NO203825	याचिकाकर्ता विपिन कुमार झा पुत्र श्री राकेश कुमार झा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी सीएल श्रेणी से किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा कोविड अवधि का 700 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.670 बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.490 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि यह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी सीएल श्रेणी से किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा कोविड अवधि का 700 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.670 बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.490 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री विपिन कुमार झा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
81	286	RAJESH KUMAR SHARMA	NO165615	याचिकाकर्ता राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री गौरीशंकर शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.460 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.460 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
82	287	VIRENDRA SINGH RAJPUT	NO142910	याचिकाकर्ता विरेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री मुकुट सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15258/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग--अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने सीएमएचओ, सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 24.05.2023 को तीन अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है। जो क्रमशः 431 दिवस, 706 दिवस व 1846 दिवस का है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.610 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496--11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.610 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री विरेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
83	288	MOHIT SHARMA	NO182443	याचिकाकर्ता मोहित शर्मा पुत्र श्री तारा चन्द शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, अलवर द्वारा दिनांक 02.06.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा कोविड अवधि सहित 700 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.650 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा कोविड अवधि सहित 700 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.650 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री मोहित शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
84	289	NAVDEEP SINGH	NO176656	याचिकाकर्ता नवदीप सिंह पुत्र श्री मदन मोहन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, जोधपुर द्वारा दिनांक 24.05.2023 को जारी 397 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा एमबीसी एनसीएल श्रेणी मे आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव के विवरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 30.03.2022 से 30.04.2023 तक 397 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर कोविड अवधि के कॉलम में प्रविष्ठी 'नो' दर्शायी गई। चूंकि अभ्यर्थी को जारी अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव अवधि कोविड अवधि के बाद की होने एवं 01 वर्ष से अधिक किन्तु 02 वर्ष से कम होने के कारण 10 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.420 बनते है जो कि एमबीसी एनसीएल श्रेणी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक रह जाने के कारण याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र कोविड अवधि के बाद का होने एवं 01 वर्ष से अधिक एवं 02 वर्ष से कम का होने के कारण नियमानुसार 10 प्रतिशत बोनस अंकों का ही लाभ दिया जा सकता है। इस प्रकार 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता श्री नवदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
85	290	GEETA KUMAWAT	NO160532	याचिकाकर्ता गीता कुमावत पुत्री श्री नेमीचन्द कुमावत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने मैट्रो मानस आरोग्य सदन एण्ड मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल, जयपुर द्वारा दिनांक 11.05.2023 को जारी 450 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ओबीसी एनसीएल श्रेणी मे आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव के विवरण में मेट्रोमानस आरोग्य सदन एवं मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल, मानसरोवर, जयपुर द्वारा दिनांक 02.09.2013 से 30.11.2014 तक 450 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर कोविड अवधि के कॉलम में प्रविष्ठी 'नो' दर्शायी गई। चूंकि अभ्यर्थी को जारी अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव अवधि कोविड अवधि से पूर्व की होने एवं 01 वर्ष से अधिक किन्तु 02 वर्ष से कम होने के कारण 10 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.310 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल श्रेणी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक रह जाने के कारण याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र कोविड अवधि से पूर्व का होने एवं 01 वर्ष से अधिक एवं 02 वर्ष से कम का होने के कारण नियमानुसार 10 प्रतिशत बोनस अंकों का ही लाभ दिया जा सकता है। इस प्रकार 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता गीता कुमावत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
86	291	DINESH BHATI	NO166720	याचिकाकर्ता दिनेश भाटी पुत्र श्री बिलाकी दास भाटी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.810 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.810 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री दिनेश भाटी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
87	292	ANIL KUMAR	NO135135	याचिकाकर्ता अनिल कुमार पुत्र श्री हीरा राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.270 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.270 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
88	293	DINESH KUMAR GARG	NO186414	याचिकाकर्ता श्री दिनेश कुमार गर्ग पुत्र श्री भागीरथ गर्ग ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.480 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक् से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.480 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री दिनेश कुमार गर्ग द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. सख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
89	294	NITU KUMARI	NO192998	याचिकाकर्ता श्री नीतू कुमारी पुत्री श्री गुरूदयाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने मैट्रो मानस आरोग्य सदन एण्ड मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल, जयपुर द्वारा दिनांक 11.05.2023 को 710 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र कोविड अवधि से पूर्व का होने एवं 01 वर्ष से अधिक एवं 02 वर्ष से कम का होने के कारण नियमानुसार 10 प्रतिशत बोनस अंकों का ही लाभ दिया जा सकता है। इस प्रकार 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित् नही किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड काल का कोई अनुभव प्रमाणपत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र कोविड अवधि से पूर्व का होने एवं 01 वर्ष से अधिक एवं 02 वर्ष से कम का होने के कारण नियमानुसार 10 प्रतिशत बोनस अंकों का ही लाभ दिया जा सकता है। इस प्रकार 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड काल का कोई अनुभव प्रमाणपत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री पियुष कुमार कुलश्रेष्ट द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। अतः याचिकाकर्ता नीतू कुनारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
90	295	PIYUSH KUMAR KULSHARIST	NO161745	याचिकाकर्ता पियूष कुमार कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री राम निवास वर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.210 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.210 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री पियुष कुमार कुलश्रेष्ट द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
91	296	RAJENDRA KUMAR VERMA	NO165306	याचिकाकर्ता राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री छित्तर लाल वर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंकों की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.070 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.070 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
92	297	PANKESH KUMAR MEENA	NO152882	याचिकाकर्ता पंकेश कुमार मीणा पुत्र श्री हुकुम चन्द मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा कोविड अवधि का 443 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.350 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा कोविड अवधि का 443 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.350 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री पंकेश कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदम अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
93	298	SURESH	NO171184	याचिकाकर्ता सुरेश पुत्र श्री धर्मपाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16279/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोविड काल दिनांक 10.02.2020 से 31.03.2022 तक कार्य किया है, का ईमित्र पर फार्म भरते समय और अनुभव बनवाने में नहीं लिखने के कारण, तकनीकी समस्याओं की वजय से 25 प्रतिशत अनुभव अंक मैरिट सूची में नहीं जोडे गये, जिससे याचिकाकर्ता का नाम दस्तावेज सत्यापन सूची में नहीं आया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में बीएससी नर्सिंग के 61.50 प्रतिशत व अनुभव 25 प्रतिशत अंक नर्सिंग ट्यूटर के व कोविड हैल्थ सहायक के अंक जोडकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.370 बनते है जो कि एमबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.970 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.370 बनते है जो कि एमबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.970 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री सुरेश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
94	299	SUNIL KUMAR	NO166262	याचिकाकर्ता सुनिल कुमार पुत्र श्री राम चन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14788/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, हनुमानगढ द्वारा दिनाक 23.05.2023 व 25.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक सीएचओ तथा 29.03.2022 से 31.03.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.200 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को 29.03.2022 से 31.03.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.200 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री सुनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
95	300	SURENDRA KUMAR	NO205924	याचिकाकर्ता सुरेन्द्र कुमार पु. श्री गोपाल राम नैन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14788/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, हनुमानगढ द्वारा दिनाक 25.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक सीएचओ तथा 27.05.2022से 30.04.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.770 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को 27.05.2022 से 30.04.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.770 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
96	301	YUNUS ALI	NO184452	याचिकाकर्ता युनूस अली पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14788/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, हनुमानगढ द्वारा दिनाक 25.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक सीएचओ तथा 29.03.2022 से 30.04.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.590 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को 29.03.20233 से 30.04.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.590 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री युनूस अली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
97	302	ROSHAN LAL SHARMA	NO161706	याचिकाकर्ता रोशन लाल शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा कोविड अवधि सहित 699 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.060 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा कोविड अवधि सहित 699 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.060 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है।राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री रोशन लाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
98	303	PUSHPENDRA DAVE	NO156752	याचिकाकर्ता पुष्पेन्द्र दवे पुत्र श्री टीकम दवे ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14377/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.510 बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.940 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.510 बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.940 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री पुष्पेन्द्र दवे द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
99	304	ANWAR KHAN	NO184894	याचिकाकर्ता अनवर खान पुत्र श्री अब्बास खान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14377/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने सीएमएचओ, अजमेर द्वारा दिनांक 31.05.2023 को 641 दिवस एवं 18.05.2023 को 577 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.290 बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.940 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.290 बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 74.940 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री अनवर खान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
100	305	SYED ARIF ALI	NO195873	याचिकाकर्ता सैययद् आरिफ अली पुत्र श्री सैययद आबिद अली ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14377/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने सीएमएचओ, जयपुर-1 द्वारा दिनांक 25.05.2023 को 2997 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.300 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.300 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि यह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री सैयद आरिफ अली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
101	306	RAHUL KUMAR	NO159600	याचिकाकर्ता राहुल कुमार पुत्र श्री ईश्वर चन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14377/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.770 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीतिं को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.770 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री राहुल कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
102	307	KUNAL GOSWAMI	NO196357	याचिकाकर्ता कुणाल गोस्वामी पुत्र श्री प्रभु नाथ गोस्वामी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14377/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.210 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढ़ाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.210 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री कुनाल गौस्वामी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
103	308	RAJMAL SHARMA	NO170872	याचिकाकर्ता राजमल शर्मा पुत्र श्री जगदीश चन्द्र शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14279/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव क अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.670 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती हैं। अतः याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.670 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री राजमल शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
104	309	DEEPAK KUMAR SHARMA	NO157848	याचिकाकर्ता दीपक शर्मा पुत्र श्री दुर्गा लाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14279/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव क अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, पाली द्वारा दिनांक 23.05.2023 को 200 दिवस एवं चिकित्सा अधीक्षक, महात्मा गाधी अस्पताल, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 29.05.2023 को 854 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.800 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.800 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री दीपक कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
105	310	SAHI RAM	NO191565	याचिकाकर्ता सही राम पुत्र श्री राधन जाट ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14279/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव क अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.020 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.020 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा.सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री सहीराम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
106	311	DINESH KUMAR BAGARIA	NO201366	याचिकाकर्ता दिनेश कुमार बगरिया पुत्र श्री सांवर मल बगरिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14279/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव क अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.750 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अंभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.750 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री दिनेश कुमार बागड़िया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
107	312	DHARA SINGH MEENA	NO187912	याचिकाकर्ता धारा सिंह मीणा पुत्र श्री ब्रिज लाल मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14279/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव क अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.520 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.520 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री धारा सिंह मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
108	313	PRAMOD KUMARI	NO161063	याचिकाकर्ता प्रमोद कुमारी पुत्री श्री अर्जुन सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14279/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को दिये बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.140 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.140 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता प्रमोद कुमारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
109	314	ROHIT TAILOR	NO192805	याचिकाकर्ता रोहित टेलर पुत्र श्री अशोक टेलर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14327/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव क अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त. कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 713 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.370 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 713 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.370 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री रोहित टेलर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
110	315	MADHUSUDAN DHAKA	NO185184	याचिकाकर्ता मधुसूदन धाकड पुत्र श्री शिव सिंह धाकड ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14153/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.570 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.570 बनते है जो कि अओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री मधुसूदन ढाका द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
111	316	PAPPU LAL DANGI	NO196878	याचिकाकर्ता पप्पु लाल डांगी पुत्र श्री गोपाल लाल डांगी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14149/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झालावाड़ द्वारा कोविड अवधि का 650 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.100 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झालावाड़ द्वारा कोविड अवधि का 650 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.100 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री पप्पू लाल डांगी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
112	317	KAMLESH KUMAR	NO202107	याचिकाकर्ता कमलेश कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14146/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झालावाड़ द्वारा कोविड अवधि का 650 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.720 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झालावाड़ द्वारा कोविड अवधि का 650 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.720 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री कमलेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
113	318	PRATAP SINGH RAIBARI	NO198518	याचिकाकर्ता प्रताप सिंह रैबारी पुत्र श्री हरि सिंह रैबारी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15217/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.890 बनते है जो कि एमीबसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.970 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.890 बनते है जो कि एमीबसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.970 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री प्रताप सिंह रैबारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
114	319	AJAY KUMAR SHARMA	NO160220	याचिकाकर्ता अजय कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रेम चन्द शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14279/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने सीएमएचओ, जयपुर-1 द्वारा दिनांक 26.05.2023 को 823 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.270 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.270 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में याचिकाकर्ता श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
115	320	SITARAM MEENA	NO199774	याचिकाकर्ता सीताराम मीणा पुत्र श्री हरि नारायण मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14279/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव क अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, जयपुर द्वितीय द्वारा दिनांक 31.05.2023 को 577 दिवस एवं सीएमएचओ, झालावाड द्वारा दिनांक 29.05.2023 को 459 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.400 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.400 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री सीताराम मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
116	321	RAMAWATAR CHOUHAN	NO187678	याचिकाकर्ता रामअवतार चौहान पुत्र श्री गजानन्द चौहान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14279/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव क अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अन्तरिम सूची में शामिल कर अगर अंतिम वरीयता सूची में नाम आता है तो प्रार्थीगण को विज्ञापन दिनांक 5.5.23 के तहत नर्सिंग आफिसर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.900 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करेन हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.900 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री रामावतार चौहान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
117	322	HANUMAT PRASAD RAJPOOT	NO187623	याचिकाकर्ता हनुमत प्रसाद राजपूत पुत्र श्री रामचरण लाल राजपूत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15258/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अन्तरिम सूची में शामिल कर अगर अंतिम वरीयता सूची में नाम आता है तो प्रार्थीगण को विज्ञापन दिनांक 5.5.23 के तहत नर्सिंग आफिसर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.260 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.260 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है।राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में याचिकाकर्ता श्री हनुमत प्रसाद राजपूत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
118	323	Pooja Meena	NO186514	याचिकाकर्ता पूजा मीणा पुत्री श्री मणीराम मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। अनुभव अवधि 128 दिवस जोकि कोविड अवधि में है में कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त 402 दिवस के सीएचओ पद के अनुभव का उल्लेख किया है जिसकी प्रति संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.210 बनते है जो कि अनुसूचित जनजातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार याचिकाकर्ता को 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.210 बनते है जो कि अनुसूचित जनजातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता पूजा मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
119	324	Bansi Lal	NO156343	याचिकाकर्ता बंशीलाल पुत्र श्री रूपराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15254/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरियता सूची बनाकर यदि उसका अंतरिम वरियता सूची में नाम आता है तो उसे अंतरिम सूची में सम्मिलित करें।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.230 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.230 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री बंसी लाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
120	325	Lal Chand Saran	NO159739	याचिकाकर्ता लाल चन्द सारण पुत्र श्री दुला राम सारण ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15254/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10,'20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरियता सूची बनाकर यदि उसका अंतरिम वरियता सूची में नाम आता है तो उसे अंतरिम सूची में सम्मिलित करें।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 676 दिवस का जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.220 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 676 दिवस का जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.220 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री लालचन्द सारण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
121	326	Urmila Devi	NO167746	याचिकाकर्ता उर्मिला देवी पुत्री श्री कृष्ण लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15254/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरियता सूची बनाकर यदि उसका अंतरिम वरियता सूची में नाम आता है तो उसे अंतरिम सूची में सम्मिलित करें।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.470 बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.610 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना-किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.470 बनते, है जो कि अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.610 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। 'राज्य सरकार द्वारा पारित बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता उर्मिला देवी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
122	327	Gurpreet Singh	NO159637	याचिकाकर्ता गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15254/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरियता सूची बनाकर यदि उसका अंतरिम वरियता सूची में नाम आता है तो उसे अंतरिम सूची में सम्मिलित करें।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 683 दिवस का जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.190 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 683 दिवस का जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.190 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री गुरप्रीत सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
123	328	SHAHANAJ BANO	NO141955	याचिकाकर्ता शहनाज बानो पुत्री श्री नवाबदीन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15254/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियनानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरियता सूची बनाकर यदि उसका अंतरिम वरियता सूची में नाम आता है तो उसे अंतरिम सूची में सम्मिलित करें।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 677 दिवस का जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.380 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कोविड अवधि का 677 दिवस का जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुयें कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.380 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता शहनाज बानो द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
124	329	Rajveer	NO171597	याचिकाकर्ता राजवीर पुत्र श्री ओमप्रकाश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15254/2023 में माननीय न्यायालव द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरियता सूची बनाकर यदि उसका अंतरिम वरियता सूची में नाम आता है तो उसे अंतरिम सूची में सम्मिलित करें।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 372 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.690 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र मी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह मी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 372 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.690 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री राजवीर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
125	330	Sunita	NO151786	याचिकाकर्ता सुनिता पुत्री श्री दलीप कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15254/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरियता सूची बनाकर यदि उसका अंतरिम वरियता सूची में नाम आता है तो उसे अंतरिम सूची में सम्मिलित करें।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 676 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.800 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 676 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.800 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता सुनिता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
126	331	Lal Chand	NO112704	याचिकाकर्ता लालचन्द पुत्र श्री ओमप्रकाश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15254/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंकों की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरियता सूची बनाकर यदि उसका अंतरिम वरियता सूची में नाम आता है तो उसे अंतरिम सूची में सम्मिलित करें।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 677 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.570 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 677 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.570 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री लालचन्द द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
127	332	Lovpreet Singh	NO147431	याचिकाकर्ता लवप्रीत सिंह पुत्र श्री सतपाल सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15254/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरियता सूची बनाकर यदि उसका अंतरिम वरियता सूची में नाम आता है तो उसे अंतरिम सूची में सम्मिलित करें।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 628 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.650 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 628 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.650 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री लवप्रीत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
128	333	Ashish Jat	NO165279	याचिकाकर्ता आशीष जाट पुत्र श्री रतनलाल जाट ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14585/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदन के समय खेल प्रमाण पत्र का इंद्राज नहीं कर पाने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में चयन करने तथा अनुभव प्रमाण पत्रों की गणना नहीं करने के कारण डीवी लिस्ट में वंचित रहने से अवगत कराते हुए अनुभव प्रमाण पत्र एवं खेल प्रमाण पत्र दोनो का लाभ देने हेतु निवेदन किया है। अभ्यावेदन के साथ बूंदी जिला हैण्डबॉल एसोसिऐशन द्वारा 29वीं राजस्थान स्टेट जूनियर हैण्डबॉल चैम्पियनशिप 2011–12 दिनांक 28 से 31 मई 2011 तक का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है। साथ ही दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का 7900 रूपये प्रतिमाह तथा दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2023 तक 395 दिवस का 25000 रूपये प्रतिमाह का सीएचओ पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.020 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन नही किया गया। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा माना गया कि याचिकाकर्ता को यह एहसास होने पर कि उसका चयन श्रेणी परिवर्तन होने पर हो सकता है, उसने न्यायालय की शरण ली एवं याचिकाकर्ता की मांग को इस आधार पर खारिज किया कि ऐसा किये जाने से उन लोगो के साथ न्याय नही होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है। याचिकाकर्ता द्वारा परिवेदना के साथ 29वी राजस्थान स्टेट जूनियर हेण्डबॉल चैम्पियनशिप 2011–12 का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.020 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन नही किया गया। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा माना गया कि याचिकाकर्ता को यह एहसास होने पर कि उसका चयन श्रेणी परिवर्तन होने पर हो सकता है, उसने न्यायालय की शरण ली एवं याचिकाकर्ता की मांग को इस आधार पर खारिज किया कि ऐसा किये जाने से उन लोगों के साथ न्यायोचित नहीं होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है। याचिकाकर्ता द्वारा परिवेदना के साथ 29वी राजस्थान स्टेट जूनियर हेण्डबॉल चैम्पियनशिप 2011–12 का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री आशीष जाट द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
129	334	Manoj Kumar Yadav	NO202216	याचिकाकर्ता मनोज कुमार यादव पुत्र श्री कालूलाल यादव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14959/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही अवधि दिनांक 07.08.2021 से 31.03.2022 तक 235 दिवस का सीएचए पद, दिनांक 01.04.2022 से 31.07.2022 तक 122 दिवस का चिरंजीवी मित्र पद एवं दिनाकं 01.08.2022 से 30.11.2022 तक 121 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद का जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है संलग्न किये है। अतः मुझे कोविड कॉल के 15 बोनस अंक एवं अन्य अवधि का अलग से बोनस अंक प्रदान कर अन्तरिम वरियता सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.660 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.660 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री मनोज कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
130	335	Srikant Sharma	NO177899	याचिकाकर्ता श्रीकान्त शर्मा पुत्र श्री मुकेश चन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18655/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही अवधि दिनांक 15.07.2021 से 31.03.2022 तक 247 दिवस का सीएचए पद एवं दिनांक 23.09.2016 से 14.11.2018 तक 723 दिवस का पीपीपी मोड पर नर्सिंग ऑफिसर पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अतः मुझे कोविड कॉल के 15 बोनस अंक एवं अन्य अवधि का अलग से बोनस अंक प्रदान कर अन्तरिम वरियता सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.210 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमन्त्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.210 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में याचिकाकर्ता श्रीकांत शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
131	336	Salish Ahmed	NO201747	याचिकाकर्ता सलीश अहमद पुत्र श्री मोहम्मद रईस ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15760/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही अनुभव अवधि दिनांक 27.07.2021 से 31.01.2022 तक 167 दिवस का सीएचए पद एवं दिनांक 04.02.2022 से 30.04.2023 तक 450 दिवस का ईएमटी पद (जारी अनुभव प्रमाण पत्र में सीएमएचओ उदयपुर द्वारा 292 दिवस को काटकर 450 करते हुए प्रमाणित किया गया है) का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अतः मुझे कोविड कॉल के 15 बोनस अंक एवं अन्य अवधि का अलग से बोनस अंक प्रदान कर अन्तरिम वरियता सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 617 दिवस के कोविड अवधि के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.110 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 617 दिवस के कोविड अवधि के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.110 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री सलीश अहमद द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
132	337	Surendra Goriya	NO202592	याचिकाकर्ता सुरेन्द्र गोरिया पुत्र श्री बद्रीलाल गारिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15736/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही अनुभव अवधि दिनांक 27.07.2021 से 31.03.2022 तक 238 दिवस का सीएचए पद (सीएमएचओ बारां द्वारा कांट–छांट प्रमाणित की गयी है) एवं दिनांक 11.11.2014 से 20.01.2016 तक 434 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अतः मुझे कोविड कॉल के 15 बोनस अंक एवं अन्य अवधि का अलग से बोनस अंक प्रदान कर अन्तरिम वरियता सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.200 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.200 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री सुरेन्द्र गोरियॉ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
133	338	Rajbeer Singh	NO160936	याचिकाकर्ता राजबीर सिंह पुत्र श्री हेमसिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12119/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंक निरस्त कर नये सिरे से वरियता सूची बनाई जाये। अनुभव अवधि दिनांक 14.12.2017 से 17.08.2018 तक 247 दिवस का पीपीपी मोड जीएनएम पद, दिनांक 18.08.2018 से 04.06.2019 तक 291 दिवस का जीएनएम पीपीपी मोड का तथा दिनांक 05.06.2019 से 13.01.2020 तक 221 दिवस का जीएनएम पीपीपी मोड का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। एक अन्य अभ्यावेदन में याचिका संख्या 14327/2023 के कम में अभ्यावेदन दिया है जिसमें इसका नाम नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.300 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियनों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.300 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रुप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री राजबीर सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
134	339	Abhilasha Parashar	NO141399	याचिकाकर्ता अभिलाषा पाराशर पुत्री श्री कंवर लाल पाराशर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17166/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा आवेदन करते समय दिनांक 09.06.2021 से 06.09.2021 तक 90 दिवस का सीएचए पद पर किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था किन्तु उसके उपरान्त भी मेरा नाम डीवी लिस्ट में नहीं आया। अतः मुझे 15 बोनस अंकों का लाभ देकर डीवी सूची एवं प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित किया जाये।	याचिकाकर्ता द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी मे आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव के विवरण में 90 दिवस का अनुभव होना दर्शाया किन्तु कोविड अवधि में कार्य किया होने के सम्बन्ध में प्रविष्टी 'नो' दर्शायी गई जिसके कारण कोविड अवधि का अनुभव नहीं होने व एक वर्ष से कम अनुभव होने के कारण इन्हे नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया। फलस्वरूप ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक रह जाने के कारण याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था जिसका लाभ याचिकाकर्ता द्वारा नही उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई गलती का उसने यथासमय सुधार नहीं किया एवं चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त उसने माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर श्रेणी परिवर्तन की मांग की जिसे माननीय न्यायालय ने यह मानते हुये कि ऐसा किये जाने से उन लोगो के साथ न्याय नही होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भरे गये डेटा में की गई त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहे हैं। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा इसका लाभ नही उठाया गया। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रितों की सूची में चयन नहीं हो पाने के लिये याचिकाकर्ता स्वयं जिम्मेदार है। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त त्रुटि संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः याचिकाकर्ता अभिलाषा पाराशर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आईडी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
135	340	Rashmi Gehlot	NO135631	याचिकाकर्ता रश्मि गहलोत पुत्री श्री कुंवर सिंह रावत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 8374/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें अनुभव के 20 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाकर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया जाये। उनके द्वारा परिवार कल्याण कैम्प नर्सिंगकर्मी एनजीओ के पद पर दिनांक 09.11.2020 से 30.11.2022 तक 744 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जोकि निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	याचिकाकर्ता सुश्री रश्मि गेहलोत द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोई अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया। प्रमाणपत्र संलग्न नहीं करने का कारण याचिकाकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र का तत्समय नहीं बन पाना बताया गया है। याचिकाकर्ता को निर्धारित अवधि के दौरान अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो चुका था। यदि याचिकाकर्ता ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने तक प्रतीक्षा नही की नई थी तब भी उसके पास त्रुटि सुधार के दौरान जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने का अवसर प्राप्त था। अतः अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक 47.080 प्रतिशत है, जो इनकी श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमन्त्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया। इसके अतिरिक्त एक तथ्य यह भी है कि याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र एफआरएचएस संस्था में कार्य का जारी किया गया है जो नर्सिंग ऑफिसर के समरूप कार्य का नही है। रिट याचिका संख्या 19290/2022 जोगेश सिंह चौहान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर क्रमांक 13 दिनांक 04.01.2023 जारी कर निर्णय लिया गया कि एफआरएचएस संस्था में कार्यरत कार्मिको को बोनस अंको का लाभ देय नही है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या 100/2016 हितेन्द्र भाकर बनाम सरकार में निर्णय पारित कर याचिकाकर्ता की बोनस अंको की मांग को इस आधार पर खारिज किया है कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार के संस्थान अथवा नियम 1965 में उल्लेखित कार्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत कर्मी नही है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में सम्पादित कार्य परिवार कल्याण कैम्प नर्सिंग कर्मी का दर्शाया गया है। परिवार कल्याण कैम्प नर्सिंग कर्मी का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने एवं नियम 1965 में उल्लेखित राजकीय संस्थान अथवा कार्यक्रम का नही होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।	याचिकाकर्ता सुश्री रश्मि गहलोत द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोई अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया। प्रमाणपत्र संलग्न नहीं करने का कारण याचिकाकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र का तत्समय नहीं बन पाना बताया गया है। याचिकाकर्ता को निर्धारित अवधि के दौरान अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो चुका था। यदि याचिकाकर्ता ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने तक प्रतीक्षा नहीं की गई थी तब भी उसके पास त्रुटि सुधार के दौरान नियमानुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने का अवसर प्राप्त था। अतः अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता। विभाग द्वारा पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है कि एफआरएचएस संस्था में कार्यरत कार्मिको को बोनस अंको का लाभ देय नही होगा। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। याचिकाकर्ता राज्य सरकार के संस्थान अथवा नियम 1965 में उल्लेखित कार्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत कर्मी नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में सम्पादित कार्य परिवार कल्याण कैम्प नर्सिंग कर्मी का दर्शाया गया है। परिवार कल्याण कैम्प नर्सिंग कर्मी का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने एवं नियम 1965 में उल्लेखित राजकीय संस्थान अथवा कार्यक्रम का नही होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
136	341	Babbal Naresh	NO175450	याचिकाकर्ता बब्बल नरेश पुत्र श्री बाबूलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदन करते समय उसके 02 वर्ष के अनुभव हेतु 42 दिन कम थे जिसमें उसके द्वारा किये गये ओवर टाईम को अनुभव में नहीं जोड़ा गया है। अतः ओवर टाइम को अनुभव में जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया जाये। परिवेदना के साथ माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन प्रपत्र की छायाप्रति अपलोड की गयी है जिसमें उनके स्वयं के द्वारा 183 एवं 505 दिवस के 108 एम्बुलेन्स ईएमटी का अनुभव अंकित किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.750 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा ओवरटाइम कार्य सम्पादन के आधार पर अनुभव दिवसों की संख्या बढाने की मांग की है। याचिकाकर्ता की मांग नियमानुसार नहीं है। नियमों में अथवा विज्ञप्ति की शर्तों विशेष कर अनुभव के आधार पर बोनस अंकों संबंधी बिन्दु 'ज' में ओवरटाइम जैसी किसी अवधारणा का उल्लेख नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा की गई शिकायत कि ओवरटाइम को दिवसों में परिवर्तित कर दिवसों की संख्या को नहीं बढाया गया , विधिमान्य नहीं है क्योंकि न तो भर्ती एजेन्सी को इस तरह की किसी नवीन अवधारण की जानकारी हो सकती है जिसका उल्लेख नियमों अथवा विज्ञप्ति में न हो, न ही याचिकाकर्ता द्वारा विज्ञप्ति में ओवरटाइम का उल्लेख नहीं होने के सम्बन्ध में तत्समय कोई आपत्ति अथवा माननीय न्यायालय में याचिका दायर की। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं के प्राप्तांक कटऑफ प्रतिशतत से कम रह जाने के कारण यह युक्ति सोंची गई है कि यदि ओवरटाइम की अवधि को दिवसों में परिवर्तित कर दिया जाये तो उसकी अनुभव अवधि बढ सकती है। जिसके फलस्वरूप अधिक बोनस अंक प्राप्त होने पर उसके प्राप्तांक प्रतिशत बढ जायेंगे व चयन संभव हो सकेगा। ऐसे ही एक प्रकरण डीबी याचिका संख्या 7840/2016 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में भी याचिकाकर्ता द्वारा यह देखकर कि उसकी आवेदित श्रेणी का उसके द्वारा वांछित श्रेणी में परिवर्तन हो जाने पर चयन संभव है, माननीय न्यायालय में याचिका दायर की जिसे माननीय न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि ऐसा किया जाना अपने आप में पक्षपाती होगा। तकनीकी तौर पर भी ओवरटाम केवल कार्य के घंटों का बढना है। इसके कारण किसी कैलेन्डर माह अथवा वर्ष में दिवसों की संख्या नहीं बढ सकती है। अतः ओवरटाइम के घंटों को दिवसों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.750 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा ओवरटाइम कार्य सम्पादन के आधार पर अनुभव दिवसों की संख्या बढाने की मांग की है। याचिकाकर्ता की मांग नियमानुसार नहीं है। नियमों में अथवा विज्ञप्ति की शर्तों विशेष कर अनुभव के आधार पर बोनस अंकों संबंधी बिन्दु 'ज' में ओवरटाइम जैसी किसी अवधारणा का उल्लेख नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा की गई शिकायत कि ओवरटाइम को दिवसों में परिवर्तित कर दिवसों की संख्या को नहीं बढाया गया , विधिमान्य नहीं है क्योंकि न तो भर्ती एजेन्सी को इस तरह की किसी नवीन अवधारण की जानकारी हो सकती है जिसका उल्लेख नियमों अथवा विज्ञप्ति में न हो, न ही याचिकाकर्ता द्वारा विज्ञप्ति में ओवरटाइम का उल्लेख नहीं होने के सम्बन्ध में तत्समय कोई आपत्ति अथवा माननीय न्यायालय में याचिका दायर की। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं के प्राप्तांक कटऑफ प्रतिशतत से कम रह जाने के कारण यह युक्ति सोंची गई है कि यदि ओवरटाइम की अवधि को दिवसों में परिवर्तित कर दिया जाये तो उसकी अनुभव अवधि बढ सकती है। जिसके फलस्वरूप अधिक बोनस अंक प्राप्त होने पर उसके प्राप्तांक प्रतिशत बढ जायेंगे व चयन संभव हो सकेगा। तकनीकी तौर पर भी ओवरटाम केवल कार्य के घंटों का बढना है। इसके कारण किसी कैलेन्डर माह अथवा वर्ष में दिवसों की संख्या नहीं बढ सकती है। अतः ओवरटाइम के घंटों को दिवसों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः याचिकाकर्ता बब्बल नरेश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
137	342	Laxmi	NO142400	याचिकाकर्ता राजवीर सिंह पुत्र श्री हेमसिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12119/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंक निरस्त कर नये सिरे से वरियता सूची बनाई जाये। अनुभव अवधि दिनांक 31.08.2020 से 04.05.2023 तक 842 दिवस का जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.390 बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.610 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.390 बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.610 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री लक्ष्मी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
138	343	Pavan Chouhan	NO155891	याचिकाकर्ता पवन चौहान पुत्र श्री राधेश्याम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12119/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंक निरस्त कर नये सिरे से वरियता सूची बनाई जाये। अनुभव अवधि दिनांक 27.09.2021 से 04.05.2023 तक 494 दिवस का जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी मे आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव के विवरण में 494 दिवस का अनुभव होना दर्शाया किन्तु कोविड अवधि में कार्य किया होने के सम्बन्ध में प्रविष्ठी 'नो' दर्शायी गई जिसके कारण कोविड अवधि का अनुभव नहीं होने एवं एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम अनुभव अनुभव होने के कारण इन्हे नियमानुसार 10 बोनस अंकों का लाभ दिये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.060 बनते है जो कि अनुसूचित जाति श्रेणी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक रह जाने के कारण याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था जिसका लाभ याचिकाकर्ता द्वारा नही उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा माना गया कि याचिकाकर्ता को यह एहसास होने पर कि उसका चयन श्रेणी परिवर्तन होने पर हो सकता है, उसने न्यायालय की शरण ली एवं याचिकाकर्ता की मांग को इस आधार पर खारिज किया कि ऐसा किये जाने से उन लोगो के साथ न्याय नही होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भरे गये डाटा में की गई त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहे है। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा इसका लाभ नही उठाया गया। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रितों की सूची में चयन नही हो पाने के लिये याचिकाकर्ता स्वयं जिम्मेदार है। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त यह एहसास होने पर कि उसका चयन श्रेणी परिवर्तन होने पर हो सकता है, उसने न्यायालय की शरण ली किन्तु ऐसा किये जाने से उन लोगो के साथ न्याय नही होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री पवन चौहान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
139	344	Mukesh Kumar Samariya	NO135777	याचिकाकर्ता नुकेश कुमार सामरिया पुत्र श्री किशनगोपाल सामरिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12119/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंक निरस्त कर नये सिरे से वरियता सूची बनाई जाये। अनुभव अवधि दिनांक 31.08.2020 से 04.05.2023 तक 835 दिवस का जीएनएम प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.360 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/202 3मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.360 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री मुकेश कुमार सामरिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
140	345	Viplav Sen	NO104900	याचिकाकर्ता विप्लव सेन पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12119/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको को नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंक निरस्त कर नये सिरे से वरियता सूची बनाई जाये। अनुभव अवधि दिनांक 14.09.2020 से 04.05.2023 तक 825 दिवस का जीएनएम प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.340 बनते है जो कि अओबीसी एनसीएल वर्ग में आंमत्रित अंतिन अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बावत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.340 बनते है जो कि अओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री विप्लव सैन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
141	346	Dipendra Kumar Meena	NO147769	याचिकाकर्ता दीपेन्द्र कमार मीना पुत्र श्री नानूराम मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12119/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंक निरस्त कर नये सिरे से वरियता सूची बनाई जाये। अनुभव अवधि दिनांक 14.05.2021 से 04.05.2023 तक 618 दिवस का जीएनएम प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.890 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.890 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री दिपेन्द्र कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
142	347	Vinod Kumar Meena	NO204804	याचिकाकर्ता विनोद कुमार मीना पत्र श्री रामचन्द्र मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15381/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। अनुभव अवधि दिनांक 25.06.2021 से 31.03.2022 तक 290 दिवस का सीएचए पद का एवं दिनांक 25.04.2019 से 05.10.2020 तक 467 दिवस की पीपीपी मोड पर जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.940 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.940 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री विनोद कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
143	348	Maniram Chaliya	NO152657	याचिकाकर्ता मणीराम चालिया पुत्र श्री मांगीलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14918/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। अनुभव अवधि दिनांक 16.07.2021 से 31.03.2022 तक 253 दिवस का सीएचए पद का एवं दिनांक 27.06.2011 से 20.08.2012 तक 425 दिवस की ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ चुरू द्वारा कोविड अवधि का 653 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.810 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496--11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान् राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः अभ्यावेदन स्वीकार किये जाने योग्य नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ चुरू द्वारा कोविड अवधि का 653 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.810 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री मणीराम चेलिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
144	349	Pooja Sharma	NO128900	याचिकाकर्ता पूजा शर्मा पुत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18517/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि सीएमएचओ करौली द्वारा उन्हें नवीन अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने के कारण उनके द्वारा भर्ती 2022 का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ा जिस पर विचार नहीं किये जाने के कारण उन्हें अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। उनके द्वारा दिनांक 25.01.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गयी है जिसमें दिनांक 03.08.2021 से 31.03.2022 तक 240 दिवस का सीएचए पद का अनुभव जारी किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी मे आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव के विवरण में 240 दिवस का अनुभव होना दर्शाया किन्तु कोविड अवधि में कार्य किया होने के सम्बन्ध में प्रविष्टी 'नो' दर्शायी गई जिसके कारण कोविड अवधि का अनुभव नहीं होने व एक वर्ष से कम अनुभव अनुभव होने के कारण इन्हे नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया। फलस्वरुप ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक रह जाने के कारण याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची पर परिवेदना प्रस्तुत कर 25.01.2023 का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी करौली द्वारा 240 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा इस विज्ञप्ति हेतु जारी नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं किया गया। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।	याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भरे गये डाटा में की गई त्रुटि के कारण अभ्यर्थिया के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहे हैं। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं के क्रम में अपना अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा इस भर्ती हेतु जारी नही होने के कारण मान्य नही किया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता पूजा शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
145	350	Subhash	NO152635	याचिकाकर्ता सुभाष पुत्र श्री राकेश कमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19374/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंक निरस्त कर नये सिरे से वरियता सूची बनाई जाये। अनुभव अवधि दिनांक 01.10.2021 से 30.04.2023 तक 576 दिवस का एमएएमवी में जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा कोविड अवधि का 576 दिवस का जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.740 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा कोविड अवधि का 576 दिवस का जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.740 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री सुभाष द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
146	351	Ganpat Gandher	NO149421	याचिकाकर्ता गणपत गंढेर पुत्र श्री छुगाराम गंढेर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19374/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंक निरस्त कर नये सिरे से वरियता सूची बनाई जाये। अनुभव अवधि दिनांक 01.07.2021 से 30.04.2023 तक 666 दिवस का एमएएमवी में जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा कोविड अवधि का 666 दिवस का जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.900 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उध्वतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही चलने देना धाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा कोविड अवधि का 666 दिवस का जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.900 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि यह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को घरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि यह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री गणपत गन्धेर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. सख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
147	352	Naryan Lal	NO150768	याचिकाकर्ता नारायण लाल पुत्र श्री शंकर लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19374/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंक निरस्त कर नये सिरे से वरियता सूची बनाई जाये। अनुभव अवधि दिनांक 01.07.2021 से 30.04.2023 तक 666 दिवस का एमएएमवी में जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा कोविड अवधि का 666 दिवस का जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.130 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा कोविड अवधि का 666 दिवस का जीएनएन पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.130 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री नारायण लाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
148	353	Mukesh Sangwa	NO165699	याचिकाकर्ता मुकेश सांगवा पुत्र श्री नाथूराम सांगवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14181/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंक निरस्त कर नये सिरे से वरियता सूची बनाई जाये। अनुभव अवधि दिनांक 09.06.2021 से 31.03.2022 तक 296 दिवस का सीएचए पद का एवं दिनांक 01.11.2010 से 20.09.2012 तक 684 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.180 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मख्नलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.180 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री मुकेश सांगवा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
149	354	Dharam Raj Tanwar	NO198296	याचिकाकर्ता धर्मराज तंवर पुत्र श्री शंकरलाल तंवर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 8089/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विज्ञप्ति में अनुभव की गणना ऑनलाईन आवेदन भरे जाने से ठीक एक दिवस पहले तक किये जाने का उल्लेख किया गया है जो कि नियमानुसार नहीं है। उसके अनुभव की गणना अंतिम दिनांक तक करते हुए वरियता सूची में सम्मिलित करें। उसके द्वारा दिनांक 18.05.2020 से 30.11.2021 तक 549 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.910 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बड़ी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या 1333/2020 सुरेश कुमार रोज बनाम सरकार को खारिज करते हुए आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.910 बनते है जो कि अओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। अतः याचिकाकर्ता श्री धर्मराज तॅवर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
150	355	ROSHAN LAL SHARMA	NO161706	याचिकाकर्ता रोशन लाल शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 8089/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विज्ञप्ति में अनुभव की गणना ऑनलाईन आवेदन भरे जाने से ठीक एक दिवस पहले तक किये जाने का उल्लेख किया गया है जो कि नियमानुसार नहीं है। उसके अनुभव की गणना अंतिम दिनांक तक करते हुए वरियता सूची में सम्मिलित करें। उसके द्वारा दिनांक 28.05.2021 से 30.04.2023 तक 699 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.060 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या 1333/2020 सुरेश कुमार रोज.बनाम सरकार को खारिज करते हुए आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य मांना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.060 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। अतः याचिकाकर्ता श्री रोशन लाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
151	356	Mahesh Kumar Nagar	NO199430	याचिकाकर्ता महेश कुमार नागर पुत्र श्री ब्रदीलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 8089/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विज्ञप्ति में अनुभव की गणना ऑनलाईन आवेदन भरे जाने से ठीक एक दिवस पहले तक किये जाने का उल्लेख किया गया है जो कि नियमानुसार नहीं है। उसके अनुभव की गणना अंतिम दिनांक तक करते हुए वरियता सूची में सम्मिलित करें। उसके द्वारा दिनांक 19.05.2020 से 30.11.2021 तक 541 दिवस तथा दिनांक 01.12.2021 से 04.05.2023 तक का 515 दिवस के ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.200 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या 1333/2020 सुरेश कुमार रोज बनाम सरकार को खारिज करते हुए आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.200 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। अतः याचिकाकर्ता श्री महेश कुमार नागर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
152	357	Dharamveer	NO178984	याचिकाकर्ता धर्मवीर पुत्र श्री हरीशचन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15914/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा 02 अनुभव प्रमाण पत्रों जिनकी कुल अवधि 1030 दिवस है संलग्न करने के उपरान्त भी उन्हें बोनस अंको का लाभ नहीं दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 02.06.2021 से 31.03.2022 तक 298 दिवस का सीएचए पद का तथा दिनांक 24.07.2013 से 16.02.2016 तक 732 दिवस का जीएनएम एमएमवी पीपीपी मोड के प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की है। अतः मुझे बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.230 बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.230 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री धर्मवीर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
153	358	Shailendra Singh	NO194374	याचिकाकर्ता शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदनसिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14181/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। अनुभव अवधि दिनांक 23.06.2021 से 31.03.2022 तक 292 दिवस का सीएचए पद का एवं दिनांक 14.05.2014 से 31.03.2016 तक 670 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.670 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.670 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
154	359	Rajesh Kumar Ninama	NO192830	याचिकाकर्ता राजेश कुमार निनामा पुत्र श्री परमेश्वर निनामा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11607/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दिनांक 15.05.2021 से 05.05.2023 का एनएनवी जीएनएम एनएचएम का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त अवधि का बोनस नहीं दिये जाने के कारण वह भर्ती मे सम्मिलित नहीं हो पाया है। अतः बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव के विवरण में 476 दिवस का अनुभव होना दर्शाया किन्तु कोविड अवधि में कार्य किया होने के सम्बन्ध में प्रविष्ठी 'नो' दर्शायी गई जिसके कारण कोविड अवधि का अनुभव नहीं होने एवं एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम अनुभव अनुभव होने के कारण इन्हे नियमानुसार 10 बोनस अंकों का लाभ दिये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.490 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक रह जाने के कारण याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था जिसका लाभ याचिकाकर्ता द्वारा नही उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भरे गये डाटा में की गई त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहे है। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा इसका लाभ नही उठाया गया। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रितो की सूची में चयन नही हो पाने के लिये याचिकाकर्ता स्वयं जिम्मेदार है। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा माना गया कि याचिकाकर्ता को यह एहसास होने पर कि उसका चयन श्रेणी परिवर्तन होने पर हो सकता है, उसने न्यायालय की शरण ली एवं याचिकाकर्ता की मांग को इस आधार पर खारिज किया कि ऐसा किये जाने से उन लोगो के साथ न्याय नही होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है। अतः याचिकाकर्ता श्री राजेश कुमार निनामा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
155	360	Lalit Sen	NO196385	याचिकाकर्ता ललित सेन पुत्र श्री विश्राम सेन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11607/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दिनांक 15.05.2021 से 05.05.2023 का एमएमवी जीएनएम एनएचएम का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त अवधि का बोनस नहीं दिये जाने के कारण यह भर्ती मे सम्मिलित नहीं हो पाया है। अतः बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव के विवरण में 476 दिवस का अनुभव होना दर्शाया किन्तु कोविड अवधि में कार्य किया होने के सम्बन्ध में प्रविष्ठी 'नो' दर्शायी गई जिसके कारण कोविड अवधि का अनुभव नहीं होने एवं एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम अनुभव अनुभव होने के कारण इन्हे नियमानुसार 10 बोनस अंकों का लाभ दिये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.590 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल श्रेणी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक रह जाने के कारण याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था जिसका लाभ याचिकाकर्ता द्वारा नही उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा माना गया कि याचिकाकर्ता को यह एहसास होने पर कि उसका चयन श्रेणी परिवर्तन होने पर हो सकता है, उसने न्यायालय की शरण ली एवं याचिकाकर्ता की मांग को इस आधार पर खारिज किया कि ऐसा किये जाने से उन लोगो के साथ न्याय नही होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है। अतः याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भरे गये डाटा में की गई त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहे है। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा इसका लाभ नही उठाया गया। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रितो की सूची में चयन नही हो पाने के लिये याचिकाकर्ता स्वयं जिम्मेदार है। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार,नहीं किया जा सकता। अतः याचिकाकर्ता श्री ललित सैन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
156	361	Dheeraj Patidar	NO196250	याचिकाकर्ता धीरज पाटीदार पुत्र श्री राधेश्याम पाटीदार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11607/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दिनांक 01.05.2021 से 05.05.2023 तक का एमएमवी जीएनएन एनएचएम का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त अवधि का बोनस नहीं दिये जाने के कारण वह भर्ती मे सम्मिलित नहीं हो पाया है। अतः बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 480 दिवस का जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर नियमानुसार याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.920 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा कोविड अवधि का 480 दिवस का जीएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर नियमानुसार याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.920 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री धीरज पाटीदार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
157	362	Dharampal Singh Shaktawat	NO207541	याचिकाकर्ता धर्मपाल सिंह शक्तावत पुत्र श्री संग्राम सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11607/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दिनांक 01.05.2021 से 05.05.2023 तक का एमएमवी जीएनएम एनएचएम का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त अवधि का बोनस नहीं दिये जाने के कारण वह भर्ती मे सम्मिलित नहीं हो पाया है। अतः बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा संविदा नर्स ग्रेड द्वितीय पद का 975 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.510 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा संविदा नर्स ग्रेड द्वितीय पद का 975 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.510 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री धर्मपाल सिंह शक्तावत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
158	363	Manoj Kumar Regar	NO175707	याचिकाकर्ता मनोज कुमार रैगर पुत्र श्री मानाराम रैगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिन वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.990 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.990 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री मनोज कुमार रैगर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
159	364	Dharmi Chand Regar	NO147164	याचिकाकर्ता धर्मीचन्द रैगर पुत्र श्री कैलाशचन्द रैगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकिं मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.330 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.330 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री धर्मी चन्द रैगर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
160	365	Chotulal Regar	NO154902	याचिकाकर्ता छोटूलाल रैगर पुत्र श्री भवानालाल रैगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिन वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एमएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61,120 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिन अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। नीति निर्धारण सनिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार 29.03.2022 से 4.05.2023 तक के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.120 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री छोटूलाल रैगर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
161	366	Moh Sajid Khan	NO203828	याचिकाकर्ता मोह साजिद खान पुत्र श्री मोह शहजाद खान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचए पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 20.09.2021 से 31.03.2022 तक 193 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.10.2022 से 04.05.2023 तक 212 दिवस का जीएनएम एमएमवी पीपीपी मोड का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार 15 प्रतिशत बोनस अंकों सहित कुल प्राप्तांक 58.380 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया।	याचिकाकर्ता के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार कुल प्राप्तांक 58.380 प्रतिशत हैं जो इनकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अतः याचिकाकर्ता श्री मोहम्मद साजिद खान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
162	367	Mahaveer Singh Meena	NO150400	याचिकाकर्ता महावीर सिंह मीणा पुत्र श्री मीठा लाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14876/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनके द्वारा जनवरी 2014 से सितम्बर 2016 तक एमएनयू एनआरएचएम में नर्सिंग ऑफिसर पद पर कार्य किया है किन्तु एनजीओ द्वारा यह अवगत कराते हुए की उनके द्वारा फार्मासिस्ट पद का कार्य संपादित किया गया है, प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। उनके द्वारा दिनांक 20.09.2021 से 30.03.2022 तक 193 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रार्थी ने अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में केवल सीएचए पद के अनुभव की ही प्रविष्टि अंकित की है।	अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 60.240 दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया।	याचिकाकर्ता के स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार इनके कुल प्राप्तांक 60.240 दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
163	368	Gopal Lal Saini	NO148080	याचिकाकर्ता गोपाल लाल सैनी पुत्र श्री मोहनलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17098/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। अनुभव अवधि दिनांक 15.07.2021 से 31.03.2022 तक 255 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा कोविड अवधि का 255 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.310 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा कोविड अवधि का 255 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.310 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री गोपाल लाल सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
164	369	Guddi Bai	NO118598	याचिकाकर्ता गुड्डी बाई पुत्री श्री प्रभुलाल सुमन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 9283/2023 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सीएमएचओ द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के कारण उनका ओबीसी महिला वर्ग में चयन नहीं किया गया। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.910 बनते है जो कि ओबीसी वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.910 बनते है जो कि ओबीसी वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री गुड्डी बाई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
165	370	Amit Katara	NO201385	याचिकाकर्ता अमित कटारा पुत्र श्री राजमल कटारा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14959/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही अवधि दिनांक 12.08.2021 से 31.03.2022 तक 232 दिवस का सीएचए पद, दिनांक 01.05.2021 से 14.08.2021 तक 90 दिवस का एवं दिनांक 01.06.2022 से 04.05.2023 तक एनएचएम जीएनएम एमएमवी पद के प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अतः मुझे कोविड कॉल के 15 बोनस अंक एवं अन्य अवधि का अलग से बोनस अंक प्रदान कर अन्तरिम वरियता सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा कोविड अवधि का 641 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.200 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा कोविड अवधि का 641 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.200 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री अमित कटारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
166	371	Saroj Kumari	NO179619	याचिकाकर्ता सरोज कुमारी पुत्री श्री बूटीराम नितड़ ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18091/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनके ओबीसी-एनसीएल में कटऑफ 66.41 प्रतिशत से अधिक 67.15 प्रतिशत अंक होते हुए भी उन्हे दस्तावेज सत्यापपन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। उक्त के साथ दिनांक 24.09.2021 से 31.03.2022 तक 189 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा जारी 189 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है किन्तु कोविड अवधि में कार्य के सम्मुख 'नहीं' अंकित करने के कारण 189 दिवस के अनुभव के आधार पर नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ नही दिया जा सका। अतः दस्तावेज सत्यापन हेतु इनकी श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया से कम प्राप्तांक रहने के कारण इन्हे दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया के पास त्रुटि सुधार हेतु 2 बार अवसर था जिसका उनके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा जारी सीएचए पद का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है किन्तु आवेदन पत्र में कोविड अवधि में कार्य किया गया के सम्मुख 'नों' अंकित करने एवं 189 दिवस का (1 वर्ष से कम) अनुभव होने के कारण अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नही दिया जा सका। अतः दस्तावेज सत्यापन हेतु इनकी श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया से कम प्राप्तांक रहने के कारण इन्हे दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया के पास त्रुटि सुधार हेतु 2 बार अवसर था जिसका उनके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
167	372	Jayram Sharma	NO162877	याचिकाकर्ता जयराम शर्मा पुत्र श्री उदयराम शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14007/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 की प्रति मात्र संलग्न की है। कोई अभ्यावेदन या अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी मे आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव के विवरण में 260 दिवस का अनुभव होना दर्शाया किन्तु कोविड अवधि में कार्य किया होने के सम्बन्ध में प्रविष्ठी 'नो' दर्शायी गई जिसके कारण कोविड अवधि का अनुभव नहीं होने व एक वर्ष से कम अनुभव अनुभव होने के कारण इन्हे नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया। फलस्वरूप ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक रह जाने के कारण याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था जिसका लाभ याचिकाकर्ता द्वारा नही उठाया गया। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रितो की सूची में चयन नही हो पाने के लिये याचिकाकर्ता स्वयं जिम्मेदार है। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई गलता का उसने यथासमय सुधार नही किया एवं चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त उसने माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर श्रेणी परिवर्तन की मांग की जिसे माननीय न्यायालय ने यह मानते हुये कि ऐसा किये जाने से उन लोगो के साथ न्याय नही होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भरे गये डाटा में की गई त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहे है। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा इसका लाभ नही उठाया गया। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रितों की सूची में चयन नहीं हो पाने के लिये याचिकाकर्ता स्वयं जिम्मेदार है। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः याचिकाकर्ता श्री जयराम शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
168	373	Mohd. Irfan	NO184911	याचिकाकर्ता मोहम्मद ईरफान पुत्र श्री पहलवान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14932/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। साथ ही अवधि दिनांक 24.07.2021 से 28.03.2022 तक 248 दिवस का सीएचए पद एवं दिनांक 12.07.2016 से 14.09.2017 तक 419 दिवस का जीएनएम संविदा एमआरएस पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.570 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.570 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री मोहम्मद इरफान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
169	374	Wasim Akram	NO175395	याचिकाकर्ता वसीम अकरम पुत्र श्री अंसार अहमद ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14932/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। साथ ही अवधि दिनांक 17.11.2021 से 31.03.2022 तक 135 दिवस का सीएचए पद एवं दिनांक 09.01.2017 से 14.09.2017 तक 249 दिवस का जीएनएम संविदा पद एवं दिनाकं 01.07.2019 से 18.11.2021 तक 690 दिवस का सपोर्ट स्टाफ (नर्सिंग कार्य करने हेतु) जॉब बेसिस पर ऑन कॉल का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.410 बनते है जो कि ओबीसी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.410 बनते है जो कि ओबीसी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री वसीम अकरम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
170	375	Mohd. Sadik	NO153567	याचिकाकर्ता मोहम्मद सादिक पुत्र श्री शब्बीर अहमद ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14932/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। साथ ही अवधि दिनांक 17.11.2021 से 31.03.2022 तक 135 दिवस का सीएचए पद एवं दिनांक 07.09.2016 से 14.09.2017 तक 372 दिवस का जीएनएम संविदा पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.880 बनते है जो कि ओबीसी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.880 बनते है जो कि ओबीसी वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री मोहम्मद सादिक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
171	376	Leena	NO163079	याचिकाकर्ता लीना पत्नी श्री शेरसिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 6900/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम दिनांक तक नहीं मानकर आवेदन शुरू करने की दिनांक को माना जा रहा है जिसके कारण उसके कुछ दिनों की अवधि के फलस्वरूप उसे सम्पूर्ण वर्ष के अनुभव से वंचित होना पड़ रहा है। अतः उसके बोनस अंक दिनांक 04.05.2023 के स्थान पर 04.06.2023 तक करते हुए चयन सची में सम्मलित करने हेतु निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.950 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या 1333/2020 सुरेश कुमार रोज बनाम सरकार .में माननीय न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.950 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.570 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रनाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिन तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या ....एवं रिट याचिका संख्या ....में माननीय न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज करते हुए आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री लीना चौहान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
172	377	Abhishek Choudhary	NO149554	याचिकाकर्ता अभिषेक चौधरी पुत्र श्री नाथूराम चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 6900/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके अनुभव की गणना आवेदन की अंतिन दिनांक तक नहीं मानकर आवेदन शुरु करने की दिनांक को माना जा रहा है जिसके कारण उसके कुछ दिनों की अवधि के फलस्वरूप उसे सम्पूर्ण वर्ष के अनुभव से वंचित होना पड़ रहा है। अतः उसके बोनस अंक दिनांक 04.05.2023 के स्थान पर 04.06.2023 तक करते हुए चयन सची में सम्मलित करने हेतु निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.770 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चेलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या 1333/2020 सुरेश कुमार रोज बनाम सरकार को खारिज करते हुए आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.770 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नहीं होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। अतः याचिकाकर्ता श्री अभिषेक चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
173	378	LOOMBA RAM	NO145171	याचिकाकर्ता लुम्बाराम पुत्र श्री अर्जुन राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 6900/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम दिनांक तक नहीं मानकर आवेदन शुरु करने की दिनांक को माना जा रहा है जिसके कारण उसके कुछ दिनों की अवधि के फलस्वरूप उसे सम्पूर्ण वर्ष के अनुभव से वंचित होना पड़ रहा है। अतः उसके बोनस अंक दिनांक 04.05.2023 के स्थान पर 04.06.2023 तक करते हुए चयन सूची में सम्मलित करने हेतु निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.920 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एकं दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या 1333/2020 सुरेश कुमार रोज बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने याचिकां को खारिज करते हुए आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.920 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आयदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या ....एवं रिट याचिका संख्या ......में माननीय न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज करते हुए आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री लुम्बाराम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
174	379	Mukesh Bishnoi	NO157640	याचिकाकर्ता मुकेश बिश्नोई पुत्र श्री मोहनलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 6900/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम दिनांक तक नहीं मानकर आवेदन शुरू करने की दिनांक को माना जा रहा है जिसके कारण उसके कुछ दिनों की अवधि के फलस्वरूप उसे सम्पूर्ण वर्ष के अनुभव से वंचित होना पड़ रहा है। अतः उसके बोनस अंक दिनांक 04.05.2023 के स्थान पर 04.06.2023 तक करते हुए चयन सची में सम्मलित करने हेतु निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.960 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनवाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या 1333/2020 सुरेश कुमार रोज बनाम सरकार .में माननीय न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.960 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनवाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदम करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या ....एवं रिट याचिका संख्या ....में माननीय न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज करते हुए आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री मुकेश विश्नोई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
175	380	Shankar Choudhary	NO187244	याचिकाकर्ता शंकर चौधरी पुत्र श्री श्रवण लाल चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14920/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 की पालना में बोनस अंक दिये जाकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया है। आदेश की प्रति एवं आवदेन फार्म की प्रति संलग्न की है अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.900 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.900 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री शंकर चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
176	381	Deepak Bairwa	NO161520	याचिकाकर्ता दीपक बैरवा पुत्र श्री बंशीलाल बैरवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14920/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 की पालना में बोनस अंक दिये जाकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया है। दिनांक 06.10.2021 से 31.03.2022 तक 177 दिवस का सीएचए पद का एवं दिनांक 02.01.2017 से 28.11.2017 तक 327 दिवस का जीएनएम पीपीपी मोड का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.130 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.130 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री दीपक बैरवा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
177	382	Rekha Sharma	NO144328	याचिकाकर्ता रेखा शर्मा पुत्री श्री सुभाष चन्द शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 9232/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ऑनलाईन आवेदन करते समय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होने के कारण बिना अनुभव प्रमाण पत्र के ऑनलाईन आवेदन कर दिया था। दिनांक 28.05.2023 को सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें दिनांक 14.02.2022 से 31.03.2022 तक 47 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी मे आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव के विवरण में 47 दिवस का अनुभव होना दर्शाया एवं ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा द्वारा जारी दिनांक 28.05.2023 को दिनांक 14.02.2022 से 31.03.2022 तक कुल 47 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि कोविड अवधि के बाद का एवं एक वर्ष से कम होने के कारण नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नही है। फलस्वरूप ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक रह जाने के कारण याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र एक वर्ष से कम अवधि का होने एवं कोविड अवधि का नही होने के कारण नियमानुसार बोनस अंको का लाभ याचिकाकर्ता को प्राप्त नही है। फलस्वरुप बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक इनकी श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांको से कम रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता रेखा शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
178	383	Govind Sharma	NO167691	याचिकाकर्ता गोविन्द शर्मा पुत्र श्री जगदीश चन्द्र शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14932/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। साथ ही अवधि दिनांक 25.09.2021 से 31.03.2022 तक 186 दिवस का सीएचए पद एवं दिनांक 04.08.2020 से 24.09.2021 तक 416 दिवस एवं दिनांक 01.04.2023 से 04.05.2023 तक 33 दिवस का जीएनएम संविदा एमआरएस पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.300 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.300 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री गोविन्द शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
179	384	Sachin Saini	NO188660	याचिकाकर्ता सचिन सैनी पुत्र श्री प्रमूलाल सैनी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14932/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। साथ ही अवधि दिनांक 29.09.2021 से 31.03.2022 तक 184 दिवस का सीएचए पद एवं दिनांक 27.06.2016 से 14.09.2017 तक 443 दिवस का जीएनएम संविदा एमआरएस पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.180 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.180 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री सचिन सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
180	385	Ramratan Bajiya	NO167121	याचिकाकर्ता रामरतन बाजिया पुत्र श्री उदाराम बाजिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 10968/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.080 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.080 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री रामरतन बाजीया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
181	386	Anil Charan	NO189631	याचिकाकर्ता अनिल चारण पुत्र श्री अमरलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 3129/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनके पास भिन्न–भिन्न अवधि के कोविड एवं नॉन कोविड अनुभव प्रमाण पत्र होने के उपरान्त भी उन्हें दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया तथा उनका दस्तावेज सत्यापन करवाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया जाये। उनके द्वारा सीएमएचओ कोटा द्वारा दिनांक 01.07.2017 से 30.10.2019 तक 650 दिवस का एमएमवी जीएनएम संविदा, दिनांक 18.11.2021 से 31.03.2022 तक 133 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गयी है । उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.210 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकतर्ता द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र अब स्वीकार करना संभव नहीं होगा। यदि इस प्रमाणपत्र को गणना में सम्मिलित कर लिया जाये तब भी इनके प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन में इनकी श्रेणी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम ही रहेंगे।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.210 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकतर्ता द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र अब स्वीकार करना संभव नहीं होगा। यदि इस प्रमाणपत्र को गणना में सम्मिलित कर लिया जाये तब भी इनके प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन में इनकी श्रेणी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम ही रहेंगे। अतः याचिकाकर्ता श्री अनिल चारण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
182	387	Mohd. Tarif Khan	NO195792	याचिकाकर्ता मोहम्मद तारीफ खान पुत्र श्री मोहम्मद फारूख द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14932/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक नहीं दिये गये है। अतः नियमानुसार कार्यवाही करें। उनके द्वारा दिनांक 18.11.2021 से 31.03.2022 तक 134 दिवस का सीएचए पद का एवं 12.07.2016 से 13.09.2017 तक 428 दिवस का जीएनएम आरएमआरएस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 12.07.2016 से 13.09.2017 तक 428 दिवस एवं दिनांक 18.11.2021 से 31.03.2022 तक 134 दिवस कुल 568 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर नियमानुसार याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.960 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 12.07.2016 से 13.09.2017 तक 428 दिवस एवं दिनांक 18.11.2021 से 31.03.2022 तक 134 दिवस कुल 568 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर नियमानुसार याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.960 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री मोहम्मद तारीफ खान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
183	388	Priyanka Azad	NO168262	याचिकाकर्ता प्रियंका आजाद पुत्री श्री अशोक कुमार द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14922/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के कम में अभ्यावदेन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि परिवेदना प्रस्तुत करने के उपरान्त भी उन्हें मेरिट लिस्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी मे आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव के विवरण में 250 दिवस का अनुभव होना दर्शाया किन्तु कोविड अवधि में कार्य किया होने के सम्बन्ध में प्रविष्ठी 'नो' दर्शायी गई जिसके कारण कोविड अवधि का अनुभव नहीं होने व एक वर्ष से कम अनुभव होने के कारण इन्हे नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया। फलस्वरूप अनुसूचित जाति श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक रह जाने के कारण याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था जिसका लाभ याचिकाकर्ता द्वारा नहीं उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा माना गया कि याचिकाकर्ता को यह एहसास होने पर कि उसका चयन श्रेणी परिवर्तन होने पर हो सकता है, उसने न्यायालय की शरण ली एवं याचिकाकर्ता की मांग को इस आधार पर खारिज किया कि ऐसा किये जाने से उन लोगो के साथ न्याय नही होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भरे गये डाटा में की गई त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहे है। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा इसका लाभ नही उठाया गया। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रितो की सूची में चयन नही हो पाने के लिये याचिकाकर्ता स्वयं जिम्मेदार है। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः याचिकाकर्ता सुश्री प्रियंका आजाद द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
184	389	AJAYPAL SINGH CHAMPAWAT	NO153460	याचिकाकर्ता अजयपाल सिंह चम्पावत पुत्र श्री मानसिंह चम्पावत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 6900/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम दिनांक तक नहीं मानकर आवेदन शुरू करने की दिनांक को माना जा रहा है जिसके कारण उसके कुछ दिनों की अवधि के फलस्वरूप उसे सम्पूर्ण वर्ष के अनुभव से वंचित होना पड़ रहा है। अतः उसके बोनस अंक दिनांक 04.05.2023 के स्थान पर 04.06.2023 तक करते हुए चयन सूची में सम्मलित करने हेतु निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.740 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनवाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या 1333/2020 सुरेश कुमार रोज बनाम सरकार,में माननीय न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए आवेदम पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.740 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनवाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री अजय पाल सिंह चम्पावत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कार निस्तारित किया जाता है।
185	390	Surendra Meena	NO204481	याचिकाकर्ता सुरेन्द्र मीना पुत्र श्री मेघराज मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14585/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 की प्रति मात्र संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.700 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.700 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री सुरेन्द्र मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
186	391	Bhola Ram Meena	NO198423	याचिकाकर्ता भोलाराम मीना पुत्र श्री रामफल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14585/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 की प्रति मात्र संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.480 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.480 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री भोलाराम मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
187	392	Lekh Raj Sharma	NO169325	याचिकाकर्ता लखराज शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14585/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 की प्रति मात्र संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.380 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.380 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः अभ्यर्थी श्री लेखराज शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
188	393	Deshraj Meena	NO140495	याचिकाकर्ता देशराज मीना पुत्र श्री कैलाश चन्द मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14585/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 की प्रति मात्र संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.840 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.840 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री देशराज मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
189	394	Ashok Kumar Bairwa	NO140257	याचिकाकर्ता अशोक कुमार बैरवा पुत्र श्री गोरिया राम बैरवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14585/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 की प्रति मात्र संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.320 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.320 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री अशोक कुमार बैरवा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
190	395	Pavan Chouhan	NO155891	याचिकाकर्ता पवन चौहान पुत्र श्री राधेश्याम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14327/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। याचिका संख्या 14327/2023 के क्रम में अभ्यावेदन दिया है जिसमें इसका नाम नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी मे आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव के विवरण में 494 दिवस का अनुभव होना दर्शाया किन्तु कोविड अवधि में कार्य किया होने के सम्बन्ध में प्रविष्टी 'नो' दर्शायी गई जिसके कारण कोविड अवधि का अनुभव नहीं होने व एक वर्ष से कम अनुभव अनुभव होने के कारण इन्हे नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया। फलस्वरूप अनुसूचित जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक रह जाने के कारण याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था जिसका लाभ याचिकाकर्ता द्वारा नही उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।	याचिकाकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी मे आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव के विवरण में 494 दिवस का अनुभव होना दर्शाया किन्तु कोविड अवधि में कार्य किया होने के सम्बन्ध में प्रविष्टी 'नो' दर्शायी गई जिसके कारण कोविड अवधि का अनुभव नहीं होने व एक वर्ष से कम अनुभव अनुभव होने के कारण इन्हे नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया। फलस्वरूप अनुसूचित जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक रह जाने के कारण याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी होने के उपरान्त त्रुटि सुधार हेतु मांगी गई परिवेदनाओं सहित 2 बार अवसर था जिसका लाभ याचिकाकर्ता द्वारा नही उठाया गया। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
191	396	Mukesh Kumar Samariya	NO135777	याचिकाकर्ता मुकेश सामरिया पुत्र श्री कृष्णगोपाल सामरिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14327/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। याचिका संख्या 14327/2023 के कम में अभ्यावेदन दिया है जिसमें इसका नाम नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.360 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.360 बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.240 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। अतः श्री मुकेश कुमार सामरिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
192	397	Dharmendra Kumar Joshi	NO191818	याचिकाकर्ता धर्मेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री भगवती प्रसाद जोशी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15381/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। अनुभव अवधि दिनांक 20.07.2021 से 31.03.2022 तक 253 दिवस का सीएचए पद का एवं दिनांक 14.05.2011 से 31.08.2012 तक 471 दिवस की ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ द्वारा ईएमटी पद का दिनांक 14.05.2011 से 31.08.2012 तक 471 दिवस एवं दिनांक 20.07.2021 से 31.03.2022 तक 253 दिवस का सीएचए पद का कुल 724 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60. 550 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ द्वारा ईएमटी पद का दिनांक 14.05.2011 से 31.08.2012 तक 471 दिवस एवं दिनांक 20.07.2021 से 31.03.2022 तक 253 दिवस का सीएचए पद का कुल 724 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.550 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार जोशी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
193	398	Hariom Sharma	NO192182	याचिकाकर्ता हरीओम शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14312/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 की प्रति संलग्न कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता द्वारा पूर्ण कार्यदिवस पर उपस्थित होने के बाद भी जीवीकेईएमआरई राजस्थान द्वारा कम कार्य दिवस का कार्यअनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से अवगत कराकर अनुभव दिनों की सही गणना के उपरान्त पूर्ण बोनस अंक जोड़कर भर्ती प्रकिया मे सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है। उसके द्वारा दिनांक 28.03.2020 से 30.11.2021 तक 531 दिवस का तथा दिनांक 01.12.2021 से 30.04.2023 तक 501 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र सीएमएचओ टोंक द्वारा मई 2023 में जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.750 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.750 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आमन्त्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.900 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकता श्री हरिओम शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
194	399	Banwari Lal Meena	NO152780	याचिकाकर्ता बनवारी लाल मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14966/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे जारी अनुभव प्रमाण पत्र में दिवसों की संख्या 1094 अंकित है जबकि यह 1098 होनी चाहिए। उसके ड्यूटी के दौरान कोविड पॉजिटव हो जाने के कारण दिनांक की संख्या कम रह गयी है। याचिकाकर्ता द्वार ईएमटी पद के दिनांक 22.04.2020 से 30.11.2021 तक 579 दिवस जोकि दिनांक 24.05.2023 को जारी किया गया है एवं दिनांक 01.12.2021 से 04.05.2023 तक 511 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र जोकि सीएमएचओ सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 24.05.2023 को जारी किया गया है एवं दिनांक 01.12.2021 से 04.05.2023 तक 515 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र जोकि दिनांक 09.06.2023 को जारी किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.680 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 20 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 61.680 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.110 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री बनवारी लाल मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
195	400	SHER SINGH	NO102305	याचिकाकर्ता शेर सिंह पुत्र श्री मूला राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14987/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता को जारी अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 23.05.2023 के अनुसार अनुभव अवधि दिनांक 01.01.2020 से 04.05.2023 तक कुल अवधि 3 वर्ष 4 माह 4 दिन के सम्पूर्ण 30 बोनस अंक प्रदान करने तथा दस्तावेज सत्यापन समिति द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 01.01.2020 से 03.06.2020 क अनुभव अवधि को घटाने का निर्णय को निरस्त कर याचिकाकर्ता को 20 बोनस अंक के स्थान पर 30 बोनस अंक प्रदान कर याचिकाकर्ता का नाम अंतरिम वरीयता सूची में शामिल करने तथा याचिकाकर्ता का नाम अगर अंतिम वरीयता सूची में आता है तो याचिकाकर्ता को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 01.01.2020 से 04.05.2023 तक कुल 1220 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा आरएनसी द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार का राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन 03.06.2020 को हुआ है जिसके आधार पर पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नही किया गया। माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में निर्णय पारित कर पंजीयन से पूर्व की संविदा अवधि के आधार पर बोनस अंको की मांग को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार अभ्यर्थी को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त 69.428 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 01.01.2020 से 04.05.2023 तक कुल 1220 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा आरएनसी द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार का राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन 03.06.2020 को हुआ है जिसके आधार पर पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नही किया गया। इस प्रकार अभ्यर्थी को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त 69.428 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री शेर सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
196	401	SANJU BALA	NO107765	याचिकाकर्ता सन्जु बाला पुत्री श्री सत्यवीर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18685/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2023 की प्रति प्रस्तुत की है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं हैं। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं हैं। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता सुश्री संजू बाला द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
197	402	SEEMA LODHA	NO199349	याचिकाकर्ता सीमा लोधा पुत्री श्री तेजमल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17247/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें अकारण ही अनुभव का लाभ नहीं दियेा गया है। जबकि याचिकाकर्ता को अनुभव प्रनाण पत्र मिला हुआ है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में याचिकाकर्ता का नाम अंतरिम वरीयता सूची में शामिल करते हुये जोईनिंग दिलवाने बाबत निवेदन किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड द्वारा 01.06.2016 से 31.08.2019 तक का 1183 दिवस एएनएम के पद पर प्रा. स्वा. केन्द्र मालता पर एएनएम/एलएचवी के कार्य का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दियें जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एएनएम/एलएचवी के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड द्वारा 01.06.2016 से 31.08.2019 तक का 1183 दिवस एएनएन के पद पर प्रा. स्वा. केन्द्र भालता पर एएनएन/एलएचवी के कार्य का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एएनएम/एलएचवी के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री सीमा लोढ़ा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
198	403	SATISH CHANDRA AMETA	NO200775	याचिकाकर्ता सतीश चन्द्र आमेटा पुत्र श्री नैनालाल आमेटा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17247/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें अकारण ही अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता ने सरकारी चिकित्सालय संस्थान पीपीपी मोड राजसमंद जिले नें कुल 1553 दिवस कार्य किया का अनुभव बताया है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में याचिकाकर्ता का नाम अंतरिम वरीयता सूची में शामिल करते हुये जोईनिंग दिलवाने बाबत निवेदन किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा 28.09.2017 से 30.00.2019 तक 580 दिवस का एएनएम के पद पर प्रा. स्वा. केन्द्र वरदडा पर एएनएम के जॉब चार्ट अनुसार कार्य का जारी अनुभव प्रनाणपत्र संलग्न किया है। जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एएनएम के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। शेष संलग्न अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा चुका है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा 28.09.2017 से 30.00.2019 तक 580 दिवस का एएनएम के पद पर प्रा. स्वा. केन्द्र वरदडा पर एएनएम के जॉब चार्ट अनुसार कार्य का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एएनएम के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। शेष संलग्न अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा चुका है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री सतीश चन्द्र आमेटा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
199	404	VIKAS BHATI	NO149716	याचिकाकर्ता विकास भाटी पुत्र श्री सूर्यप्रकाश भाटी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17693/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजकीय बांगड चिकित्सालय पाली में एनआरएचएम योजना में नवजात शिशु इकाई में नर्सिंग टयूटर पद पर कार्यरत होने के कारण बोनस अंक नहीं दिये गये है । अतः प्रार्थीगण के अनुभव प्रमाण पत्र के बोनस अंक की पुनः गणना कर अंक निर्धारण कर अन्तिम वरियता सूची में सम्मिलित कर नियुक्ति दी जाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली द्वारा जारी नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नही होने से अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नही है। समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। समान आधार पर रिट याचिका संख्या 9170/2023 राकेश यादव बनाम सरकार को भी माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। डीबी याचिका सं 63/2022 सविता मानमिया बनाम सरकार में पारित निर्णय पर माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली द्वारा जारी नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नही होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नही है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। नर्सिंग ट्यूटर के कार्य हेतु बोनस अंकों की मांग सम्बन्धी याचिकाओं को पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री विकास भाटी द्वारा प्रस्तुत अभ्योवदन,अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
200	405	RAJESH BHATI	NO148434	याचिकाकर्ता राजेश भाटी पुत्र श्री सूर्यप्रकाश भाटी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17693/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजकीय बांगड चिकित्सालय पाली में एनआरएचएम योजना में नवजात शिशु इकाई में नर्सिंग ट्यूटर पद पर कार्यरत होने के कारण बोनस अंक नहीं दिये गये है । अतः प्रार्थीगण के अनुभव प्रमाण पत्र के बोनस अंक की पुनः गणना कर अंक निर्धारण कर अन्तिम वरियता सूची में सम्मिलित कर नियुक्ति दी जाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अधीक्षक, बांगड चिकित्सालय पाली द्वारा जारी नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नही होने से अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नही है। समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। समान आधार पर रिट याचिका संख्या 9170/2023 राकेश यादव बनाम सरकार को भी माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। डीबी याचिका सं 63/2022 सविता मानमिया बनाम सरकार में पारित निर्णय पर माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अधीक्षक, बांगड चिकित्सालय पाली द्वारा जारी नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीतया सूची में चयन नहीं किया गया। नर्सिंग ट्यूटर के कार्य हेतु बोनस अंकों की मांग सम्बन्धी याचिकाओं को पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री राजेश भाटी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
201	406	Dinesh Singh Gurjar	NO161041	याचिकाकर्ता दिनेश सिंह गुर्जर पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17211/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम/एचआरडी/2016/780 दिनांक 05.08.2016 द्वारा दक्षता मेंटर (मेटरनल हैल्थ) के पद पर नियुक्ति दी गयी। इनके द्वारा दक्षता मेंटर के रूप में लेबर रूम में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को क्लीनिकल प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन देने का कार्य किया गया एवं परियोजना निदेशक, एनएचएम द्वारा इनकी योग्यता के समकक्ष बीएएमएस एवं बीएचएमएस डिग्री धारको को आयुर्वेद/होम्योपैथिक चिकित्सकों के कार्य के समान कार्य माने जाने हेतु शासन उप सचिव, आयुष विभाग को पत्र दिनांक 27.06.2023 द्वारा सूचित किया गया है। अतः इन्हे समरूप कार्य के आधार पर दिनांक 01.08.2018 से 04.05.2023 तक 1738 दिवस का अनुभव का लाभ दिया जाकर बोनस अंक देते हुए मेरिट सूची में यथा स्थान सम्मिलित किया जाये	याचिकाकर्ता द्वारा दक्षता मेंटर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का दक्षता मेंटर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा दक्षता मेंटर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का दक्षता मेंटर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री दिनेश सिंह गुर्जर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
202	407	Mohd. Irshad Mirza	NO205136	याचिकाकर्ता श्री मोहम्मद इरशाद मिर्जा पुत्र श्री मोहम्मद उस्मान मिर्जा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17211/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम/एचआरडी/2018/1307 दिनांक 27.08.2018 द्वारा दक्षता मेंटर (मेटरनल हैल्थ) के पद पर नियुक्ति दी गयी। इनके द्वारा दक्षता मेंटर के रूप में लेबर रूम में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को क्लीनिकल प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन देने का कार्य किया गया एवं परियोजना निदेशक, एनएचएम द्वारा इनकी योग्यता के समकक्ष बीएएमएस एवं बीएचएमएस डिग्री धारको को आयुर्वेद/होम्योपैथिक चिकित्सकों के कार्य के समान कार्य माने जाने हेतु शासन उप सचिव, आयुष विभाग को पत्र दिनांक 27.06.2023 द्वारा सूचित किया गया है। अतः इन्हे समरूप कार्य के आधार पर दिनांक 29.08.2018 से 19.07.2021 तक 1056 दिवस का अनुभव का लाभ दिया जाकर बोनस अंक देते हुए मेरिट सूची में यथा स्थान सम्मिलित किया जाये।	याचिकाकर्ता द्वारा दक्षता मेंटर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरुप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का दक्षता मेंटर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा दक्षता मेंटर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का दक्षता मेंटर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री मोहम्मद ईरशाद मिर्जा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
203	408	Mithlesh Joshi	NO206438	याचिकाकर्ता मिथलेश जोशी पुत्र श्री जगदीश चन्द्र जोशी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17211/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम/एचआरडी/2018/1307 दिनांक 27.08.2018 द्वारा दक्षता मेंटर (मेटरनल हैल्थ) के पद पर नियुक्ति दी गयी। इनके द्वारा दक्षता मेंटर के रूप में लेबर रूम में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को क्लीनिकल प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन देने का कार्य किया गया एवं परियोजना निदेशक, एनएचएम द्वारा इनकी योग्यता के समकक्ष बीएएमएस एवं बीएचएमएस डिग्री धारको को आयुर्वेद/होम्योपैथिक चिकित्सकों के कार्य के समान कार्य माने जाने हेतु शासन उप सचिव, आयुष विभाग को पत्र दिनांक 27.06.2023 द्वारा सूचित किया गया है। अतः इन्हे समरूप कार्य के आधार पर दिनांक 05.09.2018 से 31.03.2020 तक 572 दिवस एवं दिनांक 01.04.2020 से 30.04.2023 तक 1125 दिवस कुल 1697 दिवस का अनुभव का लाभ दिया जाकर बोनस अंक देते हुए मेरिट सूची में यथा स्थान सम्मिलित किया जाये।	याचिकाकर्ता द्वारा दक्षता मेंटर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का दक्षता मेंटर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा दक्षता मेंटर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का दक्षता मेंटर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री मिथलेश जोशी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
204	409	Brahmadev Gautam	NO120068	याचिकाकर्ता ब्रम्हदेव गौतम पुत्र श्री हेम प्रकाश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17211/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिन वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम/एचआरडी/2018/1307 दिनांक 27.08.2018 द्वारा दक्षता मेंटर (मेटरनल हैल्थ) के पद पर नियुक्ति दी गयी। इनके द्वारा दक्षता मेंटर के रूप में लेबर रूम में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को क्लीनिकल प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन देने का कार्य किया गया एवं परियोजना निदेशक, एनएचएम द्वारा इनकी योग्यता के समकक्ष बीएएमएस एवं बीएचएमएस डिग्री धारको को आयुर्वेद/होम्योपैथिक चिकित्सकों के कार्य के समान कार्य माने जाने हेतु शासन उप सचिव, आयुष विभाग को पत्र दिनांक 27.06.2023 द्वारा सूचित किया गया है। अतः इन्हे समरूप कार्य के आधार पर दिनांक 28.08.2018 से 30.04.2023 तक 1682 दिवस का अनुभव का लाभ दिया जाकर बोनस अंक देते हुए मेरिट सूची में यथा स्थान सम्मिलित किया जाये।	याचिकाकर्ता द्वारा दक्षता मेंटर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का दक्षता मेंटर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा दक्षता मेंटर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का दक्षता मेंटर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री ब्रह्मदेव गौतम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
205	410	Dharmendra Chawla	NO196918	याचिकाकर्ता धर्मेन्द चावला पुत्र श्री गजानन्द चावला ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 8418/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में अंतिम वरियता सूची में नाम जुडवाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यावेदन के साथ उसके द्वारा दिनांक 01.12.2016 से 04.05.2023 तक कुल 2346 दिवस का कांउसलर (एनपीसीडीसीएस) पद पर किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा काउन्सलर एनपीसीडीसीएस पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का काउन्सलर एनपीसीडीसीएस के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा काउन्सलर एनपीसीडीसीएस पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का काउन्सलर एनपीसीडीसीएस के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता धमेन्द्र चावला द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
206	411	Seema	NO110219	याचिकाकर्ता सीमा पुत्री श्री रानकिशन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूइसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 18.05.2021 से 19.09.2021 तक 125 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 14.02.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर प्रथम द्वारा 125 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 14.02.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर प्रथम द्वारा 125 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता सुश्री सीमा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
207	412	Abhishek Sharma	NO173489	याचिकाकर्ता अभिषेक शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18397/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर पद के अनुभव की गणना नहीं की गयी है जबकि संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थियों को हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर पद के अनुभव के आधार पर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। सूची में अंकित कमांक 1366, 1422, 2053, 2120, 2710, 455 तथा 2477 है। उसके द्वारा दिनांक 01.01.2012 से 31.03.2015 तक 1146 दिवस का 104 हैल्थ एडवाईजरी सर्विस पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री अभिषेक शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.-	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
208	413	Nasreen Behlim	NO141646	याचिकाकर्ता नसरीन बहलिम पुत्री श्री शफी मोहम्मद ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19490/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वे विगत कई वर्षो से एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में सेवारत है जिस हेतु उन्हें बोनस अंक प्रदान किये जाकर भर्ती प्रकिया में शामिल किया जाये। उनके द्वारा इस भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुना मध्यप्रदेश द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुना मध्यप्रदेश द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्त्ता सुश्री नसरीन बहलीम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
209	414	Priyanka Choudhary	NO144825	याचिकाकर्ता प्रियंका चौधरी पुत्री श्री पोखरमल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19352/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 की प्रति संलग्न कर अनुरोध किया है कि उनके मेरिट में होने के उपरान्त भी उन्हें अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि क्रम संख्या 2693 पर पुष्पा कुमावत को उनसे कम अंक होने पर भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा अधीक्षक, श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर द्वारा डायलिसिस नर्स कम टैक्नीशियन पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। मरीज का डायलिसिस एक चिकित्सीय प्रकिया है जो डायलिसिस टैक्नीशियन द्वारा संपादित कराई जानी होती है। यह कार्य नर्सिंग ऑफिसर के जॉब चार्ट में नहीं है। अतः विभाग में डायलिसिस नर्स नामक कोई पद नियमों में नहीं है। यदि किसी नर्सिंग डिग्रीधारी व्यक्ति को डायलिसिस टैक्नीशियन के कार्य संपादन हेतु रख लिया जाता है तो इससे वह बोनस प्राप्ति का हकदार नहीं हो जाता। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। रिट याचिका संख्या 1669/2021 नरेन्द्र बरवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने पदनाम के स्थान पर संपादित कार्य को बोनस अंकों की देयता का अधार माना है। अतः डायलिसिस टैक्नीशियन का कार्य किसी नर्स द्वारा संपादित किया जाना नार्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान कार्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यथी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा अधीक्षक, श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर द्वारा डायलिसिस नर्स कम टैक्नीशियन पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। मरीज का डायलिसिस एक चिकित्सीय प्रकिया है जो डायलिसिस टैक्नीशियन द्वारा संपादित कराई जानी होती है। यह कार्य नर्सिंग ऑफिसर के जॉब चार्ट में नहीं है। अतः विभाग में डायलिसिस नर्स नामक कोई पद नियमों में नहीं है। यदि किसी नर्सिंग डिग्रीधारी व्यक्ति को डायलिसिस टैक्नीशियन के कार्य संपादन हेतु रख लिया जाता है तो इससे वह बोनस प्राप्ति का हकदार नहीं हो जाता। अतः डायलिसिस टैक्नीशियन का कार्य किसी नर्स द्वारा संपादित किया जाना नार्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान कार्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यथी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता सुश्री प्रियंका चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
210	415	Jainab Ansari	NO163439	याचिकाकर्ता जैनब अंसारी पुत्री श्री लियाकत अली ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19490/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वे विगत कई वर्षो से एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में सेवारत है जिस हेतु उन्हें बोनस अंक प्रदान किये जाकर भर्ती प्रकिया में शामिल किया जाये। उनके द्वारा इस भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीमच मध्यप्रदेश द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीमच मध्यप्रदेश द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता सुश्री जैनम अंसारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
211	416	Boby Nai	NO147188	याचिकाकर्ता बॉबी नाई पुत्री श्री जगदीश प्रसाद नाई ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19317/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे कुल औसत प्राप्तांक ओबीसी-एनसीएल महिला वर्ग की अंतिम कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाणपत्र ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजाखेडा/धौलपुर द्वारा वर्ष 2018 का जारी किया हुआ है जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाणपत्र ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजाखेडा/धौलपुर द्वारा वर्ष 2018 का जारी किया हुआ है जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में बोनस अंकों की मांग के प्रकरणों को पूर्व में खारिज किया जा चुका है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री बॉबी नाई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
212	417	Jitendra Kumar Chouhan	NO154311	याचिकाकर्ता जितेन्द्र कुमार चौहान पुत्र श्री मोहन लाल चौहान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19490/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वे विगत कई वर्षो से एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में सेवारत है जिस हेतु उन्हें बोनस अंक प्रदान किये जाकर भर्ती प्रकिया में शामिल किया जाये। उनके द्वारा इस भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरमालवा मध्यप्रदेश द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरमालवा मध्यप्रदेश द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार चौहान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
213	418	Rekha Rani Sharma	NO116683	याचिकाकर्ता रेखा रानी शर्मा पुत्री श्री नगेन्द्र प्रसाद शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18442/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07. 10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नान नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। प्रार्थिया के अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सत्यापित नहीं होने के कारण उसे अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है जोकि देते हुए अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करे। माननीय न्यायालय के आदेश के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मैनेजर कृस्ना डायग्नोस्टिक द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का हैं एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। रिट याचिका संख्या 100/2016 हितेन्द्र भाकर बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा नियमों में उल्लेखितानुसार राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में कार्यरत नही होने के कारण बोनस अंको की मांग को खारिज किया जा चुका है। अतः याचिकाकर्ता को नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनके प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलइन आवेदन के साथ मैनेजर कृस्ना डायग्नोस्टिक द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04. 2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। याचिकाकर्ता द्वारा नियमों में उल्लेखितानुसार राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में कार्यरत नही होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनके प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता सुश्री रेखारानी शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
214	419	Prem	NO116981	याचिकाकर्ता प्रेम पुत्री श्री भंवरलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18511/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनके कटऑफ स अधिक अंक होने के उपरान्त भी उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किये जाने के कारण उन्हें अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया है। उनके द्वारा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी शहरी प्राथनिक स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नंबर 18 महाराणा प्रताप मार्ग, जयपुर द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पर दिनांक 06.10.2021 से 31.12.2022 तक 177 दिवस कार्य करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महारणा प्रताप मार्ग, जयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं है। अतः मान्य नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों रिट याचिका 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. यचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द महारणा प्रताप मार्ग, जयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं है। अतः इस कारण से इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में बोनस अंकों की मांग के प्रकरणों को पूर्व में खारिज किया जा चुका है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री प्रेम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
215	420	Pooja Kadwa	NO201901	याचिकाकर्ता पूजा कड़वा पुत्र श्री जगदीश कड़वा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17090/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि FRHSI में कार्यरत हाने के कारण उन्हें अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया जबकि उनके साथ उनके साथ एफआरएचएसआई (FRHSI) में कार्यरत अन्य कार्मिको को बोनस अंको का लाभ देकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है जिसमें कम संख्या 1493,2434,5030,1997,4312 अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित है एवं एप्लीकेशन आईडी 186777,196651,148158,202772,181124 का परिणाम रोका गया है। मेरे द्वारा विभाग के पार्टल पर परिवेदना भी प्रस्तुत की गयी है।	याचिकाकर्ता का अनुभव एफ.आर.एच.एस. का है जो एक निजी संस्थान है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 के अनुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों व उल्लेखित कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। याचिकाकर्ता न तो राज्य सरकार से वित्त पोषित संविदा कार्मिक है न ही वह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहा है। रिट याचिका संख्या 19290/2022 जोगेश सिंह चौहान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर क्रमांक 13 दिनांक 04.01.2023 जारी कर निर्णय लिया गया कि एफआरएचएस संस्था में कार्यरत कार्मिको को बोनस अंको का लाभ देय नही है। अतः याचिकाकर्ता बोनस अंकों लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेखित आईडी कमांक वाले अभ्यर्थियों को यदि एफआरएचएस में कार्य के बोनस अंक प्रदान किये गये है तो इस पर अनुभव प्रमाण पत्रो के पुर्नसत्यापन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	याचिकाकर्ता का अनुभव एफ.आर.एच.एस. का है जो एक निजी संस्थान है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 के अनुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों व उल्लेखित कार्यकमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। याचिकाकर्ता न तो राज्य सरकार से वित्त पोषित संविदा कार्मिक है न ही वह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहा है। अतः याचिकाकर्ता बोनस अंकों लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता सुश्री पूजा कड़वा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
216	421	Jogesh Singh Chouhan	NO204283	याचिकाकर्ता जोगेश सिंह चौहान पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह चौहान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 8412/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि FRHSI में कार्यरत हाने के कारण उन्हें अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया जबकि उनके साथ उनके साथ एफआरएचएसआई (FRHSI) में कार्यरत अन्य कार्मिको को बोनस अंको का लाभ देकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है जिसमें कम संख्या 1493,2434,5030,2545,1997,4312,2753 अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित है एवं एप्लीकेशन आईडी 192717,187156,196651,181124,192026 का परिणाम रोका गया है।	याचिकाकर्ता का अनुभव एफ.आर.एच.एस. का है जो एक निजी संस्थान है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 के अनुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों व उल्लेखित कार्यकमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। याचिकाकर्ता न तो राज्य सरकार से वित्त पोषित संविदा कार्मिक है न ही वह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहा है। रिट याचिका संख्या 19290/2022 जोगेश सिंह चौहान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर क्रमांक 13 दिनांक 04.01.2023 जारी कर निर्णय लिया गया कि एफआरएचएस संस्था में कार्यरत कार्मिको को बोनस अंको का लाभ देय नही है। अतः याचिकाकर्ता बोनस अंकों लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेखित आईडी कमांक वाले अभ्यर्थियों को यदि एफआरएचएस में कार्य के बोनस अंक प्रदान किये गये है तो इस पर अनुभव प्रमाण पत्रो के पुर्नसत्यापन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	याचिकाकर्ता का अनुभव एफ.आर.एच.एस. का है जो एक निजी संस्थान है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 के अनुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों व उल्लेखित कार्यकमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। याचिकाकर्ता न तो राज्य सरकार से वित्त पोषित संविदा कार्मिक है न ही वह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहा है। अतः याचिकाकर्ता बोनस अंकों लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री जोगेश सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
217	422	Subhash Chandra Ameta	NO210694	याचिकाकर्ता सुभाष चन्द्र आमेटा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14624/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि FRHSI में कार्यरत हाने के कारण उन्हें अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया जबकि उनके साथ उनके साथ एफआरएचएसआई (FRHSI) में कार्यरत अन्य कार्मिको को बोनस अंको का लाभ देकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है जिसमें कम संख्या 1493,2434,5030,1997,4312,2753 अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ एफआरएचएसआई से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं है और निजी क्षेत्र के हैं। अतः नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। पूर्व में रिट याचिका सं.19290/2022 जोगेश सिंह चौहान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर एफआरएचएसआई के कार्यानुभव के अनुभव प्रमाणपत्र जारी नहीं किये जाने हेतु स्पीकिंग आदेश पारित किया जा चुका है। जिसके अनुसार एफ़आरएचएसआई परिवार कल्याण कार्यकम के क्षेत्रए में कार्यरत एक स्वयंसेवी संस्था है। जिसमें कार्यरत कार्मिक राज्य सरकार के संविदा कार्मिक नहीं हैं। नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ केवल राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों व कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही देय है। अतः एफआरएचएसआई के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं।	याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एफआरएचएसआई से जारी अनुभव प्रमाणपत्र जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं है और निजी क्षेत्र के हैं का नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। मात्र इस आधार पर कि एफआरएचएसआई परिवार कल्याण कार्यक्रम में कार्यरत संस्था है, एफआरएचएसआई के कार्यानुभव के बोनस अंक देय नहीं हैं। यदि किन्ही अभ्यर्थियोंको एफआरएचएसआई के कार्यानुभव के बोनस अंक सहवनवश प्रदान किये गये हैं तो उन्हे भी प्रत्याहरित किये जाने की कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता सुभाष चंद अमेटा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
218	423	Ravindra Kumar	NO159491	याचिकाकर्ता रविन्द्र कुमार पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 9388/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें अनुभव प्रमाण का लाभ नहीं दिया गया है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावें। उनके द्वारा भगतचन्द्र अस्पताल, नई दिल्ली तथा आकाश अस्पताल, नई दिल्ली में कार्य करने के संबंध में दस्तावेज संलग्न किये गये है। साथ में राजस्थान स्टेट कब्बड्डी एसोसिऐशन का वर्ष 2009 का सोवेनियर सर्टिफिकेट संलग्न किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ भगत चन्द्र अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। याचिकाकर्ता द्वारा नियमों में उल्लेखितानुसार राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में कार्यरत नही होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा राजस्थान स्टेट कबड्डी एसोसिएशन द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार मान्य नही है। अतः याचिकाकत्रा को उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटै का लाभ प्रदान नही किया जा सकता है। याचिकाकत्रा के कुल प्राप्तांक प्रतिशत इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ भगत चन्द्र अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। याचिकाकर्ता द्वारा नियमों में उल्लेखितानुसार राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में कार्यरत नही होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा राजस्थान स्टेट कबड्डी एसोसिएशन द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार मान्य नही है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटै का लाभ प्रदान नही किया जा सकता है। याचिकाकत्र्ा के कुल प्राप्तांक प्रतिशत इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
219	424	Taslim Banu Ansari	NO212281	याचिकाकर्ता तसलीम बानू अंसारी पुत्री श्री शफी मोहम्मद ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19490/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वे विगत कई वर्षो से एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में सेवारत है जिस हेतु उन्हें बोनस अंक प्रदान किये जाकर भर्ती प्रकिया में शामिल किया जाये। उनके द्वारा इस भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीमच मध्यप्रदेश द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीमच मध्यप्रदेश द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता सुश्री तस्लीम बानो द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
220	425	Pramod Kumar	NO152046	याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार पुत्र श्री रूप सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12235/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01. 12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनका दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम था किन्तु प्रोविजनल चयन सूची में नाम अंकित नहीं है ना ही कोई जानकारी दी गयी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हे चयन सूची में सम्मिलित करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं केवल आवेदन फार्म की प्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर द्वारा जारी नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अलवर में नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नही होने से अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नही है। समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। समान आधार पर रिट याचिका संख्या 9170/2023 राकेश यादव बनाम सरकार को भी माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। डीबी याचिका सं 63/2022 सविता मानमिया बनाम सरकार में पारित निर्णय पर माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर द्वारा जारी नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अलवर में नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को उनके नर्सिंग ट्यूटर के पद के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीतया सूची में चयन नही किया गया। नर्सिंग ट्यूटर के कार्य हेतु बोनस अंकों की मांग सम्बन्धी याचिकाओं को पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
221	426	Yogesh Kumar Yadav	NO194026	याचिकाकर्ता योगेश कुमार यादव पुत्र श्री हरिसिंह यादव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19363/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनका दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम था किन्तु प्रोविजनल चयन सूची में नाम अंकित नहीं है ना ही कोई जानकारी दी गयी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हे चयन सूची में सम्मिलित करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं केवल आवेदन फार्म की प्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सफदरगंज चिकित्सालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सफदरगंज चिकित्सालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री योगेश कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
222	427	Mahaveer Meghwal	NO183760	याचिकाकर्ता महावीर मेघवाल पुत्र श्री नन्दकिशोर मेघवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 14.05.2021 से 17.09.2021 तक 127 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 401 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 26.01.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा 127 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी द्वारा जारी कुल 397 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 26.01.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा 127 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी द्वारा जारी कुल 397 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
223	428	Vijendra Singh	NO211635	याचिकाकर्ता विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धमेन्द्र कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18958/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01,12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें 30 प्रतिशत बोनस अंक का लाभ नहीं दिया गया है जिस कारण उनका नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। उनके द्वारा अभ्यावेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न नहीं की गयी है वरन सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनांक 25.01.2023 को जारी सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न की गयी है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सफदरगंज चिकित्सालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सफदरगंज चिकित्सालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता विजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
224	429	Rajendra Choudhary	NO152709	याचिकाकर्ता राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री श्रवण लाल चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17598/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनके ओबीसी–एमसीएल में कटऑफ 70.211 प्रतिशत से अधिक 77.21 प्रतिशत अंक होते हुए भी उन्हे प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का हैल्थ एडवाईजरी ऑफ़िसर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री राजेन्द्र चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
225	430	Sonal	NO194210	याचिकाकर्ता सोनल पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18569/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वे दिनांक 24.01.2018 से एनएचएम योजना में नर्सिंग ट्यूटर पद पर कार्यरत है किन्तु उन्हें बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया है। उनके द्वारा दिनांक 24.01.2018 से 24.04.2023 तक का 1917 दिवस का नर्सिंग ट्यूटर पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। अतः प्रार्थीगण के अनुभव प्रमाण पत्र के बोनस अंक की पुनः गणना कर अंक निर्धारण कर अन्तिम वरियता सूची में सम्मिलित कर नियुक्ति दी जाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जारी जिला प्रशिक्षण केन्द्र अमरसर पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। समान आधार पर रिट याचिका संख्या 9170/2023 राकेश यादव बनाम सरकार को भी माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। डीबी याचिका सं 63/2022 सविता मानमिया बनाम सरकार में पारित निर्णय पर माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जारी जिला प्रशिक्षण केन्द्र अमरसर पर नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। नर्सिंग ट्यूटर के कार्य हेतु बोनस अंकों की मांग सम्बन्धी याचिकाओं को पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता सुश्री सोनल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
226	431	Sanjay Khan	NO179592	याचिकाकर्ता संजय खान पुत्र श्री इकबाल हुसैन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16953/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनका दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम था किन्तु प्रोविजनल चयन सूची में नाम अंकित नहीं है ना ही कोई जानकारी दी गयी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हे चयन सूची में सम्मिलित करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं केवल आवेदन फार्म की प्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा टी.बी.एच.वी. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का टी.बी.एच.वी. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा टी.बी.एच.वी. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का टी.बी.एच.वी. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री संजय खान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
227	432	Anup Kumar Chouhan	NO162367	याचिकाकर्ता अनूप कुमार चौहान पुत्र श्री रामसिंह चौहान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16953/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनका दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम था किन्तु प्रोविजनल चयन सूची में नाम अंकित नहीं है ना ही कोई जानकारी दी गयी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हे चयन सूची में सम्मिलित करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं केवल आवेदन फार्म की प्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा टी.बी.एच.वी. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का टी.बी.एच.वी. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा टी.बी.एच.वी. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का टी.बी.एच.वी. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री अनूप कुमार चौहान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
228	433	Manoj Kumar Maurya	NO147085	याचिकाकर्ता मनोज कुमार मौर्य पुत्र श्री देवी सहाय मौर्य ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16953/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनका दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम था किन्तु प्रोविजनल चयन सूची में नाम अंकित नहीं है ना ही कोई जानकारी दी गयी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हे चयन सूची में सम्मिलित करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं केवल आवेदन फार्म की प्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा टी.बी.एच.वी. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का टी.बी.एच.वी. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा टी.बी.एच.वी. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का टी.बी.एच.वी. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री मनोज कुमार मौर्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
229	434	Lokesh Shrimali	NO189122	याचिकाकर्ता लोकेश श्रीमाली पुत्र श्री सुभाष श्रीमाली ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17121/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीबीएचवी पद पर दिनांक 10.03.2019 से 06.03.2021 तक 904 दिवस कार्य किया गया जिसका अनुभव का लाभ उसे नहीं दिया गया। अनुभव की गणना अंतिम दिनांक तक करते हुए वरियता सूची में सम्मिलित करें। उक्त अवधि के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा तीन अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिसमें 7.09.2021 से 31.03.022 तक 202 दिवस व 24.06.2022 से 04.05.2023 तक 300 दिवस कुल 502 दिवस के अनुभव का कोविड अवधि सम्मिलित होने के कारण 15 बोनस अंकों का लाभ दिया जा चुका है। एक अन्य अनुभव प्रमाणपत्र 10.03.2019 से 6.03.2021 तक टी.बी.एच.वी. पद पर कार्य सम्पादन का संलग्न किया है। टी.बी.एच.वी. पद पर इनका कार्य डॉट्स प्रायेवेट, निखय ऑनलाइन व सॅम्पल कलेक्शन दर्शाया गया है जो नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा तीन अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिसमें 7.09.2021 से 31.03.022 तक 202 दिवस व 24.06.2022 से 04.05.2023 तक 300 दिवस कुल 502 दिवस के अनुभव का कोविड अवधि सम्मिलित होने के कारण 15 बोनस अंकों का लाभ दिया जा चुका है। एक अन्य अनुभव प्रमाणपत्र 10.03.2019 से 6.03.2021 तक टी.बी.एच.वी. पद पर कार्य सम्पादन का संलग्न किया है। टी.बी.एच.वी. पद पर इनका कार्य डॉट्स प्रायेवेट, निखय ऑनलाइन व सॅम्पल कलेक्शन दर्शाया गया है जो नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री लोकेश श्रीमाली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। अतः याचिकाकर्ता श्री लोकश श्रीमाली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
230	435	Mahendra Kumar Carpenter	NO173473	याचिकाकर्ता महेन्द्र कुमार कारपेंटर पुत्र श्री नन्दकिशोर कारपेंटर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19020/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनका दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम था किन्तु प्रोविजनल चयन सूची में नान अंकित नहीं है ना ही कोई जानकारी दी गयी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हे चयन सूची में सम्मिलित करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया। उनके द्वारा दिनांक 04.08.2020 से 26.05.2023 तक 1024 दिवस का अन्य राज्य जीएनएम पद का तथा दिनांक 21.11.2013 से 30.12.2015 तक का 741 दिवस का हैल्थ एडवाईजर पद का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य, चिकित्सा अधीक्षक, गौतम बुद्ध नगर, नाऐडा द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा हैल्थ एडवाईजरी सर्विसेज पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य, चिकित्सा अधीक्षक, गौतम बुद्ध नगर, नाऐडा द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा हैल्थ एडवाईजरी सर्विसेज पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री महेन्द्र कुमार कारपेन्टर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
231	436	Dinesh Kumar Garg	NO171879	याचिकाकर्ता दिनेश कुमार गर्ग पुत्र श्री कैलाश चन्द्र गर्ग ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19020/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनका दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम था किन्तु प्रोविजनल चयन सूची में नाम अंकित नहीं है ना ही कोई जानकारी दी गयी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हे चयन सूची में सम्मिलित करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया। उनके द्वारा दिनांक 26.07.2012 से 14.08.2016 तक का 1432 दिवस का हैल्थ एडवाईजर पद का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का हैल्थ एडवाईजरी ऑफिसर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री दिनेश कुमार गर्ग द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
232	437	Ashish Kumar Trivedi	NO159564	याचिकाकर्ता आशीष कुमार त्रिवेदी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19020/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनका दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम था किन्तु प्रोविजनल चयन सूची में नाम अंकित नहीं है ना ही कोई जानकारी दी गयी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हे चयन सूची में सम्मिलित करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया। उनके द्वारा दिनांक 14.03.2009 से 28.02.2010 तक का 288 दिवस का ईएमटी पद का एवं दिनांक 01.11.2011 से 31.10.2014 तक 1043 दिवस का हैल्थ एडवाईजर पद का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जारी 1043 दिवस का ऑनकाल हैल्थ एडवाइजरी सर्विसेज का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। एक अन्य प्रमाण पत्र 288 दिवस का संलग्न किया गया है जो कोविड अवधि का नहीं है व एक वर्ष से कम अवधि का होने के कारण दिनांक 25.04.2023 के परिपत्रानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जारी 1043 दिवस का ऑनकाल हैल्थ एडवाइजरी सर्विसेज का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। एक अन्य प्रमाण पत्र 288 दिवस का संलग्न किया गया है जो कोविड अवधि का नहीं है व एक वर्ष से कम अवधि का होने के कारण दिनांक 25.04.2023 के परिपत्रानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री आशीष कुमार त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
233	438	Suman Kumari Kumawat	NO208710	याचिकाकर्ता सुमन कुमारी कुमावत पुत्री श्री गंगाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17090/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि FRHSI में कार्यरत हाने के कारण उन्हें अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया जबकि उनके साथ उनके साथ एफआरएचएसआई (FRHSI) में कार्यरत अन्य कार्मिको को बोनस अंको का लाभ देकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है जिसमें कम संख्या 1493,2434,5030,1997,4312 अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित है एवं एप्लीकेशन आईडी 186377,196651,148158,202772,181124 का परिणाम रोका गया है। मेरे द्वारा विभाग के पार्टल पर परिवेदना भी प्रस्तुत की गयी है।	याचिकाकर्ता का अनुभव एफ.आर.एच.एस. का है जो एक निजी संस्थान है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 के अनुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों व उल्लेखित कार्यकमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। याचिकाकर्ता न तो राज्य सरकार से वित्त पोषित संविदा कार्मिक है न ही वह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहा है। रिट याचिका संख्या 19290/2022 जोगेश सिंह चौहान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर क्रमांक 13 दिनांक 04.01.2023 जारी कर निर्णय लिया गया कि एफआरएचएस संस्था में कार्यरत कार्मिको को बोनस अंको का लाभ देय नही है। अतः याचिकाकर्ता बोनस अंकों लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेखित आईडी कमांक वाले अभ्यर्थियों को यदि एफआरएचएस में कार्य के बोनस अंक प्रदान किये गये है तो इस पर अनुभव प्रमाण पत्रो के पुर्नसत्यापन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	याचिकाकर्ता का अनुभव एफ.आर.एच.एस. का है जो एक निजी संस्थान है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 के अनुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों व उल्लेखित कार्यकमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। याचिकाकर्ता न तो राज्य सरकार से वित्त पोषित संविदा कार्मिक है न ही वह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहा है। अतः याचिकाकर्ता बोनस अंकों लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता सुश्री सुमन कुमारी कुमावत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
234	439	Kuldeep Sharma	NO158099	याचिकाकर्ता कुलदीप शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 2462/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.02.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आठ वर्ष के अनुभव एवं स्पोटर्स वर्ग का होने के पश्चात् भी चयन सूची मे सम्मिलित नहीं किया गया है। उनके द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पीएमडीटी एवं टीबी एचआईवी समन्वयक पद पर दिनांक 01.10.2014 से 23.11.2022 तक 2975 दिवस कार्य किया गया है प्रार्थी ने सॉफ्टबॉल से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः बोनस अंको एवं खेल कोटे का लाभ देने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा जिला पीएमडीटी एवं टीबी एचआईवी समन्वयक पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का पीएमडीटी एवं टीबी एचआईवी समन्वयक के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो कि इण्डियन औलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नही है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा जिला पीएमडीटी एवं टीबी एचआईवी समन्वयक पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का पीएमडीटी एवं टीबी एचआईवी समन्वयक के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो कि इण्डियन औलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नही है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री कुलदीप शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकर कर निस्तारित किया जाता है।
235	440	Mahaveer Singh Bhayal	NO168943	याचिकाकर्ता महावीर सिंह भायल पुत्र श्री दलपत सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15363/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनको अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। प्रार्थी को दिनांक 11.11.2016 से 23.11.2022 तक 2204 दिवस का सीनियर ट्रिटमेन्ट सुपरवाईजर (एसटीएस) पद का अनुभव है। अतः बोनस अंको का लाभ देकर चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एसटीएस के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एसटीएस के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री महावीर सिंह धायल द्वारा प्रस्तुत अभ्योवदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
236	441	Vikas Songra	NO131978	याचिकाकर्ता विकास सोनगरा पुत्र श्री गंगाराम सोनगरा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15363/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनको अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। प्रार्थी को दिनांक 01.10.2014 से 21.03.2022 तक 2975 दिवस का सीनियर ट्रिटमेन्ट सुपरवाईजर (एसटीएस) पद का अनुभव है। अतः बोनस अंको का लाभ देकर चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एसटीएस के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एसटीएस के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री विकास सोनगरा द्वारा प्रस्तुत अभ्योवदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
237	442	Ram Chandra	NO150385	याचिकाकर्ता रामचन्द्र पुत्र श्री शोमाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15363/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनको अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। प्रार्थी को दिनांक 11.11.2016 से 23.03.2022 तक 2204 दिवस का सीनियर ट्रिटमेन्ट सुपरवाईजर (एसटीएस) पद का अनुभव है। अतः बोनस अंको का लाभ देकर चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एसटीएस के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एसटीएस के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत अभ्योवदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
238	443	Juber Bagwan	NO104307	याचिकाकर्ता जुबेर बगवान पुत्र श्री नसीरूदीन बगवान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17295/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा डायलेसिस नर्स कम टेक्नीशियन के पद पर जिसकी कुल अवधि दिनांक 16.08.2017 से 26.06.2021 तक 3 वष 05 माह 12 दिन पीपीपी मोड पर कार्य किया गया है जिसका बोनस अंक दिलवाने हेतु निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	याचिककर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर द्वारा डायलिसिस नर्स कम टेक्नीशियन पद जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। मरीज का डायलिसिस एक चिकित्सीय प्रकिया है जो डायलिसिस टैक्नीशियन द्वारा संपादित कराई जानी होती है। यह कार्य नर्सिंग ऑफिसर के जॉब चार्ट में नहीं है। अत: विभाग में डायलिसिस नर्स कम टैक्नीशियन नामक कोई पद नियमों में नहीं है। यदि किसी नर्सिंग डिग्रीधारी व्यक्ति को डायलिसिस टैक्नीशियन के कार्य संपादन हेतु रख लिया ज़ाता है तो इससे वह बोनस प्राप्ति का हकदार नहीं हो जाता। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने पदनाम के स्थान पर संपादित कार्य् को बोनस अंकों की देयता का अधार माना है। अत: डायलिसिस टैक्नीशियन का कार्य किसी नर्स द्वारा संपादित किया जाना नार्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान कार्य नहीं माना जा सकता है। बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चय़न नहीं किया गया।	याचिककर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर द्वारा डायलिसिस नर्स कम टेक्नीशियन पद जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। मरीज का डायलिसिस एक चिकित्सीय प्रकिया है जो डायलिसिस टैक्नीशियन द्वारा संपादित कराई जानी होती है। यह कार्य नर्सिंग ऑफिसर के जॉब चार्ट में नहीं है। अत: विभाग में डायलिसिस नर्स कम टैक्नीशियन नामक कोई पद नियमों में नहीं है। यदि किसी नर्सिंग डिग्रीधारी व्यक्ति को डायलिसिस टैक्नीशियन के कार्य संपादन हेतुं रख लिया जाता है तो इससे वह बोनस प्राप्ति का हकदार नहीं हो जाता। अत: डायलिसिस टैक्नीशियन का कार्य किसी नर्स द्वारा संपादित किया जाना नार्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान कार्य नहीं माना जा सकता है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अत: माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री जुबेर बागवान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
239	444	Arun Kumar Pareek	NO203679	याचिकाकर्ता अरूण कुमार पारीक पुत्र श्री जुगल किशोर पारीक ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 8415/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा अनुभव अवधि दिनांक 19.11.2015 से 04.05.2023 तक 2724 दिवस का ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर पद के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ब्लॉक आशा फेसिलिटेटर का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का ब्लॉक आशा फेसिलिटेटर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अतः इन्हे नर्सिंग ऑफिसर के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा ब्लॉक आशा फेसिलिटेटर का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का ब्लॉक आशा फेसिलिटेटर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। अतः इन्हे नर्सिंग ऑफिसर के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रहे है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री अरुण कुमार पारीक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
240	445	Kishor Sharma	NO172104	याचिकाकर्ता किशोर शर्मा पुत्र श्री गणेश नारायण शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17109/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनके ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में कटऑफ 72.236 प्रतिशत से अधिक 79.520 प्रतिशत अंक होते हुए भी उन्हे प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में याचिका संख्या 2110/2023 एवं 1962/2023 में दिनांक 03.02.2023 की पालना में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल में दिनांक 26.10.2010 से 23.11.2022 तक 4412 दिवस का जीएनएम का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 2110/2023 में पारित आदेशों की पालना में जारी किये गये अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र के कार्यानुभव का है जिसका रिकॉर्ड सम्बन्धित जारी कर्ता के पास उपलब्ध नहीं है। निजी क्षेत्र का अनुभव होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरण रिट याचिका संख्या 100/2016 हितेन्द्र भाकर बनाम राज्य सरकार को इसी आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है।	याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 2110/2023 में पारित आदेशों की पालना में जारी किया गया अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र के कार्यानुभव का है जिसका रिकॉर्ड सम्बन्धित जारी कर्ता के पास उपलब्ध नहीं है। निजी क्षेत्र का अनुभव होने के कारण नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अतः याचिकाकर्ता श्री किशोर शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
241	446	Yogesh Kumar	NO124348	याचिकाकर्ता योगेश कुमार पुत्र श्री लालूराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17371/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके पास पर्याप्त अनुभव एवं अंक होने के उपरान्त भी उन्हे अंतरिन चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। उनके द्वारा आवेदन पत्र की प्रति संलग्न की गयी है जिसमें एनएचएम के अन्तर्गत दिल्ली में कार्य करने से अंकन किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ बीवीजे–यूकेएसएएस ईएमएस प्राईवेट लिमिटेड एवं श्रीमती सुचिता कृपलानी अस्पताल से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। रिट याचिका संख्या 100/2016 हितेन्द्र भाकर बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा नियमों में उल्लेखितानुसार राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में कार्यरत नही होने के कारण बोनस अंको की मांग को खारिज किया जा चुका है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को अन्य राज्य का अनुभव होने के कारण राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। अतः याचिकाकर्ता को नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनके प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ बीवीजे–यूकेएसएएस ईएमएस प्राईवेट लिमिटेड एवं श्रीमती सुचिता कृपलानी अस्पताल से जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः याचिकाकर्ता को नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनके प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। अतः याचिकाकर्ता श्री योगश कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
242	447	Shankar Lal Mali	NO179981	याचिकाकर्ता शंकर लाल माली पुत्र श्री प्रहलाद माली ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16987/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनकी कैटेगिरी ओबीसी एनसीएल है किन्तु ई–मित्र की गलती से उनका वर्ग चयन ओबीसी–सीएल हो गया है। अतः वर्ग ओबीसी–सीएल से ओबीसी एनसीएल करने हेतु निवेदन किया है। उनके द्वारा दिनांक 01.10.2013 का जारी ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ईटावा यूपी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ईटावा यूपी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री शंकरलाल माली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
243	448	Vinita Kumari	NO211397	याचिकाकर्ता विनिता कुमारी पुत्री श्री शिवकुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 20194/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके बोनस अंको को जोडे नहीं जाने के कारण उनके द्वारा उक्त याचिका दायर की गयी है। अतः उनके बोनस अंक जोड़ने की कार्यवाही की जाये। अभ्यावेदन के साथ भर्ती वर्ष 2022 जो कि निरस्त की जा चुकी है हेतु दिनांक 17.01.2023 को 562 दिवस का पीपीपी मोड जीएनएम पद के अनुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की है।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 17.01.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 562 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है एवं एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय, पदमपुर झुंझुनू द्वारा जारी किया गया गया है, प्रस्तुत किया है जो कि निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही होने के कारण मान्य नही किया जा सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में /सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में खारिज कर दिया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 17.01.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 562 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है एवं एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय, पदमपुर झुंझुनू द्वारा जारी किया गया गया है, प्रस्तुत किया है जो कि निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही होने के कारण मान्य नही किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता सुश्री विनिता कुमारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
244	449	Pappu Lal Meena	NO128294	याचिकाकर्ता पप्पूलाल मीना पुत्र श्री जोहर्या लाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15638/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा दिनांक 13.04.2006 से सरकारी चिकित्सालय, दीव (केन्द्रशासित प्रदेश) में स्टॉफ नर्स के पद पर कार्यरत है किन्तु उन्हें अनुभव का लाभ नहीं दिया गया। अतः इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए याचिकाकर्ता को सूचित करावें।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संघ प्रदेश दादर एवं नागर हवेली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निरतारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संघ प्रदेश दादर एवं नागर हवेली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री पप्पू लाल मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
245	450	Rakesh Lal Meena	NO126458	याचिकाकर्ता राकेशलाल मीना पुत्र श्री फूलचन्द मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15638/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा दिनांक 13.04.2006 से सरकारी चिकित्सालय, दमन (केन्द्रशासित प्रदेश) में स्टॉफ नर्स के पद पर कार्यरत है किन्तु उन्हें अनुभव का लाभ नहीं दिया गया। अतः इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए याचिकाकर्ता को सूचित करावें।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संघ प्रदेश दादर एवं नागर हवेली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संघ प्रदेश दादर एवं नागर हवेली द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री राकेश लाल मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है
246	451	SATISH CHANDRA AMETA	NO200775	याचिकाकर्ता लक्ष्मण लाल मेघवाल पुत्र श्री स्वरूप लाल मेघवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17247/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 एवं 17603/2023 दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें अकारण ही अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा 02 वर्ष की अवधि में जीएनएम का एवं 02 वर्ष का एएनएम पद का तथा सीएचए पद पर भी कार्य किया है किन्तु अंतरिम चयन सूची में एएनएम एवं सीएचए पद का अनुभव नहीं जोडने से अवगत कराया है। सरकारी चिकित्सालय संस्थान पीपीपी मोड राजसमंद जिले में कुल 1863 दिवस कार्य किया का अनुभव बताया है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में याचिकाकर्ता का नाम अंतरिम वरीयता सूची में शामिल करते हुये जोईनिंग दिलवाने बाबत निवेदन किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा 28.09.2017 से 30.00.2019 तक का एएनएम के पद पर प्रा. स्वा. केन्द्र वरदडा पर एएनएम के जॉब चार्ट अनुसार कार्य का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। शेष संलग्न अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर अभ्यर्थी को 20 बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा चुका है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा 28.09.2017 से 30.00.2019 तक 580 दिवस का एएनएम के पद पर प्रा. स्वा. केन्द्र वरदडा पर एएनएम के जॉब चार्ट अनुसार कार्य का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। शेष 989 दिवस के जीएनएम एवं सीएचए पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर याचिकाकर्ता को 20 बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा चुका है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री सतीश चन्द्र आमेटा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
247	452	Gaurav Sharma	NO143987	याचिकाकर्ता गौरव शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18150/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजकीय चिकित्सालय भरतपुर में एनआरएचएम योजना में नवजात शिशु इकाई में संविदा नर्सिंग टयूटर पद पर कार्यरत होने के कारण बोनस अंक नहीं दिये गये है । अतः प्रार्थीगण के अनुभव प्रमाण पत्र के बोनस अंक की पुनः गणना कर अंक निर्धारण कर अन्तिम वरियता सूची में सम्मिलित कर नियुक्ति दी जाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मेडिकल कॉलेज, भरतपुर द्वारा जारी नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखारान बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। समान आधार पर रिट याचिका संख्या 9170/2023 राकेश यादव बनाम सरकार को भी माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। डीबी याचिका सं 63/2022 सविता मानमिया बनाम सरकार में पारित निर्णय पर माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मेडिकल कॉलेज, भरतपुर द्वारा जारी नर्सिंग ट्यूटर के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नही होने से अनुभव आधारित बोनस अंको का लाभ देय नही है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। नर्सिंग ट्यूटर के कार्य हेतु बोनस अंकों की मांग सम्बन्धी याचिकाओं को पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः याचिकाकर्ता श्री गौरव शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
248	453	Baldev Prasad	NO178513	याचिकाकर्ता श्री बलदेव प्रसाद पुत्र श्री महावीर प्रसाद ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17365/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वे टीबीएचवी संविदा के पद पर धौलपुर में कार्यरत है जिसका अनुभव का लाभ उसे नहीं दिया गया। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नही किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा टी.बी.एच.वी. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का टी.बी.एच.वी. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा टी.बी.एच.वी. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का टी.बी.एच.वी. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री बलदेव प्रसाद द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
249	454	Pooja Nakra	NO145621	याचिकाकर्ता पूजा नकरा पुत्री श्री ईश्वर नकरा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17610/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजकीय चिकित्सालय अलवर में एनआरएचएन योजना में नवजात शिशु इकाई में संविदा नर्सिंग टयूटर पद पर कार्यरत होने के कारण बोनस अंक नहीं दिये गये है जबकि एप्लीकेशन आईडी NO135484 एवं NO196427 का नाम नर्सिंग ट्यूटर पद पर कार्यरत होंन के उपरान्त भी अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित है। उनके द्वारा दिनांक 29.09.2017 को निदेशालय स्तर पर जारी बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न की है। अतः प्रार्थीगण के अनुभव प्रमाण पत्र के बोनस अंक की पुनः गणना कर अंक निर्धारण कर अन्तिम वरियता सूची में सम्मिलित कर नियुक्ति दी जाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर द्वारा नार्सिंग ट्यूटर के पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। समान आधार पर रिट याचिका संख्या 9170/2023 राकेश यादव बनाम सरकार को भी माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। डीबी याचिका सं 63/2022 सविता मानमिया बनाम सरकार में पारित निर्णय पर माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक उनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर द्वारा नार्सिंग ट्यूटर के पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। नर्सिंग ट्यूटर के कार्य हेतु बोनस अंकों की मांग सम्बन्धी याचिकाओं को पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता सुश्री पूजा नकरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
250	455	Danaram	NO148568	याचिकाकर्ता दानाराम पुत्र श्री देवाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17265/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.03.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनके अनुभव प्रमाण पत्र को वैध नहीं माना जाकर बोनस अंक नहीं दिये गये है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बोनस अंक प्रदान करने का श्रम करावें। दिनांक 27.12.2018 को प्रधानाचार्य, आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं हैं। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं हैं। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन नही हुआ।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
251	456	Mintu Kumari	NO145134	याचिकाकर्ता मिन्टु कुमारी पुत्री श्री जितेन्द्र कुमावत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19339/2023 में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2024 में निवेदन किया है कि उनसे कम अंक वाले अभ्यर्थियो का अंतरिम चयन सूची में चयन किया गया है जबकि दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त भी उनका चयन नहीं किया गया। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिककर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर द्वारा डायलिसिस नर्स कम टेक्नीशियन पद जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। मरीज का डायलिसिस एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जो डायलिसिस टैक्नीशियन द्वारा संपादित कराई जानी होती है। यह कार्य नर्सिंग ऑफिसर के जॉब चार्ट में नहीं है। अतः विभाग में डायलिसिस नर्स कम टैक्नीशियन नामक कोई पद नियमों में नहीं है। यदि किसी नर्सिंग डिग्रीधारी व्यक्ति को डायलिसिस टैक्नीशियन के कार्य संपादन हेतु रख लिया जाता है तो इससे वह बोनस प्राप्ति का हकदार नहीं हो जाता। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने पदनाम के स्थान पर संपादित कार्य को बोनस अंकों की देयता का अधार माना है। अतः डायलिसिस टैक्नीशियन का कार्य किसी नर्स द्वारा संपादित किया जाना नार्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान कार्य नहीं माना जा सकता है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	याचिककर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर द्वारा डायलिसिस नर्स कम टेक्नीशियन पद जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। मरीज का डायलिसिस एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जो डायलिसिस टैक्नीशियन द्वारा संपादित कराई जानी होती है। यह कार्य नर्सिंग ऑफिसर के जॉब चार्ट में नहीं है। अतः विभाग में डायलिसिस नर्स कम टैक्नीशियन नामक कोई पद नियमों में नहीं है। यदि किसी नर्सिंग डिग्रीधारी व्यक्ति को डायलिसिस टैक्नीशियन के कार्य संपादन हेतु रख लिया जाता है तो इससे वह बोनस प्राप्ति का हकदार नहीं हो जाता। अतः डायलिसिस टैक्नीशियन का कार्य किसी नर्स द्वारा संपादित किया जाना नार्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान कार्य नहीं माना जा सकता है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम रहने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता सुश्री मिंटू कुमारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
252	457	SANJEEDA BANO	NO209600	याचिकाकर्ता संजीदा बानो पुत्री श्री ईस्माईल खान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 365/2024 में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2024 में निवेदन किया है कि उनसे कम अंक वाले अभ्यर्थियो का अंतरिम चयन सूची में चयन किया गया है जबकि दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त भी उनका चयन नहीं किया गया। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सिविल सर्जन नूह हरियाणा द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सिविल सर्जन नूह हरियाणा द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार.बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता सुश्री संजीदा बानो द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
253	458	BARFEENA Bano	NO208834	याचिकाकर्ता बर्फिना बानो पुत्री श्री समीर खान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 365/2024 में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2024 में निवेदन किया है कि उनसे कम अंक वाले अभ्यर्थियो का अंतरिम चयन सूची में चयन किया गया है जबकि दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त भी उनका चयन नहीं किया गया। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सिविल सर्जन नूह हरियाणा द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सिविल सर्जन नूह हरियाणा द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता सुश्री बर्फीना बानो द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
254	459	Dinesh Kumar	NO146612	याचिकाकर्ता दिनेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 365/2024 में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2024 में निवेदन किया है कि उनसे कम अंक वाले अभ्यर्थियो का अंतरिम चयन सूची में चयन किया गया है जबकि दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त भी उनका चयन नहीं किया गया। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सिविल सर्जन, सिरसा द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक,प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सिविल सर्जन, सिरसा द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री दिनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
255	460	Sitaram	NO122209	याचिकाकर्ता सीताराम पुत्र रणजीत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 365/2024 में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2024 में निवेदन किया है कि उनसे कम अंक वाले अभ्यर्थियो का अंतरिम चयन सूची में चयन किया गया है जबकि दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त भी उनका चयन नहीं किया गया। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सिविल सर्जन फतेहाबाद द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। ऐसे ही समान प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को राज्यपक्ष में निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जा चुका है। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सिविल सर्जन फतेहाबाद द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। अतः नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री सीताराम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
256	461	Santosh Kumari	NO144620	याचिकाकर्ता संतोष कुमारी पुत्री श्री सीताराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17360/2024 में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2024 में निवेदन किया है कि उनके आवेदन में विभागीय नियमों के अनुसार परिपत्रों/अभिलेखो की जांच कर वरियता निर्धारित की जावे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नही है।	याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर द्वारा नर्सिंग ट्यूटर के पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। समान आधार पर रिट याचिका संख्या 9170/2023 राकेश यादव बनाम सरकार को भी माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। डीबी याचिका सं 63/2022 सविता मानमिया बनाम सरकार में पारित निर्णय पर माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर द्वारा नर्सिंग ट्यूटर के पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नर्सिंग ट्यूटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता सुश्री सन्तोष कुमारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
257	462	Shyam Sundar Sharma	NO165079	याचिकाकर्ता श्याम सुदर शर्मा पुत्र श्री यज्ञनारायण शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15528/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2024 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा दिनांक 01.10.2015 से 01.11.2019 तक राजकीय चिकित्सालय किशनगढ़ अजमेर में बिना किसी मानदेय के जीएनएम पद पर निःशुल्क कार्य इस शर्त पर की उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा अनुसार कार्य किया है। उनके द्वारा वर्तमान भर्ती में इस संबंध में प्रभारी राजकीय चिकित्सालय किशनगढ़ अजमेर से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु उनके द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.10.2023 को ऑनलाईन पोर्टल पर परिवेदना भी दर्ज की गयी है किन्तु अभी तक उसे अनुभव प्रमाण पत्र अथवा बोनस अंको का लाभ नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में राजकीय चिकित्सालय किशनगढ़ अजमेर के कार्यालय आदेश 6195 दिनांक 01.10.2015 की छायाप्रति संलग्न की गयी है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड स्वास्थ्य सहायक का 280 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसकें आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक पद्रान किये जा चुके है। शेष टीकाकर्मी पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का काऊन्सलर के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग मे चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड स्वास्थ्य सहायक का 280 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसकें आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक पद्रान किये जा चुके है। शेष टीकाकर्मी पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का टीकाकर्मी के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग मे चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
258	463	Laxmi Savita	NO108865	याचिकाकर्ता लक्ष्मी सविता पुत्री श्री माताप्रसाद ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 839/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनके द्वारा फरवरी 2023 में जारी अनुभव प्रमाण पत्र को वैध नहीं माना जाकर बोनस अंक नहीं दिये गये है जबकि उनके द्वारा दिनांक 07.07.2021 से 31.03.2022 तक 238 दिवस सीएचए पद के रूप में कार्य किया गया है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बोनस अंक प्रदान करने का श्रम करावें।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लालसोट, दौसा द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाम देय नहीं हैं। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट यांचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लालसोट, दौसा द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिन अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता सुश्री लक्ष्मी सविता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निरस्तारित किया जाता है।
259	464	Srichand	NO161565	याचिकाकर्ता श्रीचन्द पुत्र श्री जगमाल राम द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11768/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के कम में अभ्यावदेन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा कुल 1099 दिवस तक संविदाकर्मी के रूप में पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर के रूप में कार्य किया गया किन्तु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एजेन्सी स्तर से भुगतान संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उन्हें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये जिस कारण वे अंतरिम चयन सूची में स्थान बनाने में असफल रहे। दिनांक 14.12.2022 को जारी 31 दिवस एवं 183 दिवस के 02 अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रति एवं निर्धारित प्रपत्र के अतिरिक्त उपस्थिति एवं अनुभव प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गये है की प्रति भी संलग्न की है।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 14.12.2022 का पी.बी.एम. चिकित्सालय बीकानेर द्वारा 183 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है एवं एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य नर्सिंग अधीक्षक, पीबीएम चिकित्सालय, बीकानेर द्वारा जारी किया गया है, प्रस्तुत किया है जो कि निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही होने के कारण मान्य नही किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 14.12.2022 का पी.बी.एम. चिकित्सालय बीकानेर द्वारा 183 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है एवं एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य नर्सिंग अधीक्षक, पीबीएम चिकित्सालय, बीकानेर द्वारा जारी किया गया है, प्रस्तुत किया है जो कि निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही होने के कारण मान्य नही किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता श्री श्रीचन्द द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निरस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
260	465	Anup Sharma	NO209869	याचिकाकर्ता अनूप शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 10802/2023 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 में निवेदन किया है कि दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त भी उनका चयन नहीं किया गया। अतः बोनस अंक जुड़वाने की कृपा करें। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री अनूप शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
261	466	Ashwani Pareek	NO188962	याचिकाकर्ता अश्वनी पारीक पुत्र श्री भगवती प्रसाद पारीक ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 10802/2023 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 में निवेदन किया है कि दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त भी उनका चयन नहीं किया गया। अतः बोनस अंक जुड़वाने की कृपा करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। डीबी याचिका सं 356/2020 सरकार बनाम कुलदीप में माननीय न्यायालय ने सिंगल बैंच के निर्णय को स्थगन प्रदान किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री अश्विनी पारीक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
262	467	Ranjeet Saini	NO188887	याचिकाकर्ता रणजीत सैनी पुत्र श्री टीकूराम सैनी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 10802/2023 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 में निवेदन किया है कि दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त भी उनका चयन नहीं किया गया। अतः बोनस अंक जुड़वाने की कृपा करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री रणजीत सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
263	468	Sunil Kumar Sharma	NO152853	याचिकाकर्ता सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रकाश चन्द शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14437/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 में निवेदन किया है कि दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त भी उनका चयन नहीं किया गया। अतः बोनस अंक जुड़वाने की कृपा करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः याचिकाकर्ता श्री सुनिल कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
264	469	Narendra Kumar	NO186618	याचिकाकर्ता नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगदीश राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17647/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उन्हें एसटीएस पद पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरान्त भी बोनस अंक नहीं दिये जाने के कारण उनका नाम चयन सूची में नहीं है। अतः बोनस अंको का लाभ देकर चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
265	470	Amit VARMA	NO197964	याचिकाकर्ता अमित वर्मा पुत्र श्री छोब सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18029/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उन्हें एसटीएस पद पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरान्त भी बोनस अंक नहीं दिये जाने के कारण उनका नाम चयन सूची में नहीं है। अतः बोनस अंको का लाभ देकर चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री अमित वर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
266	471	Babita Kumari	NO210510	याचिकाकर्ता बबीता कमुारी पुत्री श्री चुकाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18328/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वे दिनांक 23.09.2021 से 27.11.2021 तक 02 माह 05 दिवस अवधि में सीएचए के पद पर कार्यरत थी लेकिन किसी कारणवश अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के कारण अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं की गयी। उनके द्वारा बीसीएमओ मलसीसर झुन्झनूं द्वारा जारी 65 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति लगायी गयी है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 03.02.2023 का खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मलसीसर द्वारा 65 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 03.02.2023 का खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मलसीसर द्वारा 65 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4 2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता सुश्री बबीता कुमारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
267	472	Nitin Kumar Jakhar	NO112198	याचिकाकर्ता किशोर शर्मा पुत्र श्री गणेश नारायण शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17109/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हे प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने निजी अस्पताल हरियाणा राज्य के पीएफ कटौती के दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ सावित्री देवी अस्पताल द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। रिट याचिका संख्या 100/2016 हितेन्द्र भाकर बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा नियमों में उल्लेखितानुसार राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में कार्यरत नही होने के कारण बोनस अंको की मांग को खारिज किया जा चुका है। अतः याचिकाकर्ता को नियमानुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनके प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ सावित्री देवी अस्पताल द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 एवं विज्ञप्ति की शर्तों तथा नियमानुसार नहीं है न ही इनकी सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के चिकित्सा संस्थान में दी गई हैं। याचिकाकर्ता द्वारा नियमों में उल्लेखितानुसार राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में कार्यरत नही होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप इनके प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रहने के कारण चयन नहीं हुआ अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री नितिन कुमार जाखड़ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
268	473	Sandeep Tiwari	NO189855	याचिकाकर्ता संदीप तिवारी पुत्र श्री धन्ना लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14433/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनको अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। प्रार्थी ने आवेदन फार्म में सीनियर ट्रिटमेन्ट सुपरवाईजर (एसटीएस) पद का अनुभव होने से अवगत कराया है। अतः बोनस अंको का लाभ देकर चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। अतः याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री संदीप तिवाड़ी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
269	474	Sunita Kumari	NO186256	याचिकाकर्ता सुनिता कुमारी पुत्री श्री अमर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 11.02.2015 से 09.08.2016 तक 538 दिवस का जीएनएम पीपीपी मोड का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि से पूर्व का 538 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 10 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी 402 दिवस का कोविड अवधि के बाद का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर –उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि से पूर्व का 538 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 10 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी 402 दिवस का कोविड अवधि के बाद का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर –उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। तदनुसार याचिकाकर्ता सुश्री सुनीता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
270	475	LAXMI DEVI	NO166471	याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी पुत्री श्री मदन सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 19.05.2021 से 18.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
271	476	ABHISHEK TAILOR	NO168729	याचिकाकर्ता अभिषेक टेलर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 25.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) तथा 30.03.2022 से 30.04.2023 तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
272	477	GOVIND MALI	NO149032	याचिकाकर्ता गोविन्द माली पुत्र श्री रामस्वरूप माली ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनाक 23.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 19.09.2021 तक सीएचओ तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
273	478	RAVI KUMAR JEENGAR	NO166036	याचिकाकर्ता रवि कुमार जीनगर पुत्र श्री ओक प्रकाश जीनगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14084/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, जोधपुर के क्रमांक 205 दिनाक 24.05.2023 व सीएमएचओ, भीलवाडा के क्रमांक 887 दिनांक 26.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 179 दिवस कोविड अवधि में सीएचए का व 396 दिवस कोविड अवधि के बाद ईएमटी का नर्सिंग ऑफिसर पद के समरूप कार्य के निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंकों का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन उपरान्त नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री रवि कुमार जीनगर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
274	479	PRATISHTHA KHAIR	NO196675	याचिकाकर्ता प्रतिष्ठा खैर पुत्र श्री लादू राम खैर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाड़ा द्वारा दिनाक 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 19.09.2021 तक सीएचओ तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
275	480	SNEHLATA MALI	NO183787	याचिकाकर्ता स्नेहलता माली पुत्री श्री मोहन लाल माली ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाड़ा द्वारा दिनाक 23.05.2023 व 30.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 17.05.2021 से 18.09.2021 तक सीएचओ तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
276	481	SEEMA BISHNOI	NO187101	याचिकाकर्ता सीमा विशनोई पुत्री श्री राम निवास विशनों ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 के दौरान की गई सीएचओ (नर्सिंग ऑफिसर के कार्य) के अनुभव की गणना कर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 1077/27.05.2023 व 96/24.05.2023 संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
277	482	LAXMI BAGELA	NO197333	याचिकाकर्ता लक्ष्मी बघेला पुत्री श्री प्रेम चन्द गुप्ता ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 में रखा गया। ननीति निर्धारण समिति के निर्णय दिमांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। कराया जाना था। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
278	483	Rinkal Banu Chippa	NO170280	याचिकाकर्ता रिंकल बानू छीपा पुत्री श्री कालू मोहम्मद छीपा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिन वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 14.05.2021 से 19.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये है । मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। तदनुसार याचिकाकर्ता रिंकल बानो छीपा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
279	484	Krishan Gopal Meena	NO145217	याचिकाकर्ता कृष्ण गोपाल मीणा पुत्र श्री रणजीत लाल मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त ईएमटी पद का दिनांक 15.11.2019 से 30.04.2021 तक 518 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागोर द्वारा ईएमटी के पद पर कोविड अवधि में द्वारा 518 दिवस का एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा कोविड अवधि का 129 दिवस का सीएचओ पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यो हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरुप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा जारी 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः हैल्थ एंड वैलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण इन्हे बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। याचिकाकर्ता के 129 दिवस के अनुभव को जोडने के उपरान्त भी बोनस अंक समान ही रहेंगे।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर एवं भीलवाड़ा द्वारा कोविड अवधि का सीएचओ पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यो हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा जारी 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता के 129 दिवस के अनुभव को जोडने के उपरान्त भी बोनस अंक समान ही रहेंगे। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
280	485	Saroj Kumari Meena	NO158622	याचिकाकर्ता सरोज कुमारी मीणा पुत्री श्री मोहनलाल मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में.एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
281	486	Amit Dhobi	NO171433	याचिकाकर्ता अमित धोबी पुत्र श्री महावीर धोबी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
282	487	Hemlata Gurjar	NO203724	याचिकाकर्ता हेमलता गुर्जर पुत्री श्री प्रताप सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
283	488	Mamta	NO198323	याचिकाकर्ता ममता पुत्री श्री सत्यवीर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
284	489	Anita Kumari	NO185885	याचिकाकर्ता अनिता कुमारी पुत्री श्री धड़सी राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
285	490	Manisha	NO170418	याचिकाकर्ता मनीषा पुत्री श्री श्रीनिवास ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 21.05.2021 से 18.09.2021 तक 121 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
286	491	Priyanka Bajad	NO173739	याचिकाकर्ता प्रियंका बजाड़ पुत्री श्री दाताराम बजाड़ ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक 127 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03. 2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
287	492	Santosh Meena	NO189794	याचिकाकर्ता संतोष मीणा पुत्री श्री मोरी लाल मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(505)एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 01.04.2022 से 26.05.2022 तक 56 दिवस एवं दिनांक 27.05.2022 से 30.04.2023 तक 339 दिवस जिनका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 15.01.2020 से 20.03.2021 तक कुल 431 दिवस का पीपीपी मोड पर जीएनएम पद पर किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्रं संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 561 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 56 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा द्वारा 339 का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 561 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 56 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा द्वारा 339 का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री सन्तोष मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
288	493	Sanju Meena	NO210005	याचिकाकर्ता संजु मीणा पुत्री श्री लाल चन्द मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
289	494	Harman Singh Meena	NO189875	याचिकाकर्ता हरमान सिंह मीणा पुत्र श्री ओमप्रकाश मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 125 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
290	495	Lalita Prajapat	NO158221	याचिकाकर्ता ललिता प्रजापत पुत्री श्री हनुमान प्रजापत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाक 01.04.2022 से 30.04.2023 तक 395 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का, समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
291	496	Kanchan Kasana	NO171064	याचिकाकर्ता कंचन कसाना पुत्री श्री रोहिताश्व कसाना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये एवं दिनाक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
292	497	Pinky Gurjar	NO184488	याचिकाकर्ता पिंकी गुर्जर पुत्री श्री शीशराम गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 17.05.2021 से 18.09.2021 तक 125 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये एवं दिनाक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
293	498	Satyanarayan Mali	NO175546	याचिकाकर्ता सत्यनारायण माली पुत्र श्री मूलचन्द माली ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
294	499	Parmeshwar Lal Meena	NO164184	याचिकाकर्ता परमेश्वर लाल मीणा पुत्र श्री जयकिशन मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
295	500	Pramod Kumar Meena	NO189044	याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार मीणा पुत्र श्री सोराज मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2020 से 30.04.2021 तक 486 दिवस का एनएचएम जीएनएम संविदा का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया ह जो कि निर्धारित प्रारूप में नहीं होने के कारण स्वीकार्य नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समाम वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त कोविड अवधि के नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। अतः याचिकाकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के आधार पर देय बोनस अंको हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करते हुये याचिकाकर्ता श्री प्रमोद कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
296	501	Salochana Gurjar	NO178629	याचिकाकर्ता सलोचना गुर्जर पुत्री श्री रामकरण सिंह गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है। मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का सनानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद सनिति के निर्णय को नीति निर्धारण सनिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
297	502	Seema Bai Gurjar	NO171906	याचिकाकर्ता सीमा बाई गुर्जर पुत्र श्री शिव हरि सिंह गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 103 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
298	503	Rekha Kumari Sharma	NO168600	याचिकाकर्ता रेखा कुमारी शर्मा पुत्री श्री सांवर लाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूइसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 14.05.2021 से 18.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
299	504	Maya Verma	NO148475	याचिकाकर्ता माया वर्मा पुत्री श्री बद्री लाल वर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूइसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 125 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
300	505	Manju Mali	NO177915	याचिकाकर्ता मंजू माली पुत्री श्री रामचन्द्र माली ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूडसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 15.05.2021 से 18.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
301	506	Soniya Rawat	NO168802	याचिकाकर्ता सोनिया रावत पुत्री श्री गणपत सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूडसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 15.05.2021 से 17.09.2021 तक 124 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
302	507	Mamta Meena	NO161528	याचिकाकर्ता ममता मीणा पुत्री श्री मोतीलाल मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूइसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 14.05.2021 से 19.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
303	508	Pinky Kumari Meena	NO165617	याचिकाकर्ता पिंकी कुमारी मीणा पुत्री श्री फूल सिंह मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूइसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 14.05.2021 से 19.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
304	509	Gargee	NO191625	याचिकाकर्ता गार्गी पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूडसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
305	510	Geeta Ranwa	NO172266	याचिकाकर्ता गीता रणवां पुत्री श्री कन्हैया लाल रणवां ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिमांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूडसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिमांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
306	511	Sonu Kumari	NO152737	याचिकाकर्ता सोनू कुमारी पुत्री श्री रतन लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 25.09.2021 तक 134 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
307	512	Suman Devi	NO192943	याचिकाकर्ता सुमन देवी पुत्री श्री धन्ना राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 1709.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
308	513	Mukta Prasad Gurjar	NO167029	याचिकाकर्ता मुक्ता प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री राम सहाय गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूडीसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है एवं दिनाकं 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
309	514	Seema Meena	NO189091	याचिकाकर्ता सीमा मीणा पुत्र श्री मदन लाल मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूडीसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 113 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है एवं दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2023 तक 395 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
310	515	Lokesh Kumar Meena	NO137722	याचिकाकर्ता लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री पृथ्वीराज मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10. 2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूइसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 126 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
311	516	Uma Shankar Meena	NO180435	याचिकाकर्ता उमाशंकर मीणा पुत्र श्री रामलाल मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023, याचिका संख्या 14083/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 एवं याचिका संख्या 17471/2023 में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचआरडी/भर्ती/2020/1004 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
312	517	Kali Meena	NO161571	याचिकाकर्ता काली मीणा पुत्री श्री जयराम मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूइसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रुपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
313	518	Dinesh Chand Jalwania,	NO176623	याचिकाकर्ता दिनेश चन्द जलवानिया पुत्र श्री हरकरण जलवानिया ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न कर निर्णय दिनांक 08.12.2023 के कम में मूल आवेदन में 02 अनुभव प्रमाण पत्र लगाने के बाद भी चयन सूची में नाम नहीं आने तथा अपना नान अंतरिम चयन सूची मं सम्मिलित कराने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य कोई सूचना अंकित नहीं है, ना ही अन्य कोई दस्तावेज संलग्न किये गय है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर अजमेर द्वारा 815 दिवस का टीकाकर्मी पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रो पर टीकाकरण का कार्य करने का उल्लेख किया गया है। जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरुप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक प्रदान नही किये गये एवं एक अन्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर द्वारा कोविड अवधि में 295 दिवस का कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंको सहित 60.894 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जातिं में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर अजमेर द्वारा 815 दिवस का टीकाकर्मी पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रो पर टीकाकरण का कार्य करने का उल्लेख किया गया है। जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरुप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक प्रदान नही किये गये। एवं एक अन्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर द्वारा कोविड अवधि में 295 दिवस का कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंको सहित 60.894 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता श्री दिनेश चन्द जलवानिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
314	519	SARITA KUMARI	NO197134	याचिकाकर्ता सरिता कुमारी पुत्री श्री बलबीर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूइसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
315	520	Lalita Sihag	NO185422	याचिकाकर्ता ललिता सिहाग पुत्री श्री लालचन्द सिहाग ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17798/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूइसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
316	521	Santosh Ghintala	NO156958	याचिकाकर्ता संतोष घिंटाला पुत्री श्री मालाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ042(504)एनएचएम–एचआरडी/रिक्रूटमेन्ट सीएचओ/1718 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 21.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
317	522	Urmila	NO191970	याचिकाकर्ता उर्मिला पुत्री श्री रामदीन डूडी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
318	523	Sushila Kumari	NO178428	याचिकाकर्ता सुशीला कुमारी पुत्री श्री दुर्गाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूइसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 22.05.2021 से 18.09.2021 तक 120 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
319	524	Kiran Yadav	NO198344	याचिकाकर्ता किरण यादव पुत्री श्री मानसिंह यादव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 24.01.2023 तक 302 दिवस तथा दिनांक 25.01.2023 से 04.05.2023 तक 100 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
320	525	Prem Meena	NO200146	याचिकाकर्ता प्रेम मीणा पुत्री श्री रामजीलाल मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 07.09.2021 तक 119 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.06. 2022 से 30.04.2023 तक 393 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
321	526	Deepika	NO156253	याचिकाकर्ता दीपिका पुत्री श्री कन्हैयालाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03. 2022 से 31.03.2023 तक 368 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
322	527	Mashrimal	NO202774	याचिकाकर्ता मसरीमल पुत्र श्री हंजाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.20(504)एनएचएम/एचआरडी/2020/1004 दिनांक 08.05.2021 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
323	528	Dinesh Panchal	NO204231	याचिकाकर्ता दिनेश पांचाल पुत्र श्री माकचन्द राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूइसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
324	529	Vinod Kumar Gurjar	NO193472	याचिकाकर्ता विनोद कुमार गुर्जर पुत्र श्री रामगोपाल गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
325	530	Suman	NO192069	याचिकाकर्ता सुमन पुत्री श्री भंवर लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17398/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचआरडी/भर्ती/2020/1004 दिनांक 08.05.2021 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
326	531	Laxmi Gurjar	NO170767	याचिकाकर्ता लक्ष्मी गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कोविड अवधि में किये गये कार्य के आधार पर 15 बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है एवं कोई अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
327	532	Anita Kumari	NO147340	याचिकाकर्ता अनिता कुमारी पुत्री श्री मदन सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वे योग्य उम्मीदवार है किन्तु उनका नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ना ही कोई कारण बताया गया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
328	533	Saroj Gurjar	NO166362	याचिकाकर्ता सरोज गुर्जर पुत्र श्री जगदीश चन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूइसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 10.05.2021 से 18.09.2021 तक 132 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी 25000/- वेतन प्रतिमाह की दर से सीएचओ पद का 130 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें कोविड अवधि शामिल है। नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार दिनांक 23.07.2024 अनुसार केवल 7900/- प्रतिमाह वेतन पर कोविड अवधि में नर्सिंग कार्य हेतु पदस्थापित सीएचओ को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। अनुभव प्रमाणपत्र में कुल भुगतान 34046/- दर्शाया है जिसमें भुगतान दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन अनुसार अनुभव भुगतान संबंधी स्थिति स्पष्ट कराते हुये समुचित कार्यवाही की जा सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी 25000/- वेतन प्रतिमाह की दर से सीएचओ पद का 130 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें कोविड अवधि शामिल है। नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार केवल 7900/- प्रतिमाह वेतन पर कोविड अवधि में नर्सिंग कार्य हेतु पदस्थापित सीएचओ को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। अनुभव प्रमाणपत्र में कुल भुगतान 34046/- दर्शाया है जिसके भुगतान दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन अनुसार अनुभव भुगतान संबंधी स्थिति स्पष्ट कराते हुये समुचित कार्यवाही की जावें। तद्नुसार याचिकाकर्ता सुश्री सरोज गुर्जर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
329	534	Preeti Kumari	NO190826	याचिकाकर्ता प्रीति कुमारी पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 19.09.2021 तक 132 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
330	535	Usha Kanwar	NO159335	याचिकाकर्ता उषा कंवर पुत्री श्री देवेन्द्र सिंह तंवर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूइसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 10.05.2021 से 18.09.2021 तक 132 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.06.2020 से 31.05.2021 तक 352 दिवस का फिलिबोटॉमिस्ट पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं है। फलस्वरूप उत्कृष्ट खिलाडी आरक्षण का लाभ इन्हे देय नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा संलग्न किया गया अनुभव प्रमाणपत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कमांक 388 दिनांक 25.05.2023 उप स्वास्थ्य केन्द्र परिवर्तित हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर, खादरा, नीम का थाना पर राज्य सरकर द्वारा निर्धारित सी.एच.ओ. पद के कार्य का है जिसका वेतन रू. 25000 प्रतिमाह है। एक अनुभव प्रमाण पत्र प्रमुख चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय नीम का थाना द्वारा जारी मुख्यमंत्री निशुल्क जॉच योजनान्तर्गत फ्लेबोटॉमिस्ट के कार्य का जिसका कार्य मात्र शरीर की रक्त वाहिकाओं से रक्त निकालने का है जो नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं है। मुख्य मंत्री निःशुल्क जॉच योजना में नर्सिंग ऑफिसर का पद स्वीकृत नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अतः उपरोक्त दोनो अनुभव प्रमाणपत्रों का बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। एक तीसरा अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय कोविड अवधि को सम्मिलित करते हुए कोविड नियंत्रण हेतु सम्पादित कार्य का है जिसका वेतन रू. 7900 प्रतिमाह है। जिसके नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.7.2024 में पारित निर्णय के अनुसार 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं है। फलस्वरूप उत्कृष्ट खिलाडी आरक्षण का लाभ इन्हे देय नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा संलग्न किया गया अनुभव प्रमाणपत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कमांक 388 दिनांक 25.05.2023 उप स्वास्थ्य केन्द्र परिवर्तित हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर, खादरा, नीम का थाना पर राज्य सरकर द्वारा निर्धारित सी.एच.ओ. पद के कार्य का है जिसका वेतन रू. 25000 प्रतिमाह है। एक अनुभव प्रमाण पत्र प्रमुख चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय नीम का थाना द्वारा जारी मुख्यमंत्री निशुल्क जॉच योजनान्तर्गत फ्लेबोटॉमिस्ट के कार्य का जिसका कार्य मात्र शरीर की रक्त वाहिकाओं से रक्त निकालने का है जो नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं है। मुख्य मंत्री निःशुल्क जॉच योजना में नर्सिंग ऑफिसर का पद स्वीकृत नहीं है। अतः उपरोक्त दोनो अनुभव प्रमाणपत्रों का बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। एक तीसरा अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय कोविड अवधि को सम्मिलित करते हुए कोविड नियंत्रण हेतु सम्पादित कार्य का है जिसका वेतन रू. 7900 प्रतिमाह है। जिसके नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.7.2024 में पारित निर्णय के अनुसार 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री उषा कंवर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
331	536	Vidya Regar	NO192864	याचिकाकर्ता विद्या रैगर पुत्री श्री गोपीलाल रैगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 15.05.2021 से 17.09.2021 तक 126 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनाकं 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
332	537	Maya Sharma	NO194358	याचिकाकर्ता माया शर्मा पुत्री श्री रामकिशोर शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18778/2023 में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनाकं 29.03.2022 से 23.11.2022 तक 240 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
333	538	Bhagwanti Balai	NO186497	याचिकाकर्ता भगवंती बलाई पुत्री श्री कैलाश चन्द्र बलाई ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 15.05.2021 से 17.09.2021 तक 126 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एव दिनाकं 30.03. 2022 से 30.04.2023 तक 397 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह । मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
334	539	Rekha Joshi	NO178250	याचिकाकर्ता रेखा जोशी पुत्री श्री नरोत्तम जोशी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 15.05.2021 से 18.09.2021 तक 126 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एव दिनाकं 30.03. 2022 से 30.04.2023 तक 397 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह । मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
335	540	Reena Sharma	NO205245	याचिकाकर्ता रीना शर्मा पुत्री श्री सत्यनारायण शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18861/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 16.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
336	541	Ramesh Kumar Sukariya	NO168344	याचिकाकर्ता रमेश कुमार सुकरिया पुत्री श्री कैलाश चन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचआरडी/भर्ती/2022/841 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 22.02.2021 से 29.03.2022 तक 189 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनाकं 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह । मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
337	542	Yogita Sharma	NO167825	याचिकाकर्ता योगिता शर्मा पुत्री श्री कैलाश शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718–19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनाकं 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिय प्रतिमाह । मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण सनिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
338	543	Vandana Pachhola	NO196023	याचिकाकर्ता वंदना पचोला पुत्री श्री लक्ष्मण लाल पाचोला ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनाकं 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। उक्त दोनो अनुभव प्रमाण पत्रों पर सीएमएचओ उदयपुर ने कटिंग वैरिफाई की गई है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. सख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
339	544	Kajal Bhanat	NO192091	याचिकाकर्ता काजल भनात पुत्री श्री रमेश कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। उक्त 130 दिवस के अनुभव प्रमाण पत्र में किया गया कार्य हस्तलिखित अंकित है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
340	545	Hema Prajapat	NO201804	याचिकाकर्ता हेमा प्रजापत पुत्री श्री कन्हैयालाल प्रजापत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। उक्त 402 दिवस के अनुभव प्रमाण पत्र पर सीएमएचओ उदयपुर ने कटिंग वैरिफाई की गई है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
341	546	Tangam Sharma	NO151033	याचिकाकर्ता तंगम शर्मा पुत्री श्री सुरेश चन्द शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718–19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
342	547	Priyanka	NO164676	याचिकाकर्ता प्रियंका पुत्री श्री कुलदीप गुनरात ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18209/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचआरडी/भर्ती/2020/1004 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
343	548	Neelam	NO201034	याचिकाकर्ता नीलम पुत्री श्री सुरेश कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 20.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
344	549	Dimpal Kumari	NO198257	याचिकाकर्ता डिंपल कुमारी पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
345	550	Mona Bissa	NO184903	याचिकाकर्ता मोना बिस्सा पुत्री श्री शिव प्रकाश बिस्सा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
346	551	Bayla Meghwal	NO195410	याचिकाकर्ता बायला मेघवाल पुत्री श्री भंवर लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचआरडी/भर्ती/2020/1004 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
347	552	Sanju Choudhary	NO136647	याचिकाकर्ता संजू चौधरी पुत्री श्री कालूराम चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिमांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिकूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक. 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौराग नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
348	553	Aashima Sharma	NO179652	याचिकाकर्ता आशिमा शर्मा पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिमांक 01.04.2022 से 30.04.2023 तक 395 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिमांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
349	554	Mamta Devi Jat	NO157839	याचिकाकर्ता ममता देवी जाट पुत्री श्री श्योजीराम जाट ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ.20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व मे सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिमांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
350	555	Shabana Bano	NO186405	याचिकाकर्ता शबाना बानो पुत्री श्री समसुदीन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी.अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिकूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718–19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिमांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
351	556	Sanjay Kumar Gurjar	NO157566	याचिकाकर्ता संजय कुमार गुर्जर पुत्री श्री बंशीधर गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक 111दिवस जिसका मानदेय 7900 रुपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया।नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
352	557	Sarita Meel	NO171521	याचिकाकर्ता सरिता मील पुत्री श्री भगवाना राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 28.03.2022 से 04.05.2023 तक 403 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
353	558	Parmeshwari	NO165583	याचिकाकर्ता परमश्वरी पुत्री श्री बलदेव सिंह थोरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रुपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
354	559	RadhaRani Khatik	NO171186	याचिकाकर्ता राधारानी खटीक पुत्री श्री मोहन लाल खटीक ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
355	560	Ankita Pathak	NO158466	याचिकाकर्ता अंकिता पाठक पुत्री श्री प्रदीप पाठक ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505) एनएचएम/एचआर/रिकूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
356	561	Mamta Tanawad	NO177960	याचिकाकर्ता ममता तानावाड़ पुत्री श्री बाबुलाल बुनकर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया।नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
357	562	Krishna Bai	NO192023	याचिकाकर्ता कृष्णा बाई पुत्री श्री रामजी लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
358	563	Kavita	NO168786	याचिकाकर्ता कविता पुत्री श्री रामेश्वर लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 15.05.2021 से 17.09.2021 तक 121 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमाम 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
359	564	Kamlesh Sharma	NO160067	याचिकाकर्ता कमलेश शर्मा पुत्री श्री रामचन्द्र शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505) एनएचएम/एचआर/रिकूटमेन्ट/सीएचओ/ 2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 20.05.2021 से 18.09.2021 तक 122 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
360	565	Priyanka Kumari	NO193537	याचिकाकर्ता प्रियंका कुमारी पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
361	566	Singh Preeti Kanwar	NO205535	याचिकाकर्ता सिंह प्रीति कंवर पुत्री श्री नरेश सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक 127 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
362	567	Maya Bokoliya	NO167510	याचिकाकर्ता माया बोकोलिया पुत्री श्री भगवान सहाय बोकोलिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
363	568	Ravi Kumar Meena	NO164830	याचिकाकर्ता रवि कुमार मीणा पुत्र श्री धर्म सिंह मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह (जिसमें कांट–छांट वैरिफाई की गयी है) है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतममान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया।नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
364	569	Priya Gaur	NO115510	याचिकाकर्ता प्रिया गोड़ पुत्र श्री कश कमार गोड़ ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिमांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 19.09.2021 तक 132 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
365	570	Arjun Gari	NO198515	याचिकाकर्ता अर्जुन गारी पुत्र श्री भरत गारी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505) एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 07.06.2021 से 18.09.2021 तक 104 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
366	571	Pankaj Kumar	NO103826	याचिकाकर्ता पंकज कमार पुत्र श्री विजय कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505) एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
367	572	Shrawan Kumar	NO193242	याचिकाकर्ता श्रवण कुमार पुत्र श्री मिश्राराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505) एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 08.09.2021 से 31.03.2022 तक 205 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
368	573	Shakuntala Kumari Meena	NO173325	याचिकाकर्ता शकुंतला कुमारी मीना पुत्र श्री घमण्डी लाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(505) एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमाम 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
369	574	Seema Dara	NO204502	याचिकाकर्ता सीमा डारा पुत्री श्री श्रवण राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505) एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 19.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह (उक्त प्रमाण पत्र पर कांट-छांट वैरिफाई की गई) है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
370	575	Sita Sharma	NO149977	याचिकाकर्ता सीता शर्मा पुत्री श्री भंवरलाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505) एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
371	576	Pooja Yadav	NO170449	याचिकाकर्ता पूजा यादव पुत्री श्री रामअवतार यादव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17162/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2023 तक 395 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
372	577	Kiran Kumar Bedi	NO166060	याचिकाकर्ता किरण कुमार बेदी पुत्र श्री अशोक कुमार बेदी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17069/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनके स्वयं की जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने के बाद भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। इनके द्वारा 653 दिवस का एफआरएचएसआई (FRHSI) तथा दिनांक 06.01.2022 से 30.04 2023 तक 479 दिवस का ईएमटी पद के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ ईएमटी के पद पर कोविड अवधि का अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 15.12.2022 का जारी एफआरएचएसआई संस्थान में कार्य करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि एक निजी संस्थान है। दिनांक 23.05.2022 के अनुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों व उल्लेखित कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। याचिकाकर्ता न तो राज्य सरकार से वित्त पोषित संविदा कार्मिक है न ही वह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहा है। रिट याचिका संख्या 19290/2022 जोगेश सिंह चौहान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर क्रमांक 13 दिनांक 04.01.2023 जारी कर निर्णय लिया गया कि एफआरएचएस संस्था में कार्यरत कार्मिको को बोनस अंको का लाभ देय नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण इस भर्ती हेतु मान्य नहीं है। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ ईएमटी के पद पर कोविड अवधि का अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 15.12.2022 का जारी एफआरएचएसआई संस्थान में कार्य करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि एक निजी संस्थान है। दिनांक 23.05.2022 के अनुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों व उल्लेखित कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। याचिकाकर्ता न तो राज्य सरकार से वित्त पोषित संविदा कार्मिक है न ही वह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण इस भर्ती हेतु मान्य नहीं है। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री किरण कुमार बेदी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
373	578	Jyoti Bai	NO190257	याचिकाकर्ता ज्योति बाई पुत्री श्री कालूराम हरीजन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 21.05.2021 से 17.09.2021 तक 120 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण सनिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
374	579	Anju Gurjar	NO186711	याचिकाकर्ता अंजू गुर्जर पुत्री श्री तोताराम गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
375	580	Vandana	NO141196	याचिकाकर्ता वन्दना पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 04.06.2021 से 31.03.2022 तक 299 दिवस का सीएचए पद का एवं 01 अन्य अनुभव प्रमाण पत्र अन्य राज्य हरियाणा द्वारा जारी किया संलग्न किया है जो मान्य नहीं है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ द्वारा सी.एच.ए. पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा चुका है। एक अन्य प्रमाण पत्र वाइस चेयरमैन, जिला स्वा.एवं प.क. सोसायटी, मण्डी, हिसार, हरियाणा राज्य का संलग्न किया है जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं है न ही राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों पर कार्य सम्पादन का है। अतः इस अनुभव प्रमाण पत्र का बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। याचिककर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त इनके कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.737 बनते है जो इनकी श्रेणी अनारक्षित महिला वर्ग में अंतिम चयनित याचिकाकर्ता के प्राप्तांकों 69.245 से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ द्वारा सी.एच.ए. पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा चुका है। एक अन्य प्रमाण पत्र वाइस चेयरमैन, जिला स्वा.एवं प.क. सोसायटी, मण्डी, हिसार, हरियाणा राज्य का संलग्न किया है जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं है न ही राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों पर कार्य सम्पादन का है। अतः इस अनुभव प्रमाण पत्र का बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। याचिककर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त इनके कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.737 बनते है जो इनकी श्रेणी अनारक्षित महिला वर्ग में अंतिम चयनित याचिकाकर्ता के प्राप्तांकों 69.245 से कम रहने के कारण चयन से वंचित रही है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
376	581	Ankita Sharma	NO178429	याचिकाकर्ता अंकिता शर्मा पुत्री श्री पीयूष कुमार शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17162/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह (कांट–छांट वैरिफाई की गई है) एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
377	582	Kavita Pathak	NO197793	याचिकाकर्ता कविता पाठक पुत्री श्री सुरेश कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 30.03.2022 से 30.04.2023 तक 397 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
378	583	Manoj Kumari	NO182504	याचिकाकर्ता मनोज कुमारी पुत्री श्री निरंजन लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
379	584	Gitika Shekhawat	NO184330	याचिकाकर्ता गीतिका शेखावत पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
380	585	Pooja Mathur	NO190344	याचिकाकर्ता पूजा माथुर पुत्री श्री कैलाश नारायण माथुर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 401 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
381	586	Anusuiya Meena	NO185300	याचिकाकर्ता अनुसुईया मीना पुत्री श्री राजकुमार मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
382	587	Sushila Mawliya	NO195722	याचिकाकर्ता सुशीला मावलिया पुत्री श्री मदनलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
383	588	Bulkesh	NO197479	याचिकाकर्ता बुलकेश पुत्री श्री खेमचन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिमांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 17.05.2021 से 17.09.2021 तक 123 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिमांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
384	589	Sulochana Kumari Meghwal	NO197592	याचिकाकर्ता सुलाचना कुमारी मेघवाल पुत्री श्री उम्मदाराम मघवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौराम नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
385	590	Mangli Saini	NO187103	याचिकाकर्ता मंगली सैनी पुत्री श्री रामस्वरूप सैनी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा आदेश दिनांक एफ.20(504)एनएचएम/एचआरडी/भर्ती/2022/841 दिनांक 27.03.2022 के द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 04.05.2023 तक 532 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह (अनुभव प्रमाण पत्र में संपादित कार्य पर सीएमएचओ द्वारा कांट-छांट सत्यापित) है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा 532 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई भुगतान की दर के अनुसार इन्हे नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। किन्तु भुगतान दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण याचिकाकर्ता का परिणाम अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के अध्याधीन रोका जाना प्रस्तावित है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा 532 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई भुगतान की दर के अनुसार इन्हे नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। किन्तु भुगतान दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन अनुसार अनुभव भुगतान संबंधी स्थिति स्पष्ट कराते हुये समुचित कार्यवाही की जावें। तद्नुसार याचिकाकर्ता सुश्री मंगली सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
386	591	Pinky Verma	NO149580	याचिकाकर्ता पिंकी वर्मा पुत्री श्री छितरमल वर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिन वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिकूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद सनिति के निर्णय को नीति निर्धारण सनिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण सनिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
387	592	Anita Gurjar	NO197708	याचिकाकर्ता अनिता गुर्जर पुत्री श्री पांचूराम गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिकूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2023 तक 395 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
388	593	Aditi Saini	NO146501	याचिकाकर्ता अदिति सैनी पुत्री श्री रामजीलाल सैनी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 31.03.2023 तक 368 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
389	594	Sumanjeet Kaur	NO159657	याचिकाकर्ता सुमनजीत कौर पुत्री श्री जगजीत सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक 127 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 31.03.2023 तक 368 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
390	595	Manju Devi	NO149295	याचिकाकर्ता मंजु देवी पुत्री श्री महेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एमएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 121 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 31.03.2023 तक 368 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद सनिति के निर्णय को नीति निर्धारण सनिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण सनिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
391	596	Anju Kumari	NO184183	याचिकाकर्ता अंजु कुमारी पुत्री श्री ईश्वर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा आदेश एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
392	597	Neetu Kumari	NO198126	याचिकाकर्ता नीतू कमारी पुत्री श्री ओनप्रकाश बैरवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 19.09.2021 तक 132 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
393	598	Radhika Bairwa	NO180050	याचिकाकर्ता राधिका बैरवा पुत्री श्री पप्पू लाल बैरवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718–19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 10.05.2021 से 17.09.2021 तक 123 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
394	599	Supriya Vaidhya	NO193048	याचिकाकर्ता सुप्रिया वैद्य पुत्री श्री नरहरि वैद्य ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा आदेश एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 17.05.2021 से 18.09.2021 तक 125 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
395	600	Geeta Mobarsa	NO152574	याचिकाकर्ता गीता मोबारसा पुत्री श्री घीसू लाल मोबारसा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को ज़ारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 401 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
396	601	Pinky Kumari	NO209235	याचिकाकर्ता पिंकी कुमारी पुत्री श्री रामेश्वर लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 30.12.2019 से 30.04.2021 तक 488 दिवस का एनएचएम जीएनएम संविदा का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 618 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है।याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 618 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री पिंकी कुमारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
397	602	Suman	NO112311	याचिकाकर्ता सुमन पुत्री श्री रामप्रताप ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 121 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.05.2020 से 16.09.2020 तक 139 दिवस का आरएमआरएस जीएनएम संविदा का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 488 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.820 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक पतिशत 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 488 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नही किया गया है। याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.820 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक पतिशत 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता सुश्री सुमन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
398	603	Manju Kanwar	NO169279	याचिकाकर्ता मंजु कंवर पुत्री श्री माधो सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
399	604	Jyoti	NO149825	याचिकाकर्ता ज्योति पुत्री श्री सिंकन्दर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 19.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह तथा दिनांक 30.09.2022 से 30.04.2023 तक 397 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
400	605	Rashmi Meena	NO156174	याचिकाकर्ता रश्मि मीना पुत्री श्री राधेश्याम मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह तथा दिनांक 30.03.2022 से 30.04.2023 तक 397 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
401	606	Sangita	NO191492	याचिकाकर्ता संगीता पुत्री श्री नेताराम विश्नोई ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह तथा दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमाम 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौराम नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
402	607	Suman Kanwar	NO199518	याचिकाकर्ता सुमन कंवर पुत्री श्री सुजान सिंह राठौड़ ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17201/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह तथा दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
403	608	Babita Kumari	NO153012	याचिकाकर्ता बबिता कुमारी पुत्री श्री श्रवण कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा आदेश एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
404	609	Meenu Samota	NO159078	याचिकाकर्ता मीनू सामोता पुत्री श्री कृष्ण कुमार सामोता ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
405	610	Sanju	NO170371	याचिकाकर्ता संजु पुत्री श्री मानूराम बाजिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाकं 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
406	611	Suman Bissu	NO188002	याचिकाकर्ता सुमन बिस्सु पुत्री श्री बीरबल राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17398/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिकूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718–19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
407	612	Manita Meena	NO205526	याचिकाकर्ता मनीता मीना पुत्री श्री प्रभाती लाल मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 126 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
408	613	Sayar Choudhary	NO157048	याचिकाकर्ता सायर चौधरी पुत्री श्री देवकरण चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17047/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718–19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
409	614	Sonu Kuldeep	NO157084	याचिकाकर्ता सोनु कुलदीप पुत्री श्री कैलाश चन्द कुलदीप ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 31.08.2021 तक 113 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नही किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
410	615	Jyoti Kuldeep	NO167192	याचिकाकर्ता ज्योति कुलदीप पुत्री श्री जयनारायण कुलदीप ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
411	616	Vijay Shukla	NO184914	याचिकाकर्ता विजय शुक्ला पुत्र श्री बाबूलाल शुक्ला ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18397/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके अनुभव की गणना करते हुए वरियता सूची में सम्मिलित करें। उसके द्वारा दिनांक 06.06.2013 से 25.08.2015 तक 736 दिवस का 104 हैल्थ एडवाईजरी सर्विस पद का एवं दिनांक 29.05.2021 से 30.04.2023 तक 667 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। यह भी निवेदन है कि अंतरिम वरियता सूची मे क्रम संख्या 1366,1422,2053,2120,2710,455,2477 जो कि हैल्थ एडवाईजारी ऑफिसर का अनुभव रखते है को अनुभव का लाभ देते हुए सम्मिलित किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 667 दिवस का कोविड अवधि के दौरान ईएमटी के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य प्रमाण पत्र 736 दिवस का हैल्थ एडवाईजरी सर्विसेज का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार उक्त प्रमाण के आधार पर याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। प्रस्तुत अभ्यावेदन में दिये गये कमांक के अभ्यर्थियों का अनुभव यदि याचिकाकर्ता के समान है तो उसपर भी समान कार्यवाही की जायेगी।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 667 दिवस का कोविड अवधि के दौरान ईएमटी के पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य प्रमाण पत्र 736 दिवस का हैल्थ एडवाईजरी सर्विसेज का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रमाण के आधार पर याचिकाकर्ता को बोनस अंको का लाभ देय नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री विजय शुक्ला द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, अभ्यावेदन में दिये गये क्रमांक के अभ्यर्थियों का अनुभव यदि याचिकाकर्ता के समान है तो उसपर भी समान कार्यवाही की जाये के निर्देश के साथ, तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
412	617	Komal Nitharwal	NO102447	याचिकाकर्ता कोमल निठारवाल पुत्री श्री रामचन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचआरडी/भर्ती/2022/841 दिनांक 27.03.2022 के तहत कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह (प्रमाण पत्र में समरूप कार्य में कांट-छांट सत्यापित) एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण सनिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
413	618	Lokesh Garg	NO199337	याचिकाकर्ता लोकेश गर्ग पुत्र श्री पुरूषोत्तम गर्ग ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16924/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांकएफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस का सीएचओ पद का जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 07.08.2020 से 10.05.2021 तक 276 दिवस का जीएनएम पीपीपी मोड का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 405 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
414	619	Pooja Changani	NO194073	याचिकाकर्ता पूजा छंगाणी पुत्री श्री अशोक बोहरा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17162/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण सनिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
415	620	Bulkesh	NO176856	याचिकाकर्ता बुलकेश पुत्री श्री विक्रम सिह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 29.06.2021 से 13.03.2022 तक 258 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
416	621	Chanda Gurjar	NO159460	याचिकाकर्ता चंदा गुर्जर पुत्री श्री तेजाराम गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर अवधि दिनांक 18.05.2021 से 17.09.2021 तक 123 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
417	622	Priyanka Choudhary	NO159225	याचिकाकर्ता प्रियंका चौधरी पुत्री श्री सरदार सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
418	623	Seema Devi	NO173991	याचिकाकर्ता सीमा देवी पुत्री श्री विजयपाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 103 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
419	624	Asha Kumawat	NO167303	याचिकाकर्ता आशा कुमावत पुत्री श्री ताराचन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
420	625	Ashok Kumar Meena	NO189119	याचिकाकर्ता अशोक कुमार मीना पुत्र श्री उदय चन्द मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 28.03.2022 से 04.05.2023 तक 403 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
421	626	Sonu Dasaniya	NO162773	याचिकाकर्ता सोनू डसाणियां पुत्री श्री रामराज चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17060/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा सीएचओ पद पर दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक कार्य किया गया था जिस हेतु अनुभव का लाभ दिया जाकर उन्हें अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया जावे। अन्य कोई दस्तावेज अथवा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
422	627	Amit Kumar Mandiwal	NO165334	याचिकाकर्ता अमित कुमार मंडीवाल पुत्री श्री महावीर प्रसाद मंडीवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
423	628	Renu Rasganiya	NO141684	याचिकाकर्ता रेनू रंसगनिया पुत्री श्री हंसराज रंसगनिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
424	629	Suman Dayma	NO138889	याचिकाकर्ता सुमन दायमा पुत्री श्री हरबंश राज बुनकर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
425	630	Ramrakhi Bairwa	NO145006	याचिकाकर्ता रामरखी बैरवा पुत्री श्री ओमप्रकाश बैरवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
426	631	Meva Bai	NO170322	याचिकाकर्ता मेवा बाई पुत्री श्री छितरमल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 126 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज़ कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
427	632	Chetna	NO179102	याचिकाकर्ता चेतना पुत्री श्री पृथ्वी सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 17.05.2021 से 18.09.2021 तक 126 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
428	633	Pooja Kumari	NO168224	याचिकाकर्ता पूजा कुमारी पुत्री श्री शंकर लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 16.05.2021 से 26.06.2021 तक 42 दिवस का एवं दिनांक 28.06.2021 से 18.09.2021 तक 83 दिवस जिनका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
429	634	Meena Kumari	NO155811	याचिकाकर्ता मीना कुमारी पुत्री श्री सियाराम शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिनका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
430	635	Priyanka Meghwal	NO136159	याचिकाकर्ता प्रियंका मेघवाल पुत्री श्री भागीरथ मेघवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 20.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
431	636	Neha Salvi	NO148428	याचिकाकर्ता नेहा साल्वी पुत्री श्री लक्ष्मीलाल साल्वी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे सीएचओ पद का कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 17.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 28.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
432	637	Tanupriya Gaur	NO184774	याचिकाकर्ता तनुप्रिया गौड़ पुत्री श्री गोपाल सिंह गौड़ ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 401 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर-अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
433	638	Kiran Meena	NO208142	याचिकाकर्ता किरण मीना पुत्री श्री हरीराम मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्ल्यूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे सीएचओ पद का कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
434	639	Lalita Suthar	NO187127	याचिकाकर्ता ललिता सुथार पुत्री श्री सोगरलाल सुथार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद का कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
435	640	Nishant Kumari Kansotiya	NO105959	याचिकाकर्ता निशान्त कंसोटिया पुत्री श्री चंदा लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
436	641	Manjita Bai	NO204250	याचिकाकर्ता मंजीता बाई पुत्री श्री नागरमल गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
437	642	Santosh Gurjar	NO140222	याचिकाकर्ता संतोष गुर्जर पुत्री श्री ग्यारसी लाल गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 17.05.2021 से 18.09.2021 तक 125 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
438	643	Bugli Devi	NO186844	याचिकाकर्ता बुगली देवी पुत्री श्री रामअवतार गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 18.05.2021 से 18.09.2021 तक 124 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
439	644	Rahul Kumar Meena	NO195674	याचिकाकर्ता राहुल कुमार मीना पुत्र श्री हीरालाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
440	645	Hemraj	NO187954	याचिकाकर्ता हेनराज पुत्र श्री मोहर सिंह मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिन वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
441	646	Devendra Kumar Mahawar	NO176452	याचिकाकर्ता देवेन्द्र कुमार महावर पुत्र श्री वल्लभ महावर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 14.05.2021 से 18.09.2021 तक 127 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2020 से 12.05.2021 तक 498 दिवस का एनएचएम जीएनएम का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि का 625 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नही किया गया है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरित वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि का 625 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नही किया गया है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरित वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री देवेन्द्र कुमार महावर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
442	647	Rekha Bai Gurjar	NO201429	याचिकाकर्ता रेखा बाई गुर्जर पुत्र श्री छीतरमल गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
443	648	Anuradha Updhayay	NO151444	याचिकाकर्ता अनुराधा उपाध्याय पुत्री श्री मुरलीधर उपाध्याय ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 14.05.2021 से 19.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाकं 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
444	649	Renu Kumari Sharma	NO169759	याचिकाकर्ता रेनु कमारी शर्मा पुत्री श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह (उक्त दोनो प्रमाण पत्रों मे सीएमएचओ सवाईमाधोपुर ने समरूप कार्य में कांट–छांट वैरिफाई की) है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएघओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
445	650	Pooja Jangid	NO191863	याचिकाकर्ता पूजा जांगिड़ पुत्री श्री यमुना शंकर जांगिड़ ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 14.05.2021 से 18.09.2021 तक 127 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
446	651	Farzana	NO192248	याचिकाकर्ता फरजाना पुत्री श्री कजोड़ खान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17631/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह (उक्त दोनो प्रमाण पत्रों मे सीएमएचओ सवाईमाधोपुर ने समरूप कार्य में कांट-छांट वैरिफाई की) है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
447	652	Meera Bai Gurjar	NO199078	याचिकाकर्ता मीरा बाई गुर्जर पुत्री श्री उदयनारायण गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गया जिसकी अनुभ अवधि दिनांक 29.03.2022 से 31.12.2022 तक 278 दिवस तथा दिनांक 01.03.2023 से 04.05.2023 तक जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 03.01.2020 से 11.05.2021 तक 441 दिवस का एनएचएम जीएनएम संविदा का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 569 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांरा/सवाईनाधुपर द्वारा जारी कुल 368 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 569 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांरा/सवाईमाधुपर द्वारा जारी कुल 368 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री मीरा बाई गुर्जर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
448	653	Savita Bai Gurjar	NO150224	याचिकाकर्ता सविता बाई गुर्जर पुत्री श्री रामजीलाल गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गया जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह (उक्त प्रमाण पत्र मे सीएमएचओ सवाईमाधोपुर ने समरूप कार्य में कांट–छांट वैरिफाई की) है।। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
449	654	Babu Lal Gurjar	NO148918	याचिकाकर्ता बाबू लाल गुर्जर पुत्र श्री रामभजन गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कन अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गया जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 प्रतिमाह (उक्त प्रमाण पत्र मे सीएमएचओ सवाईमाधोपुर ने समरूप कार्य में कांट–छांट वैरिफाई की) है।। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
450	655	Harikesh Gurjar	NO200015	याचिकाकर्ता हरिकेश गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गया जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 19.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 प्रतिमाह (उक्त दोनो प्रमाण पत्रों मे सीएमएचओ सवाईमाधोपुर ने समरूप कार्य में कांट–छांट वैरिफाई की) है।। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
451	656	Krishna Gurjar	NO170356	याचिकाकर्ता कृष्णा गुर्जर पुत्री श्री धुड़ाराम गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
452	657	Puneet Kumar	NO141553	याचिकाकर्ता श्री पुनीत कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
453	658	Mahendra Singh	NO147133	याचिकाकर्ता श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामनिवास ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
454	659	Radha Choudhary	NO169986	याचिकाकर्ता राधा चौधरी पुत्री श्री रामस्वरूप चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
455	660	Reshma Choudhary	NO207918	याचिकाकर्ता रेशमा चौधरी पुत्री श्री रामस्वरूप चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
456	661	Manta	NO186200	याचिकाकर्ता मनता पुत्री श्री राजबीर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 18.05.2021 से 17.09.2021 तक 123 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
457	662	Saheb Singh Gurjar	NO151180	याचिकाकर्ता साहेब सिंह गुर्जर पुत्र श्री बच्चन सिंह गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
458	663	Rahul Meena	NO190759	याचिकाकर्ता राहुल मीना पुत्र श्री मोतीलाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 प्रतिमाह (उक्त दोनो प्रमाण पत्रों मे सीएमएचओ सवाईमाधोपुर ने समरूप कार्य में कांट–छांट वैरिफाई की) है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
459	664	Nikita Kumari	NO203937	याचिकाकर्ता निकिता कुमारी पुत्री श्री राननिवास मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
460	665	Anamika Devatwal	NO193754	याचिकाकर्ता अनामिका देवतवाल पुत्री श्री गोविन्द नारायण देवतवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
461	666	Karma Choudhary	NO179596	याचिकाकर्ता कर्मा चोधरी पुत्री श्री रमेश चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
462	667	Pushvendra Kaur	NO170370	याचिकाकर्ता पुष्विन्दर कौर पुत्री श्री अवतार सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18028/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अनुभव प्रमाण पत्र में बिन्दु संख्या 8 के अभाव में उनके बोनस अंक कम कर दिए गये है जिस कारण उनका अंतरिम वरियता सूची में नाम नहीं आया है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हे चयन सूची में सम्मिलित करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
463	668	Meena Kumari Meena	NO203472	याचिकाकर्ता मीना कुमारी मीणा पुत्री श्री बाबुलाल मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है ज़बकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.09.2021 से 17.05.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
464	669	Jyoti Kumari Damor	NO198475	याचिकाकर्ता ज्योति कुमारी डामोर पुत्री श्री ताराचन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
465	670	Sweta Kanwar	NO184389	याचिकाकर्ता श्वेता कंवर पुत्री श्री सत्यवीर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
466	671	Usha	NO192796	याचिकाकर्ता उषा पुत्री श्री माधाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
467	672	Mamta Meena	NO182497	याचिकाकर्ता ममता मीना पुत्री श्री रामदयाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 23.06.2021 से 18.09.2021 तक 88 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
468	673	Nirma Bai Meena	NO205906	याचिकाकर्ता निरमा बाई मीना पुत्री श्री बाबूलाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिन वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 396 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
469	674	Hansraj Gurjar	NO189807	याचिकाकर्ता हंसराज गुर्जर पुत्र श्री मोदूराम गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
470	675	Karnpal Nimoriya	NO189914	याचिकाकर्ता कर्णपाल निमोरिया पुत्र श्री सुरेन्द्रपाल निमोरिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
471	676	Pooja Choudhary	NO211283	याचिकाकर्ता पूजा चौधरी पुत्री श्री लक्ष्मी लाल चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोंडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौराम नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
472	677	Mamta Jat	NO160664	याचिकाकर्ता ममता जाट पुत्री श्री रामलाल जाट ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
473	678	Kiran Kumari	NO193226	याचिकाकर्ता किरण कुमारी पुत्री श्री जसवन्त सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17631/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
474	679	Tulsi Gurjar	NO171838	याचिकाकर्ता तुलसी गुर्जर पुत्री श्री माधोलाल गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदम किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2023 तक 395 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
475	680	Kanta Sharma	NO201371	याचिकाकर्ता कान्ता शर्मा पुत्री श्री बजरंग लाल जोशी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 337 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
476	681	Priya Micheal	NO164344	याचिकाकर्ता प्रिया माइकल पुत्री श्री सुनील कुमार माइकल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 126 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
477	682	Jagdish Meena	NO184573	याचिकाकर्ता जगदीश मीना पुत्री श्री लक्ष्मण मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
478	683	Subhash Chand Meena	NO200671	याचिकाकर्ता सुभाष चन्द मीना पुत्री श्री कन्हैया लाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 653 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के 3 जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिनके आधार पर अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 653 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के 3 जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिनके आधार पर अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के आधार पर देय बोनस अंको हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करते हुये याचिकाकर्ता श्री सुभाष चन्द मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
479	684	Gajala Khanam	NO209404	याचिकाकर्ता गजाला खानम पुत्री श्री फिरोज खान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 23.12.2022 तक 270 दिवस तथा दिनांक 26.12.2022 से 24.05.2023 तक 150 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
480	685	Karishma Mehar	NO147536	याचिकाकर्ता करिश्मा मेहर पुत्री श्री रामस्वरूप मेहर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 17.05.2021 से 19.09.2021 तक 125 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
481	686	Sunita Gurjar	NO172991	याचिकाकर्ता सुनीता गुर्जर पुत्री श्री प्रहलाद गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2023 तक 395 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
482	687	Sanju Kanwar	NO199980	याचिकाकर्ता संजू कंवर पुत्री श्री भंवर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 14.05.2021 से 17.09.2021 तक 127 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
483	688	Varsha Verma	NO204158	याचिकाकर्ता वर्षा वर्मा पुत्री श्री सुरेश कुमार वर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 401 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
484	689	Govind Singh	NO206379	याचिकाकर्ता गोविन्द सिंह पुत्र श्री हरभान सिंह गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 17.05.2021 से 18.09.2021 तक 125 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
485	690	Pooja Alria	NO172997	याचिकाकर्ता पूजा आलड़िया पुत्री श्री महेन्द्र कुमार आलड़िया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
486	691	Mohan Lal Meena	NO196320	याचिकाकर्ता मोहन लाल मीना पुत्र श्री सीताराम मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिमांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
487	692	Bhawna Sharma	NO158059	याचिकाकर्ता भावना शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 19.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
488	693	Priya Dadhich	NO172191	याचिकाकर्ता प्रिया दाधीच पुत्र श्री जगदीश चन्द्र दाधीच ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 14.05.2021 से 18.09.2021 तक 128 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
489	694	Nirmala Sharma	NO158319	याचिकाकर्ता निर्मला शर्मा पुत्र श्री कन्हैया शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 19.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
490	695	Meena Sen	NO166356	याचिकाकर्ता मीना सेन पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सेन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण सनिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
491	696	Savitri Meena	NO185978	याचिकाकर्ता सावित्री मीना पुत्री श्री शिवजी मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिन वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 125 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 619 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा 125 दिवस का कोविड अवधि का एक अन्य प्रमाण पत्र 7900/– प्रतिमाह वेतन का भी संलग्न किया है जिसको बोनस अंकों की गणना में सम्मिलित किया जाना है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 619 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। याचिकाकर्ता द्वारा 125 दिवस का कोविड अवधि का एक अन्य प्रमाण पत्र 7900/– प्रतिमाह वेतन का भी संलग्न किया है जिसको बोनस अंकों की गणना में सम्मिलित किया जाना है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के आधार पर देय बोनस अंको हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करते हुये याचिकाकर्ता सुश्री सावित्री मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
492	697	Kavita Tailor	NO165063	याचिकाकर्ता कविता टेलर पुत्री श्री रमेश चन्द टेलर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 112 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
493	698	Chandra Kumari	NO201465	याचिकाकर्ता चन्द्रा कुमारी पुत्री श्री किशोर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 15.05.2021 से 17.09.2021 तक 126 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 401 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
494	699	Puran Kumari Meena	NO167477	याचिकाकर्ता पूरन कुमारी मीना पुत्री श्री रामचन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
495	700	Surekha Sharma	NO175729	याचिकाकर्ता सुरेखा शर्मा पुत्री श्री रामचन्द्र शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 16.09.2021 तक 127 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 372 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया।नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
496	701	Shailja Parashar	NO194898	याचिकाकर्ता शैलजा पाराशर पुत्री श्री दिनेश पाराशर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
497	702	Madhu Upadhyay	NO191650	याचिकाकर्ता मधु उपाध्याय पुत्री श्री रामेश्वर लाल उपाध्याय ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 19.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
498	703	Lalita Deewan	NO189897	याचिकाकर्ता ललिता दीवान पुत्री श्री बंशीधर दीवान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
499	704	Anju Banshiwal	NO167078	याचिकाकर्ता अंजु बंशीवाल पुत्री श्री कैलाश चन्द्र बंशीवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
500	705	Sushila Bairwa	NO171307	याचिकाकर्ता सुशीला बैरवा पुत्री श्री संपतराम बैरवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 126 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
501	706	Jhuma Devi Gurjar	NO171636	याचिकाकर्ता झुमादेवी गुर्जर पुत्री श्री नन्दराम गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
502	707	Seema Rakhecha	NO186528	याचिकाकर्ता सीमा राखेचा पुत्री श्री दीपक राखेचा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 16.01.2023 तक 294 दिवस एवं दिनांक 17.01.2023 से दिनांक 04.05.2023 तक 108 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
503	708	Laxmi Choudhary	NO165495	याचिकाकर्ता लक्ष्मी चौधरी पुत्री श्री छोगा राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से दिनांक 04.05.2023 तक 402 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
504	709	Hansa	NO168752	याचिकाकर्ता हंसा पुत्री श्री जगदीश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से दिनांक 04.05.2023 तक 402 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
505	710	Kavita Prajapat	NO186607	याचिकाकर्ता कविता प्रजापत पुत्री श्री चंपालाल प्रजापत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से दिनांक 04.05.2023 तक 402 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
506	711	Pramesh Kumar Verma	NO208156	याचिकाकर्ता प्रमेश कुमार वर्मा पुत्री श्री कजोड़मल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिन वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से दिनांक 04.05.2023 तक 401 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
507	712	Ritu Sharma	NO206616	याचिकाकर्त्ता रितु शर्मा पुत्री श्री कैलाश चन्द्र शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से दिनांक 04.05.2023 तक 402 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
508	713	Jyoti Sharma	NO204981	याचिकाकर्ता ज्योति शर्मा पुत्री श्री शोभालाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रुपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
509	714	Bablu Khinchi	NO180348	याचिकाकर्ता बबलू खींचीं पुत्री श्री शुभकरण खींचीं ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रुपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
510	715	Kailash Chandra Damor	NO201822	याचिकाकर्ता कैलाश चन्द्र डामोर पुत्र श्री वीरचन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
511	716	Bali Devi	NO191585	याचिकाकर्ता बाली देवी पुत्री श्री पोकर राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
512	717	Shimla Kumari Meena	NO167152	याचिकाकर्ता शिमला कुमारी मीना पुत्री श्री रामप्रसाद मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
513	718	Manisha Kumari	NO192865	याचिकाकर्ता मनीषा कुमारी पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 18.05.2021 से 16.09.2021 तक 122 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	दस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
514	719	Manisha Kumari	NO171471	याचिकाकर्ता मनीषा कुमारी पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 19.09.2021 तक 127 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
515	720	Kavita Meena	NO141599	याचिकाकर्ता कविता मीना पुत्री श्री बाबूलाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 14.05.2021 से 19.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
516	721	Renuka Ujjania	NO180160	याचिकाकर्ता रेनुका उज्जैनिया पुत्री श्री शिवदयाल उज्जैनिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 19.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
517	722	Lokesh Verma	NO141818	याचिकाकर्ता लोकेश वर्मा पुत्र श्री लल्लू लाल वर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
518	723	Jogendra Singh	NO170585	याचिकाकर्ता जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
519	724	Tina Kumari Sharma	NO202890	याचिकाकर्ता टीना कुमारी शर्मा पुत्री श्री मोहन लाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाक 29.03.2022 से 28.02.2023 तक 337 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
520	725	Pooja Sharma	NO201427	याचिकाकर्ता पूजा शर्मा पुत्री श्री विनोद कुमार शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 19.09.2021 तक 132 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाक 29.03.2022 से 28.02.2023 तक 337 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
521	726	Sapna Kumari Sharma	NO205721	याचिकाकर्ता सपना कुमारी शर्मा पुत्री श्री अवधेश बिहारी शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 19.09.2021 तक 132 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाक 29.03.2022 से 28.02.2023 तक 337 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
522	727	Neha Singh	NO127215	याचिकाकर्ता नेहा सिंह पुत्री श्री किशन सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
523	728	Anupama Arora	NO150601	याचिकाकर्ता अनुपमा अरोड़ा पुत्री श्री फूलचन्द अरोड़ा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
524	729	Maya Gawariya	NO191969	याचिकाकर्ता माया गवारियां पुत्री श्री बाबूलाल गवारिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
525	730	Neha Kumari Sharma	NO189583	याचिकाकर्ता नेहा कुमारी शर्मा पुत्री श्री कैलाश चन्द शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 20.09.2021 तक 132 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 17.01.2023 तक 295 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
526	731	Monika Shaktawat	NO188734	याचिकाकर्ता मोनिका शक्तावत पुत्री श्री रतन सिंह शक्तावत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
527	732	Neelam Choudhary	NO200591	याचिकाकर्ता नीलम चौधरी पुत्री श्री मोडाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 96 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
528	733	Jasoda	NO196457	याचिकाकर्ता जसोदा पुत्री श्री लादूराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 16.05.2021 से 18.09.2021 तक 126 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
529	734	Antima Mahawar	NO106619	याचिकाकर्ता अंतिमा महावर पुत्री श्री रामकिशोर महावर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
530	735	Suman Kasana	NO178252	याचिकाकर्ता सुमन कसाना पुत्री श्री दत्ताराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
531	736	Nusrat Bano	NO161967	याचिकाकर्ता नुसरत बानो पुत्री श्री रफिक खान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 17.05.2021 से 18.09.2021 तक 125 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
532	737	Deepu Kumari	NO183485	याचिकाकर्ता दीपू कुमारी पुत्री श्री जसाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
533	738	Tarun Kumar Bairwa	NO152666	याचिकाकर्ता तरूण कुमार बैरवा पुत्री श्री रामरतन बैरवा ने माननीय न्यायलय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718–19 दिनांक 31.08.2020 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
534	739	Amit Kumar Dabaria	NO173106	याचिकाकर्ता अमित कुमार डबरिया पुत्री श्री गंगाराम डबरिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
535	740	Anamika Kanwar	NO187000	याचिकाकर्ता अनामिका कंवर पुत्री श्री रामसिंह राठौड़ द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
536	741	Kusum Kanwar	NO166741	याचिकाकर्ता कुसुम कंवर पुत्री श्री भंवर सिंह नाथावत द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा 530 दिवस जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया-गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ.- कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई भुगतान की दर के अनुसार इन्हे नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। किन्तु भुगतान दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन अनुसार अनुभव भुगतान संबंधी स्थिति स्पष्ट कराते हुये समुचित कार्यवाही की जा सकती है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा 530 दिवस जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई भुगतान की दर के अनुसार इन्हे नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। किन्तु भुगतान दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन अनुसार अनुभव भुगतान संबंधी स्थिति स्पष्ट कराते हुये समुचित कार्यवाही की जावें। तद्नुसार याचिकाकर्ता सुश्री कुसुम कॅवर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
537	742	Sultan Gurjar	NO147285	याचिकाकर्ता सुल्तान गुर्जर पुत्र श्री प्रहलाद सहाय गुर्जर द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
538	743	Suman Kumari	NO195552	याचिकाकर्ता सुमन कुमारी पुत्री श्री अमर सिंह मीना द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
539	744	Alka Panwar	NO202302	याचिकाकर्ता अलका पंवार पुत्री श्री कुशल चन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिन वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह तथा दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
540	745	Sangita Choudhary	NO188137	याचिकाकर्ता संगीता चौधरी पुत्री श्री परवत राम डूडी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
541	746	Kushwant Singariya	NO151713	याचिकाकर्ता खुशवन्त सिंगारिया पुत्र श्री चंपालाल द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
542	747	Pooja Regar	NO155371	याचिकाकर्ता पूजा रैगर पुत्री श्री नाथूलाल रैगर द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 14.05.2021 से 19.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
543	748	Pooja Kumari Dhobi	NO153993	याचिकाकर्ता पूजा कुमारी धोबी पुत्री श्री दुर्गालाल धोबी द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 19.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
544	749	Aafrin Khan	NO203929	याचिकाकर्ता आफरीन खान पुत्री श्री केसर अहमद द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
545	750	Priya Kumari	NO196207	याचिकाकर्ता प्रिया कुमारी पुत्री श्री भूप सिंह द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
546	751	Sapna Meena	NO187183	याचिकाकर्ता सपना मीना पुत्री श्री सुरेश चन्द्र मीना द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समाम कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
547	752	Vinita Meena	NO187485	याचिकाकर्ता विनिता मीना पुत्री श्री कैलाश मीना द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 31.08.2021 तक 112 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
548	753	Reena Saini	NO201875	याचिकाकर्ता रीना सैनी पुत्री श्री रंगलाल सैनी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 28.02.2023 तक 337 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
549	754	Pulkit Nagar	NO103790	याचिकाकर्ता पुलकित नागर पुत्र श्री समय सिंह नागर द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 28.06.2021 से 17.09.2021 तक 82 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
550	755	Birbal Nahaliya	NO180525	याचिकाकर्ता बीरबल नहालियां पुत्र श्री थानाराम नहालिया द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
551	756	Kavita Kumari Kumawat	NO114803	याचिकाकर्ता कविता कुमारी कुमावत पुत्री श्री कालूराम कुमावत द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
552	757	Khushbu Panwar	NO196578	याचिकाकर्ता खुशबू पंवार पुत्री श्री हरीराम द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
553	758	Nanda Kumari	NO197746	याचिकाकर्ता नंदा कुमारी पुत्री श्री चुन्नी लाल डामोर द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
554	759	Leela Kumari Meena	NO202147	याचिकाकर्ता लीला कुमारी मीना पुत्री श्री मनोहर लाल मीना द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
555	760	Reena Bairwa	NO104079	याचिकाकर्ता रीना बैरवा पुत्री श्री रमेश चन्द बैरवा द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
556	761	Neelam Bairwa	NO204321	याचिकाकर्ता नीलम बैरवा पुत्री श्री धर्मपाल बैरवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 28.02.2023 तक 337 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
557	762	Priyadarshani Pal	NO203751	याचिकाकर्ता प्रियदर्शनी पाल पुत्री श्री दिगम्बर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
558	763	Manisha Meena	NO211923	याचिकाकर्ता मनीषा मीना पुत्री श्री भजनीराम मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
559	764	Pooja Kumari	NO190635	याचिकाकर्ता पूजा कुमारी पुत्री श्री परसाराम द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
560	765	Khushbu	NO193030	याचिकाकर्ता खुशबू पुत्री श्री मानसिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 31.03.2023 तक 401 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
561	766	Sapna Kumari	NO162379	याचिकाकर्ता सपना कुमारी पुत्री श्री अतरसिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 401 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 16.12.2019 से 10.05.2021 तक 480 दिवस का जीएनएम पीपीपी मोड का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 610 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा जारी कुल 367 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 610 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा जारी कुल 367 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री सपना कुमारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
562	767	Rashmi Gurjar	NO176499	याचिकाकर्ता रश्मि गुर्जर पुत्री श्री प्रहलाद गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद, में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
563	768	Seema Gautam	NO206807	याचिकाकर्ता सीमा गौतम पुत्री श्री महेश चन्द गौतम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 31.08.2021 तक 110 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 401 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
564	769	Kajal Kumari Meena	NO169532	याचिकाकर्ता काजल कुमारी मीना पुत्री श्री ख्यालीराम द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
565	770	Pinky Kumari	NO209988	याचिकाकर्ता पिंकी कुमारी पुत्री श्री शीशराम द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
566	771	Priyanka Payak	NO152019	याचिकाकर्ता प्रियंका पायक पुत्री श्री सुरेश चन्द्र पायक द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 19.09.2021 तक 131 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
567	772	Komal Malowa	NO143956	याचिकाकर्ता कोमल मलोवा पुत्री श्री राजेन्द्र मलोवा द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
568	773	Pooja	NO163315	याचिकाकर्ता पूजा पुत्री श्री बलबीर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 17.05.2021 से 18.09.2021 तक 132 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
569	774	Kamlesh Kumar Bunkar	NO186963	याचिकाकर्ता कमलेश कुमार बुनकर पुत्र श्री हजारी लाल बुनकर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
570	775	Sona Jat	NO188753	याचिकाकर्ता सोना जाट पुत्री श्री लक्ष्मी नारायण जाट द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
571	776	Kiran Kumari Gurjar	NO153295	याचिकाकर्ता किरण कुमारी गुर्जर पुत्री श्री मदन लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 126 दिवस का 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 07.01.2020 से 11.05.2021 तक 484 दिवस का एनएचएम जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 609 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 609 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री किरण कुमार गुर्जर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
572	777	Hansa Reddy	NO133349	याचिकाकर्ता हंसा रेड्डी पुत्र श्री छोटूराम रैगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
573	778	Rinku Sharma	NO162462	याचिकाकर्ता श्री रिंकु शर्मा पुत्री श्री मनोज कुमार शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
574	779	Silochana	NO184596	याचिकाकर्ता सिलोचना पुत्री श्री फूलाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
575	780	Ritu Kumari	NO153375	याचिकाकर्ता रितु कुमारी पुत्री श्री बालूराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक 127 दिवस का 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
576	781	Vimla Ranwa	NO196118	याचिकाकर्ता विमला रणवां पुत्री श्री मोहन राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17398/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 26.06.2021 तक 46 दिवस एवं दिनांक 28.06.2021 से 18.09.2021 तक 83 दिवस जिनका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमा है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
577	782	Sadhna Gurjar	NO176286	याचिकाकर्ता साधना गुर्जर पुत्री श्री शंकर लाल गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17398/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिनका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमा है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
578	783	Varsha Verma	NO165547	याचिकाकर्ता वर्षा वर्मा पुत्री श्री लादूलाल वर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस का 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से एवं दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2023 तक 395 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
579	784	Manoj Kumar	NO140625	याचिकाकर्ता मनोज कुमार पत्र श्री टोडाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 19.09.2021 तक 132 दिवस का 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
580	785	Manohari	NO175951	याचिकाकर्ता मनोहरी पुत्री श्री मूलचन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिन वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुएकोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
581	786	Santra	NO179108	याचिकाकर्ता संतरा पुत्री श्री मूलचन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 107 दिवस तक 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
582	787	Raghuraj Singh	NO152053	याचिकाकर्ता रघुराज सिंह पुत्र श्री भाजपाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस तक 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
583	788	Sumran Meena	NO197710	याचिकाकर्ता सुमरन मीना पुत्री श्री प्रकाशचन्द मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस तक 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 05.01.2017 से 14.04.2018 तक 464 दिवस का जीएनएम पीपीपी मोड का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 594 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा जारी कुल 399 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 594 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा जारी कुल 399 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार.ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री सुमरन मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
584	789	Indira Meena	NO187539	याचिकाकर्ता इंदिरा मीना पुत्री श्री छोटू लाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 30.03.2022 से 31.03.2023 तक 367 दिवस तक 25000 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 21.07.2019 से 30.09.2020 तक 436 दिवस का पीपीपी जीएनएम पद का अनुभव संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 566 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा जारी कुल 367 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 566 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा जारी कुल 367 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री इंदिरा मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
585	790	Lalita Kumari Bheel	NO166582	याचिकाकर्ता ललिता कुमारी भील पुत्री श्री रामदेव भील ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 401 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
586	791	Priyanka Singhal	NO198427	याचिकाकर्ता प्रियंका सिंघल पुत्री श्री महेश गुप्ता द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 28.06.2021 से 21.12.2021 तक 177 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
587	792	Priyanka Meena	NO155317	याचिकाकर्ता प्रियंका मीना पुत्री श्री मोहन लाल मीना द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 19.09.2021 तक 132 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
588	793	Sushma Tripathi	NO202628	याचिकाकर्ता सुषमा त्रिपाठी पुत्री श्री रामेश्वर लाल शर्मा द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
589	794	Sanju Kanwar	NO190441	याचिकाकर्ता संजू कंवर पुत्री श्री रघुवीर सिंह द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
590	795	Kranti Sharma	NO172984	याचिकाकर्ता कांति शर्मा पुत्री श्री कवरलाल शर्मा द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
591	796	Pooja Kumari Gadri	NO149620	याचिकाकर्ता पूजा कुमारी गाडरी पुत्री श्री मूलचन्द गाडरी द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 14.05.2021 से 18.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नही किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
592	797	Rachna Gurjar	NO144841	याचिकाकर्ता रचना गुर्जर पुत्री श्री संतोष गुर्जर द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
593	798	Neha Kumari Sharma	NO198721	याचिकाकर्ता नेहा कुमारी शर्मा पुत्री श्री कैलाश चन्द्र शर्मा द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस 25000 रूपये प्रतिमहा की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
594	799	Chandmal Regar	NO139783	याचिकाकर्ता चांदमल रैगर पुत्र श्री चुन्नीलाल रैगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
595	800	Anju Goswami	NO206343	याचिकाकर्ता अंजू गोस्वामी पुत्री श्री जगदीश पुरी द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
596	801	Rekha Kumari Meena	NO199276	याचिकाकर्ता रेखा कुमारी मीना पुत्री श्री हीरालाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
597	802	Yogesh Meena	NO206150	याचिकाकर्ता योगेश मीना पुत्र श्री गणेशलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
598	803	Rajeena Joyas	NO189695	याचिकाकर्ता रजीना जोयस पुत्री श्री रमेश कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 10.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
599	804	Krishna Raj Pargi	NO209252	याचिकाकर्ता कृष्णराज पारगी पुत्र श्री रामचन्द्र पारगी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
600	805	Kamlesh Kumar Kharadi	NO202674	याचिकाकर्ता कमलेश कुमार खराड़ी पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 399 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
601	806	Arvinda Kumari	NO196284	याचिकाकर्ता अरविन्दा कुमारी पुत्र श्री महिपाल भामू ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
602	807	Suman	NO201422	याचिकाकर्ता सुमन पुत्र श्री शिशुपाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
603	808	Ravi Kumar Dayma	NO166903	याचिकाकर्ता रवि कमुार दायमा पुत्र श्री निरंजन लाल दायमा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसें सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसें सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
604	809	Arvind Kumar Parish	NO119147	याचिकाकर्ता अरविन्द कुमार पारीष पुत्र श्री भगवान सहाय पारीष ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 04.05.2023 तक 532 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा 532 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई भुगतान की दर के अनुसार इन्हे नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। किन्तु भुगतान दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण याचिकाकर्ता का परिणाम अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के अध्याधीन रोका जाना प्रस्तावित है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा 532 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई भुगतान की दर के अनुसार इन्हे नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। किन्तु भुगतान दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन अनुसार अनुभव भुगतान संबंधी स्थिति स्पष्ट कराते हुये समुचित कार्यवाही की जावें। तद्नुसार याचिकाकर्ता सुश्री अरविन्द कुमार पारिश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
605	810	Padma Kumari Gurjar	NO201971	याचिकाकर्ता पदमा कुमारी गुर्जर पुत्री श्री देवलाल गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
606	811	Nutan Kumari Jatav	NO176921	याचिकाकर्ता नूतन कुमारी जाटव पुत्री श्री तेल सिंह जाटव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुएकोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 07.06.2021 से 18.09.2021 तक 104 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
607	812	Manisha Damor	NO206132	याचिकाकर्ता मनीषा डामोर पुत्री श्री नारायण लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 10.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
608	813	Geeta Damor	NO211285	याचिकाकर्ता गीता डामोर पुत्री श्री बाबूलाल डामोर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
609	814	Deepika Soni	NO196325	याचिकाकर्ता दीपिका सोनी पुत्री श्री सूरज कुमार सोनी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 03.05.2023 तक 401 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
610	815	Yogesh Kumar	NO151252	याचिकाकर्ता योगेश कुमार पुत्र श्री दिनेश कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
611	816	Rekha Kharadi	NO212192	याचिकाकर्ता रेखा खराड़ी पुत्री श्री मंगला खराड़ी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
612	817	Suman Kumari	NO189804	याचिकाकर्ता सुमन कुमारी पुत्री श्री दुलाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17398/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचआरडी/भर्ती/2020/1004 दिनांक 08.05.2021 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
613	818	Girja Baranda	NO195489	याचिकाकर्ता गिरजा बरण्डा पुत्री श्री सोमराज बरण्डा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
614	819	Divya Meena	NO211219	याचिकाकर्ता दिव्या मीना पुत्री श्री कालूलाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
615	820	Sugna Damor	NO207648	याचिकाकर्ता सुगना डामोर पुत्री श्री केशुलाल डोमोर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
616	821	Bharat Kumar Meghwal	NO198071	याचिकाकर्ता भरत कुमार मेघवाल पुत्र श्री जीवाजी मेघवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 398 दिवस का 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त सितम्बर 2017 से अक्टूबर 2018 तक 425 दिवस का एनएचएम जीएनएम एमएमवी का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 555 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 555 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता श्री भरत कुमार मेघवंशी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
617	822	Sushma Salvi	NO190057	याचिकाकर्ता सुषमा साल्वी पुत्री श्री अमृतलाल साल्वी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस का 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
618	823	Ravina Choudhary	NO147802	याचिकाकर्ता रविना चौधरी पुत्री श्री श्रीचन्द चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
619	824	Sanju	NO152994	याचिकाकर्ता संजू पुत्री श्री सांवरमल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
620	825	Amrita Bhawariya	NO164025	याचिकाकर्ता अमृता भांवरिया पुत्री श्री रामनिवास भावरिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
621	826	Kavita Kumari	NO167608	याचिकाकर्ता कविता कुमारी पुत्री श्री सांवरमल महरिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 24.06.2021 से 18.09.2021 तक 87 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
622	827	Pramila	NO156372	याचिकाकर्ता प्रमिला पुत्री श्री सूरजाराम रणवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
623	828	Mratunjaya Gurjar	NO210532	याचिकाकर्ता मृत्युंजय गुर्जर पुत्र श्री प्रभुलाल गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 20.04.2023 तक 387 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया।नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
624	829	Manoj Kumar Meena	NO210507	याचिकाकर्ता मनोज कुमार मीना पुत्र श्री हीरालाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 04.06.2021 से 17.09.2021 तक 106 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 20.04.2023 तक 387 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
625	830	Sonu Sharma	NO178024	याचिकाकर्ता सोनू शर्मा पुत्री श्री मदनलाल ओझा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
626	831	Sonu Kumar	NO159962	याचिकाकर्ता सोनू कुमार पुत्र श्री लालाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
627	832	Lokendra	NO189870	याचिकाकर्ता लोकेन्द्र पुत्र श्री नारायण ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया।नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
628	833	Satish Kumar	NO169808	याचिकाकर्ता सतीश कुमार पुत्र श्री राजेश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
629	834	Sukhlesh Jat	NO184700	याचिकाकर्ता सुखलेश जाट पुत्री श्री मुंशीलाल सैनिक ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
630	835	Nirutama Mahawar	NO182658	याचिकाकर्ता निरूतमा महावर पुत्री श्री बुद्धिप्रकाश महावर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया।नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
631	836	Kiran Chaparwal	NO154237	याचिकाकर्ता किरण छापरवाल पुत्री श्री भेरूलाल बुनकर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
632	837	Chavali Meena	NO177009	याचिकाकर्ता चावली मीना पुत्री श्री छीतरमल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
633	838	Ramesh Chandra Regar	NO147715	याचिकाकर्ता रमेश चन्द्र रैगर पत्र श्री गावर्धन लाल रैगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 19.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
634	839	Padma Kumawat	NO166564	याचिकाकर्ता पदमा कुमावत पत्री श्री मांगीलाल कुमावत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 19.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
635	840	Kirti Sharma	NO139153	याचिकाकर्ता किर्ती शर्मा पत्नी श्री दिनेशचन्द्र शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रुपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
636	841	Anita Kumari Kherwa	NO208654	याचिकाकर्ता अनिता कुमारी खेरवा पुत्री श्री शिवदान सिंह खेरवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07,10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिगांक 03.01.2020 से 10.05.2021 तक कुल 494 दिवस एनएचएम जीएनएम संविदा का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 625 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.196 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक पतिशत 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 625 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.196 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक पतिशत 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता सुश्री अनिता कुमारी खैरवा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
637	842	Kamlesh Naliya	NO186274	याचिकाकर्ता कमलेश नालिया पुत्री श्री रामलाल नालिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 20061/2023 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनके अनुसूचित जाति फिमेल वर्ग की कटऑफ 63.61 प्रतिशत से अधिक 66.18 प्रतिशत अंक होते हुए भी उन्हे प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस का सीएचओ पद जिसका भुगतान 7900 रूपये प्रतिमाह है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
638	843	Shobha Kumari	NO196647	याचिकाकर्ता शोभा कुमारी पुत्री श्री बंशीलाल हरिजन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 15.05.2021 से 18.09.2021 तक 127 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
639	844	Subhita	NO176438	याचिकाकर्ता सुभीता पुत्री श्री रामनिवास सिहाग ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18039/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कुल अनुभव अवधि दिनांक 28.03.2022 से 04.05.2023 तक 403 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 610 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी कुल 403 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि सहित 610 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी कुल 403 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर/उपकेन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री सुभिता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. सख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
640	845	Vandana Kumari	NO155621	याचिकाकर्ता वंदना कुमारी पुत्री श्री अमीलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18039/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
641	846	Prabhdeep Kaur	NO213706	याचिकाकर्ता प्रभदीप कौर पुत्री श्री बलविन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17239/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 19.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
642	847	Pooja Shringi	NO199745	याचिकाकर्ता पूजा श्रृंगी पुत्री श्री बालकृष्ण श्रृंगी द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 23.06.2021 तक 42 दिवस एवं 24.06.2021 से 17.06.2021 तक 86 दिवस जिनका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
643	848	Sandeep Meena	NO204297	याचिकाकर्ता संदीप मीना पुत्र श्री बालमुकुन्द मीना द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
644	849	Harish Paraliya	NO201673	याचिकाकर्ता हरीश परालिया पुत्र श्री जुगराज परालिया द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 19.05.2021 से 18.09.2021 तक 123 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
645	850	Tripti Joshi	NO199993	याचिकाकर्ता तृप्ती जोशी पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण जोशी द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
646	851	Preeti Rani	NO118115	याचिकाकर्ता प्रीति रानी पुत्री श्री ओमप्रकाश द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 29.05.2021 से 15.09.2021 तक 110 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
647	852	Laxmi Kumhar	NO176794	याचिकाकर्ता लक्ष्मी कुम्हार पुत्र श्री नोरतमल कुम्हार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 15.05.2021 से 18.09.2021 तक 127 दिवस की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
648	853	Santosh Meena	NO164493	याचिकाकर्ता संतोष मीना पुत्री श्री कैलाश चन्द मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
649	854	Deepika Kumari Nayak	NO209446	याचिकाकर्ता दीपिका कुमारी नायक पुत्री श्री सूरजमल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 17.02.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा 131 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नही किया गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
650	855	Rajbala	NO202478	याचिकाकर्ता राजबाला पुत्री श्री भागीरथमल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
651	856	Kaluram Katara	NO202033	याचिकाकर्ता कालूराम कटारा पुत्र श्री फूलचन्द कटारा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 10.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
652	857	Suman Kumari Meena	NO193129	याचिकाकर्ता सुमन कुमारी मीना पुत्री श्री रामभरोसे मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14585/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 की प्रति मात्र संलग्न की है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
653	858	Kallo Bai Meena	NO169533	याचिकाकर्ता कल्लो बाई मीना पुत्री श्री रतनलाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14585/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 की प्रति मात्र संलग्न की है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
654	859	Pragya Sharma	NO209464	याचिकाकर्ता प्रज्ञा शर्मा पुत्री श्री ओमप्रकाश शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
655	860	Heena Sharma	NO192904	याचिकाकर्ता हीना शर्मा पुत्री श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
656	861	Mamta Pareek	NO173245	याचिकाकर्ता ममता पारीक पुत्री श्री धड़सीराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा कोविड अवधि में कार्य किया गया है किन्तु उनका नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं की है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
657	862	Anita Kumari Meena	NO160852	याचिकाकर्ता अनिता कुमारी मीना पुत्री श्री जयराम मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.06.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
658	863	Rohit Kumar Meena	NO176214	याचिकाकर्ता रोहित कुमार मीना पुत्र श्री भंवरलाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
659	864	Akansha Choudhary	NO159762	याचिकाकर्ता आंकाक्षा चौधरी पुत्र श्री अरूण कुमार चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस 25000 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
660	865	Rajesh kumar Meena	NO196213	याचिकाकर्ता राजेश कुमार मीना पुत्र श्री घमसु लाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
661	866	Sonu Upadhyaya	NO186378	याचिकाकर्ता सोनू उपाध्याय पुत्री श्री निरंजन उपाध्याय ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16747/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
662	867	Priyanka Kumari Meena	NO198473	याचिकाकर्ता प्रियंका कुमारी मीना पुत्री श्री कांतिलाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस 25000 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
663	868	Manju Jakhar	NO197820	याचिकाकर्ता मंजु जाखड़ पुत्री श्री भंवरलाल जाखड़ ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
664	869	Ankita	NO157563	याचिकाकर्ता अंकिता पुत्री श्री गोविन्द राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
665	870	Neeta Kumari Ninama	NO186577	याचिकाकर्ता नीता कुमारी निनामा पुत्री श्री महिपाल निनामा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
666	871	Kiran Nehra	NO186643	याचिकाकर्ता किरण नेहरा पुत्री श्री महेन्द्र कुमार नेहरा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश,प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
667	872	Kaushailya Meena	NO165308	याचिकाकर्ता कौशल्या मीना पुत्री श्री रामगोपाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 17.5.2021 से 19.9.2021 तक रूपये 7900 प्रतिमाह की दर से एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
668	873	Renu	NO154482	याचिकाकर्ता रेनु पुत्री श्री चिरंजीलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
669	874	Sapna	NO193410	याचिकाकर्ता सपना पुत्री श्री मोहन सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
670	875	Mahesh Kumar Ahari	NO204245	याचिकाकर्ता महेश कुमार अहारी पुत्र श्री भंवर लाल अहारी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
671	876	Priyanka Damor	NO197575	याचिकाकर्ता प्रियंका डामोर पुत्र श्री लक्ष्मण लाल डामोर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
672	877	Kanta Kumari	NO210629	याचिकाकर्ता कान्ता कुमारी पुत्री श्री परतूलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
673	878	Mahendra Singh Meena	NO194438	याचिकाकर्ता महेन्द्र सिंह मीना पुत्र श्री गौतम लाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
674	879	Babita Meena	NO166905	याचिकाकर्ता बबीता मीना पुत्र श्री शिव लाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
675	880	Indira Kumar Raidas	NO178354	याचिकाकर्ता इंदिरा कुमार रैदास पुत्री श्री रामनारायण रैदास ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
676	881	Poonam	NO187967	याचिकाकर्ता पूनम पुत्री श्री विरेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
677	882	Neetu Khokhar	NO111338	याचिकाकर्ता नीतू खोखर पुत्री श्री रामलाल खोखर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
678	883	Priyanka Choudhary	NO116003	याचिकाकर्ता राजेन्द्र मुण्डेल पुत्री श्री राजेन्द्र मुण्डेल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
679	884	Manisha Damor	NO209073	याचिकाकर्ता मनीषा डामोर पुत्री श्री अर्जुन लाल डामोर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम.अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 18.06.2021 से 18.09.2021 तक 128 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
680	885	Manju	NO160177	याचिकाकर्ता मंजू पुत्री श्री कृष्ण कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रुपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
681	886	Pooja Kumari	NO207204	याचिकाकर्ता पूजा कमारी पुत्री श्री विनोद कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 14.09.2021 तक 129 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रुपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
682	887	Seema Kumari	NO196101	याचिकाकर्ता सीमा कमारी पुत्री श्री विद्याधर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 142 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
683	888	Gora Devi Gurjar	NO177944	याचिकाकर्ता गौरा देवी गुर्जर पुत्री श्री भंवर लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 15.05.2021 से 18.09.2021 तक 127 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
684	889	Manju Raidas	NO201010	याचिकाकर्ता मंजु रैदास पुत्री श्री लक्ष्मी चन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 127 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
685	890	Aradhana	NO187246	याचिकाकर्ता अराधना पुत्री श्री ओमप्रकाश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
686	891	Santosh Kumar Raidas	NO192683	याचिकाकर्ता संतोष कुमार रैदास पुत्री श्री लक्ष्मीचन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
687	892	Nanak Ram	NO160174	याचिकाकर्ता नानक राम पुत्र श्री सज्जन सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 10.05.2021 से 19.09.2021 तक 130 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
688	893	Sunita	NO192750	याचिकाकर्ता सुनीता पुत्री श्री जगदीश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 19.09.2021 तक 132 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
689	894	Suman	NO197771	याचिकाकर्ता सुमन पुत्री श्री रमेश चन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 30.04.2023 तक 527 दिवस का जिसकी दर 7900 एवं 25000 प्रतिमाह दोनो का उल्लेख है। भिन्न–भिन्न दिवस के हिसाब से दर नहीं है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
690	895	Mamta Kumari Goda	NO196290	याचिकाकर्ता ममता कुमारी गोदा पुत्री श्री मनेंग गोदा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस का जिसकी दर 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
691	896	Saba Parvin	NO157975	याचिकाकर्ता सबा परवीन पुत्री श्री जावेद खान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसकी दर 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
692	897	Sonu Yadav	NO168080	याचिकाकर्ता सोनू यादव पुत्री श्री राजेश कुमार यादव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 की प्रति मात्र संलग्न की ह। कोई अभ्यावेदन या अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
693	898	Ravina Bairwa	NO204668	याचिकाकर्ता रविना बैरवा पुत्री श्री किशन बैरवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस का जिसकी दर 7900 प्रतिमाह की दर एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
694	899	Pooja Sharma	NO180836	याचिकाकर्ता पूजा शर्मा पुत्री श्री कृष्ण कुमार शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसकी दर 7900 प्रतिमाह की दर एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
695	900	Saroj Devi Meena	NO160848	याचिकाकर्ता सरोज देवी मीना पुत्री श्री गणपतराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का जिसकी दर 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
696	901	Seema Gurjar	NO186670	याचिकाकर्ता सीमा गुर्जर पुत्री श्री मामचन्द बागड़ी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस का जिसकी दर 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
697	902	Naveen Kumar Arya	NO170920	याचिकाकर्ता नवीन कुमार आर्य पुत्र श्री ओमप्रकाश आर्य ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 20.09.2021 तक 132 दिवस का जिसकी दर 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
698	903	Suman Bai	NO164080	याचिकाकर्ता सुमन बाई पुत्री श्री सीताराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का जिसकी दर 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
699	904	Sapna Kohli	NO168899	याचिकाकर्ता सपना कोली पुत्री श्री मख्खन लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस का जिसकी दर 7900 प्रतिमाह की दर से एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
700	905	Santosh	NO137107	याचिकाकर्ता संतोष पुत्र श्री महेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 एवं दिनांक 29.03.2022 से 22.03.2022 तक कुल 371 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ चुरू द्वारा 371 दिवस जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई भुगतान की दर के अनुसार इन्हे नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। किन्तु भुगताम दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण याचिकाकर्ता का परिणाम अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के अध्याधीन रोका जाना प्रस्तावित है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ घुरू द्वारा 371 दिवस जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। किन्तु भुगतान दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन अनुसार अनुभव भुगतान संबंधी स्थिति स्पष्ट कराते हुये समुचित कार्यवाही की जावें। तदनुसार याचिकाकर्ता सुश्री सन्तोष द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
701	906	Daya Gurjar	NO161712	याचिकाकर्ता दया गुर्जर पुत्र श्री कैलाश चन्द गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
702	907	Ekta Gautam	NO198546	याचिकाकर्ता एकता गौतम पुत्री श्री सत्यनारायण शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 14.05.2021 से 18.09.2021 तक 128 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
703	908	Vidhya Sharma	NO187481	याचिकाकर्ता विद्या शर्मा पुत्री श्री गोपाल लाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
704	909	Anita Choudhary	NO171152	याचिकाकर्ता अनिता चौधरी पुत्री श्री रामश्वर चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
705	910	Manju Devi Yadav	NO164923	याचिकाकर्ता मंजु देवी यादव पुत्री श्री रोशन लाल यादव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
706	911	Usha Rani Khatik	NO193455	याचिकाकर्ता उषा रानी खटीक पुत्री श्री रामनारायण ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया।नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
707	912	Mamta Chawla	NO199475	याचिकाकर्ता ममता चावला पुत्री श्री घन्नालाल चावला ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
708	913	Monu Sharma	NO192070	याचिकाकर्ता मोनू शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
709	914	Mithlesh Goar	NO119420	याचिकाकर्ता मिथलेश गौड़ पुत्र श्री शिवनारायण गौड़ ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
710	915	Priyanka Sonkariya	NO203320	याचिकाकर्ता प्रियंका सौंकरया पुत्री श्री मोहन लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 19.09.2021 तक 131 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
711	916	Jyoti Meena	NO197139	याचिकाकर्ता ज्योति मीना पुत्री श्री ओमप्रकाश मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
712	917	Prabha Sisodiya	NO187283	याचिकाकर्ता प्रभा सिसोदिया पुत्री श्री दानमल सिसोदिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 21.05.2021 से 18.09.2021 तक 120 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
713	918	Sadhna Kumari	NO168995	याचिकाकर्ता साधना कुमारी पुत्री श्री नानू सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 19.09.2021 तक 132 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
714	919	Lalita Nagda	NO209167	याचिकाकर्ता ललिता नागदा पुत्री श्री नरेन्द्र नागदा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
715	920	Lali Rajput	NO210098	याचिकाकर्ता लाली राजपूत पुत्री श्री सोहन सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 की प्रति मात्र संलग्न की ह। कोई अभ्यावेदन या अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
716	921	Sudha Gurjar	NO181255	याचिकाकर्ता सुधा गुर्जर पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समाम कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
717	922	Ranjana	NO205564	याचिकाकर्ता रंजना पुत्री श्री भंवरलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 17.05.2021 से 20.09.2021 तक 127 दिवस का 7900 प्रतिमाह (दर एवं भुगतान में कांट–छांट एवं सत्यापित नहीं है) की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
718	923	Anita Gurjar	NO152906	याचिकाकर्ता अनिता गुर्जर पुत्री श्री बंशीलाल गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 18.05.2021 से 18.09.2021 तक 124 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
719	924	Sonu Meena	NO157457	याचिकाकर्ता सोनू मीना पुत्री श्री सरदारमल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 116 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त् बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
720	925	Maina Devi	NO177506	याचिकाकर्ता मैना देवी पुत्री पूसाराम कुमावत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस का 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
721	926	Manisha	NO208801	याचिकाकर्ता मनीषा पुत्री बृजलाल जाटव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
722	927	Amrita Barbad	NO206622	याचिकाकर्ता अमृता बरबड़ पुत्री पूनाराम बरबड़ ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस 7900 प्रतिमाह दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
723	928	Anita Vaishnav	NO198208	याचिकाकर्ता अनिता वैष्णव पुत्री अमरदास ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस 7900 प्रतिमाह दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
724	929	Kaushar Jahan	NO147985	याचिकाकर्ता कौशर जहांन पुत्री अयूब खान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस 7900 प्रतिमाह दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त आवेदक को सीफू द्वारा दिनांक 29.09.2023 को अनुभव की परिवेदना के संबंध में दस्तावेज सत्यापन हेतु अतिरिक्त आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किया गया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
725	930	Sonu	NO149864	याचिकाकर्ता सोनू पुत्री श्री मूलचन्द मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 19.09.2021 तक 132 दिवस 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस का 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
726	931	Jaya Kayat	NO202038	याचिकाकर्ता जया कायत पुत्री श्री राजू कायत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
727	932	Reena Sharma	NO188415	याचिकाकर्ता रीना शर्मा पुत्री श्री रामगोपाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 128 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
728	933	Harish Kumar	NO160660	याचिकाकर्ता हरीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद रैगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
729	934	Pooja Raidas	NO204175	याचिकाकर्ता पूजा रैदास पुत्री श्री प्रेमचन्द रैदास ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
730	935	Anita Gurjar	NO153189	याचिकाकर्ता अनीता गुर्जर पुत्री श्री दौलतराम गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 14.05.2021 से 18.09.2021 तक 128 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
731	936	Nikita Sharma	NO162147	याचिकाकर्ता निकिता शर्मा पुत्री श्री केसरलाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक 127 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
732	937	Pooja Kumari	NO193096	याचिकाकर्ता पूजा कुमारी पुत्री श्री प्यारेलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 20.09.2021 तक 132 दिवस 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
733	938	Deepika Sharma	NO188657	याचिकाकर्ता दीपिका शर्मा पुत्री श्री खेमराज शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
734	939	Manisha Choudhary	NO156184	याचिकाकर्ता मनीषा चौधरी पुत्री श्री किशनलाल जाट ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
735	940	Parul Tanwar	NO192883	याचिकाकर्ता पारूल तंवर पुत्री श्री पृथ्वी सिंह तंवर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस तक 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
736	941	Monika Tanwar	NO199133	याचिकाकर्ता मोनिका तंवर पुत्री श्री पृथ्वी सिंह तंवर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस तक 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
737	942	Priyanka Yadav	NO165689	याचिकाकर्ता प्रियंका यादव पुत्री श्री महिपाल यादव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस तक 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
738	943	Indira Kumari Meena	NO199780	याचिकाकर्ता इंदिरा कुमारी मीना पुत्री श्री किशनलाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 19.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस 7900 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
739	944	Chetan lal Doda	NO197748	याचिकाकर्ता चेतन लाल डोडा पुत्र श्री गलाजी डोडा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.08.2020 से 28.02.2021 तक 212 दिवस का जीएनएम एमएमयू पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 341 दिवस का कोविड अवधि का नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया,' केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 341 दिवस का कोविड अवधि का नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री चेतन लाल डोडा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
740	945	Priyanka Kumari Meena	NO209562	याचिकाकर्ता प्रियंका कुमारी मीना पुत्री श्री पन्नालाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
741	946	Jitendra Kumar Meena	NO177201	याचिकाकर्ता जितेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री रतनलाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 28.12.2019 से 10.05.2021 तक 500 दिवस का जीएनएम एनएचएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 630 दिवस का कोविड अवधि का नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर पूर्व में दिये गये 10 प्रतिशत बोनस अंको के स्थान पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 630 दिवस का कोविड अवधि का नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर पूर्व में दिये गये 10 प्रतिशत बोनस अंको के स्थान पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
742	947	Yogesh Kumar Meena	NO208824	याचिकाकर्ता योगेश कुमार मीना पुत्र श्री नाथूलाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 28.12.2019 से 11.05.2021 तक 501 दिवस का जीएनएम एनएचएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 631 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 631 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है।नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री योगश कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
743	948	Urmila	NO210462	याचिकाकर्ता उर्मिला पुत्री श्री हीरालाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
744	949	Aarti Rautela	NO145287	याचिकाकर्ता आरती रौतेला पुत्री श्री पूरणसिंह रौतेला ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 28.03.2022 से 31.03.2023 तक 369 दिवस का 25000 प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
745	950	Jyoti	NO153279	याचिकाकर्ता ज्योति पुत्री श्री दिनेश कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2020 से 12.05.2021 तक 497 दिवस का एनएचएम जीएनएम पद का अनुभव संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 628 दिवस के कोविड अवधि के नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा जारी कुल 397 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 628 दिवस के कोविड अवधि के नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा जारी कुल 397 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता सुश्री ज्योति द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
746	951	Monika Sharma	NO163111	याचिकाकर्ता मोनिका शर्मा पुत्री श्री विपिन कुमार शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 30.03.2022 से 30.04.2023 तक 397 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
747	952	Surya Kumari Parmar	NO194230	याचिकाकर्ता सूर्या कुमारी परमार पुत्री श्री कोदर लाल परमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम-अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
748	953	Hesmita Prajapat	NO183428	याचिकाकर्ता हेस्मिता प्रजापत पुत्री श्री गार्वधन लाल कुम्हार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
749	954	Suman Choudhary	NO167395	याचिकाकर्ता सुमन चौधरी पुत्री श्री रामकरण चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/ एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
750	955	Kishan Meghwal	NO195749	याचिकाकर्ता किशन मेघवाल पुत्र श्री रामलाल मेघवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17247/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके अनुभव प्रमाण पत्र को वैध मानकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नाथद्वारा द्वारा कोविड अवधि में 84 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसकें आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व से 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है एवं एक अन्य एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एएनएम के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि एएनएम पद पर एक पुरुष याचिकाकर्ता नियमानुसार किस प्रकार कार्य कर सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.046 उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नाथद्वारा द्वारा कोविड अवधि में 84 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसकें आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व से 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है एवं एक अन्य एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एएनएम के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि एएनएम पद पर एक पुरुष याचिकाकर्ता नियमानुसार किस प्रकार कार्य कर सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.046 उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री किशन मेघवाल द्वारा जारी अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
751	956	KIRAN CHOUDHARY	NO203240	याचिकाकर्ता किरण चौधरी पुत्री श्री तुलछा राम रामोता ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.2021 से 14.08.2021 तक कोविड–19 में किया गया कार्य के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
752	957	SAYAR RAM	NO194779	याचिकाकर्ता सायर राम पुत्र श्री नारायण राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक कोविड–19 में किया गया कार्य के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
753	958	LATA	NO169366	याचिकाकर्ता लता पुत्री सुरेश कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
754	959	PRIYANKA	NO217765	याचिकाकर्ता प्रियंका पुत्री पीराराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
755	960	CHANCHAL DEORA	NO153868	याचिकाकर्ता चंचल देवड़ा पुत्री गोवर्धनलाल देवड़ा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालयं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती, 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
756	961	SANTOSH	NO193211	याचिकाकर्ता संतोष पुत्री दुर्गा राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 के दौरान की गई सीएचओ (नर्सिंग ऑफिसर के कार्य) के अनुभव की गणना कर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
757	962	NIKKU KUMAWAT	NO148487	याचिकाकर्ता निक्कु कुमावत पुत्री श्री गिरधारी सिंह कुमावत ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
758	963	LEELA	NO194363	याचिकाकर्ता लीला पुत्री राणाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
759	964	SURENDRA KUMAR NIRMAL	NO171012	याचिकाकर्ता सुरेन्द्र कुमार निर्मल पुत्र श्री हनुमान राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
760	965	RAJPAL KAUR SANDHU	NO168850	याचिकाकर्ता राजपाल कौर सांधू पुत्र श्री रणजीत सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, क आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
761	966	MANPRAKASH JATOLIYA	NO176440	याचिकाकर्ता मानप्रकाश जाटोलिया पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद जाटोलिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 18.05.2021 से 18.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
762	967	SURESH KUMAR GURJAR	NO169639	याचिकाकता सुरेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री राजाराम गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाहरी का नाका, जयपुर तथा सीएचओ के पद पर दिनांक 29.03.2022 से 23.11.2022 तक पीएचसी नीमला, उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोठ ब्लॉक–राजगढ, जिला अलवर पर कार्य किया होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक व सीएचओ के अनुभव के अंक जोड़कर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
763	968	SANTOSH JAGRWAL	NO153658	याचिकाकर्ता सन्तोष जग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द नारायण जग्रवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटखावदा, जिला जयपुर और सीएचओ के पद पर दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक एचडब्ल्यूसी, लदाना खुर्द, जिला जयपुर पर कार्य किया होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक व सीएचओ के अनुभव के अंक जोडकर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
764	969	CHANCHAL GUPTA	NO205041	याचिकाकर्ता चंचल गुप्ता पुत्री श्री जगदीश प्रसाद ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 29.06.2021 से 17.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
765	970	RAJANI CHOUDHARY	NO166327	याचिकाकता रजनी चौधरी पुत्री श्री रामदयाल चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निर्माण नगर, जयपुर प्रथम और सीएचओं के पद पर दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक एचडब्ल्यूसी, सांवलिया कौथून, जिला जयपुर पर कार्य किया होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक व सीएचओ के अनुभव के अंक जोडकर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसें सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
766	971	ARPITA DADHICH	NO165470	याचिकाकता अर्पिता दाधीच पुत्री श्री गोविन्द नारायण शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खजूरी, जहाजपुर, जिला भीलवाडा और सीएचओं के पद पर दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक एचडब्ल्यूसी, किशनगढ, खजूरी, जहाजपुर, जिला भीलवाडा पर कार्य किया होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक व सीएचओ के अनुभव के अंक जोडकर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
767	972	RAJU KUMAR GURJAR	NO189238	याचिकाकर्ता राजू कुमार गुर्जर पुत्र श्री रामसहाय गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
768	973	KRISHNA GURJAR	NO197336	याचिकाकता कृष्णा गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में दिनांक 17.05.2021 से 19.09.2021 तक कोविड केयर सेन्टर, बॉदीकुई, दौसा और सीएचओं के पद पर दिनांक 29.03.2022 से 28.02.2023 तक एचडब्ल्यूसी, महुखेडा ब्लॉक बॉदीकुई, जिला दौसा पर कार्य किया होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक व सीएचओ के अनुभव के अंक जोडकर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
769	974	HEMLATA SODYA	NO199328	याचिकाकर्ता हेमलता सोडिया पुत्री श्री मोतीलाल सोडिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक यूपीएचसी, आदर्श नगर, जयपुर-1, जिला जयपुर और सीएचओं के पद पर दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक एचडब्ल्यूसी, डूंगरावता, जिला दौसा पर कार्य किया होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक व सीएचओ के अनुभव के अंक जोडकर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
770	975	HEMLATA SHARMA	NO161693	याचिकाकर्ता हेमलता शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18646/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अनुभव प्रमाणपत्रों का पुनर्सत्यापन कार्य प्रक्रियाधीन है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के भुगतान सम्बन्धी सत्यापन उपरान्त तदनुरूप अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव होगा।	याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन उपरान्त यदि इनके द्वारा कोविड अवधि में संपादित कार्य का भुगतान रू 7900/- प्रतिमाह की दर से किये जाने की पुष्टि हो जाती है तो नीति निर्धारण समिति के पूर्व निर्णयों के आधार पर देय अनुभव आधारित बोनस अंक प्रदान करने की कार्यवाही की जाये। तदनुसार याचिकाकर्ता सुश्री हेमलता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
771	976	NIRMA DEVI	NO160989	याचिकाकर्ता निरमा देवी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18646/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
772	977	NARESH KUMARI PANDAY	NO152738	याचिकाकर्ता नरेश कुमारी पाण्डे ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18646/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम, वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
773	978	LEELA KUMARI	NO198432	याचिकाकर्ता लीला कुमारी पुत्री श्री चूना राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
774	979	NARENDRA KUMAR	NO197478	याचिकाकर्ता लीला कुमारी पुत्री श्री चूना राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.2021 से 15.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
775	980	OM PRAKASH	NO200731	याचिकाकर्ता लीला कुमारी पुत्री श्री चूना राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.2021 से 15.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
776	981	NEMI	NO144816	याचिकाकर्ता नेमी पुत्री श्री पुरा राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
777	982	MANEESH KUMAR	NO207032	याचिकाकर्ता मनीष कुमार पुत्र श्री भंवर लाल सुथार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.2021 से 15.09.2021 तक कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
778	983	ANITA MEENA	NO199338	याचिकाकर्ता अनिता मीणा पुत्री श्री प्रताप सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
779	984	PRAGATI DASHORA	NO201368	याचिकाकर्ता प्रगति दशोरा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 22.05.2021 से 18.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. सख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
780	985	GOVIND NARAYAN	NO212647	याचिकाकर्ता गोविन्द नारायण पुत्र श्री शेरा राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.2021 से 15.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 523 दिवस का कोविड अवधि का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 बोनस अंक दिये जा चुके है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर द्वारा जारी कुल 240 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 523 दिवस का कोविड अवधि का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 15 बोनस अंक दिये जा चुके है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर द्वारा जारी कुल 240 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री गोविन्द नारायण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
781	986	MAYA DAYMA	NO160780	याचिकाकर्ता माया दायमा पुत्री श्री पूना राम दायमा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
782	987	HEMA RAM	NO161364	याचिकाकर्ता हेमा राम पुत्र श्री केशा राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.2021 से 15.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
783	988	JAISA RAM	NO126586	याचिकाकर्ता जैसा राम पुत्र श्री मदरूपा राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
784	989	ANITA	NO213648	याचिकाकर्ता अनिता पुत्री श्री करण सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोविड–19 के दौरान कार्य किया होने के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
785	990	NISHA KUMARI MEENA	NO205668	याचिकाकर्ता निशा कुमारी मीना पुत्री श्री चन्द प्रकाश मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल (सीएचओ) में दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक कार्य किया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
786	991	REENA RANI	NO172387	याचिकाकर्ता रीना रानी पुत्री श्री जगदीश राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 15.05.2021 से 17.09.2021 तक कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
787	992	GAYTRI SHARMA	NO158240	याचिकाकर्ता गायत्री शर्मा पुत्री श्री विजय शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
788	993	MONIKA	NO154393	याचिकाकर्ता मोनिका पुत्री श्री छोटेलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
789	994	RANJANA BAIRWA	NO175315	याचिकाकर्ता रंजना बैरवा पुत्री श्री प्रभुलाल बैरवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाहरी का नाका, जयपुर–1 तथा सीएचओ के पद पर दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2023 तक पीएचसी मेहन्दवास, उप स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बोला ब्लॉक–टोंक, जिला टोंक पर कार्य किया होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक व सीएचओ के अनुभव के अंक जोडकर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
790	995	POOJA KUMARI MEENA	NO176382	याचिकाकर्ता पूजा कुमारी मीणा पुत्री श्री लक्ष्मी नारायण मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में दिनांक 19.05.2021 से 19.09.2021 तक पीएचसी गोंधीनगर, जिला जयपुर–प्रथम और सीएचओ के पद पर दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक पीएचसी, खानवास, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्रहलादपुरा, ब्लॉक दौसा, जिला दौसा पर कार्य किया होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक व सीएचओ के अनुभव के अंक जोडकर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
791	996	BALA KUMARI	NO159084	याचिकाकर्ता बाला कुमारी पुत्री श्री रोहिताश कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
792	997	KHAMOSH MEENA	NO181882	याचिकाकर्ता खामोश मीणा पुत्री श्री धुड़ाराम मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
793	998	DIKSHA SHARMA	NO185601	याचिकाकर्ता दीक्षा शर्मा पुत्री श्री मनोहर लाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक पीएचसी, जवाहर नगर, जिला जयपुर और सीएचओ के पद पर दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक एचडब्ल्यूसी, खान माकरी, ब्लॉक दौसा, जिला दौसा पर कार्य किया होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक व सीएचओ के अनुभव के अंक जोडकर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
794	999	LAXMI DEVI	NO154859	याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 17.05.2021 से 17.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
795	1000	KARMJEET KAUR	NO161513	याचिकाकर्ता कर्मजीत कौर पुत्री श्री मगधर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
796	1001	POOJA	NO201979	याचिकाकर्ता पूजा पुत्री श्री ओमप्रकाश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
797	1002	VINOD KUMAR MEENA	NO192875	याचिकाकर्ता विनोद कुमार मीना पुत्र श्री भूरा लाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में दिनांक 13.05.2021 से 27.09.2021 तक उप स्वास्थ्य केन्द्र, आशापुरा, ब्लॉक-देसूरी, जिला पाली और सीएचओ के पद पर दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक एचडब्ल्यूसी, कांकरिया, ब्लॉक लालसोट, जिला दौसा पर कार्य किया होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक व सीएचओ के अनुभव के अंक जोडकर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
798	1003	SURBHI TIWARI	NO189872	याचिकाकर्ता विनोद कुमार मीना पुत्र श्री भूरा लाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक उप स्वास्थ्य केन्द्र, महुआ कलां, ब्लॉक मालाखेड, अलवर और सीएचओ के पद पर दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक एचडब्ल्यूसी, बडा गांव, ब्लॉक दौसा, जिला दौसा पर कार्य किया होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक व सीएचओ के अनुभव के अंक जोडकर प्रोविजनल सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
799	1004	SEETA BAI SHARMA	NO111570	याचिकाकर्ता सीता बाई शर्मा पुत्री श्री आम प्रकाश शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18646/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक तथा 31.03.2022 से 30.04.2023 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
800	1005	SUDESH	NO151721	याचिकाकर्ता सुदेश पुत्री श्री जगदीश प्रसाद ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
801	1006	MANISHA	NO171667	याचिकाकर्ता मनीषा पुत्री श्री सुरेश चन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.05.2021 से 19.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
802	1007	SUMAN	NO172215	याचिकाकर्ता सुमन पुत्री श्री बलवीर राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य (नर्सिंग संवर्ग कार्य) किया गया है, के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
803	1008	JASVEER RAIKA	NO103762	याचिकाकर्ता जसवीर राईका पुत्र श्री भाला राम राईका ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है. के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
804	1009	ANKITA GURJAR	NO157703	याचिकाकर्ता अंकिता गुर्जर पुत्री श्री बाबुलाल गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड अवधि का बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह। प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमती अंकिता गुर्जर द्वारा सीएमएचओ, पाली द्वारा दिनांक 23.05.2023 को जारी दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक संविदा सीएचओ तथा दिनांक 01.04.2022 से 23.11.2022 मे संविदा सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
805	1010	SOMPRABHA	NO155051	याचिकाकर्ता सोमप्रभा पुत्री श्री भंवरसिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 में नियंत्रण कार्यों में सेवायें देने पर 15 बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ सोमप्रभा द्वारा सीएमएचओ, पाली द्वारा दिनांक 23.05.2023 को जारी दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक सीएचओ तथा दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक संविदा सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
806	1011	ISHU KUMARI BOSE	NO176971	याचिकाकर्ता ईशु कुमारी बोस पुत्री श्री गिरधारी लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 में नियंत्रण कार्यों में सेवायें देने पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, पाली द्वारा दिनांक 23.05.2023 को जारी दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक संविदा सीएचओ तथा दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक संविदा सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
807	1012	DIMPLE KUMARI ARYA	NO183727	याचिकाकर्ता डिम्पल कुमारी आर्य पुत्री श्री कलाश कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
808	1013	PRADEEP	NO156815	याचिकाकर्ता प्रदीप पुत्र श्री घेवरचन्द ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
809	1014	SURESH KUMAR LONGESHA	NO189024	याचिकाकर्ता सुरेश कुमार लोंगेश पुत्र श्री जीवाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
810	1015	PREM PRAKASH	NO187863	याचिकाकर्ता प्रेम प्रकाश पुत्र श्री धनश्याम चौहान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
811	1016	NARENDRA SINGH SEERV I	NO190800	याचिकाकर्ता नरेन्द्र सिंह सीरवी पुत्र श्री रतनलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
812	1017	SURYA PRAKASH	NO178837	याचिकाकर्ता सूर्य प्रकाश पुत्र श्री राणाराम गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
813	1018	SURESH KUMAR	NO155645	याचिकाकर्ता सरेश कुमार पुत्र श्री धन्ना राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
814	1019	RAVI PRAKASH JAT	NO140708	याचिकाकर्ता रवि प्रकाश जाट पुत्र श्री शिवराज जाट ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14311/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर किये गये कार्य को विज्ञापित पद के कार्य के समान कार्य के अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, भीलवाड़ा द्वारा दिनाक 23.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक सीएचओ तथा 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
815	1020	HEMLATA SEN	NO156844	याचिकाकर्ता हेमलता सेन पुत्री श्री शिव दायाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17247/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र को वैध मानते हुये अंतरिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा 209 दिवस का कोविड अवधि के दौरान सीएचए के पद पर 7900/- प्रतिमाह वेतन पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य प्रमाण पत्र 1520 दिवस का पीपीपी मोड पर एएनएम पद पर एएनएम के जॉब चार्ट के अनुसार कार्य सम्पादन का है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक 60.262 प्रतिशत इनकी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा 209 दिवस का कोविड अवधि के दौरान सीएचए के पद पर 7900/- प्रतिमाह वेतन पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य प्रमाण पत्र 1520 दिवस का एएनएम पद पर एएनएम के जॉब चार्ट के अनुसार कार्य सम्पादन का है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 60.262 प्रतिशत इनकी ओबीसी एनसीएल महिला में अंतिम चयनित याचिकाकर्ता के प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम रहने के कारण चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता सुश्री हेमलता सैन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
816	1021	SHALINA CHOUDHARY	NO181893	याचिकाकर्ता शालिना चौधरी पुत्री श्री लिखमा राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड-19 के दौरान की गई सीएचओ (नर्सिंग ऑफिसर के कार्य) के अनुभव की गणना कर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
817	1022	MAHENDRA TIRDIYA	NO184338	याचिकाकर्ता महेन्द्र तिरदिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 के दौरान की गई सीएचओ (नर्सिंग ऑफिसर के कार्य) के अनुभव की गणना कर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 1602 दिनांक 29.05.2023 संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
818	1023	MAHENDRA PANWAR	NO166417	याचिकाकर्ता महेन्द्र पंवार पुत्र श्री स्वरूप राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 के दौरान की गई सीएचओ (नर्सिंग ऑफिसर के कार्य) के अनुभव की गणना कर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 891 दिनांक 27.05.2023 संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
819	1024	REENKA PANANI	NO186282	याचिकाकर्ता रींका पनानी पुत्री श्री चेना राम पनानी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 के दौरान की गई सीएचओ (नर्सिंग ऑफिसर के कार्य) के अनुभव की गणना कर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 1198 व 1197 दिनांक 28.05.2023 संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
820	1025	KESU CHOUDHARY	NO197451	याचिकाकर्ता केसु चौधरी पुत्री श्री काना राम चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 के दौरान की गई सीएचओ (नर्सिंग ऑफिसर के कार्य) के अनुभव की गणना कर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 1470 व 1479 दिनांक 28.05.2023 संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
821	1026	SARITA PATEL	NO198004	याचिकाकर्ता सरिता पटेल पुत्री श्री भंवराराम पटेल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 के दौरान की गई सीएचओ (नर्सिंग ऑफिसर के कार्य) के अनुभव की गणना कर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 1864/30.05.2023 व 38/24.05.2023 संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
822	1027	KANCHAN	no190742	याचिकाकर्ता कंचन पुत्री श्री रमेश चन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 के दौरान की गई सीएचओ (नर्सिंग ऑफिसर के कार्य) के अनुभव की गणना कर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 1486/28.05.2023 व 1167/27.05.2023 संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
823	1028	NIRMA	NO193085	याचिकाकर्ता निरमा पुत्री श्री चूतरा राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 के दौरान की गई सीएचओ (नर्सिंग ऑफिसर के कार्य) के अनुभव की गणना कर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान बताया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 1469/28.05.2023 व 1513/28.05.2023 संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
824	1029	MOOLA RAM	NO201833	याचिकाकर्ता मूला राम पुत्र श्री राम लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 में नियंत्रण कार्यों में सेवायें देने पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, बाडमर द्वारा दिनांक 19.05.2023 को जारी दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक सीएचओ तथा दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
825	1030	SAROJ	NO155213	याचिकाकर्ता सरोज पुत्री श्री राम लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 में नियंत्रण कार्यों में सेवायें देने पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, जोधपुर द्वारा दिनांक 24.05.2023 को जारी दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक सीएचओ तथा दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
826	1031	AMARU	NO155241	याचिकाकर्ता अमारू पुत्र श्री मूला राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16516/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड–19 में नियंत्रण कार्यों में सेवायें देने पर बोनस अंक देकर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया ह। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सीएमएचओ, बाडमेर द्वारा दिनांक 19.05.2023 को जारी दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकी अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 1909.2021 तक सीएचओ तथा दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक सीएचओ उल्लेखित है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
827	1032	MEGHA GAUR	NO201175	याचिकाकर्ता मेघा गौड पुत्री श्री नकारेश्वर गौड ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
828	1033	BHAWNA KUMARI	NO152937	याचिकाकर्ता भावना कुमारी पुत्री श्री नारायण लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
829	1034	LAHARI DEVI	NO176728	याचिकाकर्ता लाहरी देवी पुत्री श्री नृसिंह राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18164/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
830	1035	KHUSHBU KUMARI MEGHWAL	NO199695	याचिकाकता खुशबू कुमारी मेघवाल पुत्री श्री मांगीलाल मेघवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें कोविड काल में सीएचओ के पद पर दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक कार्य किया है। उक्त अवधि तक दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम पीआईपी के समान होने के फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंक देकर नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
831	1036	GANESH LAL GUJAR	NO153017	याचिकाकर्ता गणेश लाल गुर्जर पुत्र श्री सुवालाल गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 116701/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें अकारण ही अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। जबकि याचिकाकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्र मिला हुआ है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में याचिकाकर्ता का नाम अंतरिम वरीयता सूची में शामिल करते हुये जोईनिंग दिलवाने बाबत निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने सीएमएचओ, भीलवाडा द्वारा दिनांक 30.05.2023 को 1329 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा 210 दिवस का कोविड अवधि के दौरान सीएचए के पद पर 7900/- प्रतिमाह वेतन पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य प्रमाण पत्र 1329 दिवस का एएनएम पद पर एएनएम के जॉब चार्ट के अनुसार कार्य सम्पादन का है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.008 प्रतिशत बनते हैं जो कि एमबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.199 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा 210 दिवस का कोविड अवधि के दौरान सीएचए के पद पर 7900/- प्रतिमाह वेतन पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य प्रमाण पत्र 1329 दिवस का एएनएम पद पर एएनएम के जॉब चार्ट के अनुसार कार्य सम्पादन का है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.008 प्रतिशत बनते है जो कि एमबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.199 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री गणेश लाल गुर्जर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
832	1037	KAJOL SINGH SHEKHAWAT	NO199944	याचिकाकर्ता काजोल सिंह शेखावत पुत्री श्री रामचन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.5.2021 से 18.9.2021 तक 130 दिन की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
833	1038	VINOD DARAT	NO184150	याचिकाकर्ता विनोद दरट पुत्र श्री नैनाराम दरट ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.5.2021 से 18.9.2021 तक 130 दिन की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
834	1039	SANJU DEVI GURJAR	NO169597	याचिकाकर्ता संजू देवी गुर्जर पुत्री श्री गणेश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.5.2021 से 17.9.2021 तक 130 दिन की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
835	1040	HEENA KANWAR	NO173274	याचिकाकर्ता हिना कंवर पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्तों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 14.5.2021 से 18.9.2021 तक 127 दिन की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
836	1041	SUSHILA DEVI MEGHWAL	NO208284	याचिकाकर्ता सुशीला देवी मेघवाल पुत्री श्री भंवरलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 14.5.2021 से 18.9.2021 तक 127 दिन की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
837	1042	Ajay Kumar	NO141278	याचिकाकर्ता अजय कुमार पुत्र श्री जगदीश कुमार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.5.2021 से 17.9.2021 तक 128 दिन की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
838	1043	Devkaran Gurjar	NO162945	याचिकाकता देव करण गुर्जर पुत्र श्री राम कृष्ण गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.5.2021 से 18.9.2021 तक 130 दिन की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
839	1044	Dinesh Kumar	NO185288	याचिकाकर्ता दिनेश कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.5.2021 से 18.9.2021 तक 130 दिन की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
840	1045	Ratana Ram	NO107274	याचिकाकर्ता रतना राम पुत्र श्री केहारा राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
841	1046	Anar Singh Meena	NO202874	याचिकाकर्ता अनार सिंह मीणा पुत्र श्री राम कुमार मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 18.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
842	1047	Sunil Kumar	NO172100	याचिकाकर्ता श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री शेर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 11.05.2021 से 19.09.2021 तक 132 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
843	1048	Rinku Dhankad	NO202729	याचिकाकर्ता रिंकु धनकड़ पुत्री श्री सुभाष चन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 14.05.2021 से 17.09.2021 तक 127 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह, दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 16.12.2019 से 30.04.2021 तक 460 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर का पीपीपी मोड का भी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मैट्रो मानस आरोग्य सदन एण्ड मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल, मानसरोवर द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के पद पर 460 दिवस का कोविड अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिनके पुर्नसत्यापन के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है। जिनमें से एक 127 दिवस का कोविड काल में सी.एच.ओ. के पद पर रू. 7900 प्रतिमाह पर कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में एक बृहद समिति द्वारा सी.एच.ओ. के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा जाकर इस बैठक में पारित निर्णय के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह पर नियुक्त सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मैट्रो मानस आरोग्य सदन एण्ड मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल, मानसरोवर द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के पद पर 460 दिवस का कोविड अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिनके पुर्नसत्यापन के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है। जिनमें से एक 127 दिवस का कोविड काल में सी.एच.ओ. के पद पर रू. 7900 प्रतिमाह पर कार्य सम्पादन का है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में एक बृहद समिति द्वारा सी.एच.ओ. के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में रखा जाकर इस बैठक में पारित निर्णय के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अतः हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह पर नियुक्त सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। तद्नुसार याचिकाकर्ता सुश्री रिंकु का अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
844	1049	Deepti Kumari	NO156633	याचिकाकर्ता दिप्ती कुमारी पुत्री श्री बलवीर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि 132 दिवस (अनुभव प्रमाण पत्र प्रति संलग्न नहीं) की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
845	1050	Mausmi Gurjar	NO157955	याचिकाकर्ता मौसमी गुर्जर पुत्री श्री रामदेव गुर्जर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुएकोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
846	1051	Savita Kumari	NO203070	याचिकाकर्ता सविता कुमारी पुत्री श्री सोपाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुएकोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
847	1052	Sangita Meena	NO147197	याचिकाकर्ता संगीता मीणा पुत्री श्री शिवजी राम मीणा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 17.05.2021 से 19.09.2021 तक 126 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
848	1053	Rekha Kumari Khati	NO151912	याचिकाकर्ता रेखा कुमारी खाती पुत्री श्री सत्यनारायण खाती ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(505)एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718–19 दिनांक 31.08.2020 के तहत कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2023 तक 395 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
849	1054	Sunita Regar	NO154272	याचिकाकर्ता सुनिता रैगर पुत्री श्री लक्ष्मण लाल रैगर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 15.05.2021 से 19.09.2021 तक 128 दिवस की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रुपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।
850	1055	Neelam Pandeta	NO170897	याचिकाकर्ता नीलम पाण्डेता पुत्री श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेता ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया है। अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनाकं 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रुपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
851	1056	Twinkle	NO181094	याचिकाकर्ता ट्विंकल पुत्री श्री महेश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.7.2024 के अनुसार केवल उन्ही सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है जिनकी नियुक्ति रू. 7900 प्रतिमाह के वेतन पर कोविड नियंत्रण कार्यों हेतु हुई थी एवं जिनसे नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य कराया जाना था। अनुभव प्रमाणपत्रों का पुनर्सत्यापन कार्य प्रक्रियाधीन है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के भुगतान सम्बन्धी सत्यापन उपरान्त तद्नुरूप अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव होगा।	यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर यदि इनके द्वारा कोविड अवधि में संपादित कार्य का भुगतान रू 7900/– प्रतिमाह की दर से किये जाने की पुष्टि हो जाती है तो नीति निर्धारण समिति के पूर्व निर्णयों के आधार पर देय अनुभव आधारित बोनस अंक प्रदान करने की कार्यवाही की जाये। तद्नुसार याचिकाकर्ता टि्वंकल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
852	1057	Savitri Saini	NO145810	याचिकाकर्ता सावित्री सैनी पुत्री श्री समन्दर सैनी द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 113 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्ण
853	1058	Manisha Devi	NO163614	याचिकाकर्ता मनीषा देवी पुत्री श्री साधुराम द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 19.09.2021 एवं दिनांक 29.03.2022 से 22.11.2022 तक कुल 370 दिवस का जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ द्वारा जारी उपस्वास्थ्य केन्द्र बुंगी पर 25000/– प्रतिमाह वेतन पर सीएचओ के पद पर नर्सिंग सम्बन्धित कार्य का 370 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें कोविड अवधि सम्मिलित है। अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई भुगतान की दर के अनुसार इन्हे नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। किन्तु भुगतान दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण अनुभव प्रमाण पत्र का पुनर्सत्यापन हो जाने के उपरान्त तदनुरूप अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	यदि याचिकाकर्ता द्वारी ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्र [illegible] यदि इनके द्वारा कोविड अवधि में संपादित कार्य का भुगतान रू 7900, [illegible] से किये जाने की पुष्टि हो जाती है तो नीति निर्धारण समिति के पूर्व निर्णय [illegible] र पर देय अनुभव आधारित बोनस अंक प्रदान करने की कार्यवाही की जाये। तद्नुस[illegible] याचिकाकर्ता मनीषा देवी व्कल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
854	1059	Pramod Kumar	NO203006	याचिकाकर्ता श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री रतीराम मीना द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले याचिकाकर्ताओं का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 12.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में सीएचओ पद के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक वृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का समानता आधारित निर्धारण किये जाने के उपरान्त वृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नीति निर्धारण समिति की बैठक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
855	1060	LAXMAN LAL MEGHWAL	NO200964	याचिकाकर्ता लक्ष्मण लाल मेघवाल पुत्र श्री स्वरूप लाल मेघवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17247/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 एवं 17603/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें अकारण ही अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा 02 वर्ष की अवधि में जीएनएम का एवं 02 वर्ष का एएनएम पद का तथा सीएचए पद पर भी कार्य किया है किन्तु अंतरिम चयन सूची में एएनएम एवं सीएचए पद का अनुभव नहीं जोड़ने से अवगत कराया है। सरकारी चिकित्सालय संस्थान पीपीपी मोड राजसमंद जिले में कुल 1863 दिवस कार्य किया का अनुभव बताया है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में याचिकाकर्ता का नाम अंतरिम वरीयता सूची में शामिल करते हुये जोईनिंग दिलवाने बाबत निवेदन किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। एक अन्य एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एएनएम के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि एएनएम पद पर एक पुरूष याचिकाकर्ता नियमानुसार किस प्रकार कार्य कर सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रहा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। एक अन्य एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एएनएम के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रहा। अतः याचिकाकर्ता श्री लक्ष्मण लाल मेघवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
856	1061	Rakesh Paliwal	NO203323	याचिकाकर्ता राकेश पालीवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16884/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनाकं 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 27.10.2020 से 11.05.2021 तक 197 दिवस का यूटीबी जीएनएम एवं दिनाक 01.06.2019 से 25.10.2020 तक 513 दिवस का संविदा जीएनएम आरएमआरएस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 2 वर्ष से अधिक अवधि का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के अधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 2 वर्ष से अधिक अवधि का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के अधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। फलस्वरूप बोनस अंकों के अभाव में याचिकाकर्ता के प्राप्तांक इनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों से कम रह जाने के कारण चयन नहीं हुआ। अतः याचिकाकर्ता द्वारा श्री राकेश पालीवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
857	1062	Lalit Sharma	NO173260	याचिकाकर्ता ललित शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18655/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही अवधि दिनांक 15.07.2021 से 31.03.2022 तक 255 दिवस का सीएचए पद एवं दिनांक 02.06.2016 से 28.06.2018 तक 613 दिवस का पीपीपी मोड पर नर्सिंग ऑफिसर पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अतः मुझे कोविड कॉल के 15 बोनस अंक एवं अन्य अवधि का अलग से बोनस अंक प्रदान कर अन्तरिम वरियता सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मैट्रोमानस चिकित्सालय, जयपुर द्वारा 613 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा 255 दिवस का सीएचए पद का कुल 868 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 20 प्रतिशत बोनस अंक देय है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मैट्रोमानस चिकित्सालय, जयपुर द्वारा 613 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा 255 दिवस का सीएचए पद का कुल 868 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 20 प्रतिशत बोनस अंक देय है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री ललित शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
858	1063	Amit Innocent	NO198649	याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न कर निर्णय दिनांक 12.12.2023 के कम में स्वयं के जानकारी नहीं होने के कारण राज्य स्तरीय खेल प्रमाण पत्र लगाये जाने, ईडब्ल्यूएस वर्ग में हाने, कुल अंक 73.640 बनने, पीएमओ बारां एवं सीएमएचओ बारां द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का हवाला देते हुए अपना नाम अंतरिम चयन सूची मे सम्मिलित कराने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 2 वर्ष से अधिक अवधि का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के अधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ एमपीडब्ल्यू पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एमपीडब्ल्यू के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नही है। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार मान्य नही किया गया अतः उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के आरक्षण का लाभ देय नही है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 2 वर्ष से अधिक अवधि का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के अधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ एमपीडब्ल्यू पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का एमपीडब्ल्यू के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नही है। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार मान्य नही किया गया अतः उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के आरक्षण का लाभ देय नही है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता द्वारा श्री अमित इन्नोसेन्ट द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।
859	1064	Jyoti Devi Bunkar W/o Vikram Singh	NO155023	याचिकाकर्ता ज्योति देवी बुनकर पत्नी श्री विकम सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17001/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विभाग द्वारा उसके अनुभव प्रमाण पत्र को वैध नहीं मानते हुए उसे अंतिम चयन सूची मे सम्मिलित नहीं किया गया है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावें। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रो (पी.बी.एम. चिकित्सालय बीकानेर द्वारा नर्स ग्रेड 2 पद का एवं सीएमएचओं बीकानेर द्वारा सीएचए पद का जारी) के अनुसार 20 प्रतिशत बोनस अंक बनते है। अतः अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रकियाधीन है जिसके उपरान्त तद्दुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	याचिकाकर्ता को पूर्व में 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रो (पी.बी.एम. चिकित्सालय बीकानेर द्वारा नर्स ग्रेड 2 पद का एवं सीएमएचओं बीकानेर द्वारा सीएचए पद का जारी) के अनुसार 20 प्रतिशत बोनस अंक बनते है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री ज्योति देवी बुनकर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के अनुसार देय बोनस के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
860	1065	Ganesh Sankhla	NO183351	याचिकाकर्ता गणेश सांखला पुत्र श्री प्रभुदयाल सांखला ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 8089/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके अनुभव की गणना अंतिम दिनांक तक करते हुए वरियता सूची में सम्मिलित करें। उसके द्वारा दिनांक 05.10.2012 से 20.08.2014 तक 655 दिवस का 104 हैल्थ एडवाईजरी सर्विस पद का एवं दिनांक 22.04.2020 से 30.04.2023 तक 1033 पद का ईएमटी पद का, दिनांक 04.02.2022 से 31.03.2022 तक 56 दिवस का संविदा जीएनएम का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ हैल्थ एडवाईजरी सर्विसेज का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का हैल्थ एडवाईजरी सर्विसेज के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा 1089 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद के समरूप कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ हैल्थ एडवाईजरी सर्विसेज का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का हैल्थ एडवाईजरी सर्विसेज के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा 1089 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद के समरूप कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त नियमानुसार बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री गणेश सांखला द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
861	1066	Vipin Kumar	NO141759	याचिकाकर्ता विपिन कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12119/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रम में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंक निरस्त कर नये सिरे से वरियता सूची बनाई जाये। अनुभव अवधि दिनांक 02.11.2017 से 15.11.2019 तक 739 दिवस का जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा 739 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का है। अनुभव प्रमाण पत्रके पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर संकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा 739 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का है। अनुभव प्रमाण पत्रके पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। तद्नुसार श्री विपिन कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
862	1067	Gyan Prakash Suthar	NO197190	याचिकाकर्ता ज्ञान प्रकाश सुथार पुत्र श्री कानाराम सुथार ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16863/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका 526 दिवस का सीएचओ पद का जिसमें से दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 7900 प्रतिमाह की दर पर एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 25000 रूपये प्रतिमाह की दर पर कार्य किया गया है। (अनुभव प्रमाण पत्र में दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 एवं दिनांक 29.03. 2022 से 30.04.2023 तक, संपूर्ण अवधि के लिये देय राशि 25000 अंकित की गयी है) तथा जीएनएम पीपीपी मोड का दिनांक 12.05.2017 से 14.05.2019 तक 720 दिवस का अनुभव होने के उपरान्त भी मेरा नाम अंतरिम वरियता सूची में नही है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कर मुझे अंतरिम वरियता सूची में शामिल करे। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मैट्रोमानस चिकित्सालय, जयपुर द्वारा 720 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर 10 बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ चुरू द्वारा 25000/– की दर 526 दिवस का सीएचओ पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार केवल 7900/– प्रतिमाह वेतन पर कोविड अवधि में नर्सिंग कार्य हेतु पदस्थापित सीएचओ को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई भुगतान की दर के अनुसार इन्हे नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। किन्तु भुगतान दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन उपरान्त अनुभव भुगतान संबंधी स्थिति स्पष्ट कराते हुये समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मैट्रोमानस चिकित्सालय, जयपुर द्वारा 720 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर 10 बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ चुरू द्वारा 25000/– की दर 526 दिवस का सीएचओ पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार केवल 7900/– प्रतिमाह वेतन पर कोविड अवधि में नर्सिंग कार्य हेतु पदस्थापित सीएचओ को ही बोनस अंकों का लाभ देय है। अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई भुगतान की दर के अनुसार इन्हे नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। किन्तु भुगतान दर कुल भुगतान से मेल नहीं खाने के कारण अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन अनुसार अनुभव भुगतान संबंधी स्थिति स्पष्ट कराते हुये समुचित कार्यवाही की जावें। तदनुसार याचिकाकर्ता श्री ज्ञान प्रकाश सुथार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
863	1068	Pawan Mali	NO145381	याचिकाकर्ता पवन माली पुत्र श्री शिवराज मानो ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16877/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(505) एनएचएम/एचआर/रिक्रूटमेन्ट/सीएचओ/ 2020/1718–19 दिनांक 31.08.2020 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिमांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस 25000 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 21.08.2017 से 30.09.2019 तक 730 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 859 दिवस के नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा जारी कुल-402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिमांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरित वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 859 दिवस के नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरित वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री पवन माली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
864	1069	Nilesh Joshi	NO199041	याचिकाकर्ता निलेश जोशी पुत्र श्री कन्हैया लाल जोशी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 17.05.2021 से 17.09.2021 तक 124 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 24.10.2018 से 30.09.2019 तक 330 दिवस का जीएनएम आरएमआरएस तथा दिनांक 02.10.2019 से 14.05.2021 तक 591 दिवस का जीएनएम एमआरएस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1048 दिवस के नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरित वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1048 दिवस के नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा जारी कुल 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरित वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री निलेश जोशी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निरस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
865	1070	Heera	NO152633	याचिकाकर्ता हीरा पुत्री श्री जगदीश ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16962/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 30.04.2023 तक 398 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 13.09.2017 से 31.07.2018 तक 322 दिवस का एवं दिनांक 05.08.2018 से 14.09.2019 तक 380 दिवस का आरएमआरएस जीएनएम का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 832 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंक देय है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 832 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंक देय है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री हीरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
866	1071	Beerbal Kaswan	NO194876	याचिकाकर्ता बीरबल कसवां पुत्री श्री श्रवण कसवां ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18041/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 13.05.2021 से 17.09.2021 तक 128 दिवस जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03. 2022 से 04.05.2023 तक 403 दिवस का जिनका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.08. 2017 से 21.07.2019 तक 675 दिवस का ईएमटी जीवीके पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 803 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंक देय है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा 401 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 803 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंक देय है। शेष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा जारी कुल 401 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता श्री बीरबल कस्वा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
867	1072	Sushma Chouhan	NO153316	याचिकाकर्ता सुषमा चौहान पुत्री श्री किरोड़ीलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16932/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 13.05.2021 से 18.09.2021 तक 129 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अंन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.10.2018 से 31.05.2021 तक 942 दिवस का आरएमआरएस जीएमएम संविदा का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1071 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा 401 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1071 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा जारी कुल 401 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप उप स्वास्थ्य केन्द्र/हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर रू. 25000 प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त सी.एच.ओ. को अनुभव का लाभ प्रदान नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री सुषमा चौहान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
868	1073	Saroj Verma	NO177761	याचिकाकर्ता सरोज वर्मा पुत्र श्री सूरजमल वर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16861/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। आदेश दिनांक एफ20(505)एमएचएम/एचआर/रिकूटमेन्ट/सीएचओ/2020/1718-19 दिनांक 31.08.2020 के तहत कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किया। अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस जिसका मानदेय 7900 प्रतिमाह है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 10.07.2013 से 29.10.2015 तक 782 दिवस का जीएनएम पीपीपी मोड का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता को पूर्व में अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जाना है।	याचिकाकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के आधार पर देय बोनस अंको का लाभ प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदाम करते हुये याचिकाकर्ता सुश्री सरोज वर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
869	1074	Amit Meena	NO194199	याचिकाकर्ता अमित मीना पुत्र श्री राजाराम मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17688/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके अनुसूचित जनजाति वर्ग कटऑफ से अधिक अक होने के पश्चात भी मेरा नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। मेरे द्वारा परिवेदना भी प्रस्तुत की गयी थी जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा द्वारा 755 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का है। अनुभव प्रमाण पत्रके पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा द्वारा 755 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापम उपरान्त नियमानुसार बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री विपिन कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
870	1075	Buddhi Prakash Meena	NO147115	याचिकाकर्ता बुद्धि प्रकाश मीना पुत्र श्री सांवलराम मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16876/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि 13.05.2021 से 19.09.2021 तक 130 दिवस का जिसका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 प्लस इंसनटिव प्रतिमाह (उक्त दोनो प्रमाण पत्रों मे सीएमएचओ सवाईमाधोपुर ने समरूप कार्य में कांट–छांट वैरिफाई की) है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.08.2016 से 31.03.2018 तक 608 दिवस का पीपीपी मोड जीएनएम एनजीओ का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 738 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 738 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता श्री बुद्धिप्रकाश मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
871	1076	Ajay Kumar Yadav	NO146246	याचिकाकर्ता अजय कुमार यादव पुत्र श्री नेतराम यादव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16674/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिमांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 20(504)एनएचएम/एचडब्लूसी/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 11.05.2021 से 18.09.2021 तक 131 दिवस का 7900 रूपये प्रतिमाह की दर से एवं दिनांक 29.03.2022 से 04.05.2023 तक 402 दिवस जिसका मानदेय 25000 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त क`अतिरिक्त दिनांक 01.07.2018 से 31.07.2020 तक 750 दिवस का एनएचएम जीएनएम एमएमयू पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 881 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपरु प्रथम द्वारा 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 881 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपरु प्रथम द्वारा 402 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिनमें याचिकाकर्ता का अनुभव हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है.। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता श्री अजय· कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।
872	1077	Naresh Kumar Mahia	NO161796	याचिकाकर्ता नरेश कुमार महला पुत्र श्री भोलाराम महला ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19020/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनका दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम था किन्तु प्रोविजनल चयन सूची में नाम अंकित नहीं है ना ही कोई जानकारी दी गयी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हे चयन सूची में सम्मिलित करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया। उनके द्वारा दिनांक 01.06.2008 से 31.03.2011 तक 1023 दिवस का एनआरएचएम जीएनएम संविदा पद का तथा दिनांक 12.10.2011 से 16.08.2016 तक का 1739 दिवस का हैल्थ एडवाईजर पद का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 1023 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका 20 बोनस अंकों का लाभ दिया जा चुका है किन्तु जिसका कार्य संपादन स्थल के आधार पर पुर्नसत्यापन किया जाकर वास्तविक अनुभव की गणना किया जाना है। एक अन्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 1739 दिवस का ऑन कॉल हैल्थ एडवाइजरी सर्विसेज का संलग्न किया है जो कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अतः उक्त प्रमाण के आधार पर बोनस अंको का लाभ प्रदान नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 1023 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका 20 बोनस अंकों का लाभ दिया जा चुका है किन्तु जिसका कार्य संपादन स्थल के आधार पर पुर्नसत्यापन किया जाकर वास्तविक अनुभव की गणना किया जाना है। एक अन्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 1739 दिवस का ऑन कॉल हैल्थ एडवाइजरी सर्विसेज का संलग्न किया है जो कार्य नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। अतः उक्त प्रमाण के आधार पर बोनस अंको का लाभ प्रदान नही किया गया। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त नियमानुसार बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री नरेश कुमार महला द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
873	1078	Basant Kumar	NO151142	याचिकाकर्ता बसंत कुमार पुत्र श्री नाथूराम द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11765/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में अभ्यावदेन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा कुल 1099 दिवस तक संविदाकर्मी के रूप में पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर के रूप में कार्य किया गया किन्तु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 20.08.2019 से 31.05.2021 एवं 01.06.2021 से 31.07.2022 तक का ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है एवं दिनांक 01.08.2022 से 23.08.2022 तक 23 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने के कारण वे अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गये। उपरोक्तानुसार 651 दिवस एवं 426 दिवस का जीएनएम आरएमआरएस के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 1077 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। शेष जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक, पीबीएम चिकित्सालय, बीकानेर द्वारा उपस्थित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी बोनस अंको का लाभ देय नही है। अभ्यर्थी को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.708 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 72.336 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 1077 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। शेष जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक, पीबीएम चिकित्सालय, बीकानेर द्वारा उपस्थित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी बोनस अंको का लाभ देय नही है। अभ्यर्थी को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.708 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 72.336 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता बसन्त कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
874	1079	Manish Kumar	NO171621	याचिकाकर्ता मनीष कुमार पुत्र श्री हेमाराम माली ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16177/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उन्हें बोनस अंक नहीं दिये जाने के कारण उनका नाम चयन सूची में नहीं है। उनके द्वारा आवेदन पत्र की प्रति संलग्न की गयी है जिसमें एआरटी सेंटर जालोर में स्टॉफ नर्स एवं टीबी अस्पताल जालोर में एसटीएस पद का उल्लेख किया गया है।, अतः बोनस अंको का लाभ देकर चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 889 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। शेष याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार 20 प्रतिशत बोनस अंको प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.594 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 889 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर पद के समान कार्य करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। शेष याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.एस. पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का एस.टी.एस. के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। इस प्रकार 20 प्रतिशत बोनस अंको प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.594 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री मनीष कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
875	1080	Vinod Kumar Saini	NO149943	याचिकाकर्ता विनोद कुमार सैनी पुत्र श्री रामनाथ सैनी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17471/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिमांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 30.06.2021 से 14.03.2022 तक 260 दिवस जिनका मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 547 दिवस का जीएनएम पद का एवं 260 दिवस का सीएचओ पद का कुल 807 दिवस के नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 20 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 547 दिवस का जीएनएम पद का एवं 260 दिवस का सीएचओ पद का कुल 807 दिवस के नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में एक बृहद समिति द्वारा सीएचओ के कार्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त बृहद समिति के निर्णय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.08.2024 रखा गया।नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुरूप 20 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय है। अतः याचिकाकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के आधार पर देय बोनस अंकों हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करते हुये याचिकाकर्ता श्री विनोद कुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
876	1081	Brijkishor	NO161602	याचिकाकर्ता ब्रिजकिशोर पुत्र श्री उदयराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17618/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम-एचडब्लूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा सीएचओ पद पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 11.05.2021 से 17.09.2021 तक 130 दिवस की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। शेष एक अनुभव प्रमाणपत्र 108 एम्बुलेंस पर नर्सिंग कर्मी का है जिसका 20 बोनस अंकों का लाभ अभ्यर्थी को दिया जा चुका है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग मे चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत 130 दिवस के अनुभव प्रमाण पत्रों सहित इनके कुल प्राप्तांक प्रतिशत 20 ही बनते है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा जारी कुल 398 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किय है जिनमें अभ्यर्थी का अनुभव उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सीएचओ के पद पर सी.एच.ओ. के कार्य सम्पादन का है जिसका वेतन 25000 प्रतिमाह है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। शेष एक अनुभव प्रमाणपत्र 108 एम्बुलैंस पर नर्सिंग कर्मी का है जिसका 20 बोनस अंकों का लाभ अभ्यर्थी को दिया जा चुका है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग मे चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत 130 दिवस के अनुभव प्रमाण पत्रों सहित इनके कुल प्राप्तांक प्रतिशत 20 ही बनते हैं। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री बृजकिशोर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
877	1082	MAHENDRA SOLANKI	NO131458	याचिकाकर्ता महेन्द्र सालंकी पुत्र श्री कालु सिह सोलंकी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18382/2023 मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में शामिल किये जाने हेतु निवेदन किया है। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अंतरिम वरीयता सूची में ओबीसी एनसीएल क्रिमीलेयर (पुरूष) वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी से अधिक प्राप्तांक 73.910 प्रतिशत होने के बावजूद भी उनका नाम सूची में नहीं था। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.10.2023 को परिवदना भी दर्ज कराई है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा 1218 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा 1218 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त नियमानुसार बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री महेन्द्र सोलंकी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
878	1083	Pradeep Kumar Chopdar	NO141582	याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार चोपदार पुत्र श्री हरिप्रसाद वर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17036/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 की प्रति संलग्न कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 01.01.2020 से 30.04.2023 तक 1216 दिवस का एनएचएम जीएनएम के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। उक्त प्रमाण पत्र पर सीएमएचओ टोंक द्वारा सीएचओ को काटकर जीएनएम अंकित करते हुए प्रमाणित किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन में जीएनएम पद पर दिनांक 14.01.2020 को जारी चयन आदेश की प्रति एवं दिनांक 08.09.2023 को सीएमएचओ टोंक द्वारा जारी जीएनएम पद के भुगतान किये जाने की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र भी संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक द्वारा 1216 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक द्वारा 1216 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त नियमानुसार बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री प्रदीप कुमार चौपदार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
879	1084	Ram Singh Yadav	NO130077	याचिकाकर्ता रामसिंह यादव पुत्र श्री मालीराम यादव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19973/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है। प्राथी द्वारा अनुभव अवधि दिनांक 19.03.2016 से 30.11.2021 तक 2079 दिवस का ईएमटी पद का एवं दिनांक 01.12.2021 से 30.04.2023 तक 514 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा 2593 दिवस का ईएमटी पद का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा 2593 दिवस का ईएमटी पद का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त नियमानुसार बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री रामसिंह यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
880	1085	Rasid Mohammed	NO168651	याचिकाकर्ता राशिद मोहम्मद पुत्र श्री चांद मोहम्मद ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16930/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनके ओबीसी-एनसीएल में कटऑफ 70.211 प्रतिशत से अधिक 79.06 प्रतिशत अंक होते हुए भी उन्हे प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा जारी 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनकी कुल अवधि 604 दिवस है एवं एक अनुभव प्रमाणपत्र अधीक्षक एम.बी.एस. अस्पताल द्वारा 443 दिवस का संलग्न किया एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान अधीक्षक एम.बी.एस. अस्पताल द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उक्त 443 दिवस को 500 दिवस मानने हेतु लिखा गया है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा जारी 2 अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये हैं जिनकी कुल अवधि 604 दिवस है एवं एक अनुभव प्रमाणपत्र अधीक्षक एम.बी.एस. अस्पताल द्वारा 443 दिवस का संलग्न किया एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान अधीक्षक एम.बी.एस. अस्पताल द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उक्त 443 दिवस को 500 दिवस मानने हेतु लिखा गया है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त नियमानुसार बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री राशिद मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
881	1086	Mukesh Kumar	NO144962	याचिकाकर्ता मुकेश कुमार पुत्र श्री रामगोपाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16948/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके अनुसूचित जाति वर्ग में 30 प्रतिशत अनुभव जोड़ने के उपरान्त कुल 70.760 प्रतिशत अंक बनते है जबकि अनुसूचित जाति पुरूष वर्ग की कटऑफ 65.277 प्रतिशत से अधिक है। अतः मुझे अंतरिम चयन सूची मे सम्मिलित किया जावें।	याचिकाकर्ता दस्तावेज सत्यापन के दौरान इनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न अधीक्षक महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा द्वारा 25.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुभव अवधि 940 दिवस दी गई है। साथ इनके द्वारा अधीक्षक भीमराव अम्बेडकर अस्पताल द्वारा 26.08.2023 को जारी पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुभव अवधि 1099 दिवस माने जाने हेतु लिखा गया है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता दस्तावेज सत्यापन के दौरान इनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न अधीक्षक महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा द्वारा 25.05.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुभव अवधि 940 दिवस दी गई है। साथ इनके द्वारा अधीक्षक भीमराव अम्बेडकर अस्पताल द्वारा 26.08.2023 को जारी पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुभव अवधि 1099 दिवस माने जाने हेतु लिखा गया है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त नियमानुसार बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री मुकेश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
882	1087	Giriraj	NO146471	याचिकाकर्ता गिरीराज पुत्र श्री रामचन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16911/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके ओबीसी एनसीएल वर्ग में 30 प्रतिशत अनुभव जोड़ने के उपरान्त कुल 75.060 प्रतिशत अंक बनते है जोकि ओबीसी एनएनसीएल पुरूष वर्ग की कटऑफ 70.21 प्रतिशत से अधिक है। अतः मुझे अंतरिम चयन सूची मे सम्मिलित किया जावें।	याचिकाकर्ता द्वारा अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा द्वारा दिनांक 10.03.2020 से 04.05.2023 तक कुल 03 वर्ष 01 माह 24 दिवस दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता की कुल कार्यदिवसो की संख्या 26 दिवस प्रतिमाह मानते हुये 986 दिवस दर्शाई गई है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा द्वारा दिनांक 10.03.2020 से 04.05.2023 तक कुल 03 वर्ष 01 माह 24 दिवस दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता की कुल कार्यदिवसो की संख्या 26 दिवस प्रतिमाह मानते हुये 986 दिवस दर्शाई गई है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त नियमानुसार बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री गिरीराज द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
883	1088	Chandra Prakash Verma	NO148187	याचिकाकर्ता चन्द्रप्रकाश वर्मा पुत्र श्री सुरेश कमार वर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16929/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके अनुसूचित जाति वर्ग में 30 प्रतिशत अनुभव जोड़ने के उपरान्त कुल 71.120 प्रतिशत अंक बनते है जबकि अनुसूचित जाति पुरूष वर्ग की कटऑफ 65.277 प्रतिशत से अधिक है। अतः मुझे अंतरिम चयन सूची मे सम्मिलित किया जावें।	याचिकाकर्ता द्वारा अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा द्वारा दिनांक 01.02.2020 से 04.05.2023 तक कुल 03 वर्ष 03 माह 04 दिवस दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता की कुल कार्यदिवसो की संख्या 26 दिवस प्रतिमाह मानते हुये 1018 दिवस दर्शाई गई है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा द्वारा दिनांक 01.02.2020 से 04.05.2023 तक कुल 03 वर्ष 03 माह 04 दिवस दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें याचिकाकर्ता की कुल कार्यदिवसो की संख्या 26 दिवस प्रतिमाह मानते हुये 1018 दिवस दर्शाई गई है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त नियमानुसार बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री चन्द्र पकाश वर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
884	1089	Ashok Kumar Meena	NO143299	याचिकाकर्ता अशोक कुमार मीणा पुत्र श्री रामप्रसाद मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17857/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरा नाम प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। मेरे द्वारा पुनः दस्तावेज संलग्न किये जा रहे है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1192 दिवस के नर्सिंग ऑफिसर पद के समरूप कार्य के निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1192 दिवस के नर्सिंग ऑफिसर पद के समरूप कार्य के निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त नियमानुसार बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री अशोक कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
885	1090	Rinkesh Kumar Meena	NO192363	याचिकाकर्ता रिंकेश कमुार मीना पुत्र श्री बहादुर मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11607/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दिनांक 01.05.2021 से 05.05.2023 तक का एमएमवी जीएनएम एनएचएम का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त अवधि का बोनस नहीं दिये जाने के कारण वह भर्ती मे सम्मिलित नहीं हो पाया है। अतः बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा 1170 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व से ही 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता को 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.962 बनते है। अन्य कोई कार्यवाही शेष अपेक्षित नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा 1170 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व से ही 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता को 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.962 बनते है। अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री रिंकेश कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।
886	1091	Himmat Teli	NO149397	याचिकाकर्ता श्री हिम्मत तेली पुत्र श्री बेनीराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 13412/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.01.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा 02 अनुभव प्रमाण पत्र जिनमें क्रमशः 888 एवं 199 दिन अंकित थे लगाये गये थे जिनमें साप्ताहिक अवकाश की गणना नहीं की गयी थी जो कि नियम विरूद्ध है। अतः पूर्ण 03 वर्ष मानकर बोनस अंक देने की कृपा करे। अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न नहीं की है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर आयुविज्ञान महाविद्यालय उदयपुर द्वारा 888 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है, जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 01.11.2019 से दिनांक 21.04.2022 अंकित है तथा महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर द्वारा 199 दिवस का जारी एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अनुभव अवधि 10.10.2022 से दिनाक 04.05.2023 तक 208 दिवस अंकित है। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अतः याचिकाकर्ता के उक्त अनुभव प्रमाण पत्र का संबंधित जारीकर्ताओं से पुर्नसत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान करते हुये परिणाम रोका जाना है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर आयुविज्ञान महाविद्यालय उदयपुर द्वारा 888 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है, जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 01.11.2019 से दिनांक 21.04.2022 अंकित है तथा महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर द्वारा 199 दिवस का जारी एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अनुभव अवधि 10.10.2022 से दिनाक 04.05.2023 तक 208 दिवस अंकित है। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अतः याचिकाकर्ता श्री हिम्मत तेली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र का संबंधित जारीकर्ताओं से पुर्नसत्यापन के आधार पर देय बोनस की कार्यवाही की जावें।
887	1092	Surendra Kumar Choudhary	NO202291	याचिकाकर्ता सुरेन्द्र कमार चौधरी पुत्र श्री मदनलाल जांदू ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 7470/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी प्रोविजनल चयन सूची में उसका नाम होल्ड किये गये परिणाम की सूची में सम्मिलित है। उनके द्वारा जीवीके एम्बुलेन्स पर नर्सिंग ऑफिसर का कार्य किया गया है जिसके अनुसार बोनस अंक दिये जाकर परिणाम जारी करने हेतु निवेदन किया है। दिनांक 01.07.2018 से 28.02.2023 तक 1417 दिवस का जीवीके एम्बुलेन्स पर नर्सिंग ऑफिसर पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा जीवीके एम्बुलेन्स में कार्य के आधार पर 1417 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। उक्त अनुभव प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में जारी किया गया है जिसमें अभ्यर्थी के भुगतान के संबंध में कोई उल्लेख नही किया गया है। याचिकाकर्ता को अंतरिम चयन सूची तैयार करते समय नियमानुसार बोनस अंक प्रदान दिये जाकर परिणाम रोका गया था। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा जीवीके एम्बुलेन्स में कार्य के आधार पर 1417 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। उक्त अनुभव प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में जारी किया गया है जिसमें अभ्यर्थी के भुगतान के संबंध में कोई उल्लेख नही किया गया है। याचिकाकर्ता को अंतरिम चयन सूची तैयार करते समय नियमानुसार बोनस अंक प्रदान दिये जाकर परिणाम रोका गया था। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन उपरान्त नियमानुसार बोनस अंको का लाभ दिये जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री महेन्द्र सोलंकी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
888	1093	Kamal Singh	NO160424	याचिकाकर्ता कमल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 13892/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया गया था। मेरा दिनांक 12.05.2022 को एक्सीडेन्ट होने एवं हॉस्पीटल में भर्ती होने के कारण मैनें ईएसआई अवकाश लिया था जिस कारण कार्यदिवस कम पड़ गये और मुझे 30 प्रतिशत बोनस अंक नहीं दिये गये। अतः मुझे 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाकर चयन सूची में सम्मिलित किया जावें। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 22.04.2020 से 30.04.2023 तक 1103 दिवस का ईएमटी पद का जिसमें भुगतान दिवस की संख्या 1055 है एवं अपन उपचार रो संबंधित दस्तावेज संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा ईएमटी पद का दिनांक 22.04.2020 से 30.04.2023 1103 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अभ्यर्थी के भुगतान के आधार पर 1050 दिवस दर्शाये गये है। याचिकाकर्ता को अंतरिम चयन सूची तैयार करते समय नियमानुसार बोनस अंक प्रदान दिये जाकर परिणाम रोका गया था। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा ईएमटी पद का दिनांक 22.04.2020 से 30.04.2023 1103 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें अभ्यर्थी के भुगतान के आधार पर 1050 दिवस दर्शाये गये है। याचिकाकर्ता को अंतरिम चयन सूची तैयार करते समय नियमानुसार बोनस अंक प्रदान दिये जाकर परिणाम रोका गया था। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर बोनस अंको का नियमानुसार लाभ देय होगा।
889	1094	Udal	NO153306	याचिकाकर्ता उदल पुत्र श्री किशन सिह द्वारा याचिका संख्या 18047/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका चयन अंतरिम वरियता सूची में किया गया है किन्तु परिणाम होल्ड पर रखा गया है जिसका निस्तारण किया जाये।	याचिकाकर्ता का परिणाम उनके आरएनसी में पंजीयन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने कारण रोका गया था। राजस्थान नर्सिंग कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जावेगी।	याचिकाकर्ता का परिणाम उनके आरएनसी में पंजीयन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने कारण रोका गया था। राजस्थान नर्सिंग कौंसिल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जाने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता श्री उदल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
890	1095	MANOJ KUMAR	NO156373	याचिकाकर्ता मनोज कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11462/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यवसायिक योग्यता (जीएनएम कोर्स) के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप के बिना केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा में प्राप्तांक अंको के 70 प्रतिशत वैटेज के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर याचिकाकर्ता को अंतरिम वरीयता सूची में शामिल किये जाने हेतु निवेदन किया है।	वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंकों को नहीं जोड़ा जायेगा। डीबी याचिका संख्या 286/2021 राज्य सरकार बनाम अनिल विश्नोई में कहा है कि विभाग विज्ञप्ति में दी गई शर्तों से यूटर्न नहीं ले सकता। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है।	वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंकों को नहीं जोड़ा जायेगा। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है। अतः याचिकाकर्ता श्री मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
891	1096	RAM CHANDRA DARA	NO142317	याचिकाकर्ता राम चन्द्र दारा पुत्र श्री हनुमान राम दारा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11462/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यवसायिक योग्यता (जीएनएम कोर्स) के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप के बिना केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा में प्राप्तांक अंको के 70 प्रतिशत-वैटेज के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर याचिकाकर्ता को अंतरिम वरीयता सूची में शामिल किये जाने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.523 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 5.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंको को नही जोडा जायेगा। डीबी याचिका संख्या 286/2021 राज्य सरकार बनाम अनिल विश्नोई में निर्देशित किया है कि विभाग विज्ञप्ति में दी गई शर्तों से यूटर्न नही ले सकता। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.523 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 5.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंको को नही जोडा जायेगा। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है। अतः याचिकाकर्ता रामचन्द्र दारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
892	1097	BHAGIRATH BHAMBOO	NO177178	याचिकाकर्ता भागीरथ भाम्भू पुत्र श्री सेवा राम भाम्भू ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11462/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यवसायिक योग्यता (जीएनएम कोर्स) के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप के बिना केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा में प्राप्तांक अंको के 70 प्रतिशत वैटेज के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर याचिकाकर्ता को अंतरिम वरीयता सूची में शामिल किये जाने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.665 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 5.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंको को नही जोडा जायेगा। डीबी याचिका संख्या 286/2021 राज्य सरकार बनाम अनिल विश्नोई में निर्देशित किया है कि विभाग विज्ञप्ति में दी गई शर्तों से यूटर्न नही ले सकता। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.665 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 5.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंको को नही जोडा जायेगा। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है। अतः याचिकाकर्ता श्री भागीरथ भाम्भू द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
893	1098	SANWAR MAL SARAN	NO189879	याचिकाकर्ता सांवर मल सारण पुत्र श्री धन्ना राम सारण ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11462/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यवसायिक योग्यता (जीएनएम कोर्स) के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप के बिना केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा में प्राप्तांक अंको के 70 प्रतिशत वैटेज के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर याचिकाकर्ता को अंतरिम वरीयता सूची में शामिल किये जाने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.954 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 5.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंको को नही जोडा जायेगा। डीबी याचिका संख्या 286/2021 राज्य सरकार बनाम अनिल विश्नोई में निर्देशित किया है कि विभाग विज्ञप्ति में दी गई शर्तों से यूटर्न नही ले सकता। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.954 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 5.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंको को नही जोडा जायेगा। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है। अतः याचिकाकर्ता श्री सावरमल सारन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
894	1099	HANSRAJ	NO189509	याचिकाकर्ता हंसराज पुत्र श्री रामेशवर लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11462/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यवसायिक योग्यता (जीएनएम कोर्स) के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप के बिना केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा में प्राप्तांक अंको के 70 प्रतिशत वैटेज के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर याचिकाकर्ता को अंतरिम वरीयता सूची में शामिल किये जाने हेतु निवेदन किया है।	वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंकों को नहीं जोड़ा जायेगा। डीबी याचिका संख्या 286/2021 राज्य सरकार बनाम अनिल विश्नोई में कहा है कि विभाग विज्ञप्ति में दी गई शर्तों से यूटर्न नहीं ले सकता। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है।	वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंकों को नहीं जोडा जायेगा। विभाग विज्ञप्ति में दी गई शर्तों से यूटर्न नहीं ले सकता। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है। अतः याचिकाकर्ता श्री हंसराज द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदम अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
895	1100	OM PRAKASH	NO159115	याचिकाकर्ता ओम प्रकाश पुत्र श्री गोपाल राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11462/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यवसायिक योग्यता (जीएनएम कोर्स) के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप के बिना केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा में प्राप्तांक अंको के 70 प्रतिशत वैटेज के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर याचिकाकर्ता को अंतरिम वरीयता सूची में शामिल किये जाने हेतु निवेदन किया है।	वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंकों को नहीं जोड़ा जायेगा। डीबी याचिका संख्या 286/2021 राज्य सरकार बनाम अनिल विश्नोई में कहा है कि विभाग विज्ञप्ति में दी गई शर्तों से यूटर्न नहीं ले सकता। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है।	वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंकों को नहीं जोडा जायेगा। विभाग विज्ञप्ति में दी गई शर्तों से यूटर्न नहीं ले सकता। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है। अतः याचिकाकर्ता श्री ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदम अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
896	1101	VIJAY PAL BISHNOI	NO170992	याचिकाकर्ता विजय पाल विशनोई पुत्र श्री कृष्ण लाल विशनोई ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11462/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यवसायिक योग्यता (जीएनएम कोर्स) के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप के बिना केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा में प्राप्तांक अंको के 70 प्रतिशत वैटेज के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर याचिकाकर्ता को अंतरिम वरीयता सूची में शामिल किये जाने हेतु निवेदन किया है।	वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंकों को नहीं जोडा जायेगा। डीबी याचिका संख्या 286/2021 राज्य सरकार बनाम अनिल विश्नोई में कहा है कि विभाग विज्ञप्ति में दी गई शर्तों से यूटर्न नहीं ले सकता। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है।	वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंकों को नहीं जोडा जायेगा। विभाग विज्ञप्ति में दी गई शर्तो से यूटर्न नहीं ले सकता। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है। अतः याचिकाकर्ता श्री विजयपाल विश्नोई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निरस्तारित किया जाता है।
897	1102	Pooran Mal	NO186836	याचिकाकर्ता पूरणमल पुत्र श्री फूलचन्द तेतरवाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11462/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यवसायिक योग्यता (जीएनएम कोर्स) के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप के बिना केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा में प्राप्तांक अंको के 70 प्रतिशत वैटेज के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर याचिकाकर्ता को अंतरिम वरीयता सूची में शामिल किये जाने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.362 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 5.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंको को नही जोडा जायेगा। डीबी याचिका संख्या286/2021 राज्य सरकार बनाम अनिल विश्नोई में निर्देशित किया है कि विभाग विज्ञप्ति में दी गई शर्तों से यूटर्न नही ले सकता। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंको को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.362 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। वर्ष 2023 नर्सिंग भर्ती हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 5.05.2023 के बिन्दु सं. 'घ' के बिन्दु "चयन प्रकिया" में अंकों की गणना के संबंध में शैक्षिणिक व व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत व देय बोनस जोडकर की जायेगी। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इंटर्नशिप के अंको को नही जोडा जायेगा। इस भर्ती से पूर्व की भर्तियों में भी कुल प्राप्तांकों की गणना में इंटर्नशिप के अंकों को सम्मिलित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार इंटर्नशिप के अंकों को गणना में सम्मिलित किया जाना है। अतः याचिकाकर्ता श्री पूरणमल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
898	1103	RAM JEEVAN	NO157421	याचिकाकर्ता राम जीवन पुत्र श्री घेवर राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18172/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के 717 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.540 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के 717 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.541 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि यह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि यह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री रामजीवन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
899	1104	GANSHYAM SINGH	NO157445	याचिकाकर्ता घनश्याम सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह मेडतिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18172/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के 891 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.321 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के 891 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.321 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री घनश्याम सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
900	1105	RANI DIVYA SEN	NO144527	याचिकाकर्ता रानी दिव्या सैन पुत्र श्री रमेश चन्द्र सैन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18172/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के 717 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.223 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं 8433/2023 मक्खनलाल बढ़ाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के 717 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.223 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान करने हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री रानी दिव्या सैन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
901	1106	MAHESH KUMAR MEHRA	NO187787	याचिकाकर्ता महेश कुमार मेहरा पुत्र श्री राजाराम मेहरा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14327/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, अलवर द्वारा दिनांक 01.06.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के 704 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.987 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के 704 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.987 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.275 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री महेश कुमार मेहरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
902	1107	ASHUTOSH OJHA	NO182575	याचिकाकर्ता आशुतोष ओझा पुत्र श्री हरिवल्लभ ओझा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के 926 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.909 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के 926 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.909 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। । सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री आशुतोष ओझा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
903	1108	MANOHAR LAL	NO186864	याचिकाकर्ता मनोहर लाल पुत्र श्री अर्जुन लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 926 दिवस के जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.303 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.275 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मख्खलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 926 दिवस के जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.303 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.275 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अंतः याचिकाकर्ता श्री मनोहर लाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
904	1109	BUDHA RAM BISHNOI	NO144933	याचिकाकर्ता बुधा राम बिशनाई पुत्र श्री हरि राम बिशनाई ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15258/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.658 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मखनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.658 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता बुद्धाराम विश्नोई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
905	1110	SHOBHA PRAJAPAT	NO165911	याचिकाकर्ता शोभा प्रजापत पुत्री श्री घनश्याम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17397/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि जीएनएम व ईन्टर्नशिप के 2500 में से 1878 अंक भर दिये थे जबकि मार्कशीट के अनुसार 900 में से 688 अंक है, जिसे दिनांक 15.09.2023 को फार्म संशोधन में संशोधित किया था परन्तु संशोधन नही हुआ। अतः उक्त के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अंको में संशोधन करवाने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अंकतालिकाओं में अंकित प्राप्तांको के अनुसार अभ्यर्थी के व्यावसायिक योग्यता में तृतीय एवं इर्न्टनशिप परीक्षा के कुल प्राप्तांक 900 में 688 ही माने गये है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंको सहित कलु प्राप्तांक प्रतिशत 66.274 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अंकतालिकाओं में अंकित प्राप्तांको के अनुसार अभ्यर्थी के व्यावसायिक योग्यता में तृतीय एवं इर्न्टनशिप परीक्षा के कुल प्राप्तांक 900 में 688 ही माने गये है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंको सहित कलु प्राप्तांक प्रतिशत 66.274 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 66.419 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। इस प्रकार कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है तद्नुसार याचिकाकर्ता सुश्री शोभा प्रजापत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
906	1111	RAJKUMARI RUYAL	NO203445	याचिकाकर्ता राजकुमारी रूयल पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार गोरा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15258/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने सीएमएचओ, नागौर द्वारा दिनांक 31.05.2023 को 334 दिवस एवं दिनांक 01.06.2023 को 716 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1050 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.932 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको घगाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1050 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.932 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.419 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री राजकुमारी रूयल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
907	1112	SUNIL KUMAR YADAV	NO188959	याचिकाकर्ता सुनील कुमार यादव पुत्र श्री विजय कुमार यादव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14083/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ सीएमएचओ, अलवर द्वारा दिनांक 01.06.2023 को 702 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 702 दिवस का कोविड अवधि का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.075 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 702 दिवस का कोविड अवधि का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.075 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री सुनिल कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
908	1113	RAJAT SHARMA	NO205050	याचिकाकर्ता रजत शर्मा पुत्र श्री पुरूषोत्तम शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14279/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1052 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मख्नलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि यह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1052 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रक्रिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री रजत शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
909	1114	PAWAN KUMAR SHARMA	NO190592	याचिकाकर्ता पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री राधश्याम शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15258/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों/कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर के बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने सीएमएचओ, चित्तौडगढ द्वारा दिनांक 14.12.2022 को क्रमशः 1486 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.816 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मखनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.816 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए/सीएचओ को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री पवन कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
910	1115	Dhana Ram Siyag	NO150632	याचिकाकर्ता धनाराम सियाग पुत्र श्री आदू राम सियाग ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15258/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है चूंकि दिनांक 10.5.2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक एफ020(504)एनएचएम–एचडब्ल्यूई/भर्ती/2020/803 के तहत मेरे द्वारा कोविड–19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अवधि दिनांक 12.5.2021 से 18.9.2021 तक 130 दिन की है। उक्त अवधि में दिया गया मानदेय भी 7900 रूपये जीएनएम के समान है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि सहित कुल 3541 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.119 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि सहित कुल 3541 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.119 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री धन्नाराम सियाग द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
911	1116	Sabir Hussain	NO168461	याचिकाकर्ता साबीर हुसैन पुत्र श्री रियाजुद्दीन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16957/2023 में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनके ओबीसी–एनसीएल में कटऑफ 70.211 प्रतिशत से अधिक 70.87 प्रतिशत अंक होते हुए भी उन्हे प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा एमबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन (एडिटिड रिसिप्ट 19.06.2023) भरा गया है एवं एमबीसी–एनसीएल को ओबीसी एनसीएल परिवर्तन करने हेतु शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत आरएनसी पंजीयन 04.07.2017 का जारी किया हुआ है जिसका पिछला पृष्ठ संलग्न नही किया गया है जिस पर पंजीकरण के नवीनीकरण की जानकारी उपलब्ध होती है जबकि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अधीक्षक महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा द्वारा दिनांक 01.03.2007 से 06.01.2009 तक 552 दिवस, 03.11.2015 से 16.04.2016 तक 117 दिवस, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा 08.06.2016 से 14.09.2017 तक 464 दिवस एवं दिनांक 01.08.2020 से 31.03.2021 तक 273 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर इन्हे पंजीयन से पूर्व के अनुभव का लाभ नही दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा परिवेदना के साथ 2007 की पंजीयन संबंधी दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न की है जो मूल प्रति नही होने के कारण पंजीयन दस्तावेज के रूप के मान्य नही है। अतः याचिकाकर्ता के आरएनसी पंजीयन के उपरान्त के अनुभव के आधार पर कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम रहने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत आरएनसी पंजीयन 04.07.2017 का जारी किया हुआ है जिसका पिछला पृष्ठ संलग्न नही किया गया है जिस पर पंजीकरण के नवीनीकरण की जानकारी उपलब्ध होती है जबकि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अधीक्षक महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा द्वारा दिनांक 01.03.2007 से 06.01.2009 तक 552 दिवस, 03.11.2015 से 16.04.2016 तक 117 दिवस, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा 08.06.2016 से 14.09.2017 तक 464 दिवस एवं दिनांक 01.08.2020 से 31.03.2021 तक 273 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर इन्हे पंजीयन से पूर्व के अनुभव का लाभ नही दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा परिवेदना के साथ 2007 की पंजीयन संबंधी दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न की है जो मूल प्रति नही होने के कारण पंजीयन दस्तावेज के रूप के मान्य नही है। अतः याचिकाकर्ता के आरएनसी पंजीयन के उपरान्त के अनुभव के आधार पर कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांको से कम रहने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री साबीर हुसैन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
912	1117	Naval Kumar Vaishnav	NO149151	याचिकाकर्ता नवल किशोर वैष्णव पुत्र श्री सीताराम वैष्णव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12119/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंक निरस्त कर नये सिरे से वरियता सूची बनाई जाये। अनुभव अवधि दिनांक 20.09.2020 से 04.05.2023 तक 818 दिवस का जीएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। एक अन्य अभ्यावेदन में याचिका संख्या 14327/2023 के कम में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिस याचिका में भी इसका नाम नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 852 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.451 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मख्नलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 852 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.451 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री नवल किशोर वैष्णव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
913	1118	Indira Kumari	NO202127	याचिकाकर्ता इन्द्रा कुमारी पुत्री श्री मोतीलाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18686/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही अंतिम वरियता सूची जारी करने से पहल बैंक अकाउंट सैलरी स्टेटमेंट की जांच जिससे की वास्तविक अभ्यर्थी ही अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित हो।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि का 554 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक 64.829 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि का 554 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक 64.829 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री इंदिरा कुमारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
914	1119	Hemant Kumar	NO165762	याचिकाकर्ता हेमन्त कुमार पुत्र श्री भूपसिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15717/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। अनुभव अवधि दिनांक 15.07.2021 से 31.03.2022 तक 260 दिवस का सीएचए पद के तथा एवं दिनांक 01.11.2017 से 31.10.2019 तक 730 दिवस का जीएनएम एमएमयू पद के अनुभव का पृथक–पृथक लाभ देते हुए 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये ज़ाये।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 990 दिवस के जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.251 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.275 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मख्नलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496–11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 990 दिवस के जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.251 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.275 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुंत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री हेमन्त कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
915	1120	Pawan Kumar Jatav	NO206546	याचिकाकर्ता पवन कुमार जाटव पुत्र श्री सुबेसिंह जाटव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15717/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। अनुभव अवधि दिनांक 22.06.2021 से 31.03.2022 तक 283 दिवस का सीएचए पद के तथा एवं दिनांक 01.04.2017 से 30.04.2019 तक 760 दिवस का जीएनएम एमएमयू पद के अनुभव का पृथक-पृथक लाभ देते हुए 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाये।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि का 1043 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक 64.402 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि का 1043 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक 64.402 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री पवन कुमार जाटव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
916	1121	Arvind Kumar Bagoria	NO146464	याचिकाकर्ता अरविन्द कुमार बागोरिया पुत्री श्री प्रहलाद चन्द बागोरिया ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14409/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। मेरे द्वारा सीएचए पद पर कोविड-19 से संबंधित नियंत्रण कार्य किये गये जिसकी कुल अनुभव अवधि दिनांक 22.06.2021 से 31.03.2022 तक 282 दिवस तक कार्य किया गया। मुझे कोविड-19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 10.04.2014 से 31.03.2016 तक 591 दिवस का जीएनएम एनएचएम संविदा पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 873 दिवस के जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.718 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.275 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मख्नलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 873 दिवस के जीएनएम पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.718 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.275 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि यह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री अरविन्द कुमार बागोरिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
917	1122	Govind Nagar	NO205391	याचिकाकर्ता गोविन्द नागर पुत्र श्री भवानी लाल नागर ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14985/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। अनुभव अवधि दिनांक 22.07.2021 से 31.03.2022 तक 252 दिवस का सीएचए पद एवं दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2021 तक 456 दिवस का जीएनएम आरएमआरएस पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि का 708 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक 64.988 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि का 708 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक 64.988 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री गोविन्द नागर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
918	1123	Parivesh Bairagi	NO205811	याचिकाकर्ता परिवेश बैरागी पुत्र श्री रमेशचन्द्र बैरागी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15017/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। अनुभव अवधि दिनांक 24.07.2021 से 31.03.2022 तक 249 दिवस का सीएचए पद एवं दिनांक 01.01.2020 से 28.02.2021 तक 425 दिवस का जीएनएम आरएमआरएस पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि का 674 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक 66.119 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि का 674 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक 66.119 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री परिवेश बैरागी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
919	1124	Maya Choubisa	NO178998	याचिकाकर्ता माया चौबीसा पुत्री श्री शंकरलाल चौबीसा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14631/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनके उनके अनुभव प्रमाण पत्र में बिन्दु संख्या 8 नहीं होने के कारण उनके द्वारा सीएमएचओ उदयपुर से नया अनुभव प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास किया गया किन्तु प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की पालना में आवश्यक कार्यवाही करे।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 19.01.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा 221 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी यदि उसे अनुभव प्रमाण पत्र जारी नही किया जा रहा था तो याचिकाकर्ता को तत्समय उक्त तथ्य को विभाग के संज्ञान में लाना चाहिये था ताकि समय रहते कार्यवाही संभव हो सके। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र जारी कराने हेतु किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष लेते हुये अनुभव जारीकर्ता अधिकारी को निर्देशित नही किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनकी जाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 19.01.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा 221 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी यदि उसे अनुभव प्रमाण पत्र जारी नही किया जा रहा था तो याचिकाकर्ता को तत्समय उक्त तथ्य को विभाग के संज्ञान में लाना चाहिये था ताकि समय रहते कार्यवाही संभव हो सके। अब अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त अनुभव प्रमाण पत्र जारी कराने हेतु किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष लेते हुये अनुभव जारीकर्ता अधिकारी को निर्देशित नही किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनकी जाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री माया चौबीसा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
920	1125	Devaram Choudhary	NO148877	याचिकाकर्ता देवाराम चौधरी पुत्र श्री भंवरलाल चौधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा.याचिका संख्या 6900/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम दिनांक तक नहीं मानकर आवेदन शुरु करने की दिनांक को माना जा रहा है जिसके कारण उसके कुछ दिनों की अवधि के फलस्वरूप उसे सम्पूर्ण वर्ष के अनुभव से वंचित होना पड़ रहा है। अतः उसके बोनस अंक दिनांक 04.05.2023 के स्थान पर 04.06.2023 तक करते हुए चयन सची में सम्मलित करने हेतु निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 1088 दिवस का ईएमटी पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जान के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या 1333/2020 सुरेश कुमार रोज बनाम सरकार को खारिज करते हुए आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 1088 दिवस का ईएमटी पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जान के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निरस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
921	1126	Ramjeevan	NO157421	याचिकाकर्ता रामजीवन पुत्र श्री घेवरराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 6900/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम दिनांक तक नहीं मानकर आवेदन शुरू करने की दिनांक को माना जा रहा है जिसके कारण उसके कुछ दिनों की अवधि के फलस्वरूप उसे सम्पूर्ण वर्ष के अनुभव से वंचित होना पड़ रहा है। अतः उसके बोनस अंक दिनांक 04.05.2023 के स्थान पर 04.06.2023 तक करते हुए चयन सूची में सम्मलित करने हेतु निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 717 दिवस का कोविड अवधि का जारी अनुभव माण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनवाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवेदन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या 1333/2020 सुरेश कुमार रोज बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज करते हुए आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 717 दिवस का कोविड अवधि का जारी अनुभव माण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनवाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवेदन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत हैं। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री मुकेश विश्नोई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
922	1127	Bhanu Pratap Singh Choudhary	NO171277	याचिकाकर्ता भानूप्रताप सिंह चौधरी पुत्र श्री भीमसिंह चोधरी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14684/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.2024 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बोनस अंक निरस्त कर नये सिरे से वरियता सूची बनाई जाये। अनुभव अवधि दिनांक 08.04.2021 से 31.03.2022 तक 240 दिवस का सीएचए पद का एवं दिनांक 01.08.2015 से 31.03.2017 तक 608 दिवस का जीएनएम एनयूएचएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 848 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.389 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मक्खनलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 848 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.389 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता श्री भानूप्रताप सिंह चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
923	1128	Urmila Bai	NO194007	याचिकाकर्ता उर्मिला बाई पुत्री श्री छोटेलाल बलाई ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16949/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में निवेदन किया है कि उनके पास सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र होने के पश्चात भी उनका चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। उनके 66.95 प्रतिशत अंक है जबकि अनुसूचित जाति महिला वर्ग की अंतिम कटऑफ 63 प्रतिशत तक गयी है। दिनांक 26.05.2023 को सीएमएचओ अलवर द्वारा जारी 182 दिवस का सीएचए पद के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गयी है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी किन्तु दस्तावेज सत्यापन उपरान्त वास्तविक प्राप्तांकों की गणना उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में उच्च माध्यमिक परीक्षा में 500 में से 404 प्राप्तांक भरे गये थे किन्तु याचिकाकर्ता की उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका में 650 में से 404 प्राप्तांक अंकित किये गये है जिसके आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की गई है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंको सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60. 554 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति वग्र में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी किन्तु दस्तावेज सत्यापन उपरान्त वास्तविक प्राप्तांकों की गणना उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में उच्च माध्यमिक परीक्षा में 500 में से 404 प्राप्तांक भरे गये थे किन्तु याचिकाकर्ता की उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका में 650 में से 404 प्राप्तांक अंकित किये गये है जिसके आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की गई है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंको सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.554 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति वग्र में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.612 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। तद्नुसार याचिकाकर्ता सुश्री उर्मिला बाई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
924	1129	Ganesh Kharol	NO169476	याचिकाकर्ता गणेश खारोल पुत्र श्री हरीराम खारोल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19030/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 में निवेदन किया है कि दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त भी उनका चयन नहीं किया गया। उनके द्वारा इस संबंध में परिवेदना भी प्रस्तुत की गयी किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः उनका चयन अंतरिम चयन सूची में किया जाये । अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन में एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान तथा वर्तमान परिवेदना में भी दिनांक 21.12.2022 का जारी कीमीलेयर का जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः इन्हे ओबीसी एनसीएल आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप याचिकाकर्ता को अनारक्षित श्रेणी में योग्य माना गया है। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ पद्रान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक 75.060 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 75.517 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन में एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान तथा वर्तमान परिवेदना में भी दिनांक 21.12.2022 का जारी कीमीलेयर का जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः इन्हे ओबीसी एनसीएल आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप याचिकाकर्ता को अनारक्षित श्रेणी में योग्य माना गया है। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ पद्रान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक 75.060 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 75.517 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है।
925	1130	Suraj Kumar Sharma	NO135063	याचिकाकर्ता सूरज कुमार शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचए पद पर अनुभव अवधि दिनांक 02.07.2021 से 31.03.2022 तक 273 दिवस एवं दिनांक 15.03.2009 से 30.06.2010 तक 473 दिवस ईएमटी पद पर एवं दिनांक 01.06.2016 से 04.09.2018 तक 827 दिवस का पीपीपी जीएनएम पद का अनुभव संलग्न है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि सहित कुल 1573 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.496 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविड अवधि सहित कुल 1573 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 69.496 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री सूरज कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
926	1131	Tulsi Ram Meena	NO151061	याचिकाकर्ता तुलसी राम मीना पुत्र श्री केदार लाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10.2023 को जारी अन्तरिन वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा सीएचए पद पर अनुभव अवधि दिनांक 03.07.2021 से 31.03.2022 तक 272 दिवस का अनुभव संलग्न है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायक पद का 272 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंको सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.998 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.061 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायक पद का 272 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंको सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.998 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.061 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता श्री तुलसी राम मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
927	1132	Buddhi Prakash Sharma	NO154799	याचिकाकर्ता बुद्धि प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14327/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। दिनांक 01.04.2008 से 30.04.2023 तक 5507 दिवस का जीएनएम एनआरएचएम एमटीसी का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.627 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.627 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 72.336 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। अतः याचिकाकर्ता बुद्धि प्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
928	1133	Lalit Mehra	NO144431	याचिकाकर्ता ललिता मेहरा पुत्र श्री जीवन राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14938/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक प्रदान करे। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त उनके जातिवर्ग में चयनित हैं। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त उनके जातिवर्ग में चयनित हैं। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि के पृथक से 15 बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
929	1134	GOVERDHAN	NO183333	याचिकाकर्ता गोर्वधन पुत्र श्री मंगेज सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14970/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इन्टर्नशिप के अंको जोडकर ओबीसी एनसीएल पुरूष वर्ग में नियुक्ति दिये जाने हेतु निवेदन किया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15961/2015 राजकुमारी बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2015 की प्रति भी प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंको सहित 69.388 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर इन्टर्नशिप के प्राप्तांक जोड़ने की मांग को स्वीकार नही किया जा सकता है याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु अवसर प्रदान किया जा चुका है जिसका लाभ याचिकाकर्ता द्वारा नही उठाया गया अब अंतरिम वरीयता सूची जारी हो जाने के उपरान्त संशोधन नही किया जा सकता है। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा माना गया कि याचिकाकर्ता को यह एहसास होने पर कि उसका चयन श्रेणी परिवर्तन होने पर हो सकता है, उसने न्यायालय की शरण ली एवं याचिकाकर्ता की मांग को इस आधार पर खारिज किया कि ऐसा किये जाने से उन लोगो के साथ पक्षपाती होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर 30 प्रतिशत बोनस अंको सहित 69.388 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70.188 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर इन्टर्नशिप के प्राप्तांक जोड़ने की मांग को स्वीकार नही किया जा सकता है याचिकाकर्ता के पास इस त्रुटि में सुधार हेतु अवसर प्रदान किया जा चुका है जिसका लाभ याचिकाकर्ता द्वारा नही उठाया गया अब अंतरिम वरीयता सूची जारी हो जाने के उपरान्त संशोधन नही किया जा सकता है। डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा माना गया कि याचिकाकर्ता को यह एहसास होने पर कि उसका चयन श्रेणी परिवर्तन होने पर हो सकता है, उसने न्यायालय की शरण ली एवं याचिकाकर्ता की मांग को इस आधार पर खारिज किया कि ऐसा किये जाने से उन लोगो के साथ पक्षपाती होगा जिन्होने अपने आवेदन में सही ब्योरा अंकित किया है। अतः याचिकाकर्ता श्री गोवर्धन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
930	1135	Hukmi Chandra Garg	NO141220	याचिकाकर्ता हुकमी चन्द गर्ग पुत्र श्री प्रभु लाल गर्ग द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12951/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2024 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा आवेदन के साथ वर्ष 2001 की 12वीं की अंकतालिका अपलोड की गयी थी। चूंकि एक अभ्यर्थी को एक ही आवेदन करने की अनुमति थी अतः मेरे द्वारा पुरानी अंकतालिकाऐ अपलोड की गयी। मेरे द्वारा अप्रल 2017 में 12वीं की पुनः परीक्षा देकर श्रेणी सुधार की गयी है जिसके प्राप्तांको को यदि सम्मिलित किया जाता है तो मुझे राहत प्रदान होगी। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में वर्ष सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की 2001 की बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन द्वारा जारी अंकतालिका प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन एवं अंतरिम वरीयता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की गई है। अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक प्रकरण डीबी याचिका संख्या 7840/2016 सोनल त्यागी बनाम राज्य सरकार में भी याचिकाकर्ता द्वारा यह देखकर कि उसकी आवेदित श्रेणी का उसके द्वारा वांछित श्रेणी में परिवर्तन हो जाने पर चयन संभव है, माननीय न्यायालय में याचिका दायर की जिसे माननीय न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि ऐसा किया जाना अपने आप में पक्षपाती होगा। यहा यह भी उल्लेखनीय होगा कि अभ्यर्थी द्वारा व्यावसायिक योग्यता वर्ष 2009 में उत्तीर्ण की गई है जो कि सीनियर सैकण्डरी से उच्च श्रेणी की योग्यता है तो वर्ष 2017 की अंकतालिका व्यावसायिक योग्यता के बाद की जारी किस प्रकार स्वीकार की जा सकेगी।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में वर्ष सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की 2001 की बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन द्वारा जारी अंकतालिका प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन एवं अंतरिम वरीयता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की गई है। अंतरिम चयन सूची जारी हो जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थी द्वारा व्यावसायिक योग्यता वर्ष 2009 में उत्तीर्ण की गई है जो कि सीनियर सैकण्डरी से उच्च श्रेणी की योग्यता है तो वर्ष 2017 की अंकतालिका व्यावसायिक योग्यता के बाद की जारी किस प्रकार स्वीकार की जा सकेगी। अतः याचिकाकर्ता हुकमी चन्द गर्ग द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
931	1136	SANJU KUMARI BAIRWA	NO174338	याचिकाकर्ता संजु कुमारी बैरवा पुत्री श्री किशन लाल बैरवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14029/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ईमित्र वाले ने याचिकाकर्ता के व्यावसायिक योग्यता के तृतीय वर्ष के अंक 777 की जगह 577 अंकित कर दिये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.150 प्रतिशत दर्शाये गये थे किन्तु दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अंकतालिकाओं के आधार पर याचिकाकर्ता के जीएनएम तृतीय वर्ष के 577 अंको के स्थान पर 777 संशोधित किये जाने के उपरान्त अंतरिम वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जा चुका है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने के उपरान्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत 60.150 प्रतिशत दर्शाये गये थे किन्तु दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अंकतालिकाओं के आधार पर याचिकाकर्ता के जीएनएम तृतीय वर्ष के 577 अंको के स्थान पर 777 संशोधित किये जाने के उपरान्त अंतरिम वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जा चुका है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री संजू कुमारी बैरवा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।
932	1137	SARITA KUMARI	NO154413	याचिकाकर्ता सरिता कुमारी पुत्र श्री बनवारी लाल ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14279/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलावा अनुभव क अलग-अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1052 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। रिट याचिका सं.7868/2023 राहुल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में इस बाबत विभाग की ओर से एक शपथपत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पारित नीति को इसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही चलने देना चाहिये। ऐसे ही डी बी याचिका सं. 8433/2023 मख्नलाल बढाला बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने कहा है कि बोनस अंक देने हेतु कोई नीति, यदि है तो, इसको बनाना एवं बोनस किस प्रकार दिया जाना है, पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका सं. 11496-11407/2016 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अर्चना में पारित अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1052 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता द्वारा कोविड अवधि के पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पृथक से 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान नही है। सीएचए को बोनस अंक नहीं दिये जाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह बोनस अंक प्रदान हेतु क्या नीति अपनाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी भर्ती प्रकिया में अपने कार्मिक विशेष संवर्ग को वरीयता दिया जाना किसी भी रूप में मनमाना व्यवहार नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह अपने कार्मिकों के हित में नियमों की रचना कर सकती है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री सरिता कुमारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निरस्तारित किया जाता है।
933	1138	Pooja W/o Pawan Kumar	Husband	याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न कर अपना नाम अंतरिम चयन सूची मे सम्मिलित कराने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य कोई सूचना अंकित नहीं है, ना ही अन्य कोई दस्तावेज संलग्न किये गय है।	याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं के आवेदम के संबंध में न तो कोई आईडी क्रमांक एवं ना हीकोई ऐसी जानकारी प्रस्तुत की गई है जिससे इनके अभ्यावेदन का निस्तारण किया जा सके।	समिति द्वारा अभ्यावेदन को निस्तारण योग्य नही पाया गया।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
934	1139	Krishna	NO142329	याचिकाकर्ता कृष्णा पुत्री श्री घेवरराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 6900/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम दिनांक तक नहीं मानकर आवेदन शुरू करने की दिनांक को माना जा रहा है जिसके कारण उसके कुछ दिनों की अवधि के फलस्वरूप उसे सम्पूर्ण वर्ष के अनुभव से वंचित होना पड़ रहा है। अतः उसके बोनस अंक दिनांक 04.05.2023 के स्थान पर 04.06.2023 तक करते हुए चयन सची में सम्मलित करने हेतु निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 728 दिवस का कोविड अवधि का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किया जाकर परिणाम जारी किया जा चुका है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। रिट याचिका संख्या 1333/2020 सुरेश कुमार रोज बनाम सरकार को खारिज करते हुए आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त को सही करार दिया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 728 दिवस का कोविड अवधि का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किया जाकर परिणाम जारी किया जा चुका है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करने हेतु अवधि की गणना आवेदन की तिथि तक किये जाने हेतु निवेदन कर विज्ञप्ति की शर्त को चैलेंज किया है। अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाये इसका निर्धारण करने हेतु एक ऐसी तिथि को कट ऑफ डेट माना जाना आवश्यक है जो सबके लिये समान हो। यदि आवेदन की तिथी को कट ऑफ माना जाये तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको आवेदन की अंतिम तिथि तक का अनुभव गणना में सम्मिलित किये जाने से लाभ हो रहा हो अंतिम तिथि को ही अनुभव प्रमाणपत्र बनवाने हेतु आवेदन करेगा जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी हेतु यह संभव नहीं कि बडी संख्या में आवेदन की अंतिम तिथि को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और ऐसे बनावाये गये अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी उसी दिनांक को किया जाना भी संभव नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप या तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे अथवा आवदेन करने की अंतिम तिथि आगे बढानी पडेगी। यदि तिथि आगे बढाई जाती है तो पुनः कोई अभ्यर्थी चाहेगा कि उसका अनुभव प्रमाणपत्र बढी हुई तिथि के अनुसार हो। ऐसा अनवरत काल तक किया जाना संभव नही होगा। अतः आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि से एक दिन पहले तक का ही अनुभव गणना योग्य माना जाने की विज्ञप्ति की शर्त सही व तर्कसंगत है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री सुश्री कृष्णा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
935	1140	Vinod Kumar Meena	A Not find	याचिकाकर्ता विनोद कुमार मीना पुत्र श्री रामपाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14585/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 की प्रति मात्र संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा केवल माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय की प्रतिमात्र प्रस्तुत की गई एवं किसी प्रकार अभ्यावेदन अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। अतः याचिकाकर्ता के संबंध में अग्रिम कार्यवाही संभव नही है।	याचिकाकर्ता द्वारा केवल माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय की प्रतिमात्र प्रस्तुत की गई एवं किसी प्रकार अभ्यावेदन अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। याचिकाकर्ता के संबंध में अग्रिम कार्यवाही संभव नही है। अतः तद्नुसार प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
936	1141	Chander Mohan Meena	NO149669	याचिकाकर्ता चन्द्र मोहन मीना पुत्र श्री रामकिशोर मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16830/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 7.10. 2023 को जारी अन्तरिन वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है जबकि मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम है। मेरे द्वारा अनुभव अवधि दिनांक 03.07.2021 से 31.03.2022 तक 272 दिवस का सीएचए पद का अनुभव संलग्न है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायक पद का 272 दिवस एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, दौसा द्वारा नर्स ग्रेड द्वितीय पद का 122 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं। याचिकाकर्ता को अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया जाकर परिणाम प्रकाशित किया जा चुका है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायक पद का 272 दिवस एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, दौसा द्वारा नर्स ग्रेड द्वितीय पद का 122 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। याचिकाकर्ता को अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया जाकर परिणाम प्रकाशित किया जा चुका है। अतः वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तदनुसार याचिकाकर्ता श्री चन्द्रमोहन मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
937	1142	Rakhi Kumari	NO187751	याचिकाकर्ता राखी कुमारी पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह श्री रामलाल शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 9128/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07.06. 2023 (प्रोविजनल अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने क संबंध में निर्देश) एवं निर्णय दिनांक 06.12.2023 (याचिका संख्या 14624/2023 सुभाष चन्द आमेटा बनाम सरकार के साथ राजेन्द्र कुमार बेनीवाल 14080/2023 की तर्ज पर निस्तारित) की प्रति संलग्न कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है।	याचिकाकर्ता को अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किया जाकर परिणाम जारी किया जा चुका है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।	याचिकाकर्ता को अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किया जाकर परिणाम जारी किया जा चुका है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन कार्यवाही आवश्यक नहीं मानते हुये निस्तारित किया जाता है।
938	1143	Ramesh Gehlot	NO180271	याचिकाकर्ता रमेश गहलोत पत्र श्री अनराज ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17054/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08. 12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है क उनेक पास पूर्व में 45 प्रतिशत का दिव्यांगता प्रमाण पत्र है एवं दिनांक 09.09.2023 को प्रातः 08 बजे एसएमएस हॉस्पीटल के मेडिकल बोर्ड द्वारा भी जांच की गयी है। उनके द्वारा सीएचए के रूप में दिनांक 15.07.2021 से 31.03.2022 तक 260 दिवस का कार्य किया गया है किन्तु उनका फिर भी किसी लिस्ट में नाम नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की पालना में आवश्यक कार्यवाही करे।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई पमाण पत्र भी आवेदन के समय नही मांगा गया। अतः याचिकाकर्ता के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसकें अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नही देते हुये सामान्य याचिकाकर्ता के रूप में माना गया है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक इनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई पमाण पत्र भी आवेदम के समय नही मांगा गया। अतः याचिकाकर्ता के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसकें अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नही देते हुये सामान्य याचिकाकर्ता के रूप में माना गया है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक इनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
939	1144	Ramgopal Bairwa	NO134514	याचिकाकर्ता रामगोपाल बैरवा पुत्र श्री प्रभुदयाल बैरवा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18703/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका दिव्यांग श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हुआ था एवं उनसे कम प्राप्तांक वाले अनुसूचित वर्ग दिव्यांग श्रेणी के आवेदको का चयन अंतरिम वरियता सूची में हुआ है जबकि उनका नहीं हुआ है। अतः आवश्यक कार्यवाही करे।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई पमाण पत्र भी आवेदन के समय नही मांगा गया। अतः याचिकाकर्ता के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसकें अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नही देते हुये सामान्य याचिकाकर्ता के रूप में माना गया है। याचिकाकर्ता को अनुभव का लाभ देय नही है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक इनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांग सम्बन्धी कोई पमाण पत्र भी आवेदन के समय नही मांगा गया। अतः याचिकाकर्ता के संबंध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई जिसकें अनुसार इनको दिव्यांग श्रेणी का लाभ नही देते हुये सामान्य याचिकाकर्ता के रूप में माना गया है। याचिकाकर्ता को अनुभव का लाभ देय नही है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक इनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता श्री रामगोपाल बैरवा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
940	1145	Buddhi Prakash Pareek	NO179097	याचिकाकर्ता बुद्धिप्रकाश पारीक पुत्र श्री भवानी शंकर पारीक ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 8415/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा अनुभव अवधि दिनांक 19.03.2015 से 28.02.2019 तक 1198 दिवस का ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर पद के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। मुझे कोविड–19 में किये गये कार्यानुसार बोनस अंक प्रदान करवाकर अन्तरिम सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जारी आशा फेसिलिटेटर पद के कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। आशा फेसिलिटेटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरित वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जारी आशा फेसिलिटेटर पद के कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। आशा फेसिलिटेटर का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरित वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता श्री बुद्धि प्रकाश पारीक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
941	1146	SWAROOP RAJPAL	A Not Find	याचिकाकर्ता स्वरूप राजपाल पुत्र श्री हरिश चन्द्र ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18172/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर याचिकाकर्ता को कोविड काल व कोविड काल के अलाया अनुभव के अलग–अलग बोनस अंक प्रदान कर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंको को निरस्त कर पुनः वरीयता सूची बनाकर याचिकाकर्ता को अंतिम वरीयताा सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता स्वरूप राजपाल ने 2023 की विज्ञप्ति में आवेदन किया जिसमें इनका आवेदन पत्र पेंडिग रह गया था। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13708/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2023 की पालना में विभाग द्वारा दिनांक 11.09.2023 को विज्ञप्ति जारी सभी ऐसे अभ्यर्थिया जिनका आवेदन पेंडिग था, इस डिफेक्ट को दूर किय जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया था किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा इस अवसर का लाभ नही उठाया गया जिसके कारण याचिकाकर्ता का इस भर्ती हेतु आवेदन सबमिट नही हुआ। फलस्वरूप याचिकाकर्ता इस भर्ती हेतु आवेदक की श्रेणी में नही है।	याचिकाकर्ता स्वरूप राजपाल ने 2023 की विज्ञप्ति में आवेदन किया जिसमें इनका आवेदन पत्र पेंडिग रह गया था। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13708/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2023 की पालना में विभाग द्वारा दिनांक 11.09.2023 को विज्ञप्ति जारी सभी ऐसे अभ्यर्थिया जिनका आवेदन पेंडिग था, इस डिफेक्ट को दूर किय जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया था किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा इस अवसर का लाभ नही उठाया गया जिसके कारण याचिकाकर्ता का इस भर्ती हेतु आवेदन सबमिट नही हुआ। फलस्वरूप याचिकाकर्ता इस भर्ती हेतु आवेदक की श्रेणी में नही है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
942	1147	Pooja	NO ID NO.	याचिकाकर्ता पूजा पुत्री श्री सुरेश चन्द्र पत्नी श्री नितेश कुमार हरीजन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14405/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा अनारक्षित विधवा वर्ग में आवेदन किया गया था एवं उक्त वर्ग की कटऑफ 46.970 है जबकि प्रार्थिया के 60.85 प्रतिशत प्राप्तांक होने के बावजूद भी प्रोविजनल चयन सूची में नाम अंकित नहीं है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हे चयन सूची में सम्मिलित करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।	याचिकाकत्रा पूजा पुत्री श्री सुरेश चन्द्र ने 2023 की विज्ञप्ति में आवेदन किया जिसमें इनका आवेदन पत्र पेंडिग रह गया था। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13708/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2023 की पालना में विभाग द्वारा दिनांक 11.09.2023 को विज्ञप्ति जारी सभी ऐसे अभ्यर्थिया जिनका आवेदन पेंडिग था, इस डिफेक्ट को दूर किय जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया था किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा इस अवसर का लाभ नही उठाया गया जिसके कारण याचिकाकर्ता का इस भर्ती हेतु आवेदन सबमिट नही हुआ। फलस्वरूप याचिकाकर्ता इस भर्ती हेतु आवेदक की श्रेणी में नही है।	याचिकाकत्रा पूजा पुत्री श्री सुरेश चन्द्र ने 2023 की विज्ञप्ति में आवेदन किया जिसमें इनका आवेदन पत्र पेंडिग रह गया था। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13708/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2023 की पालना में विभाग द्वारा दिनांक 11.09.2023 को विज्ञप्ति जारी सभी ऐसे अभ्यर्थिया जिनका आवेदन पेंडिग था, इस डिफेक्ट को दूर किय जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया था किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा इस अवसर का लाभ नही उठाया गया जिसके कारण याचिकाकर्ता का इस भर्ती हेतु आवेदन सबमिट नही हुआ। फलस्वरूप याचिकाकर्ता इस भर्ती हेतु आवेदक की श्रेणी में नही है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री पूजा द्वारा प्रस्तुत अभ्योवदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।
943	1148	Saroj	NO213033	याचिकाकर्ता सरोज पुत्री श्री भंवर सिंह ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18263/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.10.2023 को जारी अन्तरिम वरियता सूची में मेरा नाम नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक एवं कोविड काल के अलावा अनुभव के अलग से 10, 20, 30 बोनस अंक पृथक से प्रदान करे। अनुभव अवधि दिनांक 10.08.2021 से 28.02.2022 तक 201 दिवस का सीएचए पद, दिनांक 21.08.2014 से 31.01.2016 तक 529 दिवस का एएनएम पद के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है। अतः मुझे कोविड कॉल के 15 बोनस अंक एवं अन्य अवधि का अलग से बोनस अंक प्रदान कर अन्तरिम वरियता सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि का 201 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, गंगानगर द्वारा एएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का एएनएम के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नही दिये जाने को राज्य पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार उक्त अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नही है। अतः याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ कोविड अवधि का 201 दिवस का नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्व में ही 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, गंगानगर द्वारा एएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का एएनएम के कार्य का अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। अतः उक्त अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नही है। याचिकाकर्ता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम महिला अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही हुआ। अतः याचिकाकर्ता द्वारा सुश्री सरोज द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
944	1149	Vishnu Pratap	NO171576	याचिकाकर्ता विष्णु प्रताप पुत्र श्री प्रहलाद नारायण सेन ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19020/2023 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनका दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम था किन्तु प्रोविजनल चयन सूची में नाम अंकित नहीं है ना ही कोई जानकारी दी गयी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हे चयन सूची में सम्मिलित करे। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया। उनके द्वारा दिनांक 16.03.2009 से 28.02.2010 तक का 338 दिवस का ईएमटी पद का एवं दिनांक 12.08.2012 से 28.03.2015 तक 896 दिवस का हैल्थ एडवाईजर पद का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जारी 104 हैल्पलाइन में ऑन कॉल हैल्थ एडवाइजरी सर्विसेज का अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रमाणपत्र 18.03.2009 से 28.02.2010 कुल 338 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो एक वर्ष से कम अवधि एवं कोविड अवधि का नही होने के कारण नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश प्रदान किये हैं जिसका सम्बन्ध समान कार्य के अनुभव से है। ऐसे ही समान प्रकरण डीबी याचिका सं. 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पद पर कार्यरत होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने को राज्यपक्ष में निर्णीत किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जारी 104 हैल्पलाइन में ऑन कॉल हैल्थ एडवाइजरी सर्विसेज का अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जिसका कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रमाणपत्र 18.03.2009 से 28.02.2010 कुल 338 दिवस का ईएमटी पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो एक वर्ष से कम अवधि का होने के कारण नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 की पालना में याचिकाकर्ता श्री विष्णु प्रताप द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
945	1150	Deepak Chouhan	NO173293	याचिकाकर्ता दीपक चौहान पुत्र श्री तेजकरण चौहान ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 10432/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हे 1095 दिनो के स्थान पर 938 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है जबकि उनके द्वारा दिनांक 01.05.2020 से 04.05.2023 तक कार्य किया गया है जबकि अनुभव प्रमाण पत्र में माह में 26 दिवस अनुसार भुगतान अंकित किया जाकर 02 वर्ष 11 माह 28 दिवस लिखा गया है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गयी है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज कोटा द्वारा जारी 01.05.2020 से 04.05.2023 की अवधि में 1095 दिवस जिसे 2 वर्ष 11 माह 28 दिवस दर्शाया है संलग्न किया है एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान रिट याचिका संख्या 10432/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 19.7.2023 की प्रति प्रस्तुत की है जिसके अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा 01.05.2020 से 04.05.2023 तक की कुल अवधि के आधार पर बोनस अंक देने के निर्देश प्रदान किये है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नर्सिंग कार्मिक के अनुभव प्रमाण पत्र में सम्पादित कार्य ईसीजी दर्शाया गया है जो कि ईसीजी टैक्नीशियन के समान कार्य है नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं। अतः समान कार्य के नियम के आधार पर एवं रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज कोटा द्वारा जारी 01.05.2020 से 04.05.2023 की अवधि में 1095 दिवस जिसे 2 वर्ष 11 माह 28 दिवस दर्शाया है संलग्न किया है एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान रिट याचिका संख्या 10432/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 19.7.2023 की प्रति प्रस्तुत की है जिसके अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा 01.05.2020 से 04.05.2023 तक की कुल अवधि के आधार पर बोनस अंक देने के निर्देश प्रदान किये है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नर्सिंग कार्मिक के अनुभव प्रमाण पत्र में सम्पादित कार्य ईसीजी दर्शाया गया है जो कि ईसीजी टैक्नीशियन के समान कार्य है नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं। अतः समान कार्य के नियम के आधार पर एवं रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निदेशानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अतः माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.12.2023 की पालना में याचिकाकर्ता श्री दीपक चौहान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
946	1151	Praveen Kumar Meena	NO152368	याचिकाकर्ता प्रवीण कुमार मीना पुत्र श्री गोपाल लाल मीना ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17374/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। साथ ही अवधि दिनांक 04.09.2021 से 31.03.2022 तक 212 दिवस का सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक को समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है।	याचिकाकर्ता का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। नियमानुसार आवेदन की अंतिम दिनांक तक अभ्यर्थी को समस्त निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। अतः निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं करने के कारण याचिकाकर्ता श्री प्रवीण कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
947	1152	Manoj Kumar	NO115096	याचिकाकर्ता मनोज कुमार पत्र श्री रामखिलाड़ी ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19108/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके पास पूर्व में 53 प्रतिशत का दिव्यांगता प्रमाण पत्र था एवं वह दिनांक 06.09.2023 को मेडिकल बोर्ड द्वारा भी जांच की गयी है किन्तु उनका फिर भी किसी लिस्ट में नाम नहीं है। केवल आवेदन पत्र की छाया प्रति संलग्न की है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की पालना में आवश्यक कार्यवाही करे।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः याचिकाकर्ता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की दिव्यांगता (बोथ लैग) है। उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता श्रेणी हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नही है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः याचिकाकर्ता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की दिव्यांगता (बोथ लैग) है। उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता श्रेणी हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
948	1153	VIBHA BHAGORA	NO117832	याचिकाकर्ता विभा भगोरा पुत्री श्री गौतम लाल भगोरा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16980/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका दस्तावेज सत्यापन के दौरान फिजिकल डिसऐबिलिटी की जांच मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाई गई थी। जिसकी रिपोर्ट बताये बिना ही उनको प्रोविजनल सूची से बाहर कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने के कारण से अवगत कराने बाबत निवेदन किया है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता (बोथ लेग) हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता श्रेणी हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नही है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता (बोथ लेग) हेतु नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने कारण पात्रता निरस्त की गई है। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता श्रेणी हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नही है। अतः याचिकाकर्ता सुश्री विभा भार्गव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आईडी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
949	1154	PRAKASH BAGRI	NO157989	याचिकाकर्ता प्रकाश बागडी पुत्र श्री भूंण्डा राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18097/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि याचिकाकर्ता के दस्तावेज सत्यापनं सूची में 54.210 अंक तथा बोनस अंक 15 होने के पश्चात भी दिनांक 07.10.2023 को जारी अंतरिम वरीयता सूची मं नाम सम्मिलित नहीं किया गया। जबकि प्रार्थी-से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित है। प्रार्थना पत्र में यह भी अवगत कराया है कि दस्तावेज सत्यापन सूची के कुल अंक तथा अंतरिम वरीयता सूची के औसत अंक कई आवेदकों के समान है तथा कई आवेदकों के असमान है। इसमें भारी भिन्नता होने से परिणाम में विसंगतियॉ है, जिनके नाम व आईडी निम्न है:- राधाकिशन (एनओ 114056), मोतीला (एनओ 152797), अनूप कुमार (एनओ 138036), वाजीद खान (एनओ 138313) आदि।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः याचिकाकर्ता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की दिव्यांगता (वन आर्म) है। उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता श्रेणी हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नही है।	नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु विज्ञप्ति में स्पष्ट दिया गया था कि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसी कारण से इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से दिव्यांगता सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय नहीं मांगा गया। अतः याचिकाकर्ता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की दिव्यांगता (वन आर्म) है। उक्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर का पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता श्रेणी हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नही है। अतः याचिकाकर्ता श्री प्रकाश बागड़ी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
950	1155	Lalit Khokhar	LTN119325	श्री ललित खोखर द्वारा लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया गया है। इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन के पत्र दिनांक 05.03.2024 के अनुसार कराटे फेडरेशन की संबंद्धता इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से नहीं होने के कारण श्री खोखर को उत्कृष्ट खिलाड़ी संवर्ग में आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। जबकि श्री खोखर ने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि जिस वर्ष इन्होने खेल प्रतियोगिता में भाग लिया उस वर्ष (2018) कराटे फेडरेशन की संबंद्धता इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से थी।	उत्कृष्ट खिलाड़ी के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के क्रम में भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा अपने पत्र दिनांक 5.3.2024 में कराटे फेडरेशन के सम्बद्ध नही होने के कारण श्री खोखर को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग का लाभ नही दिया गया। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा भारतीय ओलम्पिक संघ से प्राप्त दस्तावेजों के फलस्वरूप पुनः उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग का लाभ देने हेतु सक्षम स्तर पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जिस पर दिनांक 16.08.2024 राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में आयोजित बैठक में विचार किया गया। श्री खोखर के वर्ष 2018 में कराटे एसोसिएशन की संबद्धता के संबंध में प्रकरण पर पुनर्विचार करने हेतु इसे निर्देशानुसार नीति निर्धारण समिति की बैठक में सम्मिलित कर निर्णय लिया जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिसपर नीति निर्धारण समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया गया कि श्री खोखर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन को पत्र द्वारा भिजवाया जाकर इस सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रमाण पत्र में अंकित तिथि को उक्त कराटे फेडरेशन व आयोजित प्रतियोगिता की इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्धता थी अथवा नहीं, की जानकारी प्राप्त कर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से 30.08.2024 को पत्र भेजकर जानकारी चाहे जाने पर कोई स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई। अतः पुनः दिनांक 4.10.2024 को स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने हेतु इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से पत्र व्यवहार किया गया जिसपर पुनः इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा स्पष्ट उत्तर नही देकर कुछ पत्र संलग्न किये हैं जिसके आधार पर संस्थान को स्वयं के स्तर पर निर्णय लेना है कि इन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर श्री ललित खोखर द्वारा प्रस्तुत कराटे एसोसिएशन द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र को मान्य किया जाये अथवा नहीं। अतः प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन के पत्र दिनांक 05.09.2024 में कराटे एसोसिएशन ऑव इंडिया की सम्बद्धता आईओए की ईसी/जीबी में रैटिफिकेशन की शर्त पूर्ण किये जाने की स्थिति में माने जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है एवं पत्र दिनांक 21.10.2024 में आईओए की ईसी/जीबी में रैटिफिकेशन से सम्बन्धित कोई एजेन्डा अथवा निर्णय उपलब्ध नहीं होने से अवगत करवाया गया है। चूँकि रैटिफिकेशन के बिना कराटे एसोसिएशन ऑव इंडिया को आई ओए के पत्र दिनांक 08.08.2017 में दी गई सम्बद्धता के आधार पर श्री खोखर द्वारा प्रस्तुत खेल–कूद प्रमाणपत्र को मान्य किया जानासंभव नहींहै अतःश्री खोखर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 21.11.2019 में अंकित शर्तां पूर्ण नहीं किये जाने के दृष्टिगत अस्वीकार कर निस्तारित किया जता है।
951	1156	Anil Chandawat	LTN106817	श्री अनिल चंदावत द्वारा लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया गया है। इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन के पत्र दिनांक 05.03.2024 के अनुसार नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की संबंद्धता इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से नहीं होने के कारण श्री चंदावत को उत्कृष्ट खिलाड़ी संवर्ग में आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। जबकि श्री चंदावत ने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि जिस वर्ष इन्होने खेल प्रतियोगिता में भाग लिया उस वर्ष (2022) नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की संबंद्धता इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से थी।	इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन ने दिनांक 22.10.2024 को स्पष्टीकरण जारी किया है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की संबंद्धता इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से वर्ष 2011 से 2024 तक है।	नीति निर्धारण समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री चांदावत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन को पत्र द्वारा भिजवाया जाकर इस सम्बन्ध में कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र में अंकित तिथि को उक्त कराटे फेडरेशन व आयोजित प्रतियोगिता की इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्धता थी अथवा नहीं, की जानकारी प्राप्त कर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

क्र.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
952	1157	JITENDRA CHHANGANI	NO176496	अभ्यार्थी द्वारा अवगत कराया है कि सीएमएचओ नागौर एवं सुयंक्त निदेशक अजमेर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र में टंकण त्रुटि द्वारा कॉलम 8 विलोपित हो गया है। अतः संशोधित कर अनुभव प्रमाण पत्र (03 वर्ष 04 माह) पुनः सलग्न है। अभ्यार्थी के 30 बोनस के साथ 79.270 प्रतिशत प्राप्तांक है। अतः अभ्यार्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक जोड़कर अन्तिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 29.05.2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा 1222 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। वर्तमान में अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा अन्तरिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात दिनांक 17.10.2023 को जारी किए गए प्रमाणीकरण की प्रति संलग्न कर उन्हें बोनस अंकों का लाभ दिये जाने हेतू परिवेदना प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करते समय इसका भली भांति अवलोकन नहीं किया गया जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी है। साथ ही दो बार त्रुटि संशोधन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी इसका लाभ नहीं उठाया गया एवं अब अन्तरिम चयन सूची जारी होने के पश्चात बोनस अंको लाभ दिया जाना उचित नहीं है।	वस्तुपरक टिप्पणी अनुसार यथा अनुमोदित । संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अन्तरिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात बिना किसी आधार के प्रमाणीकरण जारी किया गया है जिस हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
953	1158	MUNESH KUMAR	NO183080	याचिकाकर्ता मुनेश कुमार पुत्र श्री बद्रीप्रसाद शर्मा ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17322/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उत्कृष्ट खिलाडी कोटे में आवेदन करने के बावजूद अंतरिम वरीयता सूची में नाम नहीं आने व प्रार्थना पत्र के साथ खेल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर उनकी जांच कराकर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में खेल कोटे में चयन करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ राष्ट्र शिक्षा समाज विकास संस्था एवं खेल कूद परिषद द्वारा खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के मान्य नहीं है। अतः उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ राष्ट्र शिक्षा समाज विकास संस्था एवं खेल कूद परिषद द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के मान्य नहीं है। अतः उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता श्री मुनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
954	1159	DHEERAJ KUMAR	NO182763	याचिकाकर्ता धीरज कुमार पुत्र श्री काशीराम यादव ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17321/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उत्कृष्ट खिलाडी कोटे में आवेदन करने के बावजूद अंतरिम वरीयता सूची में नाम नहीं आने व प्रार्थना पत्र के साथ खेल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर उनकी जांच कराकर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में खेल कोटे में चयन करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ राष्ट्र शिक्षा समाज विकास संस्था एवं खेल कूद परिषद द्वारा खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के मान्य नहीं है। अतः उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के साथ राष्ट्र शिक्षा समाज विकास संस्था एवं खेल कूद परिषद द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के मान्य नहीं है। अतः उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता श्री धीरज कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
955	1160	Shrawan Kumar	NO157251	याचिकाकर्ता श्रवण कुमार पुत्र श्री प्रेमाराम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18550/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया गया था किन्तु उनका चयन अंतरिम वरियता सूची में नहीं किया गया है। उनके द्वारा Ice Hockey Association of India द्वारा दिनांक 29.01.2023 से 08.02.2023 के बीच आयोजित 12वीं राष्ट्रीय आईस हॉकी प्रतियोगिता 2023 में टीम के 8वें स्थान पर रहने का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता ने आईस हॉकी एसोसिऐशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाडी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	याचिकाकर्ता ने आईस हॉकी एसोसिऐशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता श्री श्रवण कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
956	1161	Sunil Kumar	NO153027	याचिकाकर्ता सुनिल कुमार पुत्र श्री रिडमल राम ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18550/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदम किया गया था किन्तु उनका चयन अंतरिम वरियता सूची में नहीं किया गया है। उनके द्वारा Ice Hockey Association of India द्वारा दिमांक 29.01.2023 से 08.02.2023 के बीच आयोजित 12वीं राष्ट्रीय आईस हॉकी प्रतियोगिता 2023 में टीम के 8वें स्थान पर रहने का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता ने आईस हॉकी एसोसिऐशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	याचिकाकर्ता ने आईस हॉकी एसोसिऐशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता श्री सुनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
957	1162	Azaj Mohammed	NO105748	याचिकाकर्ता ऐजाज मोहम्मद पुत्र श्री इस्लाम मोहम्मद ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 19567/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया गया था किन्तु उनका चयन अंतरिम वरियता सूची में नहीं किया गया है। उनके द्वारा Ametaure Rugby Football Federation of India का दिनांक 09.11.2006 से 12.11.2006 के बीच आयोजित खेल प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता ने अमेच्योर रगबी फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबंद्व संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया।	याचिकाकर्ता ने अमेच्योर रगबी फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबंद्व संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया गया। अतः याचिकाकर्ता श्री एजाज मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
958	1163	Sarita Kanwar	NO170312	याचिकाकर्ता सरिता कंवर पुत्री श्री प्रशांत प्रताप सिंह मरूका ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17818/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा कब्बड्डी का नेशनल सर्टिफिकेट तथा कोविड स्वास्थ्य सहायक सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने के बाद भी अंतरिम चयन सूची में उनका नाम नहीं है। उनके द्वारा दस्तावेजों में स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इंडिया अंकित किया हुआ 52वीं राष्ट्रीय कब्बडी प्रतियोगिता 2006-07 (अंडर 14 लड़के एवं लड़किया) जो कि अन्नीगैरी कर्नाटक में आयोजित की गयी थी का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। फलस्वरुप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रही है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। फलस्वरूप इनकी स्वयं की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रही है। अतः तद्नुसार याचिकाकर्ता सुश्री सरिता कंवर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
959	1164	Javed Ali	NO100802	याचिकाकर्ता जावेद अली पुत्र श्री अनवर अली ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 18132/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया गया था किन्तु उनका चयन अंतरिम वरियता सूची में नहीं किया गया है। उनके द्वारा चतुर्थ एशियन पेटॉक चैम्पियनशिप 2022 बैंकाक थाईलैण्ड में 10-14 नवम्बर 2022 तक भाग लिया था। उक्त से संबंधित खेल प्रमाण पत्र (पेटॉक) की प्रति संलग्न की है।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 4वां एशियन पैटॉक चैम्पियनशिप 2022 द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया।	याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 4वा एशीयन पैटाक चैम्पियनशिप 2022 द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अतः याचिकाकर्ता श्री जावेद अली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
960	1165	MOHMMED MAQSOOD		याचिकाकर्ता मोहम्मद मकसूद पुत्र श्री मोहम्मद मारूफ ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14932/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2023 के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके बोनस अंको की नियमानुसार पुनः गणना कर कोविड काल के 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। साथ ही अवधि दिनांक 18.11.2021 से 31.3.2022 तक 134 दिवस सीएचए एवं दिनांक 17.8.2016 से 13.9.2017 तक 391 दिवस का जीएनएम संविदा एमआरएस पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.35 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर याचिकाकर्ता के 15 प्रतिशत बोनस अंक मानते हुये कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.35 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.320 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया है। अतः याचिकाकर्ता श्री मोहम्मद इरफान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

क.सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आई.डी. संख्या	अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
961	1166	MUKESH BHOI	NO158729	याचिकाकर्ता मुकेश भोई पुत्र श्री नाथूलाल भोई ने माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 8908/2023 में पारित निर्णय दिनांक 6.12.2023 के कम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव प्रमाण पत्र नही होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका था । अब कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट आपदा प्रबंधन बांसवाडा द्वारा दिनांक 26.10.2023 को अनुभ्व प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है जिसके क में कार्यवाही कर अनुगृहीत करें। याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा विज्ञप्ति की शर्तो के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विज्ञापित पद के समान समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवेदना में अंकित अनुभव प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में जारी नहीं किया गया है।	याचिकाकर्ता द्वारा विज्ञप्ति की शर्तो के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विज्ञापित पद के समान समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवेदना में अंकित अनुभव प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में जारी नहीं किया गया है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है। तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान सरकार

विधि विभाग के प्रतिनिधि
(विशिष्ट शासन सचिव स्तर)

संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि
(संयुक्त शासन सचिव स्तर)

विशेषाधिकारी,
आर.एम.एस.सी.एल

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं

निदेशक
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
मुख्यालय

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
मुख्यालय

उप विधि परामर्शी
(शासन सचिवालय)

उप विधि परामर्शी
मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
विभाग

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर